# मध्यप्रदेश विधान सभा

# की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

---

चतुर्दश विधान सभा चतुर्दश सत्र

**जुलाई, 2017 सत्र**

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017

(27 आषाढ़, शक संवत् 1939 )

[खण्ड- 14 ] [अंक- 2 ]

---

# मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017

(27 आषाढ़, शक संवत् 1939 )

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन डॉ. नरोत्तम मिश्र के बिना कुछ सुना-सुना सा लग रहा है एवं सदन बिना संसदीय कार्य मंत्री के चल रहा है.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) - अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ. आपने सदन में आते ही पहले विपक्ष की तरफ और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जी का अभिवादन किया. ( XXX ) इसमें क्या बुराई है ?

श्री रामनिवास रावत - क्या यह रिकॉर्ड में रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय - यह रिकार्ड में नहीं आएगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - मुझे शेजवार जी की बुद्धि पर तरस आता है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - मेरी बुद्धि पर कइयों ने ऐसे ही तरस खाया है. अब देखिये, आपका क्या होता है ?

**11.04 बजे** **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

**बिजली के टूटे तारों/खंबों की मरम्मत**

[ऊर्जा]

**1. ( *क्र. 566 ) श्री रजनीश सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत विकासखण्ड धनौरा, केवलारी, छपारा, सिवनी में कितने वर्षों से बिजली के टूटे तारों व खंबों की मरम्मत नहीं की जा रही है? कारण सहित पूर्ण विवरण देवें। **(ख)** क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नसीपुर, विकासखण्ड केवलारी में विगत 6 महीनों से विद्युत पोल टूटा हुआ है? यदि हाँ, तो

अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) के पास इसकी कितनी शिकायत की गई? शिकायत किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है? शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का भी विवरण देवें। **(ग)** केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उगली पांडिया छपारा वितरण केन्द्र क्षेत्रान्तर्गत में कितने लाइनमेन कार्यरत हैं एवं इन कार्यरत लाइनमेन को कितने-कितने ग्रामों का प्रभार सौंपा गया है? लाइनमेन के नाम सहित ग्रामों के नाम देवें।

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** प्रश्नाधीन क्षेत्र सहित प्रदेश में संपूर्ण विद्युत वितरण लाईनों/उपकरणों का प्रत्येक वर्ष दो बार यथा-वर्षाकाल के पूर्व एवं वर्षाकाल के पश्चात् मेन्टेनेंस का कार्य किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा अथवा तकनीकी कारणों एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में विद्युत अधोसंरचना के क्षतिग्रस्त होने पर आवश्यकतानुसार मेन्टेनेंस/सुधार के कार्य किये जाते हैं। वर्तमान में सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत विकास खण्ड सिवनी में कोई भी क्षतिग्रस्त पोल/तार बदलने हेतु शेष नहीं है तथा विकासखण्ड धनौरा, केवलारी एवं छपारा में माह मई एवं जून, 2017 में आये आंधी-तूफान के कारण 22 ग्रामों के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं जो बदलने हेतु शेष हैं। उक्त 22 में से 18 ग्रामों का विद्युत प्रदाय वैकल्पिक व्यवस्था कर चालू कर दिया गया है। **(ख)** जी नहीं। तथापि दो माह पूर्व माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नसीपुर द्वारा दूरभाष पर पोल टूटने की जानकारी दी गई थी। उक्त तारतम्य में तत्काल निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि ग्राम नसीपुर में ग्राम पंचायत भवन के पास पोल झुक गया है जिसे तुरन्त स्टेसैट लगाकर व्यवस्थित किया गया, किन्तु स्टेसैट को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बार-बार निकाले जाने के कारण स्टड पोल लगाकर उक्त पोल को सीधा कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त पोल व्यवस्थित एवं सुरक्षित है। **(ग)** केवलारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उगली एवं पांडिया छपारा वितरण केन्द्रों में कुल 7लाईन कर्मचारी कार्यरत् हैं, जिन्हें 64 ग्रामों का प्रभार सौंपा गया है। उक्त लाईन कर्मचारियों के नाम एवं उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम सहित केन्द्रवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

**परिशिष्ट - "एक"**

श्री रजनीश सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न क्रमांक 1 'क' के उत्तर में माननीय मंत्री जी की ओर से जो उत्तर आया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ. मेरा प्रश्न विद्युत पोल की मरम्मत के संबंध में था, पर दो महीने हो गए हैं, उसके बाद भी 22 ग्रामों के जो पोल क्षतिग्रस्त हुए थे, वे न ही बदले गए हैं और न ही उनकी रिपेयरिंग हुई है. मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि 18

ग्रामों की विद्युत प्रदाय वैकल्पिक व्यवस्था चालू तो कर दी गई है.वह सुचारू रूप से संचालित नहीं है, क्योंकि पोल टूट गए थे, तूफान के कारण और अभी भी वर्तमान में वैसी ही स्थिति बनी हुई है. दूसरा 'ख' का जो उत्तर आया है, उसमें ग्राम नसीपुर में एक वर्ष से खंभों के ऊपर तार झूल रहे थे, उसके लिए मैंने जब दिनांक 20.06.2017 को प्रश्न लगाया उसके बाद 07.07.2017 को उस गांव में यह सुधार के काम किए गए. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 के ही 'ग' में 64 ग्राम में 7 लाइनमेन है और ग्राम और टोला, मजरा, पारा मिलाकर छोटे बड़े गांवों की संख्या 84 होती है, मेरा आपसे अनुरोध है कि 84 गांव में 7 लाइनमैन बहुत कम है, यदि उसमें और कर्मचारी बढ़ा देते हैं तो मेरे क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी.

श्री पारस चन्द्र जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो पूछा है, उसमें केवल लोपा गांव का पोल बदलना शेष है, पहले 22 पोल में से 18 पोल बदल दिए थे, जिसके बाद 3 पोल फिर बदल दिए है, एक गांव में जहां खेत में रोपणी हो गई है वह शेष है, लेकिन जैसे ही वहां फसल निकाल ली जाएगी उसके बाद उसको भी बदल दिया जाएगा.

अध्यक्ष महोदय - मंत्री जी सदस्य का कहना है कि पोल धीरे बदले जाते हैं और लाइनमैन भी कम है.

श्री पारस चन्द्र जैन - लाइनमैन की कमी होती है तो उसकी पूर्ति हम आउटसोर्स से करते हैं.

श्री रजनीश सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइनमेनों की भी कमी है और पोल के तार वर्षों से झूल रहे हैं, मानसून के पहले एवं मानसून के बाद में की जानी वाली व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मैं उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहा रहा हूं एवं ट्रांसफार्मर भी तुरंत नहीं बदले जाते हैं. मेरी विधानसभा में खैरी गांव हैं वहां पर एक साल से ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है. पहले जब पोल लगाने के लिए गड्ढे होते तो एक खचका होता था, जो एक डेढ़ फीट का रहता था, जिस पर खम्भे के पीछे का हिस्सा जमा होता था, आज यह स्थिति है कि ठेकेदार के द्वारा जे.सी.बी. और पोकलेन से एक ही दिन में 25 से 50 गड्ढे किए जाते हैं और उनमें मिट्टी डाल दी जाती है. अभी खभे लग गए तार खिंच गई, लेकिन करंट चालू नहीं हुआ है उसके पहले ही खंभे गिर गए हैं. मेरे जिले में इसकी जांच कराई जाए यही मेरा अनुरोध है.

श्री पारस चन्द्र जैन - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य द्वारा जिस गांव का नाम बताया गया है, वहां पर हम इसकी जांच भी करा लेंगे और इसकी सूचना सदस्य को भी दे देंगे. खंभे यदि कहीं गिरे हैं तो उनको सुधारने का काम और जवाबदारी हमारी है, हम उनको सुधरवा देंगे.

श्री रजनीश सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कहा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.

## रीवा जिले में कराए गए नवीन कार्य/सुधार कार्य

[ऊर्जा]

**2. ( *क्र. 432 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले में गुढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर कितने नवीन कार्य एवं कितने सुधार के कार्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक में कराये गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) के कार्यों के कार्यादेश कब-कब किन-किन संविदाकारों/ठेकेदारों को कितनी अवधि में पूर्ण करने के लिए दिये गए, उनमें से कितने कार्य कब-कब पूर्ण कराये गए, का विवरण देवें? अगर कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये गए तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) के कार्यों के कार्यादेशों का भुगतान किन-किन माध्यमों से दिनांक 15.6.2017 तक कुल कितना किया गया? भुगतान के पूर्व भवन एवं संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत कितनी उपकर राशि की वसूली की गई? क्या अपूर्त मूल्य तथा पर निर्माण लागत दोनों में श्रमिक कल्याण उपकर लिए जाने के प्रावधान 2012 से लागू हैं? **(घ)** प्रश्नांश (क) के कार्यों पर प्रश्नांश (ग) अनुसार कितने कल्याण उपकर की राशि की वसूली की जाकर श्रम विभाग में जमा करायी गई? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी पत्र क्र. 904, दिनांक 29.05.2017 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी, जो आज भी अप्राप्त है? **(ड.)** प्रश्नांश (क) के ठेकेदार/संविदाकारों से कर्मकार कल्याण उपकर की राशि की वसूली न करके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या राशि की वसूली प्रस्तावित कर गबन का मामला पंजीबद्ध करायेंगे एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार चाही गई जानकारी को समय पर न देने के लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे?

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** रीवा जिले में गुढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कराये गये नवीन कार्यों एवं सुधार कार्यों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, सी-3, डी-1, डी-2, डी-3, ई-1, ई-2 एवं ई-3 अनुसार** है। **(ख)** गुढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नावधि में जारी किये गये कार्यादेशों की दिनांक, संविदाकार/ठेकेदार के नाम, कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि तथा कार्य पूर्ण करने की दिनांक सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, सी-3, डी-1, डी-2, डी-3, ई-1, ई-2 एवं ई-3 अनुसार** है। ग्रामीण क्षेत्र के कराये गये

फीडर विभक्तिकरण के कार्यों हेतु स्वीकृत योजना के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुसार टर्न की आधार पर करवाये गये कार्यों में संबंधित ठेकेदार (फर्म) द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर कार्य नहीं किये जाने के कारण संबंधित ठेकेदार (फर्म) से प्राप्त होने वाले बिलों से संपूर्ण रीवा जिले के कार्यों हेतु एल.डी. रूपये 10.67 लाख की राशि की कटौती की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रोजेक्ट जिलेवार स्वीकृत होते हैं एवं निर्धारित समय-सीमा पर कार्य नहीं किये जाने पर रीवा जिले हेतु कुल रूपये 91 लाख एल.डी. की राशि की कटौती की गई है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों का भुगतान संबंधित ठेकेदार/फर्म को चेक द्वारा एवं ठेकेदार/फर्म के खाते में ट्रांसफर करके किया गया है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ए-3, बी-2, बी-3, सी-3, डी-1, डी-2, डी-3, ई-1, ई-2 एवं ई-3 में दर्शाए अनुसार** है। रूपये 978930 की राशि की कटौती भुगतान पूर्व बिलों से श्रम कल्याण उपकर के मद में काटी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर संनिर्माण कार्य की निर्माण लागत जिसमें अपूर्त मूल्य तथा विनिर्माण लागत दोनों सम्मिलित हैं, दिनांक 10.4.2003 से देय है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर में उल्लेखित कटौती की गई राशि श्रम विभाग में जमा कराई गई है। जी हाँ। अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा) के पत्र क्रमांक 2397 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को जानकारी प्रेषित की गई है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्यों के विरूद्ध ठेकेदारों/संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों में से नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर की राशि की कटौती की गई है। किसी भी ठेकेदार को लाभ नहीं पहुंचाया गया है। अत: इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। चाही गई जानकारी माननीय विधायक को अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) रीवा के पत्र क्रमांक 2397, दिनांक 15.6.2017 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी नहीं होने से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुन्दरलाल तिवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या है कि मंत्री जी ने जो जवाब यहां दिया है, उस जवाब के विरूद्ध दोनों डाक्यूमेंट इस सदन के ही हैं, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कहना है कि अपूर्त मूल्य तथा पर निर्माण लागत दोनों में श्रमिक कल्याण उपकर जो अधिरोपित था वह नहीं दिया गया है, यह आरोप है और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख है. यहां जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी का मंत्री जी ने एक राशि बताई है और यह कहा है कि हमने वह राशि उपलब्ध कराई और कर के रूप में जमा कराई है. हमारा प्रश्न था कि इसमें दो उपकर है अपूर्त मूल्य एवं पर निर्माण, दो यह अलग अलग है, न तो इनके जवाब अलग अलग दिए हैं कि कितना

अधिरोपित किया. दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि माननीय मंत्री जी का जवाब सही है या नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सही है, दोनों में से कौन सी रिपोर्ट सही है जिससे हम आगे बढ़ सके और जवाब पूछ सके.

अध्यक्ष महोदय - आपके प्रश्न में तो सी.ए.जी. का हवाला है ही नहीं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--सीएजी के जवाब से ही प्रश्न की उत्पति हुई है. यह आप ही का डाक्यूमेन्ट है. इसी सदन में जिसको पेश किया गया है. दोनों में भिन्नताएं हैं. इतना ही नहीं एक प्रश्न मेरे द्वारा पहले भी पूछा गया था उसमें भी भिन्न तरह के जवाब हैं इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें किसको सत्य मानकर माननीय मंत्री जी से जवाब पूछें

श्री पारसचन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उपकर की बात की है. उसमें 9 करोड़ 30 लाख 86 हजार 77 रूपये का भुगतान तीन वर्ष में हमने किया है और उसमें से माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि 9 लाख 78 हजार 9 सौ 30 रूपये की कटौती श्रम विभाग में हमने जमा भी की है. जो सम्यक होकर काम में आती है. अब यदि यह जो कह रहे हैं कि दोनों ही सवालों की आपने जो बात कही है. यदि आप यह कहते कि इसमें जो भी अनियमितता है तो उसको हम दिखवा लेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना नहीं है. सीधा सा हमारा यह प्रश्न है कि महालेखा परीक्षण में यह एतराज जताया गया है कि यह कर वसूल नहीं किये गये हैं. आपने अपने जवाब में दिया है कि हमने कर वसूल किये हैं. तो मैं किस डाकूमेन्ट को हम सही मानकर माननीय मंत्री जी से जवाब पूछें यह आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से जानना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय--जो कर्मकारों की राशि है उसमें काटी गई है कि नहीं. वह यह कह रहे हैं कि ए.जी. की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं काटी गई है.

श्री पारसचन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बताया है हम उसको और दिखवा लेंगे. लेकिन यह बात निश्चित है कि 9 लाख 78 हजार 9 सौ 30 रूपये की जो कटौती है वह श्रम विभाग के खाते में जमा हुई है. यह मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में भी उल्लेख किया है.

श्री सुंदरलाल तिवारी--जवाब आया ही नहीं है अध्यक्ष महोदय इसमें सीधा सा सवाल है. इसमें आप अध्यक्ष महोदय आदेशित कर दें.

अध्यक्ष महोदय--आप प्वाईन्टेड प्रश्न करें कि क्या चाहते हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी--यह प्वाईन्टेड प्रश्न हैं. यह दो कंट्राडिक्ट् स्टेटमेंट हैं. दोनों ही अभिलेख जो हैं यह सदन के हैं. यह कह रहे हैं कि हमने दिया है. नियंत्रक कह रहे हैं कि नहीं दिया गया है. अब हम किसको सही मान लें. मेरा यह कहना है, उस पर मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार नहीं हैं. वह जवाब दे दें तो जवाब सदन के अंदर आ जाये. मैं यह समझता हूं कि सदन की इससे गंभीरता ही बनेगी. यह इसको बता दें कि यह डाकूमेन्ट्स (XXX) हैं. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, वह (XXX) है आपकी अच्छी वाली है. या आपकी (XXX) है, यह अच्छी वाली है.

अध्यक्ष महोदय--यह शब्द कार्यवाही से निकाल दें. इसका आप परीक्षण करवा लें.

श्री पारसचन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन किया जायेगा.

अध्यक्ष महोदय--इसका परीक्षण करवाकर माननीय सदस्य जी को अवगत करवा दें.

श्री सुंदरलाल तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे यहां राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत बहुत सारे कार्य वर्ष 2013 के बाद से कराये गये इसमें से बहुत से ठेकेदार लापता हैं एवं कुछ भाग गये. इसमें जो महालेखाकार की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया कि जो ठेकेदारों की शर्तें थीं उन शर्तों को रिलेक्स कर दिया सरकार और कंपनियों ने और अंत में यह किया कि जोखिम लागत दायित्व को मूल ठेके की लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया. जोखिम की लागत को तथा उसके प्रतिशत को घटाते चले गये और अंत में वह 10 प्रतिशत लेकर के आये. उसका यह परिणाम हुआ कि ठेकेदारों को उसका लाभ मिलता गया उसके नुकसान की भरपाई होती गई. इस वजह से ठेकेदार भाग गये. उन्होंने काम नहीं किया उनसे रकम वसूली भी नहीं गई और आज भी काम पीछे चल रहा है, वह नहीं हुआ. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह किस कानून में निर्णय लिया गया और इसका कौन दोषी है कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार--यह जो प्रश्न का हवाला दे रहे हैं, क्या यह सदन के पटल पर रखा गया है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी:- अध्यक्ष महोदय, यह डरपोक आदमी है, कल टी.व्ही में बोल रहे थे कि हम बहुत डरे हुए हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता:- वह तो आपके लिये बोल रहे थे कि तिवारी जी बहुत डरे हुए हैं, रीवा संभाग के लोग बहुत डरे हुए हैं.

डॉ गौरीशंकर शेजवार :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत छोटी से बात की है..

श्री रामनिवास रावत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है. मंत्री जी इंट्रप्ट न करें.

डॉ गौरीशंकर शेजवार :- इसमें दो बातें हैं कि इसमें महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रश्न में संदर्भ नहीं है. आपने कहा कि यह रिपोर्ट ,तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी है ?

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- जी हां, सदन के पटल पर आ चुकी है, तभी तो हमको मिली है.

डॉ गौरीशंकर शेजवार :- यदि आ चुकी है तो बहुत अच्छे से उसको उद्धत कर सकते हैं. यदि सदन के पटल पर नहीं आयी है तो उसका उदाहरण देना मेरे ख्याल से प्रासंगिग नहीं होगा.

अध्यक्ष महोदय :- अब आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर ले लीजिये. वह विषय अब समाप्त हो चुका है.

श्री पारस चन्द्र जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि जिन कंपनियों ने काम किया उनके पैसे नहीं काटे गये. माननीय, ठेकेदार की फर्म से राजीव गांधी योजना में 91 लाख रूपये की पेनाल्टी काटी गयी है, बराबर उनके खिलाफ कार्यवाही भी गयी है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मेरा प्रश्न ही ठीक से नहीं सुन रहे हैं, मेरा कहना है कि शर्तें रिलेक्स की गयी हैं. शर्तों को रिड्यूज करके 10 प्रतिशत पर ले आये. आपने इतना लंबा लाभ उन कम्पनियों को आपनी तरफ से दिया है. वह कंपनियां भाग गयी हैं.

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कहा है कि 91 लाख रूपये काटे हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो कह रहा हूं कि जहां पर 20 करोड़ रूपये काटना चाहिये थे, वहां पर इन्होंने 91 लाख रूपये काटकर छुट्टी कर दी, वह भाग गये, इसका दोषी कौन है. यह परीक्षण में आपत्ति आयी है. यह लिखित आपत्ति आयी है कि सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान हुआ है. मेरा यह प्रश्न है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- मेरा यह कहना है कि इन्होंने किस कानून में रिलेक्स कर दिया, मैं यह मंत्री जी से पूछ रहा हूं.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह ):- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने एक बहुत ही गंभीर विषय, शायद एक ही जगह के लिये उठाया है. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, आपके माध्यम से मंत्री जी को ऐसा निर्देश दें कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में प्रत्येक जिलों

में इस तरह से लापरवाही हुई है. ठेकेदार आधा-अधूरा काम करके चले गये हैं. उनसे सही पेनॉल्टी ली गयी या नहीं, इसकी एक जांच समिति बना दें.

श्री पारस चन्द्र जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नाम मैंने आपको बताया, दूसरा भी जिन कंपनियों ने ऐसा किया है, उनकी भी राशि काटी गयी है. ऐसा नहीं है जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनकी हमने राशि काटी है. यदि कोई और भी ऐसा स्पैसिफिक होगा तो हम उसको दिखवा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय :- यदि और भी कोई ऐसा स्पैसिफिक मामला होगा तो वह उसको दिखवाने को तैयार हैं.

श्री अजय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि काटी गयी यह बात नहीं है, जो तिवारी जी कह रहे हैं कि यदि 20 प्रतिशत राशि यानि 4 करोड़ रूपये काटी जानी थी वह नहीं काटी गयी है.

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी कह हैं कि यदि आप कोई स्पैसिफिक मामला देंगे तो वह उसकी जांच करा लेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- मेरा यह कहना है कि जो संविदा हुई थी, उस संविदा को रिलेक्स करके उनको छूट दी गयी है. मैं यह जानना चाहता हूं कि यह छूट किस कानून में दी गयी है. मैं यह जानना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी ने भी यही बात की है कि यदि कोई ऐसे प्रकरण है, जो स्पैसिफिक है तो उनकी जांच हो जायेगी.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि कंपनी ने ठेके कि विशेष शर्तों में परिवर्तन कर ठेकेदारों की जोखिम लागत दायित्व को मूल ठेके की लागत के..

अध्यक्ष महोदय :- यह आप किस चीज में से पढ़ रहे हैं. यह मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिये 10 प्रतिशत कर दिया जिसके कारण कंपनियों को निरस्त ठेके के शेष कार्यों पर 11.94 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा.

## विद्युत चोरी के प्रकरणो में फर्जी पंचनामों की जाँच

[ऊर्जा]

**3. ( *क्र. 781 ) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा शून्यकाल सूचना क्रमांक 165, फरवरी-मार्च 2017 में विद्युत चोरी के प्रकरणों में नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के संदर्भ में नगर सुसनेर में सिराज खाँ बोहरा के विरूद्ध पंचनामा नियमानुसार नहीं बनाने के प्रकरण में क्या जाँच की जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या क्षेत्रान्तर्गत विगत 02 वर्षों में बनाए गए पंचनामों की विस्तृत जाँच की जाकर उचित कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक व क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** वितरण केन्द्र सुसनेर अन्तर्गत विद्युत देयकों में अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें विगत 02 वर्षों में प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण कर देयकों में सुधार किया गया? यदि हाँ, तो शिकायतवार पूर्ण विवरण देवें ? **(घ)** क्या ग्राम मोड़ी के उपभोक्ताओं द्वारा देयक में उल्लेखित राशि जमा करने के उपरांत भी राशि बिलों में कम नहीं हो रही है? उदाहरणार्थ-गोवर्धन पिता पीरूलाल सर्विस क्र. 31-31-3201586 के देयक में जमा उपरांत भी राशि कम नहीं हुई है? क्या विस्तृत जाँच करवाई जाकर उपभोक्ताओं के हित में कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक? विवरण देवें।

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सुसनेर वितरण केन्द्र के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता श्री सिराजखां बोहरा के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत नियमानुसार प्रकरण/पंचनामा बनाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं है। **(ख)** सुसनेर वितरण केन्द्र के क्षेत्रान्तर्गत विगत 2 वर्षों में बनाये गये प्रकरण/पंचनामें विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार बनाए गये हैं, अतः तत्संबंध में किसी प्रकार की जाँच/कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **(ग)** सुसनेर वितरण केन्द्र के अंतर्गत विद्युत देयकों में त्रुटि संबंधी शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा लिखित में नहीं की गई, किन्तु प्राप्त बिलों से संतुष्ट नहीं होने पर उपभोक्ताओं द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक सुधार हेतु बिल प्रस्तुत किये। बिल सुधार के ऐसे 314 प्रकरण विगत 2 वर्षों में सुसनेर वितरण केन्द्र कार्यालय में प्राप्त हुए,जिन्हें नियमानुसार सुधारा गया। प्रकरणवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** ग्राम मोड़ी के उपभोक्ताओं द्वारा देयक में उल्लेखित राशि जमा करने के उपरांत नियमानुसार आगामी बिलों से जमा की गई राशि कम की जा रही है। प्रश्नांश में वर्णित उपभोक्ता श्री गोवर्धन पिता पीरूलाल (सर्विस क्रमांक 31-31-3201586) के प्रकरण की जाँच की गई। उक्त उपभोक्ता द्वारा सिंचाई श्रेणी का रू. 3000/- का बिल

रसीद क्र. बी-10 दिनांक 13.04.2016 को जमा करवाया गया था, किन्तु उनके द्वारा जमा की गई राशि कम्प्यूटर में पंचिंग करते समय छूट गई थी। दिनांक 22.06.2017 को आवश्यक सुधार उपरांत उक्त उपभोक्ता को रू. 4008/- राशि का बिल जारी कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर पाटीदार- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा अपने प्रश्न में दो व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया था. जिनमें से श्री सिराजखां बोहरा को मेरे द्वारा विधान सभा में प्रश्न लगाए जाने के बाद से विद्युत विभाग के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं. मेरा निवेदन है कि उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये. दूसरे व्यक्ति श्री गोवर्धन लाल पिता पीरूलाल के संबंध में की गई गलती को विभाग द्वारा माना गया कि उसने दिनांक 13.4.2016 को बिल जमा किया था. मेरे द्वारा विधान सभा में लगाए गए प्रश्न का उत्तर जब वहां तक पहुंचा तब जाकर विभाग द्वारा दिनांक 25.6.2017 को अपनी गलती का सुधार किया गया.

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके विभाग द्वारा अपनी गलती को माना गया. परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे द्वारा सदन में उल्लेखित प्रकरणों में ही ऐसी गलती हो सकती है ? क्या अन्य प्रकरणों में इस प्रकार की गलती नहीं हो सकती ? यदि मेरी विधान सभा में बिजली बिलों की गड़बड़ी के और भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो क्या मंत्री जी उन प्रकरणों में भी सुधार करवायेंगे.

श्री पारस चन्द्र जैन- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य के कहने पर ही हमने कार्यवाही की है. पूर्व में भी माननीय सदस्य के जिले में एक व्यक्ति जो कि संविदा में कार्यरत था, उसे डिसमिस किया गया है. हम गलत लोगों को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं. यदि माननीय सदस्य बतायेंगे तो हम पहले पूरे प्रकरण का परीक्षण करवा लेंगे और यदि व्यक्ति दोषी होगा तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी. सरकार किसी को नहीं बचायेगी.

श्री मुरलीधर पाटीदार- माननीय अध्यक्ष्‍ा महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा उल्लेख करने के बाद प्रकरण में जांच करके एक सहायक लाईनमैन की सेवायें समाप्त की गई हैं. मैं एक और आग्रह मंत्री जी से करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में कनिष्ठ यंत्री श्री गोपाल मालवीय और इमरान खान हैं. जिनके द्वारा उल्टे-सीधे काम करके कई कारनामे किए गए हैं. उन्हें निलंबित करके जांच करवाई जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न क्रमांक 4

श्री मुरलीधर पाटीदार- अध्यक्ष महोदय, बहुत ही मुश्किल से पहली बार सदन में मेरा विद्युत विभाग का प्रश्न लगा है और आप हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं. तिवारी जी ने 15 मिनट का समय ले लिया और हमें समय ही नहीं दिया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय- आप केवल एक प्वाईंटेड प्रश्न पूछिये.

श्री मुरलीधर पाटीदार- मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कनिष्ठ यंत्री श्री गोपाल मालवीय और इमरान खान द्वारा कई कारनामे किए गए हैं. मैं चाहता हूं कि उन्हें निलंबित करके जांच करवाई जाये.

श्री बहादुर सिंह चौहान- उस कनिष्ठ यंत्री को वहां से हटाकर मेरे क्षेत्र में भेज दिया गया है. यह तो गलत है.

अध्यक्ष महोदय- पाटीदार जी आपकी बात आ गई है. मंत्री जी ने आपका आग्रह सुन लिया है.

श्री मुरलीधर पाटीदार- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा उठाये गए बिंदु पर उनका अभिमत क्या है ? मंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. मंत्री जी मना कर दें कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकेंगे.

अध्यक्ष महोदय- कुशवाह जी, आप बैठ जायें.

श्री मुरलीधर पाटीदार- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सदन की आखिरी लाईन में बैठे विधायकों का कोई महत्व नहीं है ? बड़ी मुश्किल से कभी-कभी हमारा प्रश्न आता है और हमें कोई जवाब ही नहीं मिल पाता है.

अध्यक्ष महोदय- ऐसा नहीं है. सभी विधायकों का महत्व है. आप कोई स्पेसिफिक शिकायत करिये. आपने कोई प्वाईंटेड प्रश्न नहीं किया है. आपने किसी प्रकार की जांच की मांग नहीं की और आप सीधे निलंबन की बात कर रहे हैं.

श्री मुरलीधर पाटीदार- मैं किसानों के हित में बोल रहा हूं. कनिष्ठ यंत्री श्री गोपाल मालवीय और इमरान खान के बहुत से गलत काम जांच के दौरान निकलेंगे. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि दोनों की विभागीय जांच करवाई जाये.

श्री पारस चन्द्र जैन- अध्यक्ष महोदय, जिन दोनों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, हम उनकी जांच करवा लेंगे. मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक विधायक जी कह रहे थे कि उस व्यक्ति को हमारे यहां भेज दिया, यह गलत है. परंतु कर्मचारी कहीं तो काम करने के लिए जायेगा.

## अपराध प्रकरण दर्ज किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

**4. ( *क्र. 478 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर में प्राथमिक जाँच प्रकरण 9/2011 पंजीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** सांसद निधि से 23 विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रोजेक्टर लगाने में गंभीर अनियमितता होने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) में प्राथमिक जाँच प्रकरण 9/2011 में पंजीबद्ध होने के बाद भी अपराध पंजीबद्ध न होने के क्या कारण हैं, क्या दोषी लोगों को बचाया जा रहा है? **(घ)** जिला कलेक्टर भिण्ड के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. 794/4.11.1999 व 835/16.11/1999 व 71/29.1.2000 व 1605/22.12.2000 में निहित शर्तों का पालन न करने के उपरांत अभी तक शिथिल कार्यवाही क्यों की जा रही है? कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** जी हाँ। जाँच प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जाँच प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जाँच प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा कम्प्यूटर के संबंध में पूर्व में भी तारांकित प्रश्न 1286 दिनांक 23.2.2017 को लगाया गया था. तब माननीय मंत्री द्वारा मुझे सदन में आश्वस्त किया गया था. भिण्ड में हुए कम्प्यूटर घोटाले में मेरी विधान सभा में 1 करोड़ 15 लाख का घोटाला हुआ था. यह एक बहुत बड़ा घोटाला है. इस घोटाले को 16 साल हो चुके हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 सालों से ई.ओ.डब्लू. कार्यवाही कर रहा है. परंतु आज तक इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है. जब प्रकरण दर्ज हो गया है तो पिछले 7 सालों से ई.ओ.डब्लू. के अधिकारी क्या कर रहे हैं ? उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है.

मैंने पहले भी आग्रह किया था.(XXX)

अध्यक्ष महोदय--- यह कार्यवाही से निकाल दीजिए. आप सीधा प्रश्न करिए आरोप मत लगाइए.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला हाईकोर्ट में गया. हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी हमारे पास है.

अध्यक्ष महोदय-- आपका प्रश्न क्या है?

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक करोड़ पैंतीस लाख का जो घपला हुआ है उसमें16 वर्ष हो गए. सात वर्ष से ई.ओ.डब्ल्यू. के अधिकारी जांच कर रहे हैं. मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट नहीं होगी. इनकी रिपोर्ट भी हमारे पास है. जांच में यह दोषी पाए गए हैं उप निरीक्षक की रिपोर्ट है. जांच अधिकारी दोषी हैं इनके खिलाफ केस का काम अभी कराइए.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई आरोप लगा दिए. मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि इसमें 17 वर्ष नहीं हुए हैं. इसमें प्रारम्भ में जांच कराई गई थी उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद कहीं न कहीं ई.ओ.डब्ल्यू. में मामला पंजीबद्ध करने के लिए कलेक्टर भेजें यह आयुक्त की एक रिपोर्ट आई थी. वर्ष 2011 में यह प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को दिया गया. भिण्ड कलेक्टर ने जांच पंजीबद्ध कर ली. चूंकि कोई भी जांच होती है तो उसमें जब तक तथ्यात्मक जानकारियां नहीं ली जातीं तब तक किसी भी अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंचा जाता. वर्ष 2011 में कलेक्टर, भिण्ड से जानकारी चाही गई थी तो उन्होंने आंशिक जानकारी दी. वर्ष 2016 में दिनांक 18.01.2016 को फिर 4 बिंदुओं पर उनसे जानकारी चाही गई कि आप 4 बिंदुओं पर जानकारी भेजें उन्होंने फिर आंशिक जानकारी ई.ओ.डब्ल्यू. को दी है. यह जो आंशिक जानकारी दी है वह भी कहीं न कहीं संज्ञान में ले ली गई लेकिन हमको और भी कोई जानकारी चाहिए. अभी उन्होंने आंशिक जानकारी दी है. मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूं जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी जांच पूरी कर ली जाएगी और कोई एक सब इंस्पेक्टर की जांच के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है. ई.ओ.डब्ल्यू. में डी.जी.पी. हैं जब वह अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं तब कहीं जांच प्रस्तुत की जाती है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आंशिक जानकारी आई है 6 साल हो गए हैं कब तक आंशिक जानकारी लेते रहेंगे.

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदन में नारे लगाते हुए अपने आसन पर आए.)

अध्यक्ष महोदय-- वकील साहब आप बैठ जाइए. कुशवाह जी आप एक प्वाइंटेड प्रश्न करिए.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए जवाब नहीं आ रहा है. जानकारी एकत्रित की जा रही है. करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया है.

अध्यक्ष महोदय- आप प्रश्न तो करें.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- अध्यक्ष महोदय, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं. मेरा कहना है कि अगर 6 वर्ष हो गए हैं तो 6 वर्ष में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है केवल आंशिक जानकारी चल रही है. जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी उम्र 75 साल की हो गई है. एक आई.ए.एस. अधिकारी की उम्र 75 साल दूसरे पूर्व सांसद उनकी उम्र भी 75 वर्ष है. (XXX) और जानकारी ऐसे ही चली जाएगी.

अध्यक्ष महोदय-- यह कार्यवाही से निकाल दें.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही से निकाल सकते हो लेकिन मेरा आग्रह यह है कि इसमें केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है. बार बार प्रश्न उठाना पड़ता है.

अध्यक्ष महोदय-- कुशवाह साहब, आप सीधा प्रश्न करिये आप भाषण ज्यादा देते हैं प्रश्न नहीं करते हैं.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह-- अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश जारी करें. सात साल बहुत होते हैं. ई.ओ.डब्ल्यू. की जांच के लिए .

अध्यक्ष महोदय-- आप इस पर कोई प्रश्न पूछ लीजिए.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--केस पंजीबद्ध करके उन्हें जेल में डालो. एफआईआर दर्ज करो. एफआईआर कब तक हो जाएगी मुझे दिन बताइए. चार महीने बाद विधान सभा का सत्र आता है.

अध्यक्ष महोदय--मंत्री जी, आप जांच की कार्यवाही जल्दी पूरी करा दें ऐसा मुझे उनका आग्रह दिखता है. क्योंकि प्रश्न तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं है. माननीय सदस्य की आपत्ति यह है कि छह साल हो गए हैं.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--अध्यक्ष महोदय, एफआईआर कब दर्ज होगी और मुल्जिमों को कब गिरफ्तार किया जाएगा.

श्री लाल सिंह आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जब तक पूरे साक्ष्य नहीं आ जाएंगे, EOW में तो मामला दर्ज कर लिया गया है. सरकार EOW और लोकायुक्त पर दबाब नहीं बना सकती है. EOW जांच कर रही है.

श्री नरेन्द्र कुशवाह--भ्रष्टाचार में लिप्त है लोकायुक्त. 7 साल हो गए हैं. (व्यवधान)

श्री लाल सिंह आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार EOW और लोकायुक्त पर दबाब नहीं बना सकती है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है हम तो आपके बच्चे हैं. मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय--आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है. इस तरह से आप जिद नहीं कर सकते हैं.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए. क्या आप मान रहे हैं कि सही जवाब आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय--आपके प्रश्न को बहुत समय दिया गया और आपकी बात का उत्तर भी आ गया. दूसरे सदस्यों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है. मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद.

अध्यक्ष महोदय--आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह--अध्यक्ष महोदय, ठीक है धन्यवाद.

**कृषि भूमि में विद्युतीकरण/पम्प उर्जीकरण**

[अनुसूचित जाति कल्याण]

**5. ( *क्र. 762 ) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि-- **(क)** अ.जा. कल्याण विभाग के अंतर्गत रीवा संभाग के कितने जिलों में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों की कृषि भूमि में विद्युतीकरण/पम्प उर्जीकरण के कार्य कराये गए तथा किस वर्ष से अ.जा. वर्ग के किसानों के विद्युतीकरण के कार्य बंद कर दिए गए, बंद करने के क्या कारण थे? विवरण सहित जानकारी देवें। **(ख)** वर्ष 2016-17 में सतना जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा कितनी राशि अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लिए स्वीकृत की गई थी, स्वीकृत राशि में से कितने किसानों के कार्यों पर राशि खर्च की गई? विधानसभा क्षेत्रवार कृषक संख्यावार जानकारी देवें। **(ग)** क्या वित्तीय वर्ष2016-17 में विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों की कृषि भूमि में पम्प उर्जीकरण एवं विद्युतीकरण के कार्य नहीं कराये जाने से अधिकांश प्रकरण लंबित हैं? **(घ)** वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों की कृषि भूमि में पम्प उर्जीकरण व बस्ती में विद्युतीकरण हेतु कितनी राशि जारी की गई है? प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विगत दो वर्षों में कितने अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों/हितग्राहियों के प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजे गए हैं?यदि भेजे गए तो प्रस्तावित किये गए प्रकरणों में स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** रीवा संभाग के समस्त जिलों में अनुसूचित जाति के कृषकों के पम्प उर्जीकरण के कार्य कराये गये हैं। यह कार्य बंद नहीं किया गया है। **(ख)** अनुसूचित जाति अंतर्गत कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** विभाग द्वारा रीवा जिले को बस्ती में विद्युतीकरण हेतु राशि रू. 11.24 लाख, पम्प उर्जीकरण हेतु राशि रू. 169.07 लाख, सतना जिले को बस्ती में विद्युतीकरण हेतु राशि रू. 11.68 लाख, पम्प उर्जीकरण हेतु राशि रू.175.71 लाख, सीधी जिले को बस्ती में विद्युतीकरण हेतु निरंक, पम्प उर्जीकरण हेतु राशि रू. 57.40 लाख एवं सिंगरौली जिले को बस्ती में विद्युतीकरण हेतु निरंक और पम्प उर्जीकरण हेतु राशि रू. 468.60 लाख की राशि जारी की गई है। प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा पाँच अनुसूचित जाति के प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्राप्त हुए। 3 प्रकरणों के प्राक्कलन तैयार हो चुके हैं। समिति के अनुमोदन के उपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। शेष 2 प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख आवेदन पत्र के साथ न होने के कारण आवेदक को सूचित किया गया है।

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि रीवा और सतना जिले के अनुसूचित जाति विभाग से मुख्यमंत्री उर्जीकरण किस-किस वर्ष में कितना-कितना किया गया ? उत्तर यह आया है कि यह कार्य बंद तो नहीं किया गया है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उर्जीकरण की कोई भी राशि नहीं दी गई है न ही वर्षवार इसका जवाब आया है.

अध्यक्ष महोदय--आपका प्रश्न क्या था.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि किस-किस वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उर्जीकरण के कितने-कितने कार्य कराए गए.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या से शायद प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है. मैंने पूरा उत्तर दिया है. वर्ष 2017-18 में भी 169.07 लाख रुपए और 175.71 लाख रुपए का सतना जिले को आवंटन दिया गया है.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शायद मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि राशि दी गई है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. रैगांव विधान सभा क्षेत्र में सतना जिले में अनुसूचित जाति विभाग की राशि दूसरे फण्ड में खर्च कर दी जाती है परन्तु अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दी जाती है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में दुर्गापुर के नवस्ता गांव में रामदेव अहिरवार का वर्ष 2014-15, 2015-16 से आवेदन लगा हुआ है. पूरे डाक्यूमेंट्स

लगे हुए हैं. ऐसे और भी नाम हैं जैसे गप्पू चौधरी शिवराजपुर के हैं, बबलू प्रजापति खनगढ़, कल्लू कोल खनगढ़ के. यह तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो लंबित पड़े हैं.

अध्यक्ष महोदय--आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए न कि सतना जिले में कोई राशि स्वीकृत करेंगे क्या जो प्रकरण लंबित हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि तो स्वीकृत करेंगे लेकिन जिन्होंने यह अनियमितता की है क्या उन्हें सजा देंगे.

अध्यक्ष महोदय--मंत्री जी दोनों बातों का उत्तर दे दीजिए.

श्री लाल सिंह आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, पंप उर्जीकरण व विद्युतीकरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हितग्राहियों के कार्य स्वीकृत किये जाते है. माननीय सदस्या ने जो नाम बताए हैं वे मुझे दे दें. अगर प्रक्रिया से हटकर कोई कार्यवाही हुई होगी. आप सुन लें....

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ. मैं वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 की राशि की बात कर रही हूँ. यह उसी समय के पुराने नाम हैं उनके फार्म जमा हैं. सारे डाक्यूमेंट्स संलग्ग हैं उसके बाद भी उनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि संबंधित अधिकारी अविनाश पाण्डे...

अध्यक्ष महोदय--आप उत्तर तो ले लें.

श्री लाल सिंह आर्य--आप पूरी बात सुन तो लें.

श्रीमती ऊषा चौधरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है गलत सलत उत्तर देना है आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है. मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जिस अधिकारी ने अनियमितता की है क्या आप उसे सतना जिले से हटायेंगे.

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन जी लिख कर दे दें. यदि प्रक्रिया से हटकर कोई काम हुआ होगा तो हम कार्यवाही करेंगे. लेकिन अब विभाग ने निर्णय कर लिया है कि पूरे मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, की पापुलेशन के अनुपात में अब साल भर की राशि जारी कर दी जाती है. अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं से मांग आएगी, कहीं से आवेदन आएँगे, यह प्रक्रिया विभाग ने निर्णय ले लिया है इसलिए किसी भी सदस्य को अब इसमें कोई शिकवा-शिकायत का मौका नहीं मिलेगा.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक 6...

श्रीमती ऊषा चौधरी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय-- सब प्रश्नों की आपको अनुमति नहीं देंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, जिस संबंधित अधिकारी ने अनियमितताएँ की हैं, उनकी सजा की बात इन्होंने नहीं कही है.

अध्यक्ष महोदय-- वह कही है, उन्होंने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए तो वे जाँच कराएँगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, लिख कर नहीं, सदन में कहें ना. अध्यक्ष महोदय, डीओ दूसरे आ गए हैं, लेकिन अविनाश पाण्डे अभी वहीं जमे हुए हैं, वे वहाँ पर बाबू के पद पर जमे हुए हैं और डीओगिरी पूरी वही चला रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, नये व्यक्ति को वहाँ काम करने ही नहीं दे रहे हैं. दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है 2013-14 में पुष्पराज बागरी के घर में आठ लाख का एक ट्रांसफार्मर का प्रकरण बनाया गया था, लेकिन इन गरीबों को एक-एक, डेढ़-डेढ़, लाख नहीं दिए गए हैं. ये अनियमितताएँ अगर डीओ ने की, अविनाश पाण्डे ने, तो क्या उसको माननीय मंत्री जी सस्पेण्ड करेंगे और सतना जिले से हटाकर दूसरी जगह करेंगे?

अध्यक्ष महोदय-- जो प्रकरण इन्होंने बताए हैं, उनकी आप जाँच करा लें और जाँच उपरान्त उपयुक्त कार्यवाही करें.

श्री लाल सिंह आर्य-- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा ना, आप लिख कर दे दें. मैं उसकी जाँच करा लूँगा और जाँच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्यवाही करेंगे.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अध्यक्ष महोदय, एक साल से पैसा पड़ा है उसका कोई मालिक है? आपके ट्रायबल विभाग का पैसा पड़ा हुआ है, विद्युत विभाग का, एक साल से करोड़ों रुपया है...(व्यवधान)..

श्रीमती ऊषा चौधरी-- इस सदन के अन्दर जाँच नहीं हो रही है क्या? सदन से बड़ी कार्यवाही क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय-- यहाँ जाँच नहीं होती है. प्रश्न क्रमांक 6 श्री शैलेन्द्र जैन.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- जाँच में ही तो आया है. अध्यक्ष महोदय, जाँच से ही तो विधान सभा में आता है. माननीय मंत्री जी बचाने का काम क्यों कर रहे है?

अध्यक्ष महोदय-- आपको बहुत समय दिया. आपकी बात भी आ गई, आपका काम भी हो रहा है. प्रश्न क्रमांक 6.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है, मैं बैठूंगी नहीं. (XXX) क्यों बचाना चाह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ, यह कार्यवाही से निकालिए. यह बात ठीक नहीं है.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- अध्यक्ष महोदय, रिश्ता कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है. रिश्ते अगर खतम हो जाएँगे तो यह भारत खतम हो जाएगा. रिश्ता कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है कार्यवाही से न निकाला जाए. (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिपक्ष के नेता जी खड़े हैं आप कृपा करके बैठ जाएँ. यह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, का पैसा इस साल से वह हो जाएगा. बात यह नहीं है कि इस साल से हो जाएगा, लेकिन जो यादवेन्द्र सिंह जी ने अभी बात कही, जो ऊषा चौधरी जी कर रही हैं, उनका मसला दूसरा है, अनेक जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति, के विद्युत पंपों के लिए जो पैसे पड़े हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है. उस पर आप कुछ कार्यवाही करेंगे?

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, किसी जाति विशेष पर अनर्गल आरोप लगा करके और उस अधिकारी को प्रताड़ित करने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, बैठ जाएँ.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ पैसे की बात.... ...(व्यवधान)..

श्री शंकरलाल तिवारी-- मैं बोलना नहीं चाहता था. अधिकारियों पर अनर्गल दबाव बनेगा और उन्हें प्रताड़ित करना, यह भी ठीक नहीं है...(व्यवधान)..

श्री अजय सिंह-- हमरे ऊपर काहे हल्ला कर रहे हों? ...(व्यवधान)..

श्रीमती ऊषा चौधरी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जाएँ. नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं, वे प्रश्न पूछ रहे हैं. ऊषा चौधरी जी का कुछ नहीं लिखा जाएगा.

श्री अजय सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मैंने नीतिगत बात कही, आदरणीय तिवारी जी पता नहीं किस तरफ चले गए? मैंने तो सिर्फ यह कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, का पैसा विद्युत विभाग में अनेक जिलों में पड़ा है, उपयोग नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई समय सीमा बना दें और कार्यवाही हो जाए, चिन्ता यह है.

श्री लालसिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह होता था कि विभाग में कोई भी प्रकरण आया, कोई भी अधिकारी आया और अपने हिसाब से पैसा ले गया लेकिन हमने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है. विभाग ने अभी निर्णय लिया है और हमने बस्ती विकास की, ऊर्जाकरण की

और विद्युतीकरण की एक साल की पूरी एकमुश्त राशि भेज दी है और हमने यह भी तय कर दिया है कि 45 परसेंट राशि छह महीने के अंदर आपको खर्च करना ही पड़ेगी शेष राशि फिर आपको साल भर के भीतर खर्च करना पड़ेगी इसीलिये हम एक ऐसी प्रक्रिया पूरे मध्यप्रदेश के लिए लाये हैं जिससे सभी विधान सभा क्षेत्रों के साथ, सभी गाँवों के साथ न्याय हो सके.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- मुझे एक और प्रश्न पूछ लेने दीजिये.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइए इस प्रश्न पर बहुत लंबा समय हो गया. प्रश्न क्रमांक 6 श्री शैलेन्द्र जैन अपना प्रश्न करें.

## सागर जिले में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन

[आदिम जाति कल्याण]

**6. ( *क्र. 392 ) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य किये गये हैं? प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि सहित बतायें। **(ख)** सागर जिले में विभाग का कितना अमला है? नाम, पद, कार्यालय स्थान सहित बतायें? क्या विभाग में प्रश्नांश (क) उल्लेखित समय में जिले में कार्यशाला/प्रशिक्षण किया है? यदि हाँ, तो स्थान, दिनांक, व्यय राशि सहित बतायें। **(ग)** सागर जिले में प्रश्नांश (क) समय में कितने लोगों को कौन-कौन सी गतिविधि से कितने रूपये की राशि एवं अनुदान राशि से लाभान्वित किया गया है? हितग्राही की संख्या, दिया गया लाभ, अनुदान राशि वर्ष सहित बतायें। **(घ)** हितग्राही चयन की क्या प्रक्रिया है? योजनाओं का लाभ लेने हेतु क्या दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करायें।

**मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)** निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित है। संचालित की जा रही सभी योजनायें बैंकों के माध्यम से संचालित हैं एवं अनुदान राशि नोडल बैंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रदान की जाती है। **(ख)** सागर जिले में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जिला शाखा सागर में श्री शैलेन्द्र कुमार,लिपिक सह फील्ड इंस्पेक्टर एवं श्रीमती प्रीति ठाकुर, लिपिक सह फील्ड इंस्पेक्टर कुल 02 कर्मचारी कार्यरत हैं निगम कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास टी.सी.पी.सी. परिसर खुरई रोड सागर में संचालित है। प्रश्नांश (क) की समयावधि में निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्यशाला/प्रशिक्षण का

आयोजन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(घ)** हितग्राहियों का चयन जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता है योजना का लाभ लेने हेतु सूचना एवं प्रकाशन विभाग के माध्यम से प्रेस नोट जारी किया जाता है। **समाचार पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है।

श्री शैलेन्द्र जैन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने जो पत्रक मुझे दिया है उसमें उन्होंने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 की राशि के बारे में जानकारी दी है लेकिन उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि अनुदान की राशि उनको प्राप्त हुई है अथवा नहीं हुई है. मेरा कहना यह है कि अनुदान राशि के अभाव में इस लोन की राशि का डिस्बर्समेंट नहीं हो पा रहा है और वास्तविक रूप से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो यह जो अनुदान की प्रक्रिया है उसका सरलीकरण करने का काम करेंगे क्या. क्योंकि पिछड़ा वर्ग विभाग में जिला स्तर पर अनुदान देने की व्यवस्था है क्या वही व्यवस्था हमारे इस विभाग में भी की जाएगी यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग(श्री लाल सिंह आर्य)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग में भी अनुदान देने की प्रक्रिया है और परिशिष्ट (क) में मैंने इसका उत्तर भी दिया है उस उत्तर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2014-15, 2015-16 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2016-17 और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18, इनमें आप देखेंगे तो हमने अनुदान की राशि जारी की है.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, अनुदान की राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है यह राशि का जो लोन का प्रकरण है यह स्वीकृत राशि का उल्लेख किया जा रहा है. अनुदान राशि के अभाव में वह राशियों का डिस्बर्समेंट नहीं हो पा रहा है उसका सरलीकरण करेंगे क्या ?

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही निर्देश जारी हो चुके हैं आप कहें तो मैं पूरी सूची पढ़ देता है और कहें तो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा. पूरी अनुदान की राशि हमने जारी की है. जिन-जिन के भी प्रकरण हैं. यह किराना दुकान जो है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, इसमें 15 हितग्राही थे, इसकी स्वीकृत राशि 10.50 लाख रुपये थी और इसकी अनुदान राशि 3.15 लाख हमने जारी की है. जनरल स्टोर में 5 हितग्राही थे और इसकी स्वीकृत राशि ढाई लाख रुपये थी इसमें 75 हजार हमने अनुदान राशि जारी की है. इसी प्रकार से हमने पांचों वर्षों में अनुदान राशि जारी की है.

अध्यक्ष महोदय-- वह यह कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया जटिल है इसीलिये अनुदान राशि देर से आती है या कई बार वह नहीं आ पाती है तो क्या इस प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे ताकि वह राशि समय सीमा में आ सके.

श्री शैलेन्द्र जैन-- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न दिनाँक के पहले वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी अनुदान की राशि बकाया है?

अध्यक्ष महोदय-- आप सिर्फ बकाया राशि बता दीजिये यदि आपके पास फिगर्स हों तो और उन्होंने जो कहा कि सरलीकरण करें ताकि राशि समय पर आ सके.

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, अनुदान की जो राशि है जितने प्रकरण स्वीकृत हुए थे, उसमें जारी कर दी गई है. प्रक्रिया के सरलीकरण की जो बात वह कह रहे हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसका और सरलीकरण कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सब में राशि जारी नहीं हुई है. आप उसकी जाँच करा लें.

श्री शैलेन्द्र जैन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सालों बीत जाते हैं अनुदान की राशि नहीं आ पा रही है यह वास्तविकता है इसको स्वीकार करना पड़ेगा और जैसे पिछड़ा वर्ग विभाग में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था क्या इस विभाग में लागू की जा सकती है.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय मंत्री जी, जैसी व्यवस्था पिछड़ा वर्ग विभाग में है वैसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं क्या?

श्री लाल सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहा है कि जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा हम दुबारा करेंगे और सरलीकरण की प्रक्रिया हम उसमें कर देंगे और किसी स्पेसीफिक प्रकरण में आपको लग रहा है कि अनुदान की राशि नहीं पहुँची है उसकी जानकारी हमको दे देंगे तो हम उसका भी अनुदान पहुंचाने का काम करेंगे.

श्री शैलेन्द्र जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और कहना चाहूंगा. इन्होंने कहा है कि एक भी शिविर, एक भी कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है. ये वर्ग उतने शिक्षित नहीं होते. उनको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है. क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे स्थानों पर, ऐसे कस्बों में कम से कम कुछ शिविर लगा दें. कुछ कार्यशालाएं आयोजित हो जाएं, ताकि उनकी जानकारी लग जाए.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जाइए. माननीय मंत्री जी क्या ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने के कोई प्रावधान हैं ?

श्री लालसिंह आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम में जो योजनाएं हितग्राही मूलक हैं वहां ऋण स्वीकृत किया जाता है. वहां किसी प्रकार के प्रयोगशाला प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है.

**फीडर सेपरेशन योजना का क्रियान्वयन**

[ऊर्जा]

**7. ( *क्र. 853 ) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में फीडर सेपरेशन योजना कब प्रारंभ हुई तब से वर्तमान तक कितने व कौन-कौन से ग्रामों को योजना में शामिल किया गया, इन ग्रामों में से कौन-कौन से ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हुआ? गांवों के नाम स्पष्ट करें। किन-किन ग्रामों में नहीं हुआ तथा क्यों? अब कब तक पूर्ण कराये जावेंगे, स्पष्ट करें? **(ख)** प्रश्न (क) अनुसार क्या उक्त में से जिन ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया तथा अब भी कई ग्रामों में खम्भे नहीं गड़ें, कई तार नहीं खिचें जहां दोनों कार्य हो गये वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे, जहां लगे वहां खराब पड़े हैं, इन्हें नहीं बदला जा रहा है, इसका कारण बतावें? **(ग)** क्या शासन पूर्ण हो चुके ग्रामों में विद्युतीकरण कार्यों की गुणवत्ता व कार्यों के अपूर्ण रहने के कारणों की जाँच करायेगा तथा शेष अविद्युतीकरण ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य एक निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। **(घ)** विद्युत विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी भितरवार विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, मुख्यालय तथा पदस्थापना दिनांक स्पष्ट करें।

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** भितरवार विधानसभा क्षेत्र के 169 ग्रामों सहित ग्वालियर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु टर्नकी ठेकेदार मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लि. मुम्बई को दिनांक09.8.2011 को अवार्ड जारी किया गया था एवं उक्त ठेकेदार एजेन्सी द्वारा दिनांक 20.8.2011 को कार्य प्रारंभ किये गये। उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किये जाने के कारण उससे किया गया अनुबंध अप्रैल-2015 में निरस्त कर दिया गया एवं योजना में सम्मिलित शेष कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा के आधार पर ठेकेदार एजेन्सी मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि. मुंबई को दिनांक 05.07.2016 को अवार्ड जारी किया गया। प्रश्न दिनांक तक उक्त 169 ग्रामों में से 77ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 92 ग्रामों में कार्य शेष है, जिसे ठेकेदार एजेन्सी से किये गये अनुबंध अनुसार निर्धारित अवधि 28.02.2018 के पूर्व पूर्ण किया जाना संभावित है। उक्त योजना में सम्मिलित ग्रामों की

वर्तमान में निर्धारित कार्य पूर्णता की अवधि, कार्य प्रगति एवं कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि के विवरण सहित ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उक्तानुसार पूर्व अनुबंधित ठेकेदार एजेन्सी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं किये जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नाधीन योजना अंतर्गत पूर्ण किये गये कार्यों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु सामग्री प्रदाय करने से पूर्व थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेन्सी के माध्यम से सामग्री का निरीक्षण कराने के उपरांत निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पाये जाने के बाद ही सामग्री प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया है। टर्नकी ठेकेदार एजेंसी के स्टोर में सामग्री प्राप्त होने के पश्चात् भी मुख्य सामग्रियों की रेंडम सेंपलिंग कराई जाकर एन.ए.बी.एल. द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग कराई जाकर सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई गई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने के साथ-साथ ग्रामों में विद्यमान निम्नदाब लाईन के कंडक्टर को ए.बी. केबिल द्वारा बदलने एवं मीटरीकरण के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्रान्तर्गत उक्त योजना में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों में से वर्तमान में एक भी ट्रांसफार्मर खराब नहीं है। जिन ग्रामों में उक्त योजनांतर्गत कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें योजना में प्रावधानित सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेन्सी द्वारा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेन्सी द्वारा कार्य की गुणवत्ता में कमी/त्रुटि पाए जाने पर उसका निराकरण संबंधित ठेकेदार एजेन्सी से कराया जाता है। अत: गुणवत्ता संबंधी जाँच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता। उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार उक्त योजना अंतर्गत जिन ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें योजना में प्रावधानित सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। योजना के अंतर्गत शेष 92 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(घ)** भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना दिनांक सहित प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार** है।

श्री लाखन सिंह यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर जिले में फीडर सेपरेशन के कार्यों हेतु दिनांक 09.08.2011 को ज्योति स्ट्रक्चर्स लि.मुंबई को एक अवार्ड जारी किया है और उस कम्पनी के द्वारा दिनांक 20.08.2011 से कार्य शुरू किया है. लगातार 4 साल यह काम उन्होंने

किया है और इतनी धीमी गति से उनके द्वारा काम किया गया, जिसकी वजह से इस कम्पनी को वहां से ब्लैक लिस्टेड करके भगा दिया गया. फिर उसके बाद दिनांक 06.07.2016 को बजाज इलेक्ट्रिकल्स लि. मुंबई की कम्पनी को यह काम दोबारा दिया गया और उस कम्पनी के द्वारा आज दिनांक तक लगातार वह काम जारी है. इन दोनों कम्पनियों में जो काम किया गया है उसमें बड़ी विसंगतियाँ हैं. विसंगति इस बात की है कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस जवाब में ऐसे कई मजरे-टोले के गांव इसमें चिन्हित किए हैं और उसमें लिखा है कि इन गांवों में काम पूर्ण हो चुका है. इसमें गांव के नाम तो ज्यादा हैं लेकिन मैं कुछ गांवों के नाम पिन प्वाइंट करके उन गांवों के नाम बता देना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- आप सीधा प्रश्न कर दें. समय कम है. आप नाम मत बताइए.

श्री लाखन सिंह यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरी पंचायत में चकशीतलपुर गांव है. उसमें बताया गया है कि इसमें काम पूर्ण हो चुका है. जबकि हकीकत यह है कि उस गांव में इस विभाग द्वारा एक भी पोल बिजली का खड़ा नहीं किया गया है और आपने लिख दिया कि काम पूर्ण है. इसी तरह रिचारीकलां के बारे में बताया गया कि काम पूर्ण हो चुका है इसी तरह से बारसबढ़ेरा में न्योना, नाथोकापुरा टोढ़ा और नाथोकापुरा ये दो गांवों के लिए लिखा है कि काम पूरा हो चुका है इसी तरह ररूआ में आपके द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि इनमें काम पूर्ण हो चुके हैं तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि यदि ये काम पूर्ण हो चुके हैं तो आसंदी से निर्देश कर दिए जाएं कि इनकी जॉंच करा ली जाएंगी जिससे पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है. यह असत्य जानकारी इस सदन को दी जा रही है. आपको जानकारी नहीं है और आपने लिख दिया कि पूरे का काम पूर्ण है.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जाइए. उत्तर आ गया है उनको उत्तर तो देने दीजिए.

श्री पारस चन्द्र जैन -- यादव जी आप बैठेंगे, तो ही मैं बोलूंगा और आपके अनुकूल ही बोलूंगा आप चिन्ता मत कीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गावं माननीय सदस्य ने बताएं हैं उन सब गांवों की जॉंच की जाएगी और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी.

श्री लाखन सिंह यादव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी विधानसभा के गांव हैं. मैं यह चाहता हूँ कि जब आपकी जॉंच समिति जाए, क्या आप क्षेत्रीय विधायक को उस जॉंच में शामिल करेंगे जिन गांवों का मैंने उल्लेख किया है ? कि आपने इनको विद्युत से पूर्ण कर दिया है. मैं चाहता हूँ कि जब जॉंच समिति जाए तो उस समिति में मुझे शामिल किया जाए.

श्री पारस चन्द्र जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस जॉंच में बिल्कुल शामिल जाएगा.

श्री लाखन सिंह यादव -- माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद.

## जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह में नई परियोजनाओं की स्वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

**8. ( *क्र. 901 ) श्री राजकुमार मेव :** क्या राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नर्मदा नदी से सामूहिक सिंचाई एवं माईक्रो सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कितनी लागत की स्वीकृत की गई हैं? **(ख)** क्या खरगौन जिले में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई नई परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह के क्षेत्र बड़कीचौकी, कवाणा, घटयाबैडी, रामदढ, बलसगांव, आशाखो, पेमपुरा, करोंदियाखुर्द, हाथीदग्गड़, जिरात,रोस्या बारी, बाकानेर, कुसुम्भ्या, भवनतलाई, छोटाभेडल्या, बडाभेडल्या, हेलाबाबर आदि के किसानों की कृषि सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में नर्मदा नदी से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बजट सत्र फरवरी 2017 में मान. मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि परियोजना हेतु पुन: सर्वे कराया जाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार की जाकर स्वीकृति प्रदान की जावेगी? क्या इस संबंध में विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की गई है?यदि हाँ, तो किस प्रकार की योजना तैयार की गई है?

**राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ( श्री लालसिंह आर्य ) : (क)** जी हाँ। वर्ष 2017-18 में नर्मदा नदी से कोई सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हाँ। इन ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ओंकारेश्वर परियोजना की नहर में अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** माननीय मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इन ग्रामों में ओंकारेश्वर परियोजना की नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण उपरांत परिलक्षित हुआ है कि

इन ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ओंकारेश्वर परियोजना की नहर में अतिरिक्त जल शेष नहीं है। अत: कोई योजना तैयार नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री राजकुमार मेव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक खेत में पानी पहुंचाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. चूंकि ये हमारे 15 गांव जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं. यहां छोटे-छोटे किसान हैं 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा के किसान है जिनको पानी की अत्यंत आवश्यकता है वहां पर भी पानी पहुंचाने की कृपा करें. माननीय मंत्री जी का जवाब है कि वहां हम पानी नहीं भेज सकते क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं है. पानी और भी विधानसभाओं में भेजा जा रहा है. पानी इंदौर तक और उज्जैन तक भेजा जा रहा है. तो हमारे ये 15 गाँव क्यों प्यासे रहेंगे, मेरा मंत्री जी से सहानुभूतिपूर्वक निवेदन है कि पानी की व्यवस्था करें, चूँकि आप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं और मेरी विधान सभा भी अनुसूचित जाति की है तथा वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे, उनके खेत कैसे सिंचित होंगे, कृपया पानी की व्यवस्था करें, ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा.

श्री लालसिंह आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ओंकारेश्वर बांध से कुल उपलब्ध जल की क्षमता 102.80 क्यूमेक्स है और इस पूरे के पूरे पानी का कहीं न कहीं वितरण किया जा रहा है. माननीय सदस्य जिन गाँवों को पानी देने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उतना पानी देने के लिए हमारे पास कलेक्शन नहीं है. मैं उनकी संवेदनाएँ समझ सकता हूँ कि वे उन गाँवों में पानी चाहते हैं, हमने पहले इसका परीक्षण भी करवा लिया है जल की उतनी क्षमता नहीं होने के कारण यह नहीं हो पा रहा है, भविष्य में यदि कभी कोई परियोजना या लाइनिंग का कोई कार्य होता है और कहीं ऐसा संभव होता है तब हम कुछ विचार कर सकते हैं.

श्री राजकुमार मेव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पूरी विधान सभा पानी से तृप्त है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारे खेतों में पानी पहुँच रहा है, लेकिन हम वे 15 गाँव पानी से वंचित रख दें, जोकि अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और वे गरीब किसान हैं, यह ठीक नहीं है. उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, मंत्री जी कम से कम आश्वासन तो दें कि हम इतने दिन में या इतने महीने में या इतने साल में वहां पानी की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, ताकि वे गाँव भी सिंचित हो जाएं.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय मंत्री जी, अगर कहीं से वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती हो, तो उसका परीक्षण करा लें.

श्री लालसिंह आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने आश्वासन दिया था, उसका परीक्षण कराया था, क्योंकि एक भी गाँव को हम नहीं छोड़ना चाहते, जब हम पूरी विधान सभा को ले रहे हैं तो क्यों 10-15 गाँवों को छोड़ दें. हमारे पास पानी ही नहीं है तो हम कहां से देंगे ?

श्री राजकुमार मेव -- अध्यक्ष महोदय, क्या उन गाँव वालों के साथ यह व्यवहार ठीक हो रहा है ? 15 गाँव प्यासे हैं और पूरी विधान सभा को पानी मिल रहा है, यह व्यवहार ठीक नहीं है.

अध्यक्ष महोदय -- आप वही-वही बातें कर रहे हैं.

श्री राजकुमार मेव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कहीं से कुछ तो रास्ता निकालें, मैं विधान सभा में जाकर जवाब क्या दूंगा कि आपको पानी नहीं मिल पाएगा ? अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कुछ तो आश्वासन दिलवाएँ.

अध्यक्ष महोदय -- वे फिर से परीक्षण करवाएंगे.

श्री राजकुमार मेव -- अध्यक्ष महोदय, वे परीक्षण का बोल नहीं रहे हैं, वे परीक्षण का कहें तो सही, कहीं से तो पानी की व्यवस्था कराएँ.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, अन्य व्यवस्था हो सकती हो तो दिखवाएं, अंडरग्राउंड वाटर या किसी और तरह से.

श्री लालसिंह आर्य -- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ में पठारी इलाकों में भी कभी पानी नहीं पहुँच रहा था, हमने पानी उपलब्ध कराया है, योजनाएँ मंजूर की हैं, लेकिन इन गाँवों को पानी देने के लिए हमारे पास क्षमता ही नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जल की क्षमता 102.80 क्यूमेक्स है, इतना ही पानी हम बांट सकते हैं. मैंने कहा है कि भविष्य में यदि कोई योजना आई या लाइनिंग निकली तो हमारा क्या है, हम उन गाँवों को भी पानी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है.

श्री राजकुमार मेव -- मंत्री जी, नर्मदा-क्षिप्रा से वहां पानी उपलब्ध करवा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय -- राजकुमार जी, कृपया बैठ जाइये, बहुत देर हो गई है.

## सोन नदी में 11 के.व्ही. लाइन क्रासिंग टॉवर की स्थापना

[ऊर्जा]

**9. ( *क्र. 533 ) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खटाई माची खुर्द/माचींकला के मध्य सोन नदी में 11 के.व्ही. लाइन के क्रासिंग टॉवर लगाने के लिए शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये (अभ्यारण्य) सोन घड़ियाल क्षेत्र संचालक संजय टाईगर रिर्जव सीधी द्वारा अनापत्ति की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सोन नदी पर क्रासिंग स्थल पर टॉवर का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** प्रश्नांश में उल्लेखित 11 के.व्ही. लाईन की सोन नदी क्रासिंग हेतु टॉवर लगाए जाने के कार्य की स्वीकृति पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान की गयी है। उक्तानुसार टॉवर लगाये जाने का कार्य म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा किया जाना है। म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **(ख)** सोन नदी क्रासिंग में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य होने के कारण प्रश्नाधीन प्रकरण में टॉवर लगाये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक संजय टाईगर रिजर्व सीधी को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2017 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा टॉवर लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अत: वर्तमान में कार्य प्रारंभ किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती सरस्वती सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सोन नदी में 11 के.व्ही. लाइन के क्रासिंग टॉवर लगाने के लिए प्रश्न लगाया था, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि यह कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

श्री पारस चन्द्र जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोन नदी क्रासिंग में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य होने के कारण वन विभाग की अनुमति की हमें आवश्यकता है. इसके लिए दो मीटिंग्स हो चुकी हैं, अगली मीटिंग में यह हो जाएगा. म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं. बरसात के कारण देरी हो रही है, जैसे ही वन विभाग से हमें परमिशन मिल जाएगी, यह कार्य अतिशीघ्र कर दिया जाएगा.

श्रीमती सरस्वती सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक बैठक बुला ली जाएगी, कब तक अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि यह बहुत जरूरी है.

श्री पारस चन्द्र जैन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग का मामला है, हम देरी नहीं कर रहे हैं, हमने तो टेंडर तक कर लिए हैं, जैसे ही वन विभाग से हमें अनुमति प्राप्त हो जाएगी, हम यह कार्य करा देंगे.

अध्यक्ष महोदय -- वन मंत्री जी बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) -- अध्यक्ष महोदय, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से पास करके इसको सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेज दिया है. मेरे पास अभी इसका कागज नहीं है, इसलिये मैं अधिकृत जानकारी से नहीं कह सकता. लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि इस प्रकरण को भेज दिया है. केंद्र से पास हो जायेगा, तब इसका काम होगा. अध्यक्ष महोदय, आपने क्योंकि एकदम से मुझसे पूछा, तो मैं बिलकुल परफेक्ट जानकारी तो नहीं दे सकता,लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि भेज दिया गया है.

श्रीमती सरस्वती सिंह -- अध्यक्ष महोदय, वहां पुरानी लाइट पहले से खींची गई है और वहां सोन नदी में जब बाढ़ आ जाती है, तो वह तार उसमें खराब हो जाते हैं. मैं चाहती हूं कि इसको तत्काल किया जाये.

अध्यक्ष महोदय -- वह प्रक्रिया में है. वह जल्दी कर रहे हैं.

**ग्रामीण बस्तियों/मजरे टोलों में विद्युतीकरण**

[ऊर्जा]

**10. ( *क्र. 870 ) श्री गिरीश भंडारी :** क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा घरेलू विद्युत (सिंगल फेस) 24 घण्टे विद्युत सप्लाई देने का नियम है? यदि हाँ, तो क्या नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की बस्तियाँ/मजरे टोले व जो किसान खेतों पर रह रहे हैं, उनको 24 घण्टे बिजली दी जा रही है? **(ख)** प्रश्न की कण्डिका (क) की जानकारी अनुसार यदि 24 घण्टे बिजली दी जा रही है, तो उन ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें? **(ग)**नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम हैं, जहां किसानों को 24 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है व उक्त ग्रामों को 24 घण्टे बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

**ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क)** जी हाँ, विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के मुख्य आबाद क्षेत्र एवं ऐसे ग्रामों के विद्युतीकृत मजरों/टोलों/बस्तियों में गैर कृषि फीडरों के माध्यम से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किये जाने का प्रावधान है तथा उक्तानुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में भी विद्युत

प्रदाय किया जा रहा है। तथापि नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 12 बस्तियों/मजरों/टोलों तथा खेतों में निवासरत किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से 10 घन्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उक्त12 बस्तियों/मजरों/टोलों, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है, को 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने हेतु गैर-कृषि फीडर से जोड़ने का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में स्वीकृत है। **(ख)** प्रश्नाधीन चाही गई ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में गैर-कृषि फीडरों से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** में दर्शाए गए 12 बस्तियों/मजरों/टोलों को गैर-कृषि फीडरों से जोड़कर 24 घंटे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: कार्य पूर्णता की समय-सीमा वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है।

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यह कहा है कि नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सिर्फ 12 मजरों/टोलों को छोड़कर बाकी सभी गांवों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है. यह इन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में दिया है. अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अतारांकित प्रश्न इसी को लेकर है और उसमें यह लिख रहे हैं कि 86 गांवों में कार्य प्रगति पर है. अब या तो यह उत्तर सही है या वह उत्तर गलत है, यह मुझे वे बता दें. यह तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र.870) है और अतारांकित प्रश्न क्र. 873 पर वे अलग जानकारी दे रहे हैं. आप अतारांकित प्रश्न क्र. 873 देख लीजिये. उसमें लिख रहे हैं कि ऐसे ग्रामों में कार्य प्रगति पर है और तारांकित प्रश्न क्र.870 में लिख रहे हैं कि पूरी विधान सभा में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है.

अध्यक्ष महोदय -- आप अपना प्रश्न कर दें.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही तो है. आप मेरा प्रश्न समझ चुके हैं कि अभी मेरा जो तारांकित प्रश्न है, उसमें लिख रहे हैं, आप देख लीजिये प्रश्नांश (ग) के उत्तर में लिखा है कि नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है, सिर्फ 12 मजरो/टोलों को छोड़कर. लेकिन अतारांकित प्रश्न क्र. 873 में यह लिखा है कि 86 गांवों में कार्य प्रगति पर है और अभी वहां बिजली नहीं दी जा रही है. यह आप देख लीजिये. यह आज ही की प्रश्नोंत्तरी में दोनों प्रश्न हैं. एक तारांकित है और एक अतारांकित है.

श्री पारस चन्द्र जैन -- अध्यक्ष महोदय, 100 से अधिक आबादी वाले जो होते हैं, उन मजरों, टोलों को हम शामिल करते हैं. 12 बस्तियों/मजरों/टोलों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने स्वीकृति दे दी है और मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो 12 बस्ती/मजरे/टोले रह गये हैं, इनके ठेकेदार भी तय हो गये हैं और मैं सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस काम को अतिशीघ्र, बहुत जल्दी कर देंगे.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, आप मेरे दोनों प्रश्न देख लीजिये. एक तरफ यह जानकारी दे रहे हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है और एक तरफ लिख रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है. वहां अभी काम चालू ही नहीं हुआ है, जहां इन्होंने लिखा है कि 86 गांवों में कार्य प्रगति पर है और दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं कि पूरी विधान सभा क्षेत्र के सब गांव कम्पलीट कर दिये गये हैं, सिर्फ 12 मजरे,टोलों को छोड़कर. अतारांकित प्रश्न क्र. 873 के उत्तर में लिख रहे हैं कि 86 गांवों में कार्य प्रगति पर है, जबकि अभी तक वहां काम चालू ही नहीं हुआ है. वह एक दो गांव नहीं 86 गांव हैं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, एक ही दिन में एक ही विधान सभा से संबंधित दो एक ही जैसे प्रश्नों के अलग अलग उत्तर हैं. तो मंत्री जी स्पष्ट करें कि कौन सा उत्तर सही है. इसी तरह से अधिकारी कुछ भी उत्तर विधान सभा में भेजते हैं, विधान सभा की अवमानना या डर किसी को नहीं बचा है. अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से भी निर्देश जाने चाहिये.

अध्यक्ष महोदय -- आप बैठ जायें. मंत्री जी, आपको कुछ कहना है.

श्री पारस चन्द्र जैन -- अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम पूरे हो गये हैं, जो 12 बस्तियां,मजरे, टोले ऐसे रह गये हैं, उनको हमने योजना में शामिल भी कर लिया है. अध्यक्ष महोदय, इनका जो उद्देश्य है, वह पूरा भी हो गया है.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, यह अतारांकित प्रश्न संख्या 873 के उत्तर में लिखा है कि 86 गांवों में कार्य प्रगति पर है. यह प्रश्न का जवाब है मेरे पास.

अध्यक्ष महोदय -- उसमें क्या लिखा है.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि 86 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है.

अध्यक्ष महोदय -- फीडर सेप्रेशन का.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, जी हां, मेरा प्रश्न भी तो विद्युत फीडर सेप्रेशन का ही है.

अध्यक्ष महोदय -- इसमें लिखा है कि फीडर सेप्रेशन का कार्य प्रगति पर है.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी तो वही प्रश्न है. तारांकित प्रश्न क्र. 870 में भी वही प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न क्र. 873 में भी वही प्रश्न है.

अध्यक्ष महोदय -- वहां बिजली देने, नहीं देने का प्रश्न नहीं है.फीडर सेप्रेशन का कार्य प्रगति पर है. फीडर सेप्रेशन के साथ अलग अलग व्यवस्था होती है, किन्तु वहां बिजली दी जा रही होगी, इसलिये फीडर सेप्रेशन हो रहा है.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप मेरा प्रश्न समझ गये हैं कि एक ही विधान सभा में..

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आप तो कोई पाइंटेड प्रश्न पूछ लीजिये, जो आपको काम करवाना हो.

श्री गिरीश भंडारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह पाइंटेड प्रश्न है कि यह जो उत्तर दिया है कि पूरे नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में गैर-कृषि फीडरों से 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है. इन्होंने यह गलत उत्तर दिया है. यह मैं कह रहा हूं. इसकी जांच कराई जाये.

12.00 बजे.

अध्यक्ष महोदय -- आप इसकी जांच करा लें.

श्री पारस चन्द्र जैन -- अध्यक्ष महोदय जो सदस्य ने बताया है उसकी हम जांच करा लेंगे.

श्री गिरीश भंडारी -- इसमें लिखा है कि जहां पर गैर कृषि फीडरों के माध्यम से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है. यह सूची मुझे दी गई है. वहीं पर प्रश्न क्रमांक 873 में लिखा जा रहा है कि 86 गावों में कार्य प्रगति पर है. लेकिन उन 86 गावों में आज तक काम चालू नहीं हुआ है. इसकी जांच करा लें.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी जिन गांवों में कार्य प्रगति पर लिखा है वहां पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है इसकी भी जांच करा लें.

श्री पारस चन्द्र जैन -- आपने भी व्यवस्था दी है हम उस प्रकरण की जांच करा लेंगे. हमें कोई दिक्कत नहीं है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

**( प्रश्नकाल समाप्त )**

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से किसानों के मुद्दे को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है. मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसे ग्राह्य कर तुरंत चर्चा करवाई जाय.

अध्यक्ष महोदय -- अभी कुछ शासकीय कार्य बाकी रह गया हैं. यदि आप इसको पूरा कर लेने देंगे तो उसके बाद में इस विषय पर विचार कर लेंगे कि चर्चा कराना है या नहीं, ध्यानाकर्षण को छोड़कर, बहुत संक्षेप में इसे कर लेते हैं.

श्री अजय सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 2 - 4 मिनट में आप अपना काम कर लें तो ठीक है.

अध्यक्ष महोदय -- आज की कार्य सूची में.

श्री अजय सिंह -- नहीं आज की कार्य सूची में तो बहुत सारी चीजें हैं.

अध्यक्ष महोदय -- ध्यानाकर्षण बहुत लंबे हैं इनको कल ले सकते हैं और क्रम 11 तक काम पूरा करना है.

श्री अजय सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन का अर्थ क्या है.

अध्यक्ष महोदय -- यह इसलिए कि अभी आपके प्रस्ताव पर विचार चल रहा था. अब आप कह रहे हैं कि चर्चा तत्काल करवायें, शासन से भी पूछ लें क्योंकि बहुत से स्थगन प्रस्ताव कल भी आये हैं.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: नियमों में यह व्यवस्था है और आपके स्थायी आदेशों में भी यह है कि प्रश्नकाल के बाद में तुरंत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ली जाती है, स्थगन प्रस्ताव को उठाया जाता है. हमारा कहना है कि सरकार का जवाब आ जाय. इतने

दिन पहले से दिया है. सरकार का जवाब आ जाय ग्राह्य कर लें उसके बाद में 3 बजे से चर्चा कर लें, कौन मना कर रहा है.

अध्यक्ष महोदय -- अभी तो ग्राह्यता पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. ग्राह्य करने के बाद में सामान्यत: 3 बजे उसको लेने का नियमों में व्यवस्था है. हालांकि पूर्व में भी सीधे लिये गये हैं. यह तो मैंने प्रतिपक्ष के नेता जी से आग्रह किया था.

श्री रामनिवास रावत -- प्रस्तुत करने की व्यवस्था तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद की है. आपके ही नियमों में है, आपके स्थायी आदेशों में है.

अध्यक्ष महोदय -- उठाने की व्यवस्था है, यदि ग्राह्य हो जाय तो 3 बजे चर्चा कराई जायेगी और 2 घंटे में समाप्त हो जायेगी.

श्री रामनिवास रावत -- इसी पर तो निर्णय देना है आपको.

श्री अजय सिंह -- आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लें.

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) -- माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है. सदन को इस पर चर्चा करना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है कि इसकी ग्राह्यता पर तुरंत चर्चा हो, सरकार इससे सहमत है आप तुरंत चर्चा करवायें.

अध्यक्ष महोदय -- पहले शासन का उत्तर सुन लें फिर ग्राह्यता और अग्राह्यता के बारे में चर्चा करेंगे. अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो औपचारिक कार्यवाही पूरी कर लें. ध्यानाकर्षण छोड़कर बाकी में आधा घंटा लगेगा.

श्री अजय सिंह -- ठीक है कर लीजिये.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले प्रस्ताव तो सदन के सामने आये. अध्यक्ष महोदय सामान्य तौर पर प्रक्रिया यह है कि आप स्थगन प्रस्ताव पढ़ देंगे. सरकार की तरफ से उसका जवाब आ जायेगा. इसके बाद में अगर ग्राह्यता पर चर्चा करना है तो ग्राह्यता पर करवायें और अगर स्वीकृत करके चर्चा करवाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यह कह ही दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो औपचारिक रूप से प्रस्ताव आ जाय. इसके बाद में आपको अन्य कार्य निपटाना है तो चर्चा के लिए आप आधा घंटे बाद या 15 मिनट के बाद में या 3 बजे जब आप उचित समझें तब चर्चा प्रारम्भ करवा सकते हैं. मुख्यमंत्री जी ने तो यह कहा है कि आप तत्काल चर्चा प्रारम्भ करवा लें हमें कोई तकलीफ नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - आसंदी के निर्देश में भी आप हस्तक्षेप करेंगे?

अध्यक्ष महोदय - दोनों बात कर सकते हैं. वहां से यह प्रस्ताव आया कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी चर्चा कराई जाय.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष जी, समझ में आ गया, पूत के गुण पालने में दिख गये. तैयारी-वय्यारी कुछ है नहीं, अब 3 बजे का समय है?

श्री रामनिवास रावत – (XXX) आप इस तरह की बातें कर रहे हैं. कराओ चर्चा शुरू, किसने मना किया है? आप चर्चा शुरू कराओ.

श्री गोपाल भार्गव - मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तुरन्त चर्चा कराएं, क्यों 3 बजे, क्यों 5 बजे?

श्री रामनिवास रावत - चर्चा कराओ, कैसे कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हैं, किसान आज परेशान है. किसान रोज आत्महत्या कर रहा है.

श्री गोपाल भार्गव -..अध्यक्ष महोदय, आप अभी चर्चा कराएं, इसी वक्त चर्चा कराएं, इसी मिनट करवाएं. आप चर्चा शुरू करवाएं, चुनौती है. चुनौती है, चर्चा शुरू करवाएं.

श्री रामनिवास रावत -तुम मुख्यमंत्री नहीं हो. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - मेरा माननीय मंत्रीगण से अनुरोध है...

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, आसंदी के निर्णयों पर, आसंदी के निर्देशों पर आपत्ति नहीं किया करें.

श्री गोपाल भार्गव - एक महीने से बाहर चिल्ला रहे हैं, (XXX)

अध्यक्ष महोदय - यह कार्यवाही से निकाल दें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हो रही है? (व्यवधान)..माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह किस तरह से बात कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय - यह कार्यवाही से निकाल दिया है.

श्री अजय सिंह - लेकिन यह किस तरह से बात कर रहे हैं?

श्री रामनिवास रावत - यह किसानों की समस्या के लिए कितने संवेदनशील हैं, यह स्पष्ट हो रहा है.

श्री अजय सिंह – (XXX)

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए. यह घोर आपत्तिजनक है. क्या सदन में इसी तरह से कोई भी सदस्य किसी के लिए कुछ भी बोलेगा? कभी आज तक व्यक्तिगत अपमानजनक बातें नहीं कही हैं. अध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मंगवाएं. यह गलत तरीका है.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) - वह नहीं बोलना चाहिए, अध्यक्ष जी ने वह हटा भी दिया है.

अध्यक्ष महोदय - वह कार्यवाही से निकाल दिया है.

श्री रामनिवास रावत -अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कुछ भी कह दें और माफी मांग लें? यह कार्यवाही से निकलना क्या पर्याप्त है?

अध्यक्ष महोदय - एक मिनट आप सुन तो लें.

श्री रामनिवास रावत - कम से कम आप तो डांट दो, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए?

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ तो जाएं. माननीय मंत्रीगण से अनुरोध है.

श्री रामनिवास रावत - (XXX) सदन में कोई कैसे बोलेगा, इसके लिए आप डांट सकते हो.

अध्यक्ष महोदय - यह भी आप डिक्टेट करेंगे क्या कि मैं क्या बोलूं? कृपया करके आप भी अपनी सीमा में रहें.

श्री रामनिवास रावत - मैं निवेदन कर रहा हूं. मैं सीमा में हूं. मैंने कुछ अपशब्द नहीं कहे.

अध्यक्ष महोदय - मैं आपकी बात का संज्ञान लेकर ही उनसे बात कर रहा हूं. इसके बाद में आप डिक्टेट करना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - डिक्टेट करने का अधिकार तो सत्तापक्ष को ही है, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जायं. माननीय मंत्रीगण से मेरा अनुरोध है किसी प्रकार की ऐसी भाषा का उपयोग न करें जिससे सदन में अव्यवस्था फैले, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे. अब आप बैठ जाइए, बात समाप्त हो गई है. डॉ. शेजवार साहब ने जो कहा, उस पर मेरा मत यह है कि प्रतिपक्ष के नेता जी की ओर से एक प्रस्ताव आया था कि इस पर चर्चा शुरू कराई जाय. माननीय सदन के नेता जी ने भी उस पर अपनी सहमति दी है, किन्तु मैंने दोनों पक्षों से अनुरोध किया कि औपचारिक कार्यवाही के बाद में उस प्रस्ताव को पढ़कर आगे कार्यवाही करेंगे और दोनों ने सहमति दे दी, इसलिए अब उसमें कोई नियम प्रक्रियाओं के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है.

12.08 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय - निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी.

(1) श्री बलवीर सिंह डंडौतिया

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह

(4) श्री मुरलीधर पाटीदार

(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(7) श्री सुखेन्द्र सिंह

(8) श्री शैलेन्द्र पटेल

(9) श्री सुन्दरलाल तिवारी

(10) सुश्री हिना लिखीराम कावरे

12.09 बजे **अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना**

**(1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017),**

**(2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017),**

**(3) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017), तथा**

**(4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017).**

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्न अध्यादेश -

(1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017),

(2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017),

(3) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017), तथा

(4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017)

पटल पर रखता हूं.

**3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.**

**1. जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-2015(उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पिणयां)**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पिणयां) पटल पर रखता हूं.

**2. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक)**

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री(श्रीमती माया सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74

की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) पटल पर रखती हूं,

**3. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-2017**

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री(श्री जयभान सिंह पबैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के तहत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 पटल पर रखता हूं.

**फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय-- फरवरी-मार्च 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड 10 का संकलन पटल पर रखा गया.

**नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय-- नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च 2017 सत्र में सदन में पढ़ी गई शून्यकाल की सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा गया.

## राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय-- विधानसभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

## अध्यक्षीय घोषणा.

## नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में.

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं कल दिनांक 19 जुलाई 2017 को ली जाएंगी.

## सभापति तालिका की घोषणा.

अध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम(1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं--

1. श्री कैलाश चावला
2 श्री शंकरलाल तिवारी
3 श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
4 श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
5 श्री रामनिवास रावत
6 श्री के पी सिंह

## राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास का वक्तव्य.

## दिनांक 24 मार्च, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 5453) के उत्तर में संशोधन के संबंध में.

अध्यक्ष महोदय-- अब श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री,नर्मदा घाटी विकास दिनांक 24 मार्च, 2017 को पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41(क्रमांक 5453) के उत्तर के भाग (ग) में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

गृह मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)-- विधान सभा के बजट सत्र,फरवरी-मार्च,2017 में दिनांक 24.03.2017 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 33 में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41(क्रमांक 5453) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं-
प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **ग -**

"वर्तमान परिदृश्य में अभी बताया जाना संभव नहीं है."

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे-

"जी हां"

## जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद

(नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

**प्रश्न यह है कि--**

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.**

## 11. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन)** - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें,राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,2009(क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा(2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो "

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

प्रश्न यह है कि-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें,राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,2009(क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा(2) के पद

(नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

**निर्वाचन का कार्यक्रम**

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु विधान सभा के तीन-तीन सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार,दिनांक 18 जुलाई,2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार,दिनांक 18 जुलाई,2017 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी.
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार,दिनांक 18 जुलाई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान बुधवार,दिनांक 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

12.17 बजे **स्थगन प्रस्ताव**

**<u>प्रदेश के आंदोलनरत् किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोलीचालन होना</u>**

अध्यक्ष महोदय - प्रदेश के आंदोलनरत् किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोलीचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 47 सूचनायें प्राप्त हुई हैं.

| | |
|---|---|
| पहली सूचना | डॉ.गोविन्द सिंह |
| दूसरी सूचना | श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा |
| तीसरी सूचना | श्री जितू पटवारी |

| | |
|---|---|
| चौथी सूचना | श्री रामनिवास रावत |
| पांचवीं सूचना | श्री शैलेन्द्र पटेल |
| छठवीं सूचना | श्री अजय सिंह |
| सातवीं सूचना | श्री आरिफ अकील |
| आठवीं सूचना | श्री के.पी.सिंह |
| नौवीं सूचना | श्री मुकेश नायक |
| दसवीं सूचना | श्री विक्रम सिंह |
| ग्यारहवीं सूचना | श्री लाखन सिंह यादव |
| बारहवीं सूचना | श्री जयवर्द्धन सिंह |
| तेरहवीं सूचना | श्री हरदीप सिंह डंग |
| चौदहवीं सूचना | श्री कमलेश्वर पटेल |
| पन्द्रहवीं सूचना | श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया |
| सोलहवीं सूचना | श्री नीलेश अवस्थी |
| सत्रहवीं सूचना | सुश्री हिना लिखीराम कावरे |
| अठारहवीं सूचना | श्री ओमकार सिंह मरकाम |
| उन्नीसवीं सूचना | श्री सुन्दरलाल तिवारी |
| बीसवीं सूचना | श्री तरुण भनोत |
| इक्कीसवीं सूचना | कुं.सौरभ सिंह |
| बाईसवीं सूचना | श्री सुखेन्द्र सिंह बना |
| तेईसवीं सूचना | श्री रजनीश सिंह |
| चौबीसवीं सूचना | श्री निशंक कुमार जैन |
| पच्चीसवीं सूचना | श्री यादवेन्द्र सिंह |
| छब्बीसवीं सूचना | श्री हर्ष यादव |
| सत्ताईसवीं सूचना | श्रीमती झूमा सोलंकी |
| अट्ठाईसवींसूचना | श्री रामपाल सिंह |
| उन्तीसवीं सूचना | श्री उमंग सिंघार |
| तीसवीं सूचना | डॉ.रामकिशोर दोगने |
| इक्तीसवीं सूचना | श्री सचिन यादव |

| | |
|---|---|
| बत्तीसवीं सूचना | श्री सोहनलाल बाल्मीक |
| तेतीसवीं सूचना | श्री गिरीष भण्डारी |
| चौतीसवीं सूचना | श्री मधु भगत |
| पैंतीसवीं सूचना | श्री संजय उइके |
| छत्तीसवीं सूचना | प्रो.संजीव छोटेलाल उइके |
| सैंतीसवीं सूचना | श्री फुन्देलाल सिंह मार्को |
| अड़तीसवीं सूचना | श्री गोवर्धन उपाध्याय |
| उन्तालीसवीं सूचना | श्री प्रताप सिंह |
| चालीसवीं सूचना | श्री जतन उइके |
| इकतालीसवीं सूचना | श्री योगेन्द्र सिंह |
| बयालीसवीं सूचना | श्रीमती इमरती देवी |
| तैंतालीसवीं सूचना | श्री राम सिंह यादव |
| चवालीसवीं सूचना | श्रीमती सरस्वती सिंह |
| पैंतालीसवीं सूचना | श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर |
| छियालीसवीं सूचना | श्री हेमन्त कटारे |
| सैंतालीसवीं सूचना | श्रीमती शकुन्तला खटीक |

सदस्य की हैं.

चूंकि डॉ.गोविन्द सिंह,सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई है अत: मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश में किसानों को फसल की लागत से कम मूल्य मिलने व अन्य मांगों को लेकर 01 जून 2017 से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तब मजबूर होकर किसान लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को विवश हुए. मालवांचल के पिपल्या हाट में आंदोलनकारी किसानों पर चर्चा कराने की बजाए सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज कराया. आंसू गैस के गोले दागे गये. इतना ही नहीं गोलीचालन भी किया गया तथा किसानों पर अफीम तस्करी आदि के झूठे मामले दर्ज कर जेल में भेजने का काम किया जिससे किसान आंदोलन समूचे प्रदेश में फैल गया. सरकार द्वरा एक जाति विशेष के लोगों/किसानों को अफीम माफिया घोषित कर उनके विरुद्ध झूठे प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजने से इस जाति वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति तीव्र आक्रोष उत्पन्न हो गया है. सरकार की किसान वोरोधी नीति के चलते विगत कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से

पीड़ित किसान कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से दब गया है और सरकार द्वारा उन्हें कर्ज मुक्त नहीं किये जाने से 10 जून 2017 के बाद से लगातार सीहोर,विदिशा,होशंगाबाद जिले सहित समूचे प्रदेश में लगभग 65 से अधिक किसानों ने कर्ज,फसल खराब होने,फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने,बिजली के मनमाने बिल आदि को लेकर आत्महत्याएं कर लीं और यह सिलसिला लगातार जारी है. बैतूल जिले में आदिवासी किसान द्वारा खेत में कुंआ खुदवाने के लिए अपने बेटे को 15 हजार रुपये में गिरवी रख दिया गया. प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है. खरीफ की फसल हेतु उन्हें खाद,बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहीं दूसरी ओर नकली खाद,बीज बाजार में खुलेआम बिक रहा है. मृतक किसानों के निकटतम् परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने तथा आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज किये गये प्रकरण वापस नहीं किये जाने से राज्य सरकार के प्रति किसानों में भीषण रोष उत्पन्न हो गया है. स्थिति विस्फोटक बनी हुई है.

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आज सदन की कार्यवाही स्थगित र चर्चा कराई जावे.

इसके संबंध में शासन का क्या कहना है.

गृह मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में कृषकों के हित में निरंतर अनेक फैसले लिये जाते रहे हैं. देश के अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तरप्रदेश में कृषकों द्वारा सब्जी व दूध को नगरों में आने से रोकने की तर्ज पर प्रदेश में कतिपय किसान संगठनों द्वारा कृषक आंदोलन का आव्हान दिनांक 01.06.2017 से किया गया. इनकी मुख्य मांग "किसानों को समस्त कर्जों से मुक्ति और लाभकारी मूल्य पर सभी उपजों को क्रय करने की गारंटी दे केन्द्र सरकार" थी. इस आंदोलन को दृष्टिगत रखे हुये प्रदेश के सभी जिलों को दिनांक 01.06.2017 को निर्देशित किया गया था कि स्थानीय स्तर पर कृषकों को शासन की नीतियों के संबंध में अवगत करावें तथा आंदौलन की स्थिति में उनसे संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि जनजीवन सामान्य रहे तथा हिंसा न हो पाये.

दिनांक 01.06.2017 से 10.06.2017 तक "हाहाकर आंदोलन" के रूप में किया गया. इस आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्यत: सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था तथा अलग-अलग जिलों में उनके पृथक-पृथक नेतृत्वकर्ता नहीं थे. विगत कुछ माहों से इन चल रही कृषक गतिविधियों तथा आंदोलन की पृष्ठभूमि के संबंध में न केवल पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी अपितु कृषकों के हित में समयोचित निर्णय लिये जाते रहे हैं.

प्रदेश में किसान संगठनों द्वारा फसलों का उचित दाम दिये जाने व अन्य जायज मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किये गये परंतु किसानों की मांगों के संबंध में विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा चर्चा कर समाधान किया गया. यह कहना गलत है कि किसान संगठनों की मांगों के संबंध में सरकार गंभीर नहीं है. सरकार द्वारा समय-समय पर समस्याओं/मांगों का समाधान किया गया है तथा निरंतर मांगों के संबंध में विशेष ध्यान देकर समाधान किया जा रहा है.

दिनांक 01.06.2017 एवं 02.06.2017 को कुछ जिलों में कृषक आंदोलन सड़कों पर आया तथा जिसमें राजनीति से प्रेरित अफवाहों के फैलने के कारण आंदोलनकारियों द्वारा दूध पलटने, सब्जी फेंके जाने के प्रयास किये गये. सभी थानों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा इन आंदोलनकारियों तथा व्यापारियों के मध्य हुये विवादों को रोका गया तथा धैर्यपूर्वक समझा कर कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाये रखा गया.

सोशल मीडिया से हो रहे निरंतर भ्रामक प्रचार के कारण विभिन्न स्थानों पर सामान्य कृषकों को उकसाया जाने लगा कि वे इस आंदोलन में सक्रिय हों. इस घटनाक्रम की गंभीरता को भांपते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा न केवल किसानों के हित के निर्णयों पर विचार किया एवं मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया कि वे इस संबंध में सभी जिलों को पुन: व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश प्रसारित करें. दिनांक 03.06.2017 को मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस ली व पुन: निर्देशित किया कि किसान आंदोलन में किसान नेताओं से संवाद स्थापित कर समाधान निकाला जावे तथा यथासंभव बल प्रयोग न करते हुये भी हिंसा को रोका जावे. दिनांक 03.06.2017 को दूध बहाने, सब्जियां फेंकने, नारेबाजी, धरना करने के अतिरिक्त चक्काजाम व पुलिस बल पर पथराव व हमला करने की घटनायें घटित होना प्रारंभ हो गईं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4.6.2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उज्जैन में किसानों के हित में लिये गये निर्णयों को सार्वजनिक रूप से बताया गया परंतु तब तक निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विभिन्न जिलों में हुये नेतृत्व विहीन आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया गया जिसके कारण आंदोलन में हिंसक घटनायें प्रारंभ हो गईं.

दिनांक 4.6.2017 को रतलाम में कतिपय आंदोलनकारियों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर गंभीर हमले प्रारंभ हो गये, जिसमें पुलिस बल के अधिकारियों को गंभीर क्षति एवं स्थाई क्षति हुई व पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी की गई. रतलाम में सहायक उप

निरीक्षक पवन कुमार यादव की आंख में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी बांयी आंख की रोशनी स्थाई रूप से चली गई.

दिनांक 5.6.2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं के उपरांत भी मंदसौर में आंदोलन सक्रिय रहा, जिसमें चक्काजाम, रैली, आगजनी, सब्जियां फेंकने एवं हाईवे जाम कर पुलिस पर पथराव के साथ रेलवे की संपत्ति एवं छोटे-छोटे ठेले वालों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी होने लगा. इन घटनाओं में असंतुष्ट किसान संगठन, राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल रहे. मंदसौर जिले मे व्यापारियों और आंदोलनकारियों में झड़प भी हुई , जिसके पश्चात आंदोलनकारियों ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर हमला किया. इस टकराव को बढ़ने से रोकने के लिये पुलिस ने न केवल समझाइश देकर प्रयास किया, अपितु आवश्यकतानुसार टियर गैस आदि का भी प्रयोग किया.

दिनांक 5.6.2017 को मंदसौर में जिलादण्डाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की आंदोलनकारियों से चर्चा होने के पश्चात भी मंडीरोड दलौदा में दूध डेयरी को नुकसान पहुंचाया गया. सीतामउ में हुई पत्थरबाजी से साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ. सुवासरा में आंदोलनकारियों द्वारा व्यापारियों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया.

दलोदा में नेश्नल हाईवे पर लगभग 8 घंटे जाम रखा व रेल फाटक की तोड़फोड़ एवं रेल पटरी को नुकसान पहुंचाया गया व रेल यातायात बाघित किया गया. पिपल्यामंडी में व्यापारियों के घर व दुकान में तोड़फोड़ की गई. ऐसी स्थिति में दलौदा में रात्रि 23.00 बजे पुलिस द्वारा टीयरगैस व लाठी चार्ज कर आंदोलनकारियों को खदेड़ा गया.

पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रभावित जिलों में अतिरिक्त बल जिसमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, विसबल की कंपनियां व जिला पुलिस बल को भेजा गया.

दिनांक 6.6.2017 को व्यापारियों व आंदोलनकारियों के बीच हुये विवाद का स्वरूप बड़े रूप में मंदसौर में सामने आया तथा जिले के कई कस्बों में आंदोलनकारियों द्वारा व्यापारियों पर तथा पुलिस कर्मियों पर गंभीर हमले प्रारंभ किये गये. यह स्थिति मंदसौर जिले के कई कस्बों में हुई. प्रातः से ही प्रगति चौराहा, दलौदा, डिगांव चौपाटी, चिरमोलिया, अरनिया, निजामुद्दीन, सीतामउ, सुवासरा, दलौदा रेल, माल्याखेड़ी, पिपल्यामंडी, श्यामगढ़, खात्याखेड़ी, नाहरगढ़, गुराडिया फंटा, सुवासरा में उपद्रव हो रहा था. जहां पर हाइवे जाम कर व्यापारियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना, टोल टैक्स बेरियर पर तोड़फोड़, बीएसएनएल टॉवर में तोड़फोड़, फैक्ट्री में तोड़फोड़, थाना घेराव एवं आगजनी, शासकीय वाहनों को नुकसान एवं पुलिस अधिकारियों पर

गंभीर हमलों की घटनायें हो रही थीं. पुलिस के द्वारा जगह जगह पहुंचकर आंदोलनकारियों को लगातार नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था.

दिनांक 6.6.2017 को मंदसौर में पिपल्या मंडी में आंदोलन के दौरान न केवल हाइवे पर चक्काजाम किया गया बल्कि वाहनों मे तोड़फोड़ व आगजनी की गई व पुलिस पर पथराव किया गया व ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाने आये पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया जिसकी परिणती गोली चालन में हुई. बलवा रोकने के प्रयासों के दौरान 6 लोगों की मृत्यु हुई व 6 घायल हुए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिये मंदसौर व पिपल्या मंडी में कर्फ्यू लगाया गया. शासन ने मंदसौर गोली चालन की घटना की न्यायिक जांच आदेशित की है.

दिनांक 7.6.2017 को कर्फ्यू के बावजूद मंदसौर जिले के सुवासरा, टोलप्लाजा, बोतलगंज, नाहरगढ़, कात्याखेड़ी, पिपल्यामंडी, क्यामपुर, भानपुरा, मेलखेड़ा में आगजनी व तोड़ फोड़ की घटनायें घटित हुई, जिसमें पेट्रोल पंप व यूको बैंक में आग लगाने का प्रयास किया गया. वेयर हाउस में आगजनी की गई. हाइवे पर कंटेनरों में आगजनी की गई एवं शासकीय वाहनों व फायर बिग्रेड में आगजनी के अतिरिक्त रेल लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया. इस पूरे आंदोलन के दौरान 109 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी घायल हुए. इस पूरे आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा 895 टियर गैस सेल का उपयोग किया है. अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 व्यक्तियों को भी आंदोलन के दौरान चोटें आई हैं, जिस पर आंदोलनकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है. इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 325 प्रकरण कायम किये जाकर विवेचना में लिये गये हैं. आंदोलन के दौरान निजी संपत्ति को हुई हानि का आंकलन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है एवं अब तक 127 व्यक्तियों को रूपये 1 करोड़ 64 लाख की राहत राशि प्रदाय की जा चुकी है.

यह कहना सही नहीं है कि किसानों पर झूठे अफीम तस्करी आदि के मामले दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है, तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य के आधार पर ही आरोपी पाये जाने पर आंदोलन में घटित हिंसा के संबंध में आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है.

यह कहना भी सही नहीं है कि सरकार द्वारा एक जाति विशेष के लोगों, किसानों को अफीम माफिया घोषित कर उनके विरूद्ध झूठे प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया तथा जेल भेजने से वर्ग विशेष के लोगों में आक्रोश है आंदोलन के दौरान घटित हिंसा में साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जा रही है.

यह कहना सही नहीं है कि 10 जून 2017 के बाद से लगातार सिहोर, विदिशा, होशंगाबाद जिले सहित समूचे प्रदेश में लगभग 65 से अधिक किसानों ने कर्ज, फसल खराब होने, फसल बीमा के मुआवजा नहीं मिलने, बिजली के मनमाने बिल को लेकर आत्महत्या कर ली है.

यह कहना सही नहीं है कि बैतूल जिले में आदिवासी किसान द्वारा खेत में कुंआ खुदवाने के लिये अपने बेटे को पंद्रह हजार रूपये में गिरवी रख दिया गया था. वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 07.07.2017 को चाइल्ड लाईन बैतूल की चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पर कॉलर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जिला टॉस्क फोर्स समिति द्वारा कार्यवाही संपादित करते हुए बाल श्रमिक को भद्धू झर्रे के निवास स्थन पर से मुक्त कराया जाकर टॉस्क फोर्स के द्वारा श्रमिक की बालिग बहन अनिता पिता किशनलाल के सुपुर्द किया गया. श्रम निरीक्षक बैतूल द्वारा पुलिस अधीक्षक बैतूल को अवगत कराया कि आदतन जांच में बाल श्रमिक को पंद्रह हजार रूपये की प्राप्ति हेतु गिरवी रखना नहीं पाया गया.

वर्तमान में श्रम निरीक्षक बैतूल के अधीन भद्धू झर्रे पिता चिरौंजीलाल झर्रे के विरूद्ध बाल श्रमिक से श्रम कराये जाने के संबंध में बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम 1968 के अंतर्गत जांच कार्यवाही प्रचलन में है.

यह कहना भी सही नहीं है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने, कृषि रथ घुमाने तथा बलराम तालाब आदि किसानों के हितार्थ के लिये चलाई गई तमाम योजनाएं कागजी साबित हुई हैं. सरकार द्वारा कृषकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से किया गया है, जिससे नवीन योजनाओं के बारे में कृषकों को जानकारी प्राप्त हुई है, फलस्वरूप उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है, इसका प्रमाण लगातार पांचवी बार प्रदेश को कृषि कर्मण प्राप्त हुआ है.

मई 2010 में स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने की कल्पना एवं कृषि को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य को लेकर चार दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया. जिसमें किसानों के हित में घोषणा की गई जो कि धरातल पर आज तक नहीं उतरी यह कहना सही नहीं है, जबकि सरकार द्वारा किसानों के हित में जो घोषणा की गई है, उनका पालन किया गया है, तथा सतत् क्रियान्वयन जारी है.

यह कहना भी गलत है कि मुख्यमंत्री द्वारा किसान पंचायत भी बुलाई गई जिसमें घोषणाएं की गई और वह घोषणाएं ही रह गई एवं कृषि केबिनेट भी असफल साबित हुई है. सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाओं की पूर्ति की गई तथा कृषि में विशेष ध्यान देकर कृषकों के हित में

घोषणाओं की पूर्ति की गई है. जहां तक कृषि केबिनेट का सवाल है तो मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है जहां कृषि केबिनेट का गठन किया गया है, जिसमें किसानों की तमाम समस्याओं के नीतिगत निर्णय लिये जाकर उसे अमल में लिया जाता है तथा कृषि केबिनेट सफल सरकार की उपलब्धि है, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं.

यह कहना भी सही नहीं है कि जैसे-जैसे हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर और हरितक्रांति की उपलब्धि की लहर पर सवार हुए उसका पूरा बोझ ज्यादा उपज के दबाव में किसानों को ही झेलना पड़ रहा है. वास्तविकता यह है कि कृषि के लिये आवश्यक आदान उर्वरक पर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाकर उचित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है.

यह कहना सही नहीं है कि उपज को कई गुना बढ़ाने की मुहिम खाद-कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ने से धरती अन उपजाऊ हुई है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों अनुसार प्रदेश में उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग अत्यन्त अल्प है एवं प्रदेश में खाद कीटनाशक के उपयोग से भूमि दूषित या अन उपजाऊ जैसी कोई समस्या नहीं है.

यह कहना भी सही नहीं है कि म.प्र. में ही बीते डेढ़ माह में करीब 64 से अधिक किसान कर्ज के बोझ को बर्दाश्त नहीं करने के बाद फांसी के फंदे पर झूल गए या साहूकारों से तंग आकर कीटनाशक पीकर दुनिया छोड़ गए. पहले ज्यादा दरों पर कर्ज दिया जाता था फिर कर्ज की दर घटाते-घटाते शून्य कर दिये जाने की बातें सामने आईं लेकिन जिस श्रेणी के कर्ज को ब्याज रहित बनाया गया है उससे किसान कर्जदार से और ज्यादा कर्जदार बनने के चक्रव्यूह में उलझ गया. वास्तविकता यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा रबी 2015-16 से अल्प अवधि फसल ऋण में वस्तु ऋण की राशि 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10,000 प्रति कृषक प्रति वर्ष अनुदान राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.12.15 से देय है. योजनान्तर्गत उन्हीं कृषकों को लाभ मिलेगा जिनके द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्प अवधि ऋण में से नकद ऋण शत प्रतिशत एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत राशि की अदायगी ड्यू डेट तक जमा की गई, साथ ही शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा भी कृषकों के लिये उपलब्ध है.

यह कहना सही नहीं है कि किसानों को नकली खाद एवं बीज खुलेआम बाजार में बेचा जा रहा है. पत्र म0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मानकों के आधार पर प्रमाणित बीज ही कृषकों को प्रदाय किया जा रहा है.

कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नकली बीज सप्लाई करने वाली कम्पनियों को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है अपितु बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्रदाय किया जा रहा है.

यह कहना भी सही नहीं है कि प्रदेश में किसान हर तरफ से त्रस्त हैं एवं हताश तथा निराश होकर सरकार की उपेक्षा से आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है. सरकार की किसान विरोधी नीति को लेकर प्रदेश के किसानों में भीषण रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है. मध्यप्रदेश में किसानों की आर्थिक प्रगति उन्नयन विभिन्न हेतु विभागीय योजनान्तर्गत प्रदाय लाभ विवरण निम्नानुसार हैं -

- मध्यप्रदेश भारत का दूसरा बड़ा कृषि प्रधान राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान सातवां है.
- प्रदेश की वर्ष 2011-12 में कृषि विकास दर 18.91 प्रतिशत आंकी गई है. राज्य के लिये 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित 5 प्रतिशत कृषि विकास दर की तुलना में 9.2 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल की गई.
- मध्यप्रदेश में किसानों की जोत संख्या 79.08 लाख हैक्टर है. इनमें से एक हैक्टर से कम रकबे वाले किसानों का 40.45% तथा एक से दो हैक्टर वाले किसानों का 27.15% है. इन किसानों के पास कुल क्षेत्रफल का 46.05% है. स्पष्टत: प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों का बाहुल्य है. इनमें से 9.09% अ.जा. तथा 15.04% अनु.जनजाति के कृषक हैं. सभी वर्गों के किसानों के कल्याण के लिये अनेक योजनाएं संचालित हैं. इन योजनाओं में अ.जा. तथा अ.ज.जा. किसानों और लघु सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दिया जाता है.
- मध्यप्रदेश में सहकारी कृषि ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर शून्य प्रतिशत है. इससे पूर्व भी सहकारी ऋण पर ब्याज की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम ही रही है.

पूर्व में किसानों को 15-16 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलता था किन्तु वर्ष 2006 से 2008 में 7% वर्ष 2008 - 2010 में 5% वर्ष, 2010 -11 में 3% और 2011 -12 में 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया. वर्तमान में ब्याज मुक्त कृषि ऋण देकर किसानों का वित्तीय

भार कम करने का प्रयत्न राज्य शासन द्वारा किया गया है. इस प्रकार साहूकारों और निजी कर्जदाताओं से किसानों को बचाने की पूरी कोशिश शासन द्वारा की जा रही है.

विगत वर्षों में लगातार खेती का रकबा और ज्यादातर फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ रही है, धान और गेहूं के समर्थन मूल्यों पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके परिश्रम का सम्मानजनक मूल्य प्राप्त हो रहा है. सोयाबीन और अन्य फसलों के दामों में काफी अच्छी वृद्धि हुई है.

प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना अंतर्गत निर्धारित दावा राशि बीमित कृषकों को प्रदान किए जाने का प्रावधान है. तदानुसार कृषकों को योजना अंतर्गत बीमा लाभ प्राप्त हो रहा है.

मंडी समितियों से सुगमतापूर्वक आवक तथा विपणन के लिए भी किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है.

राज्य सरकार द्वारा लघु-सीमान्त किसानों और कमजोर तथा पिछड़ी सामाजिक स्थिति वाले समुदायों के लिए कई अनुदान योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से टाप-अप अनुदान देकर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

कृषि कार्यक्रम निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है. प्रत्येक ग्राम के महिला और पुरुष किसानों को प्रशिक्षण देकर सम्पर्क किसान अथवा स्थानीय परामर्शदाता के रूप में पहचान स्थापित की गई है, जिससे क्षेत्रीय समस्याओं को चिन्हित करना आसान हुआ है. प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनांतर्गत किसानों को अनुदान एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है.

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण, जिसमें नगद, खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाता है. वर्ष 2016-17 में राशि रूपए रूपए 11941 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किया गया है.

कृषि को लाभ का धंधा बनाने एवं कृषि की लागत कम करने हेतु 2012-13 से 2015-16 तक के लिए राशि रूपए 1819 करोड़ ब्याज सहायता कृषकों को उपलब्ध कराई गई है.

रबी 2015-16 से मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन फसल ऋण के वस्तु ऋण के भाग पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रतिकृषक सहायता दी जा रही है. योजनांतर्गत रबी 2015-16 से अभी तक राशि 265 करोड़ कृषकों को उपलब्ध कराया गया है.

प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन फसल ऋण को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाता है. रबी 2012-2013 से 2015-16 तक राशि रूपए 5776.58 करोड़ का ऋण परिवर्तित किया गया है. इस हेतु राशि रूपए 198 करोड़ ब्याज अनुदान कृषकों के लिए उपलब्ध कराया गया है.

कृषकों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु खरीफ 2012 से खाद के अग्रिम भंडारण की योजना लागू है. मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ द्वारा वर्ष 2012-13 से 71.76 लाख मीटर टन खाद का अग्रिम भंडारण किया गया है.

मध्यप्रदेश राज्य बीज सहकारी संघ द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2016-17 में 9.08 लाख क्विंटल का बीज का वितरण किया गया है.

राज्य शासन द्वारा कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाए जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से गत वर्ष 2016-17 में 1.04 लाख मी. टन राशि रूपए 62.40 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में 8.76 लाख मी. टन राशि रूपए 700.80 करोड़ का प्याज खरीदा गया है.

अत: यह कहना ठीक नहीं है कि स्थिति विस्फोटक है और किसानों में भीषण रोष है.

अध्यक्ष महोदय - प्रकरण की गंभीरता तथा महत्व को देखते हुए इसे चर्चा के लिए ग्राह्य करता हूं तथा दोनों पक्षों की सहमति अनुसार इस पर चर्चा प्रारंभ की जाए. इसके साथ ही माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि प्रकरण में न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए इस तरह से चर्चा की जाए ताकि जांच पर कोई प्रभाव न पड़े. साथ ही कृपया पुनरावृत्ति से बचे जिससे यथाशीघ्र चर्चा पूर्ण हो सके और चर्चा की गंभीरता भी बनी रहे.

डॉ गोविन्द सिंह (लहार) - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने शासन के जवाब में अनेक ऐसी बातों का उल्लेख किया जिससे किसान पूरे मध्यप्रदेश में ही नहीं समूचे भारत वर्ष में लाभ अर्जित करके आनंद मना रहा है. आपने कहा किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस दिया जा रहा है. पिछले तीन वर्षों से न तो आपका समर्थन मूल्य धान पर है न ही गेहूं पर है, यह आपने बंद किया है, तमाम और जिसका उल्लेख किया था आखिर यह स्थिति बनी क्यों पिछले कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने की घोषणा की जाती रही है, पूरे प्रदेश की जनता और किसान, जब लाभ का धंधा बनाने की घोषणाएं करने के साथ इतनी सुविधाएं दी जा रही है तो आखिर किसान आंदोलन करने को क्यों मजबूर है. माननीय गृह मंत्री जी ने यह उल्लेख नहीं किया, अपने जवाब में कि आखिर गोलीकांड की स्थिति कैसे निर्मित हुई, किसके आदेश

से हुई, जबकि वहां के कलेक्टर ने स्वयं घोषणा की मैंने कोई गोली चालने का आदेश नहीं दिया.

मानननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 वर्षों से खाद,बीज,दवाई, डीजल, कृषि उपकरण, कल्टीवेटर, ट्रेक्टर आदि में लगातार 15 वर्षों में 8 से 10 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है. जब किसानों को इतना लाभ हो रहा है मुख्यमंत्री जी इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर आपकी पार्टी के सांसद प्रहलाद पटेल जी ने क्यों कहा कि मैं किसान हूं मुझे ऋण चुकाने में लाले पड़ते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 जून 2017 को मेघावी छात्रों को भोपाल में कहा कि खेती अब लाभ का धन्धा नहीं है इसलिये आप उद्योग लगाईये, खेती बंद करें. यह मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं. अगर इस तरह का लाभ किसानों को खेती में हो रहा है तो फिर आज किसान लगातार मध्यप्रदेश में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं. जहां उत्तरप्रदेश के बाद मध्यप्रदेश देश में ऐसा दूसरा राज्य है. मध्यप्रदेश में 77 लाख 41 हजार 4 सौ किसान आज कर्जदार हैं. विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1518 दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 इसमें सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1 जुलाई, 2016 से 15 नवम्बर, 2017 तक 521 किसानों, खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्याएं कीं. केवल चार-पांच महीने में 600 के आसपास किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं तो फिर खेती को लाभ के धन्धे बताने की घोषणाएं कहां हैं. माननीय मुख्यमंत्री तथा पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों प्रधानमंत्री को वहां जाकर के अच्छी प्रस्तुतिकरण देते हैं. इस तरह से खेती लाभकारी बनायी गई है और आप भी बनाईये. आप ऐसी कौन सी कला बता रहे हैं कि जिससे किसान आज आत्महत्या करने के लिये मजबूर हैं. अभी तो मध्यप्रदेश में ही इतने किसान मर रहे हैं तो क्या इस प्रकार से आपकी कला से पूरे देश का किसान सुनिश्चित रहेगा. पिछले 7 माह में 215 दिनों में मध्यप्रदेश में 818 कृषक और मजदूरों ने आत्म-हत्याएं की हैं. पूरे मध्यप्रदेश में आत्म हत्याओं का एवरेज लगाएं तो तीन किसान आत्म-हत्या करने को मजबूर हुए हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनन्द मंत्रालय बना दिया. आनन्द मंत्रालय किसके लिये बना. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठे हुए वल्लभ-भवन में बैठे हुए अधिकारी उनके लिये आनन्द मंत्रालय बनाया है या किसानों के लिये. आज मध्यप्रदेश के किसान आनन्द मंत्रालय की योजनाओं से आनन्दित होकर के आत्म-हत्याएं करने को मजबूर हैं. क्यों मध्यप्रदेश में प्रतिदिन तीन किसान मर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृहमंत्री जी ने बताया कि किसानों की जायज मांगों के लिये भी उन्होंने अपना आंदोलन घोषित किया था, परन्तु सरकार ने किसानों की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जिससे आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता गया. आपने केवल जो आपकी मातृ

संस्था है उसका एक मजदूर जो कि आन्दोलन में था ही नहीं उनसे वाहवाही लूटने के लिये उनसे आपने समझौता किया और घोषणा कर दी कि किसानों की सब मांगें मान ली गई हैं. जो किसानों के आंदोलनकारी संगठन थे, पीड़ित थे, परेशान थे, लगातार आंदोलन की सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि हमारी मांगें सुनों. खेती की लागत लगातार गिर रही है, उनको खेती का लागत मूल्य मिल नहीं रहा है. खेती घाटे का धन्धा हो गई है. इस प्रकार सरकार ने तानाशाही तरीके से यहां से फरमान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी और कहा कि आंदोलन को सख्ती के साथ दबाया जाये और उसका नतीजा यह हुआ कि मध्यप्रदेश की पुलिस ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले 6 निर्दोष किसानों की हत्या कर दी. हत्या के लिये सरकार पूरी तरह से दोषी है. जिन लोगों ने हत्याएं कीं और जिनने आदेश दिया उसकी भी जांच होकर के उनके विरूद्ध कार्यवाही होना चाहिये. किसानों पर गोली-चालन हुआ.

अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि यदि कोई हिंसक आंदोलन होता है औद यदि गोली चलाने को मजबूर होना पड़े तो गोली कमर के नीचे चलायी जाये, लेकिन वहां पर जो 6 किसानों की हत्या हुई है, उन सभी किसानों को जो गोली लगी है, वह किसी के पेट में, कमर में, सीने में, गर्दन में और किसी को भागते हुए गोली लगी है. इसमें तमाम नौजवान किसान पीड़ित और घायल हुए हैं. आंदोलन हुआ तो पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस ने गोली चलायी. फिर आपकी सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि गोली पुलिस ने नहीं चलायी है. फिर बाद में सच्चाई स्वीकार की कि जो किसान मारे गये हैं, वह पुलिस की गोली से मारे गये हैं. इसके बाद सरकार का बयान आता है कि आंदोलन में असामाजिक तत्व शामिल हो गये और उन्होंने आंदोलन भड़काया. फिर चार दिन बाद बयान आता है कि आंदोलन को कांग्रेसी लोगों ने भड़काने का काम किया. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आंदोलन में कांग्रेसी लोग थे, जब आपने छोटे-मोटे किसानों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिये तो उसमें आपको कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को उस अपराध में शामिल होने के प्रमाण मिले. इसके बाद 29 जून को मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि इस आंदोलन को भड़काने में अफीम तस्करों की साजिश थी, उन्होंने ही इस आंदोलन को भड़काया.

आपकी पार्टी के अध्यक्ष चौहान साहब कहते हैं कि कोटा में बैठकर यह सारा षड़यंत्र रचा गया. मेरा कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, सारे नियम कायदे आपके पास हैं, पुलिस, सीआईडी आपके पास है, फिर आप क्या कर रहे हैं. यदि उन्होंने भड़काया तो आपने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया. आप सिर्फ निर्दोष किसानों पर आपराधिक मुकदमें लगाकर

उनको परेशन कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी आप किसान हैं. आप एक एकड़ में 16 लाख रूपये से लेकर 20 लाख रूपये तक कमा सकते हैं. हमारा भी खेती के अलावा और कोई आमदनी का धंधा नहीं है.

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य जारी किए थे. उसमें अरहर का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5050 रूपये, मूंग का प्रति क्विंटल 5250 रूपये, उड़द का प्रति क्विंटल मूल्य 5000 रूपये, मसूर की दाल का प्रति क्विंटल मूल्य 3950 रूपये और सरसों का प्रति क्विंटल मूल्य 3700 रूपये. अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आज से डेढ़ वर्ष पहले करीब 105 क्विंटल सरसों मैंने खुद बेची थी और उस समय 4800 रूपये प्रति क्विंटल का भाव था. आज पूरे मध्यप्रदेश में ग्वालियर और चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सरसों होती है. परंतु आज वहां पर 3100 - 3200 रूपये से ज्यादा प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिल रहा है. इसी प्रकार मसूर का भाव पिछले दो साल पहले 4800-5800 रूपये क्विंटल रूपये तक बिकी है. लेकिन आज उसका 2700-2800 रूपये तक का भाव है. अर्किल मटर का बीज हम लोग इस वर्ष उत्तर प्रदेश से 12000 रूपये क्विंटल में लाये थे. वह खेतों में बोया. पिछले साल अर्किल मटर का बीज मेरठ के व्यापारी जो लेकर गये थे, उन्होंने 12000 रूपये क्विंटल में खरीद लिये था. लेकिन इस बार सरकार की नीति के चलते उन्होंने कह दिया कि इसमें तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं. आज किसान वह जो अर्किल मटर है, वह 100 रूपये किलो में बिकती थी, वह मटर आज 1200-1300 रूपये क्विंटल में बेचने को मजबूर है और वह पशुओं के आहार में जा रही है. उस मटर को कोई लेने को तैयार नहीं है. यह आपकी भारत सरकार की नीति के तहत किसानों को पीड़ित करने का काम चल रहा है.

इसी प्रकार मालवा क्षेत्र में 2015 में सोयाबीन 4500 रूपये क्विंटल बिकता था, उसका वर्तमान मूल्य 2500-3000 रूपये है. चना जो 2015 में 6000-8000 रूपये प्रति क्विंटल था, वह आज 4000-5000 रूपये प्रति क्विंटल है. मैथी 5000-6000 क्विंटल थी वह आज 2000-2700 क्विंटल बिक रही है. धनिया 5000-6000 रूपये प्रति क्विंटल था, आज 2500-4000 रूपये धनिया का भाव है. अलसी का भाव पहले 4500-6000 था जो आज 3800-4000 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की दुर्दशा हो गई है वे बहुत परेशान हैं. मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति है कि वह बीज के बिचौलिओं और व्यापारियों को लाभ पहुंचाये. आलू का उत्पादन हमारे क्षेत्र में ही अधिक होता है. हमारे क्षेत्र से उत्तरप्रदेश लगा हुआ है. इटावा, फिरोज़ाबाद और कानपुर के प्रत्येक जिले में 100-200 कोल्ड-स्टोरेज हैं. वहां गांव-गावं में कोल्ड-स्टोरेज बने हुए हैं. मैं जनवरी का उदाहरण देना चाहता हूं. जनवरी में टमाटर 4 रूपये प्रति किलो

की दर से बिक रहा था. आज भोपाल की मंडी में टमाटर 120 रूपये प्रति किलो बिक रहा है. जब किसान के यहां फसल आती है तो भाव पूरी तरह से गिर जाते हैं और जब व्यापारी कोल्ड-स्टोरेज में माल इकट्ठा कर लेता है तो भाव बड़ी तेजी से बढ़ा दिए जाते हैं.

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जनवरी में आलू 500 रूपये प्रति क्विंटल बिक रहा था. वही आलू चिप्स के रूप में बनकर आ जाता है. यदि एक किलो आलू को सूखाया जाए तो वह सूखकर आधा किलो रह जाता है. आलू का चिप्स बनाते समय 5 रूपये किलो का आलू, नमक और मसाले का 5-10 रूपये, तेल में सेंका जाए तो 5 रूपये लगभग तेल का, और मजदूरी 5 रूपये, इस प्रकार पैकेट में पैक आलू के चिप्स की लागत कुल-मिलाकर 30 रूपये के करीब आती है. आलू का वह "अंकल चिप्स" 40 ग्राम, 10 रूपये में बिकता है और इस प्रकार एक किलो अंकल चिप्स की कीमत 250 रूपये हो जाती है. जो किसान खेत में मेहनत-मजूरी करता है. खाद, बीज लाता है, सिंचाई करता है और यदि खेत की कीमत का ब्याज जोड़ा जाए तो वह किसान अंतत:घाटे में ही रहता है. "अंकल चिप्स" बनाने वाला व्यापारी 250 प्रति किलो आलू का चिप्स बेचकर प्रति किलो पर लगभग 220 रूपये का मुनाफा कमाता है.

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम फसलों के लिए किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि ये ऋण किन्हें दिए जा रहे हैं. सरकार केवल 2-3 लाख रूपये का ऋण 4-6 माह के लिए देती है.

इंजीनियर प्रदीप लारिया- एक साल के लिए दिया जाता है.

डॉ.गोविन्द सिंह- एक साल के लिए नहीं दिया जाता है. आप बैंक जाकर पता कर लीजिए.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल- 6 माह के लिए ऋण दिया जाता है. 6 माह पूरे होने पर 8 दिनों के बाद वापस पलटाकर 6 माह के लिए फिर से दिया जाता है.

इंजीनियर प्रदीप लारिया- माननयी अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी, तब 18 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता था. ....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय- कृपया सभी सदस्य बैठ जायें.

श्री शंकर लाल तिवारी- मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में ही मुख्यमंत्री जी ने सालभर के ऋण का पैसा एक ही बार में दे देने की घोषणा कर दी है. कृपया पढ़ लीजिए, जान लीजिए. ....(व्यवधान).....

डॉ.गोविन्द सिंह- मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है ?

श्री वैलसिंह भूरिया- डॉ.गोविन्द सिंह जी इतने पुराने सदस्य हैं. आप सदन में इतने असत्य आंकड़े क्यों पेश कर रहे हैं.

श्री आरिफ अकील- अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में हो रही यह शुरूआत उचित है ? क्या विधायकों को ये आदेश दिए गए हैं कि जब भी कांग्रेस का कोई विधायक बोले तो बीच में बोलना शुरू कर दें. ....(व्यवधान).....

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल- अध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस के सदस्यों को सदन में कुछ भी बोलने का अधिकार प्राप्त है ?

1.00 बजे

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश पर स्थगन पर चर्चा शुरु हुई यदि इसी तरह रोक-टोक होगी तो चर्चा का कोई भी मतलब नहीं रहेगा. किसानों की समस्या है. मान लीजिए यदि हम कोई आंकड़ा गलत भी दे दें तो आपको सुनना चाहिए और जवाब देते समय आप हमारी बातों का खंडन कर दीजिए, लेकिन साहस रखिए. यदि मध्यप्रदेश में कुछ कांड हुआ है तो स्वीकार करिए हम लोग विपक्ष में हैं लेकिन जनता की चिंता है, किसानों की चिंता है. हम लोग यहां पर फालतू बातचीत करने नहीं आए हैं.

श्री के.के. श्रीवास्तव-- साहस है तभी तो चर्चा कराने के लिए कहा है.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें तब यह सदन से बहिर्गमन नहीं करें.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि यदि आप रोक-टोक करोगे तो...

श्री शंकरलाल तिवारी--आप सीधे विधायक जी की तरफ उंगली उठाकर बात मत करिए. आप अध्यक्ष महोदय से कहिए.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तिवारी जी को तो बिठा दीजिए.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- राहुल भइया किस-किस तिवारी को बिठाओगे.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरी चर्चा के दौरान यहां पर रहेंगे. मुख्यमंत्री जी का जवाब भी सुनेंगे लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अब कोई न बोलें. डॉक्टर साहब कृपया संक्षेप में समाप्त करें.

डॉ. गोविन्द सिंह- अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने इतनी सुविधाए दी हैं शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया है तो क्या आपने

आनंद मंत्रालय किसानों को आत्महत्या करने के लिए बनाया है? आपने यह आनंद मंत्रालय किसलिए बनाया है? क्या मध्यप्रदेश का किसान और मजदूर आनंदित होकर आत्महत्या कर रहा है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं. आप इसका जवाब जरूर दें. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि केवल लघु किसानों को 6 महीने का ऋण दिया जाता है यदि किसी को ट्रैक्टर लेना है, कर्ज लेना है, मेढ़ बंधान करना है, खेती के लिए कुछ उपकरण खरीदना है तो उसके लिए पैसा जो कृषि ग्रामीण विकास विभाग से किसानों को जो लांग टर्म ऋण का लाभ मिलता था वह भी आपने बंद कर दिया है केवल शार्ट टर्म ऋण देते हैं और कई किसान जिसमें ऋण जमा किया जाता है, जिसमें गेहूं की खरीदी होती है तो गेहूं की खरीदी के समय जब कृषक समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने जाते हैं तो वहां उनकी कटौती कर ली जाती है. किसान ऋणमय हो जाता है. किसान की मर्जी के बिना बीमा किया जाता है और वहां कटौती होती है. इस बार भिण्ड जिले में भी 40 प्रतिशत किसानों ने जो समर्थन मूल्य के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उन किसानों ने गेहूं नहीं बेचा है. बिजली के बिल का आदेश दे दिया गया कि अगर बिजली का बिल बकाया है तो वह भी चुकाइए और व्यापारी वहां नगद देकर पहुंच गया. नगदी नहीं देकर केवल उनको चेक दे दिए . 15-15, 20-20 दिन व्यापारियों के पास पैसा नहीं रहता है. किसान उनके चक्कर लगाता रहता है, परेशान होता है इसलिए किसान अपना गेहूं और सरसों कम भाव में बाजार में बेचने को मजबूर होता है. सरकार की नीतियों के कारण किसान लगातार घाटे में चला जा रहा है. किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है. मैं आपसे फसल बीमा के संबंध में कहना चाहता हूं व भिण्ड जिले का उदाहरण दे रहा हूं. वर्ष 2015-2016 में किसानों ने 53 लाख 88 हजार रुपए का कृषि बीमा का प्रीमियम जमा किया लेकिन उन किसानों को मिला कितना. 13805 किसानों ने बीमा की अपनी प्रीमियम दी. लेकिन ओला, पाला, सूखा भारी पैमाने पर हुआ था. किसानों को केवल 5 लाख 31 हजार 638 रुपए राशि का भुगतान हुआ. इसी प्रकार वर्ष 2016-2017 में 22 हजार 486 किसानों ने 1 करोड़ 84 लाख 69 हजार 152 रुपए की बीमा का प्रीमियम जमा किया. लेकिन इस साल भी ओला पड़ा है ओला पड़े हुए 6 महीने से अधिक का समय हो गया है. अभी तक किसानों को बीमे का प्रीमियम नहीं मिला है. सरकार सचेत नहीं है. मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास करते हैं लेकिन आपके प्रयास कहां दिखाई देते हैं. यह धरातल पर दिखाई देना चाहिए किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए. अगर आपकी नीयत साफ है आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया है कि हम लागत मूल्य का

ड्योढ़ा किसानों को देंगे. अगर 100 रुपए लागत है तो उस पर 50 रुपए मुनाफा देंगे. अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो कृषि की जमीन पर लगने वाले जितने भी टैक्स हैं, किसान अगर खेती बेचता है तो पहले 100 रुपए लगते थे अब ज्यादा लगते हैं. इसी प्रकार ट्रेक्टर, डीजल, कृषि उपकरण पर जीएसटी में और टैक्स लगा दिया है. आपने हल, बघर, खुरपी, कुल्हाड़ी पर भी 5 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है. ऐसे में किसान कृषि को कैसे लाभ का धंधा बना सकता है. मुख्यमंत्री जी मेरा सुझाव है कि किसानों की सिंचाई चाहे बिजली से हो चाहे नहर से हो आप सिंचाई को मुफ्त करें. कृषि उत्पाद जो आयात हो रहे हैं आप उसका विरोध करें. कृषि उत्पादों का यदि आयात होता है तो आप उस पर 100 से 200 प्रतिशत टैक्स लगाएं. ताकि देश के किसान को वाजिब मूल्य मिल सके. यह बहुत सस्ते में आयात हो जाते हैं इसलिये किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता है. आपने पिछले वर्ष कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा की थी. कोल्ड स्टोरेज आप बनाइए. आपके बहुत से गोदाम बने हुए हैं जिनको वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन आधे दर पर भी लेने को तैयार है परन्तु भिण्ड जिले में तमाम गोदाम खाली पड़े हैं उन्हें नहीं भरा जा रहा है. यदि आपको सस्ते में गोदाम मिल रहे हैं तो आप उनको लें. कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार गारंटी दे. सहकारी और शासकीय संस्थाओं को बनाने के लिए आप प्रोत्साहित करें. आप गारंटी नहीं देते हैं इसलिये बैंक ऋण नहीं देती है. टमाटर, आलू, मटर और प्याज उनमें रखी जा सकती है. जब इनका उचित समय आये उस समय किसानों को वाजिब मूल्य मिल सकता है. यदि आपने यह प्रक्रियाएं निभाईं तो खेती किसानों के लिए लाभ का धंधा हो जाएगा और उनको वाजिब मुनाफा मिलेगा व किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होंगे. हमारी मांग है कि जिन लोगों ने किसानों पर गोली चलाकर उनकी हत्या की है उन पर भी प्रकरण दर्ज किए जाएं उन पर कार्यवाही हो उनकी गिरफ्तारी की जाए.

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 जून से आज 18 जुलाई है. 1 महीने 18 दिन अर्थात् डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो गया है. किसान, किसान, गोली चालन यह सारी बातें, किसान स्वाभिमान यात्रा, यहां सम्मेलन, वहां सम्मेलन, चुरहट में भी सम्मेलन, डबरा में सम्मेलन, खलघाट में सम्मेलन. पूरे प्रदेश और देश की जनता देख रही है. आप लोगों को लग रहा है कि बिल्ली के भाग्य से झीका टूट रहा है. बिल्ली देखती रहेगी झीका कभी नहीं टूटेगा यह मैं सामने वालों से कहना चाहता हूँ. आपको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए. इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आपने कभी किसानों का, गरीबों का, मुफलिसों का, कभी बेबसों का दर्द नहीं जाना है. मंदसौर की पूरी घटना के लिए जांच कमीशन बैठा

है उसके सामने तथ्य तो आएंगे ही लेकिन इसके पहले जो सूचनाएं मिली हैं और गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में बातें बताई हैं. सभी लोग जानते हैं कि डोडा-चूरा का, अफीम का उससे निकले हुए जो एक्सट्रेक्ट हैं उनका सबका अवैध व्यापार हमारे पूरे देश में फैला हुआ है. अध्यक्ष महोदय, हमारी सख्ती के कारण, सरकार और पुलिस की सख्ती के कारण से तस्कर जो हैं, यह अफीम, राज्य और राज्य के बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं. उन्होंने षड्यंत्र किया कि किस तरह से पुलिस को डायव्हर्ट किया जाए, किस तरह से प्रशासन को डायव्हर्ट किया जाए, किस तरह से नॉरकोटिक्स वालों को डायव्हर्ट किया जाए, उसी की परिणिती मंदसौर का काण्ड है, जिसके लिए काँग्रेस के बन्धु बैठे हुए हैं और असत्य आँसू रो रहे हैं. (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ये सहानुभूति की बातें हैं, ये सदाशयता की बातें हैं, उनके घरों में जाकर मिलना, घरों में जाकर ढोंग बताना, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा तमाम संगठन....

डॉ.गोविन्द सिंह-- हम लोग ढोंग बनाने गए थे? फिर मुख्यमंत्री जी ने क्यों यहाँ उनको बुलाकर फर्जी उपवास तुड़वाया?

श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)-- एक करोड़ का मुआवजा क्यों दिया?

श्री गोपाल भार्गव-- इसके बारे में भी आपको अभी बताऊँगा. अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी बातें लोग जानते हैं. क्या कोई असली किसान दूध सड़क पर फेंकता है? आप इस बात को बताएँ. नालियों में बहाता है क्या असली किसान? जिसने गाय से दूध निकाला हो, वह पवित्र दूध, वह सड़कों पर फेंका जा रहा है, महीने भर से टेलिविजन पर देख रहे हैं. महीने भर से फोटोज़ में देख रहे हैं. वह सब्जियाँ, जो गरीब को दे सकते थे, अस्पतालों में दे सकते थे, मुफलिसों को, बदहालों को, बेबसों को, दे सकते थे. जो दो समय सब्जी नहीं खा सकता, उसके लिए दे सकते थे. वह सब्जी आप ट्रेक्टर्स से कुचल रहे हैं, सड़कों पर कुचल रहे हैं. क्या ऐसे लोग किसान हैं? क्या हम समझ नहीं सकते, कौन लोग हैं ऐसे? अध्यक्ष महोदय, तमाम लोग, आपराधिक चरित्र के लोग, और ऐसे लोग जो तस्करों की मदद करने वाले थे. अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा घटित की गई यह पूरी घटना है. (शेम शेम की आवाज) उसकी पृष्ठभूमि, जब जाँच आयोग की रिपोर्ट आएगी......

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- अध्यक्ष महोदय, क्या जाँच में यह सब आएगा, क्या पहले से इनको जानकारी मिल गई है?

राज्य मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास (श्री विश्वास सारंग)-- अध्यक्ष महोदय, वहाँ से भी टोकाटाकी हो रही है, एक बार निर्देश दीजिए.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, एक ही हिस्से में क्यों हुई? सिर्फ उसी हिस्से में जहाँ पर ये अफीम का उत्पादन होता है, डोडा चूरा का उत्पादन होता है, हमारे बुन्देलखण्ड के 5 जिलों में कहीं नहीं है, भिण्ड जिले में नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं नहीं है. यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतीक है कि पूरा का पूरा मामला तस्करों के द्वारा प्रेरित था, जिसके लिए यहाँ पर स्थगन लाया गया, उनकी मदद के लिए स्थगन लाया गया, मेरा आरोप है. (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, अलाभकारी मूल्य की बात हो रही है. किसान का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, किसान बहुत भावुक होता है और भावुक होने के कारण ही उसे लोग प्रेरित करते हैं. मैं एक जगह अपने क्षेत्र में सुन रहा था, एक करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, कुछ लोग हमारे ही क्षेत्र में कहने लगे एक करोड़ मिल जाएँगे तुम लटक जाओ और वे दूसरी पार्टी के लोग थे, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता. क्या उनको ऐसा कहना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि यदि हम वास्तव में किसानों के हितैषी हैं और हम वास्तव में किसान हैं, तो अपनी सब्जियों को, अपने खाद्यान्न को, अपने दुग्ध उत्पादन को, अपने दूध को, हम सड़कों पर नहीं बहा सकते, हम नालियों में नहीं फेंक सकते और सब्जियों को हम कुचल नहीं सकते. अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया? साढ़े चार हजार करोड़ रुपये पिछले साल फसल बीमा का मिला, साढ़े चार हजार करोड़ रुपया, लगभग राहत राशि का मिला. नौ हजार करोड़ रुपये की राशि पिछले साल किसानों के लिए मिली. (मेजों की थपथपाहट) आपकी सरकार के समय 100-100, 50-50, रुपये के चेक मिलते थे और जहाँ तक फायरिंग की बात है, फायरिंग की बात के लिए आप याद कर लो मुलताई की 1998 की घटना, 29 किसान मारे गए थे और वाहवाही करने के लिए तो इन्होंने असत्य एनकाउण्टर तक किसानों का किया. अध्यक्ष महोदय, शिवपुरी जिले में रामबाबू गडरिया को मारने की एक घटना हुई. तमगे लगा लिए, प्रमोशन हो गया, आउट आफ टर्न और अध्यक्ष महोदय, जिनको मारा था, वह निकले 3 किसान, खेत में पानी बराने के लिए जा रहे थे, उनके लिए मार दिया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, सच है कि नहीं? आप बताएँ. सच है कि नहीं वह 3 किसान मारे गए थे? और उसके बाद में टी.आई. को डी.एस.पी. और डी.एस.पी. को एस.पी. बना दिया, सार्वजनिक सम्मेलन कर के,बताइये यह सही है और आप किसानों के हित की बात करते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बात करना है तो तर्क के साथ में करें. हमारी सरकार ने पिछले 13 वर्षों में अनेकों काम किये हैं, उन सब के लिए बात होनी चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं. अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि आत्मा पर हाथ रखकर आप बोलें कि क्या किसान के

हित में इस सरकार ने पिछले वर्षों में कोई काम नहीं किया? बहुत-सी बातें सुसाइड की सामने आईं. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यह नहीं बताया कि उन किसानों के पास कितने सुसाइड नोट मिले? कोई वीडियों क्लिपिंग उनके पास मिली क्या? आज कल तो घर-घर में मोबाईल हो गये हैं, मोबाईल की कहीं कोई क्लिपिंग मिली चूंकि किसानों की संख्या ज्यादा है, तादाद ज्यादा है इस कारण से यह माना जाता है कि स्वाभाविक रूप से किसान यदि दर्ज है, रिकार्ड में उसके नाम से कुछ जमीन दर्ज है, घर के भी झगड़े होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, अन्य प्रकार की समस्यायें होती हैं, बीमारियाँ होती हैं इस कारण से यदि किसान आत्महत्या करते हैं तो उसके पीछे यह न माना जाना चाहिए वह कर्जदार ही हैं. कई किसान ऐसे हैं जिनके घर में पर्याप्त राशि मिली है लेकिन उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है. हमारे एक बहुत वरिष्ठ सदस्य रामनिवास जी हैं, इसी सत्र में आपके प्रश्न का एक उत्तर आया है. इस उत्तर में स्पष्ट है कि फसल की विफलता के कारण जो मृतक किसानों की संख्या है वह जीरो है.कर्ज के कारण 6, गरीबी से 2, नशे की लत के कारण 37, बीमारी से परेशान होकर 68, संपत्ति के कारण 5, पारिवारिक कारणों से 51, अन्य कारणों से 20 इस प्रकार कुल 189 किसानों की अलग-अलग कारणों से पिछले छह माह में मृत्यु राज्य के अंदर हुई है. अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं सकते है कि यह किसान ने दिवालिया होकर, किसान ने कर्ज के कारण, किसान ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली. अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात आई है और जहाँ तक किसानों का जो सुसाइड रेट है वह हमारे राज्य में सबसे नीचे है. लेकिन इसका भी हमें बहुत अफसोस है, दुख है. हमारा कोई भी भाई मरता है, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र हो या किसी भी वर्ग का आदमी हो, खेतिहर श्रमिक हो, कोई भी हो सभी के लिए तकलीफ होती है, दुख होता है. लेकिन कुछ घटनायें ऐसी रहती हैं जिनको हम और आप कोई भी नहीं रोक सकते हैं लेकिन हमें नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए, क्रियान्वयन इतना पारदर्शी रखना चाहिए कि जितना संभव हो सके राज्य में इस प्रकार की घटनाएं रुके.

अध्यक्ष महोदय, यदि पार्टीगत बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार होने के कारण यहाँ पर आत्महत्यायें हो रही हैं, तो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आत्महत्या का परसेंट पांडिच्चेरी में 43.2 है जबकि वहाँ आपकी कांग्रेस की सरकार है, सिक्किम में गैर भाजपा सरकार है वहाँ 37.5 परसेंट है, तेलंगाना में गैर भाजपा सरकार है वहाँ 27 परसेंट है, तामिलनाडु में अन्नाद्रुमक या द्रुमुक की सरकारें रही हैं, वहाँ 22 परसेंट है,केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ 21 परसेंट है, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादियों की सरकार है वहाँ 19 परसेंट है, कर्नाटक में कांग्रेस की

सरकार है वहाँ 17 परसेंट है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है वहाँ 15 परसेंट है , महाराष्ट्र में पूर्व में जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी,उस समय का रेट है 14 परसेंट और मध्यप्रदेश में यह रेट 13 परसेंट है. हालांकि यह 13 परसेंट भी नहीं होना चाहिए. यह हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है कि देश में किसी भी किसान की मृत्यु हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु हो. हमें लोक कल्याणकारी सरकार के लिए प्रयास यह करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अभाव के कारण ना हो. लेकिन कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं. माननीय गोविंद सिंह जी ने बहुत-सी बातें कहीं और अनेकों सदस्यों ने प्रश्न लगाये हैं, जो स्थगन सूचनायें दी हैं. मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गोली चलाना कोई अच्छी बात नहीं है. जैसा गृहमंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है 109 कर्मचारी घायल हुए और कई बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, परमानेंटली आंख डैमेज हो गई. अब उस कर्मचारी की आंख कभी सुधर नहीं सकती. क्या यह किसी विदेशी ने आकर किया था ? यह तो सब हमारे लोग थे और हमारे लोगों के लिए प्रेरित करने का काम, भड़काने का काम यदि किसी ने किया है तो वह ऐसे असामाजिक तत्वों ने किया, जो कतई सामाजिक नहीं थे, कतई अच्छे लोग नहीं थे. अन्य लोग थे और मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत से विषय पड़े हैं. बहुत-सी समस्याएं हैं. आज भी देश और प्रदेश बहुत-सी समस्याओं से जूझ रहा होगा. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों के शवों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए. (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पी.के.यादव की आंख क्षतिग्रस्त हो गई है. कांग्रेस के मित्र हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता. इसमें काफी नाम लिखे हुए हैं. जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया. वीडियोग्राफी है. हम कहना चाहते हैं कि राजनीति होगी जब मकाम होगा, उस समय तय कर लेंगे कि राजनीति की दिशा क्या होगी. बिजली की बात, सिंचाई की बात, फर्टिलाइजर की बात, उत्तम सीड की बात है. आज आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बताएं कि क्या पहले से बेहतरी नहीं आयी है ? वर्ष 2003 के पहले जब मैं विधायक था. मैं एमएलए रेस्ट हाउस के फैमिली ब्लॉक में रहता था. मैंने वे दिन देखे हैं जब रेस्ट हाउस में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बिजली बंद रहती थी, जबकि हम लोग विधायक थे. एक प्रकार से सरकार के अंग थे लेकिन मैंने सुबह-सुबह मोमबत्ती में, लालटेन में अखबार पढ़े हैं क्योंकि मुझे स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचनाएं देना पड़ती थीं. क्या हमने वह दिन नहीं देखें हैं. हर किसानों के पास जनरेटरों का अंबार लग गया था. विद्युत उत्पादन कितना था, मोटर बाईंडिंग के लिए वायर नहीं मिलता था. वह काले दिन थे. हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं. क्या हम वह भूल जाएंगे. याद नहीं करेंगे. हम विद्युत उत्पादन के मामले में

बहुत बेहतरी में आएं हैं. रबी की फसल की आधी जमीन असिंचित पड़ी रहती थी. आज वह पूरी सिंचित है. कृषि उत्पादन बढ़ा है और कई गुना बढ़ा है. गर्व से कहने की बात है कि हम आज कृषि उत्पादन के मामले में और जीडीपी के मामले में पंजाब और हरियाणा से भी आगे हैं. (मेजों की थपथपाहट) यह नीति आयोग की रिपोर्ट है. यह पूरा का पूरा प्रामाणिक है. कृषि उत्पादन के मामले में, सिंचाई के मामले में आगे हैं. सिंचाई कितनी बढ़ गई है. जब आप लोगों की सरकार थी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लिया जाता था, हर महीने 24 परसेंट इंट्रेस्ट लगता था, आप लोगों को याद होगा और जब कम्युलेट होता था तो वह 40 परसेंट तक हो जाता था. कभी कोई किसान अपनी जमीन वापस नहीं ले पाया और हम लोगों ने तय किया कि आज भी हजारों एकड़ जमीन एलडीपी में बंधक रखी हुई है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हम सभी लोगों ने भी तय किया कि एक इंच जमीन भी हम नीलाम नहीं होने देंगे, भले ही पैसा वापस आए अथवा नहीं आए. (मेजों की थपथपाहट) सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक की दरें सहकारिता के क्षेत्र में जो हमारे बैंक हैं उनकी दरें कभी 24 परसेंट, 22 परसेंट हुआ करती थी घटते-घटते 7, 5, 4, 3 और आते ही हमने शून्य कर दी. लोग आश्चर्य करते हैं कि बिना ब्याज का ऋण और उसके ऊपर मूल में भी छूट है. 10000 रूपए का ऋण लेंगे तो 9000 रूपए वापस करने पड़ेगे तो उसमें 1000 रूपए की भी छूट क्या किसान के लिए यह सुविधाएं नहीं मिलीं ? व्यवस्थाएं नहीं मिलीं ? आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचना चाहिए कि हमने क्या बेहतर किया और हमें आज बैठकर चर्चा करना चाहिए कि हम क्या बेहतर से बेहतर और ज्यादा कर सकते हैं. हमने कृषि केबिनेट बनायी और कृषि केबिनेट में वे तमाम फैसले जो किसानों के हित में हो सकते हैं लगातार बैठकें करके हम लोगों ने लागू किया है. घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने केबिनेट की फिर बैठक की और उसके बाद बाहर से विशेषज्ञ बुलाए. दिल्ली के पूसा से आईसीएआर के विशेषज्ञ बुलाए गए और विस्तृत रूप से यह चर्चा हुई कि हम बेहतर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ? उत्पादन में तो हम आगे हो गए लेकिन हम मार्केटिंग बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं ? यह सबको जानकारी है कि नाफेड आज कमजोर आर्थिक स्थिति में चल रहा है. चने की, मसूर की, अरहर की, मूंग की जो खरीद होनी चाहिए वह आज नाफेड के माध्यम से पूरी तरह से नहीं हो रही है, तो सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये यानि कि 10 अरब रुपये का अपना स्वयं का मूल्य स्थरीकरण के लिए फंड बनाया जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है. एक हजार करोड़ रुपये का फंड स्थाई सर्विस के लिए सरकार ने इसलिए बनाया कि यदि घाटा होता हो तो हो जाए, लेकिन मध्यप्रदेश के किसी किसान को घाटा न हो, उसे अपनी जान न देनी पड़े.

अध्यक्ष महोदय, रोज अखबारों में प्याज की खबर आ रही है, कह दिया गया है कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज खरीदेंगे और यदि खराब हो जाए तो भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे, एक बार सरकार के लिए नुकसान हो जाए, हम अपनी 10 योजनाओं में कटौती कर देंगे, लेकिन किसान के पेट पर लात नहीं मारने देंगे.

अध्यक्ष महोदय, दर्जनों बातें ऐसी हैं, जिनके कारण मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमें खुले दिल से, राज्य के किसानों के हित में और अन्य सभी वर्गों के हित में काम करना चाहिए तो मुझे लगता है कि मध्यप्रदेश में जैसे हम बेहतर स्थिति में आए हैं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं अन्यथा वही पुराने दिन लौट आएंगे. मुझे स्मरण है कि आस्ट्रेलिया का वह लाल गेहूँ, लोग तो क्या जानवर भी नहीं खाते थे जो ये इम्पोर्ट करवाते थे, आस्ट्रेलिया के वे लाल गेहूँ खाने के बुरे दिन न आएं. अब तो मुझे खुशी है कि मध्यप्रदेश की शरबती और मध्यप्रदेश का बासमती आस्ट्रेलिया वाले खा रहे हैं तो यह हम लोगों के कारण हुआ है.

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा. किसान के मुद्दे को लेकर हर गाँव में, हर कस्बे में, जिला मुख्यालय पर या जगह-जगह पर मजमे करके हम शायद यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यप्रदेश कृषि के मामले में पिछड़ा है, किसान दु:खी है, लेकिन इससे पूरे प्रदेश की बदनामी होती है, पूरे प्रदेश की अवमानना होती है. यदि मेरी अवमानना होगी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की अवमानना होगी तो मैं सदस्य तो हूँ ही, लेकिन एक नागरिक भी हूँ. इस कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी भी अवमानना होगी.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री गोपाल भार्गव -- आधा घंटा. (हंसी)

श्री यादवेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी असत्य कह रहे हैं सतना जिले में प्याज की खरीदी ... (..व्यवधान..)

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारी सरकार का यह निश्चय है कि मध्यप्रदेश की एक-एक प्याज खरीदी जाएगी, चाहे हमें कितनी ही आर्थिक क्षति का सामना क्यों न करना पड़े, आप यादवेन्द्र सिंह जी, निश्चिंत रहिए, आप जितू भाई की बातों में मत आइये.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- प्याज उत्पादन के मामले में सतना मध्यप्रदेश में तीसरे स्थान पर है... (..व्यवधान..)

श्री दिलीप सिंह परिहार -- अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के भाव बिकने वाला प्याज 8 रुपये प्रतिकिलो खरीद रहे हैं, कृपया बैठ जाएं, विराजें. (..व्यवधान..)

श्री गोपाल भार्गव -- यादवेन्द्र जी, आप जितू भाई की बातों में मत आइये, इन्होंने तो मंदसौर को तीर्थ स्थान बना दिया, जितने लोग थे सब वहाँ जा रहे थे, इतने मंदिर में गए होते तो अभी तक ... (..व्यवधान..)

श्री यादवेन्द्र सिंह -- मैं यह कह रहा हूँ प्याज उत्पादन के मामले में सतना मध्यप्रदेश में तीसरे स्थान पर है, आपके अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या वहाँ पर कोई सेंटर खुला ?

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी, जारी रखें.

श्री गोपाल भार्गव -- मैं कह रहा हूँ कि जितू भाई की बातों में न आओ, ये तो मोटर साइकिल पर राहुल गांधी को मद्रासी स्टाइल में बैठाते हैं, जैसी मद्रासी फिल्में होती हैं, उस स्टाइल में और पीछे-पीछे काले ड्रेस पहने बीस लोग, उनके वे गनमेन, एसपीजी वाले दौड़ते चले जा रहे हैं और जितू भाई भी ... (..व्यवधान..)

श्री घनश्याम पिरोनियाँ -- और तीन-तीन लोग बैठकर, वह भी बिना हेलमेट के, कानून का उल्लंघन किया है.. (..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय -- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी. सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित.

**(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अन्तराल)**

3.03 बजे **{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}**

## कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय -- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई,2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है -

| क्र. | विषय | आवंटित समय |
|---|---|---|
| (1) | मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) | 1 घण्टा |
| (2) | मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) | 30 मिनिट |
| (3) | मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) | 30 मिनिट |
| (4) | मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2017 | 15 मिनिट |
| (5) | मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 | 30 मिनिट |
| (6) | मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 | 30 मिनिट |
| (7) | वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण. | 2 घण्टा |

अब, इसके संबंध में श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य प्रस्ताव करेंगे.

राज्यमंत्री, संसदीय कार्य (श्री शरद जैन) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाईं, उसे सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि -

जिन कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उसे सदन स्वीकृति देता है.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.**

श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य का मालवा हर क्षेत्र में हर विषय में, हर आवश्यकता में सबसे ज्यादा प्रगतिशील क्षेत्र माना जाता है. मालवा क्षेत्र के बारे में जो कहावत थी कि ड़ग ड़ग रोटी  पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर, यह बात सही है कि पिछले वर्षों में जल के बहुत अधिक दोहन के कारण से पानी काफी नीचे पहुंच गया था और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा जी का जल क्षिप्रा, कालीसिंध, गंभीर में लाने का जो प्रयास किया है और जो परियोजना चल रही हैं इसके 2022 तक पूरा होने के बाद में, मुझे कहते हुए गर्व है कि उस मालव भूमि में जिसका भू-जल स्तर 700 से 800 फीट तक नीचे चला गया है. उस क्षेत्र में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था इन 3 - 4 वर्षों के अंदर हो जायेगी. इंदौर और उज्जैन डिवीजन की एक इंच धरती भी सिंचाई के बिना नहीं बचेगी. मुझे गर्व है कि इस सबके बावजूद भी अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में लोग सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं या सोच रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सोते हैं और कुछ ऐसे हैं कि सोने का अभिनय करते हैं. यहां पर हमारे मित्रों की जानकारी में सारी बातें हैं. मालवा वैसे कृषि के मामले में  बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र है, मेरे पास में वहां का प्रभार रहा है इस कारण मुझे जानकारी है. मालवा की मंडियां, मालवा का दुग्ध उत्पादन, मालवा का कृषि उत्पादन हमारे राज्य ही नहीं हमारे देश में गर्व और गौरव का विषय है. इस कारण से इस क्षेत्र विशेष में 2 - 3 जिलों में

यह घटना होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है. यह शोध का भी विषय है और इसके अलावा यह बहुत ही बारीकी से जांच करने का भी विषय है.

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर विरोधी पक्ष के सभी साथियों से कहना चाहता हूं हमारे कालूखेड़ा जी वहां से पूर्व सांसद भी रहे हैं उनको पता है उनका मालवा से काफी संबंध रहा है. ऐसे संपन्न क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं होने लगें. हमारा बुंदेलखंड है हमारा विंध्य क्षेत्र है जो कि अपेक्षाकृत कमजोर है. लेकिन हमारे यहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं. इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि यह घटनाएं क्यों हुई हैं, यह शोध का विषय है. यह वास्तव में गहरी जानकारी लेने का विषय है कि यह घटनाएं एक इलाके विशेष में क्यों हुई हैं. जब इसके बारे में जांच रिपोर्ट आयेगी तब पता चलेगा. मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में सुविधाओं के लिए काम हुआ है. ग्रामीण विकास विभाग ने भी जो काम किया है. मैं संतुष्ट हूं, मैं मानकर चलता हूं कि उल्लेखनीय कार्य मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है. आज लगभग 75 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, जो हमारे अटल जी की देन थी, हमारी एनडीए की सरकार की देन थी, और ज्यादा गतिशीलता से हम लोगों ने उनके लिए काम किया है. हमारी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी हमने 18 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनायी हैं. मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्यप्रदेश के 52 हजार गांवों में इस वर्ष तक एक भी गांव ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो कि पक्की सड़क मय पुल पुलियों के बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ा हो. यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है. इस कारण से जब गांव की उपज शहरों में, मंडियों में आती है. मैं मानकर चलता हूं कि किसान के लिए किसी प्रकार की दुविधा और दिक्कत नहीं है, कोई इस प्रकार का कारण नहीं होता है कि जिसमें वह कोई बेजा फैसला करे, कोई अप्रिय फैसला करे. 4 लाख कुएं कपिलधारा के खोदकर , 4 लाख कुएं और उसके साथ में पंप ले जायें , कुआं भी और साथ में पंप भी और उन पंपों के लिए सब्सिडी के रेट पर विद्युतीकरण और उस पर विद्युत का प्रदाय और लगभग 7 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी इन ऊर्जीकृत पंपों के लिए दी गई है.

श्री के.पी. सिंह - अध्यक्ष महोदय, स्थगन के विषय में यह है क्या? आप विद्वान सदस्य हैं और विद्वान सदस्य को स्थगन के विषय पर ही अपनी बात कहना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं. यह वक्तव्य जो आप दे रहे हैं, यह कई विभागों की चर्चा में आप कई बार बोल चुके हैं, यह कोई नयी बात नहीं है. अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि स्थगन के विषय पर आप बोलेंगे.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री के.पी. सिंह साहब से यह कहना चाहता हूं कि करीब 40 से ज्यादा सदस्यों ने स्थगन सूचनाएं दी हैं. माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर पढ़ा है. इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर बना है. अलग-अलग प्रकार की जानकारियां, वह कृषि उत्पादन से भी जुड़ी हुई हैं, कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाय, इससे भी जुड़ी हुई हैं और इस घटना से तो जुड़ी हुई हैं..

डॉ. गोविन्द सिंह - आनन्द मंत्रालय पर और बोल दो.

श्री गोपाल भार्गव - यह सारा का सारा आप यदि दिल से मंजूर कर लेंगे तो आपको आनन्द ही आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करने की समस्या है. अध्यक्ष महोदय, कुएं का, सड़कों का...

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) - आजकल गोविन्द सिंह जी को आनन्द आ कहां रहा है?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में बोल चुका हूं, फसल बीमा का 4660 करोड़ रुपया, पिछले साल ही किसानों के लिए दिया गया है. मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा. सीहोर जिले में कुल 26 करोड़ रुपया प्रीमियम का जमा हुआ था और बदले में 443 करोड़ रुपया सीहोर जिले के लिए बंटा है. विदिशा में 21 करोड़ रुपया प्रीमियम का जमा हुआ था, 310 करोड़ रुपया बंटा है. रायसेन में 18 करोड़ रुपया प्रीमियम में जमा हुआ था, 172 करोड़ रुपया बंटा है. सागर जिले में 16 करोड़ रुपया प्रीमियम का जमा हुआ था, 254 करोड़ रुपया बंटा है, बुन्देलखंड में बंटा है. मैं इसीलिए इन बातों को कह रहा हूं, जो माननीय श्री के.पी. सिंह साहब कह रहे थे. इसकी रेलिवेंसी है, इसकी सम्बद्धता है, इसका औचित्य है और इसीलिए भी है कि जहां आत्महत्या की बात आती है, जहां गोली चालन की बात आती है, जहां घटनाओं की बात आती है, वहां इन तथ्यों को भी देखना पड़ेगा कि हमने कृषि के क्षेत्र में क्या-क्या किया है. राहत राशि भी लगभग 4600 करोड़ रुपए हमने दी है. इसके बाद में आरबीसी 6 (4) में जितने संशोधन हुए, जितने सुधार हुए, और ज्यादा किया है कि यदि किसान की भैंस, बैल की मृत्यु हो जाय, वह बह जाय, दुर्घटना में, करंट में, सर्प के काटने से कुछ हो जाय, अभी तक तो आदमी के लिए नियम था, मुख्यमंत्री जी ने उसमें पशुओं तक में नियम कर दिया.

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह क्या रेलिवेंट नहीं है? रेलिवेंसी है, इस कारण से मैं इन बातों को कहना चाहता हूं. आरबीसी 6 (4) में लगातार सुधार हुआ है. गेहूं का उपार्जन 70 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, उन्हीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों से मंडियों में उपार्जन केन्दों पर आया, इसलिए इन बातों को कह रहा हूं. सॉइल हेल्थ कॉर्ड, घर जाकर

सॉइल हेल्थ कॉर्ड बनाने का काम हो रहा है, हमारा इसके लिए ग्रामोदय अभियान चला. सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही है कि अब हम खसरा, खतौनी की नकल एक-एक किसान के घर पर जाकर देंगे ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाईश प्रदेश में नहीं रहे. इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? (मेजों की थपथपाहट)...

अध्यक्ष महोदय, अनेकों बातें हैं, इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश एक शांति का टापू है और जब से हमारे यहां डाकू उन्मूलन हुआ है, मध्यप्रदेश में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है, जिससे इस प्रदेश के ऊपर कोई कलंक आए, इस प्रदेश के ऊपर कोई कालिख आए, इस प्रदेश के ऊपर कोई ऊंगली उठाए. यह प्रदेश हम सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, सभी का है. हम सभी मध्यप्रदेशवासी शान के साथ में यह कह सकते हैं कि हम कृषि उत्पादन के मामले में देश में अव्वल हैं और जब अव्वल हैं तो स्वाभाविक रूप से यह स्वतः सिद्ध है कि किसान भी सुखी होगा ही, क्योंकि यह कृषि उत्पादन कहां से बढ़ता है, किसान की समृद्धता से और जब किसान समृद्ध है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें पुलिस का प्रयोग करना पड़े, प्रशासन का प्रयोग करना पड़े, कोई अप्रिय स्थिति न आए और यदि लाई जाती है तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यही कहना चाहता हूं. बहुत लोग आ रहे हैं. मंदसौर के लिए आप तीर्थ मत बनाएं, यह अच्छी परंपरा नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इससे एक प्रदूषण का वातावरण भी बनता है. राहुल भैया भी वहां पर गये थे, आप भी गये थे. राहुल गांधी जी गये थे और नानी जी के यहां से जब से लौटे हैं तो नानी जी की कहानियां तो बड़ी शिक्षाप्रद होती थीं, पता नहीं नानी जी ने राहुल भैया को कैसी कहानी सुनाई होगी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यहां पर नानी याद आ जाएगी, हम नहीं बताना चाहते, इसलिए आप सब इसको नहीं करें. अध्यक्ष महोदय, जो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा(मुंगावली)-- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हर किसान का कर्जा माफ हो. भाजपा का कहना है **हर किसान का कर्जा माफ हो**. आपका केन्द्र का जो घोषणा पत्र है उसमें मोदी जी और आपने कहा है कि किसान की लागत से डेढ़ गुना पैसा आप उसको देंगे. मुख्यमंत्री जी तो कहते हुए नहीं थकते कि किसान की आय दुगुनी हो रही है. यह तो जब आप करेंगे, तब करेंगे लेकिन आप क्या स्थिति है यह बताइये.

अध्यक्ष महोदय, अभी गोपाल भार्गव जी ने बहुत उपलब्धियां बताईं. मुख्यमंत्री जी भी कृषि क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां गिनाएंगे और हम तो टीवी पर सुनते रहे हैं जो आप उपलब्धियां बताते हैं.

इन सब उपलब्धियों का और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है. किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है. किसान इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं. मेरा आपको सुझाव है खासतौर से मुख्यमंत्री जी को कि जब आप बोलें तो कम से कम यह बातें कहें जिससे किसान की लागत व्यय कम हो. आपने कहा है कि उत्पादन बहुत अधिक हुआ है लेकिन लागत व्यय कम हो. लागत व्यय बढ़ाने के लिए जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक इन सब बातों का उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं. कृषि क्षेत्र में आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है.

अध्यक्ष महोदय, पहला किसानों की कर्ज माफी. आपका वादा है. जब केन्द्र सरकार 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर सकती है तो आप अनशन पर इसलिए बैठते हैं कि 70 हजार करोड़ रुपये का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया है तो यह सरकार भी करे. लेकिन हमारे जेटली जी कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा. कर्जा माफ करना है तो अपने साधनों से करो. अपने साधनों से यदि उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते. आपको कर्जा माफ करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आप डीज़ल पर टैक्स खत्म क्यों नहीं कर सकते. किसान की लागत तभी कम होगी जब उसका टैक्टर चलेगा, उसके डीज़ल पंप चलेंगे. क्योंकि बिजली तो मिलती नहीं है. डीज़ल पंप से सिंचाई करनी पड़ती है. डीज़ल पर टैक्स आप भी कम करिए और केन्द्र सरकार से डीज़ल पर टैक्स कम करवाइये.

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मनरेगा की आप बात कर रहे थे. मनरेगा में 5 एकड़ या दो एकड़ वाले किसान को आप अपने खेत पर मजदूरी करने का पैसा दीजिए. अगर आप किसान की लागत कम करना चाहते हैं. इस पर आप गंभीरता से विचार करिए. किसानों को आप शिक्षा,चिकित्सा यात्रा-भत्ता यदि आप कर्मचारियों को देते हैं तो उनको भी दीजिए. उनके स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए. किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ है उसको आप प्राइस इंडेक्स से जोड़िए. यदि आप कर्मचारियों के वेतन को प्राइस इंडेक्स से जोड़ सकते हैं और उस सीमा में वृद्धि करते हैं तो किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको भी प्राइस इंडेक्स से जोड़िए.

अध्यक्ष महोदय, किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दीजिए. जो गरीब किसान हैं, उनकी बात कर रहा हूं, बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं. यदि लागत व्यय कम करना है तो आपको किसानों के बिजली बिल माफ करना चाहिए. क्योंकि बिजली के बिल का भारी बोझ किसानों पर है. मेरे अशोक नगर जिले में तो सैकड़ों किसानों को लंबे-चौड़े बिजली के बिल दे दिए जाते हैं और बिल नहीं चुकाने पर उनकी बिजली काट दी जाती. ट्रांसफार्मर, डीपी और तार खींच कर ले जाते

हैं. यदि इस चीज को आपने तत्काल बंद नहीं किया तो यह किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा. जब किसान समृद्ध हो जाए तो आप सारे टैक्स लगा दीजिए मैं नहीं कहता हूं लेकिन जब किसानों की यह हालत है, आत्महत्या कर रहे हैं तो यह काम आपको करना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, किसानों को आप साहूकारों से मुक्ति दिलाइये. आप उनको साहूकारों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ भी नहीं कर रहे हैं. किसान इसलिए भी आत्महत्या कर रहा है.गोली चालन में किसानों की जो हत्या मन्दसौर में हुई है उनके दोषियों को पहचान कर उनको आप सजा दीजिये. मन्दसौर का किसान इसलिये नाराज है कि आपने किसी को सजा नहीं दी है. हमारे गृह मंत्री जी ने जो बोला है उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने उनको कोई सजा दी है कि नहीं. आप यह कह सकते हैं कि न्यायिक आयोग बना है, आप यह कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोली चलाई लेकिन आप यह बताईये कि जिस किसान को मारपीट करके,हड्डियां तोड़ कर, खत्म कर दिया और उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं तो आप उस पुलिस वाले को जेल क्यों नहीं भेज सकते,एफ.आई.आर. उस पर दर्ज क्यों नहीं कर सकते. यह जब आप यह करेंगे तब जाकर किसान को मन्दसौर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी. यह झूठे लंबे-चौड़े बिजली के बिल देना बंद करिये. किसान बेचारों को बिजली मिल नहीं रही है, डी.पी. नहीं है उसके बाद भी उनको बिल दे रहे हैं तो यह किसान को आत्महत्या के लिये प्रेरित नहीं करेगा तो क्या करेगा. जहां तक मंदसौर का सवाल है मंदसौर में डोडा चूरा,पोस्ता और अफीम के नाम पर जो ब्लेकमेलिंग किसानों के साथ हो रही है उसकी कोई सीमा नहीं है. वहां के एक व्यक्ति भागीरथ धाकड़ जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे उनको कितना प्रताड़ित किया गया, कितने लाख रुपये उनसे मांगे गये, उनकी मोटर साईकल में अफीम रख कर उनको फंसा दिया. एक और तरीका यह है कि पुलिस वाले जानबूझकर लोगों के पास अफीम या कोकीन रख देते हैं फिर उस व्यक्ति से मारपीट कर कहते हैं कि बड़े-बड़े किसानों का नाम लो और फिर उन किसानों से वसूली शुरू हो जाती है. लाखों रुपये की वसूली मन्दसौर जिले में इस तरह से पुलिस और नारकोटिक्स विभाग कर रहा है. जिसको आपको रोकना चाहिये. जब तक आप यह उपाय नहीं अपनाएंगे तब तक कोई आपके प्रयासों का मतलब नहीं है. आप अशोक नगर आ जाईये देख लीजिये कि वहां 24 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं. आपने फीडर सेपरेशन किया है. उसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है. जरा-जरा से गड्ढे खोदकर खम्भे गाड़ दिये, थोड़ी हवा चली तो खम्भे उखड़ जाते हैं और बिजली चली जाती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके बिजली विभाग को आप ठीक कीजिये. सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सरकार जब दस

साल के लिये बिजली माफ कर सकती है तो आप ऐसे संकट के समय में किसानों के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दीजिये मेरा यह आपसे अनुरोध है.

यह सरकार किसानों के प्रति कितनी कृतघ्न,निर्दयी और स्वार्थी हो सकती है इसका उदाहरण है किसानों का शोषण,उनकी बेबसी और बर्बादी. उनको न पुलिस छोड़ती है न पटवारी छोड़ता है. राजस्व विभाग में नामांतरण की परेशानी है. आपका सिटीजन चार्टर तो फेल हुआ ही है. आपने कानून बनाया उसके बाद भी किसान को नामांतरण और सीमांकन के लिये कितना पैसा देना पड़ता है. आज कल तो पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये तक पटवारी मांगता है. पटवारी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्यों नहीं आप ऐसे पटवारियों को और पंचायत के मंत्रियों पर उनको पहचान कर कार्यवाही करते,उनको ब्लेक लिस्ट करिये और उनको लोकायुक्त से पकड़वाईये. ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा. आपने मन्दसौर में ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा. मैं एक उदाहरण देता हूं कि बैंकों ने अमीरों के सात लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिये और देश के वित्त मंत्री जी कहते हैं कि किसानों की मदद नहीं करेंगे. क्यों नहीं आप किसानों की मदद करते हैं. सत्तर हजार करोड़ रुपये कांग्रेस सरकार ने माफ किये थे तो आप क्यों नहीं माफ कर सकते. भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार कहती है कि आत्महत्या एक फैशन हो गया है. इससे बड़ी बेईज्जती किसान की क्या होगी. मंदसौर के किसानों को आप तस्कर बता रहे हो. इससे बड़ी किसानों की बेईज्जती क्या होगी. आप बताईये कि जो किसान मारे गये उनमें से कितने तस्कर हैं, बताईये जो घायल हुए उनमें से कितने तस्कर हैं. व्यापम में 50 के लगभग मौतें हुईं और आत्महत्या की मौतें भी 50 के लगभग. इनकी आपको कोई चिंता नहीं. न आपको व्यापम की मौतों की चिंता है न आत्महत्या करने वाले किसानों की चिंता है. आप इस मामले में किसी पर एफ.आई.आर नहीं कर रहे हैं, जेल नहीं भेज रहे हैं और व्यापम में जो हत्याएं और आत्महत्याएं हुई हैं, उनके बच्चों, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचिये कि उनकी क्या दुर्दशा है और उनको कितना दुख है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सख्ती से किसानों के आंदोलन को कुचला जाये. आपने पुलिस को प्रेरित किया है कि वह गोली चलाये. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं घनश्याम धाकड़ बड़बन का एक किसान है, उस घनश्याम धाकड़ को ले गये, दलौदा चौराहे पर पीटा, थाने ले गये और वह मर गया. इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं, गोपाल धनगर, मुकेश कुमावत और किशोर राठौर इन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आप क्यों नहीं लेते. जहां गोली चली वहां, मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई. लेकिन यहां कौन सी सेल्फ डिफेंस थी, निहत्थे किसान को जो मंदिर जा रहा था उसको मारपीट करके खत्म कर दिया और जब उसकी मृत्यु हो

गई तो उसको इंदौर भेज दिया. मृत्यु होने के बाद में इंदौर रेफर कर दिया और उसके पिता को मुख्यमंत्री जी भोपाल में बुलाते हैं और उससे कहलवाते हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिये. हमारी हिन्दू संस्कृति में जिसके यहां मृत्यु हो जाती है उसके घर पर जाकर श्रृद्धांजलि देते हैं उसको अपने घर पर बुलाकर श्रृद्धांजलि नहीं देते. आपने उनको यहां बुलाया इससे खराब बात और क्या हो सकती है. घनश्याम अपने पिताजी की एकमात्र संतान था, अभी-अभी उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी कहती है कि मैं पैसे का क्या करूंगी, मुझे या तो मेरा पति लाइये या आप उन लोगों को दंडित कीजिये जिन्होंने मेरे पति के हाथ-पैर तोड़े, मारा और बंद किया. यहां तो आपको कोई साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है.

इसी प्रकार मंदसौर में एक बबलू पाटीदार है, उसको गोली लगी और वह मर गया. मृत्यु के बाद में उसको उदयपुर रेफर कर दिया, जब लोगों ने देखा कि यह तो खत्म हो गया तो जबरदस्ती लास को पुलिस से वापस लिया. उसके पिता को भी आपने श्रृद्धांजलि देने के लिये भोपाल बुला लिया. अभिषेक 19 वर्ष का लड़का, उसको मारा. चेतराम पिता गणपतलाल को मारा और जो घायल हुये हैं वह सुरेन्द्र सिंह, मुरली, अमृत राय, रोड सिंह और इन सब लोगों को तभी शांति मिलेगी जब आप जिन लोगों ने इनको मारा-पीटा है उनको सजा देंगे. धन्यवाद.

श्री कैलाश चावला (मनासा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. हम सबको इस बात का दुख है कि इस उपद्रव में 6 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई. अध्यक्ष महोदय, जैसे तथ्य वहां के हैं, 1 तारीख से आंदोलन प्रारंभ हुआ, 3 तारीख तक आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था, 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में किसान संगठनों को बुलाया, उनसे चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना और उनको हल करने का पूरा प्रयास किया. उसी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्याज के भाव 8 रूपये किलो खरीदी की घोषणा की, दालों के भाव उन्होंने तय किये. उन्होंने एक हजार करोड़ रूपये मूल्य स्थरीकरण के लिये कोष बनाने की घोषणा भी की, साथ ही उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया कि और भी जो मांगे हैं उनका परीक्षण कराया जायेगा और किसान के हित में सरकार जो कुछ कर सकेगी वह करेगी. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर था, परंतु अचानक उस किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के लोग घुसे और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उपद्रवियों को उसमें घुसेड़ दिया और वह आंदोलन उग्र हो गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात केवल भाषण की नहीं है, सोशल मीडिया पर कई क्लिप ऐसे आये हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक यह कहते हुये दिखाये गये हैं कि थानों में आग लगा दो.

वाट्स-अप पर कई समाचार ऐसे आये हैं कि " पटरी उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी" बोले कि "आज जेबीसी नहीं थी, कल उखाड़ देंगे". अध्यक्ष जी, इस आंदोलन को उपद्रवी बनाने के लिये खासकर मंदसौर और नीमच जिले में जो लोग आगे आये थे वह आइडेंटीफाई लोग हैं. हमारे विधायक श्री जगदीश देवड़ा के सामने जो पराजित उम्मीदवार हैं उन्होंने पूरा रोल जनता को भड़काने का, लोगों को लाने का इसमें अदा किया है. मैं स्वयं 4 तारीख को जब मंदसौर से मनासा जा रहा था तब मैंने देखा कि 25-30 नो-जवान मोटर सायकिल लेकर के आ रहे थे और उन नो-जवानों के मुंह पर रूमाल बंधे हुये थे. मैं आप सब मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर वह किसान थे और किसानों की वाजिब मांगों के लिये आ रहे थे तो उनको मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के मित्रों ने सुनियोजित ढंग से इस आंदोलन को उपद्रव के रूप में बदलने की कोशिश की. मैं तो हैरान हूं कि इतनी बसें जलाई गईं, थानों में आग लगाई गई, व्यापारियों की दुकानों में आग लगाई गई उसके बाद भी कांग्रेस इस तरीके से उनका समर्थन कर रही है जैसे कि उन्होंने कोई कानूनी काम किया हो. क्या हम उपद्रव करने वालों को इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र भाई गोपाल भार्गव जी ठीक कह रहे थे कि आपका उद्देश्य उस क्षेत्र में डोडा-चूरा के तस्करी करने वालों को प्रोटेक्शन देना है . पूरे जिले में इस तरीके की आग वहां पर फैली हुई है. अध्यक्ष जी, मालवांचल का किसान बहुत सीधा है. मालवांचल का किसान आग नहीं लगा सकता, मालवांचल का किसान कभी सामने आकर के लट्ठ चला नहीं सकता परंतु यह करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने करवाया है . एक नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- अध्यक्ष महोदय, यह कुछ भी बोल रहे हैं. क्या यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया है.

श्री कैलाश चावला - जी हां. मेरा यही आरोप है.

अध्यक्ष महोदय- बैठ जायें.

श्री यादवेन्द्र सिंह - क्यों बैठ जायें. कुछ भी कहेंगे. कांग्रेस पार्टी ने गोली काण्ड के बाद में किसानों के हित में अपनी बात कही है.

श्री कैलाश चावला- मै नाम नहीं लेना चाहता आपकी महिला विधायक का, उनका वीडियो आया है जिसमें वे कह रही हैं कि थाने में आग लगा दो.

श्री यादवेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, यह जो चाहे वो कह सकते हैं, आपको यह कहने का अधिकार नहीं है. बेमतलब की बात कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं. जब किसानों को गोली मारी उसके बाद हम लोगों ने कहा है..

चौधरी चन्द्रभान सिंह -- कांग्रेस के विधायक कहते दिखे हैं कि थाने में आग लगा दो.सुनने में क्यों तकलीफ हो रही है.

अध्यक्ष महोदय- कृपया बैठें. चावला जी अपनी बात रखें.

श्री कैलाश चावला -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मनासा क्षेत्र की बात बताता हूं. मनासा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेन्द्र सिंह जी के खास चहेते हैं . उनका वीडियो क्लीप आया थानेदार को गाली बकते हुये, चलो चक्का जाम करें, लोगों को भड़काते हुये भाषण देने की क्लीपिंग आई. यह सब क्लीपिंग इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित रूप से किसानों के आंदोलन मे घुसकर के इस सरकार को और माननीय शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने की कोशिश की है.

अध्यक्ष महोदय, मेरे कांग्रेस के मित्र जो खतरनाक खेल, खेल रहे हैं इसमें आप सफल होने वाले नहीं हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जी केवल भोपाल में राज कर रहे हैं तो यह आपकी गलतफहमी है, शिवराज सिंह गांव के रहने वाले हर इस किसान के दिल पर राज कर रहा है जिसको आप भड़काना चाहते हैं.(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) आज भी गांव में जाईये एक नाम लीजिये कि शिवराज सिंह जी के बारे में आपका क्या कहना है तो गांव का किसान आज भी कहता है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, पर शिवराज सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री न हुआ है और न होगा.

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह किसानों के हमदर्द नहीं हैं. जैसा कि अभी कहा गया दिल्ली से कमलनाथ जी आये, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आये, अरूण यादव जी आये, राहुल भैया भी आये (एक माननीय सदस्य द्वारा बैठे बैठे यह कहने पर कि पप्पू भी आये ) (XXX) कहने की जरूरत नहीं है. शालीनता से अपन कह लें. पता नहीं कितने नेता आये, ढेर लग गया साहब.

डॉ.गोविंद सिंह -- अध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश चावला जी वरिष्ठ सदस्य हैं इनको भी मर्यादा में रहकर के सदन में अपनी बात रखनी चाहिये.

श्री कैलाश चावला-- मैंने नहीं कहा है.

अध्यक्ष महोदय- चावला जी ने तो मना किया है. उन्होंने कहा कि शालीनता से बात करें. उन्होंने यह भी कहा कि मत बोलें . डॉ. साहब आपको समझने में शायद गलतफहमी हुई है.

डॉ. गोविंद सिंह -- फिर मैं भी कह दूंगा कि चाहे कितनी भी (XXX) कर लो मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव - डॉक्टर साहब श्री चावला जी का यह कहना है..(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग - (XXX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - माननीय मंत्री जी आप बैठ जाईए यह बहस का विषय नहीं है. .(व्यवधान)

डॉ. गोविन्द सिंह - आप स्पष्ट कीजिए कि आपने (XXX) शब्द किसके लिये बोला है. .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - यह बहस का विषय नहीं है. .(व्यवधान)

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय,(XXX). .(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे ही लोगों को जानते हैं, (XXX) (हंसी)

अध्यक्ष महोदय - यह कार्यवाही से निकाल दें, जो इन्होंने कहा है. (व्यवधान)

श्री अजय सिंह - मैं जो करता रहा हूं उसका जवाब मैं दे चुका हूं और देता रहा हूं. विश्वास सारंग जी ने कहा कि (XXX). (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग - आप बताओ कौन है? आपको इसमें इतनी एलर्जी क्यों हो रही है(व्यवधान)..

श्री अजय सिंह - (XXX) आप बताएं आप किसका जिक्र करते हैं . (व्यवधान)...

श्री विश्वास सारंग - (XXX) (व्यवधान)

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ राजनीतिक पार्टी के उपाध्यक्ष्ा के बारे में इस तरह से कहेंगे तो क्या हम भी कुछ कह दें. माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप कृपा करके कह दीजिए कि यदि यह लोग राहुल गांधी जी को (XXX) कहेंगे तो हम भी नरेंद्र जी को क्या कहेंगे फिर आप सुन लीजिएगा . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा को बनाकर रखें और किसी भी वरिष्ठ राजनेता के लिये कोई मजाक वाले शब्द का उपयोग न करें. इस दौरान जो चर्चा हुई है उसको कार्यवाही से विलोपित करें. श्री कैलाश चावला जी आप बोलें. (व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया - यह मीडिया में भी बोलते है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - अब बात समाप्त हो गई है आप बैठ जाएं. मीडिया में आता होगा पर यह उचित नहीं है और मैं भी उसे उचित नहीं मानता हूं. इस तरह से बहस करने की आवश्यकता नहीं है. यह अनुचित है, आप बैठ जाएं. आप गलत बात पर बहस कर रहे हैं.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के इतने नेता इस आंदोलन में हमदर्दी बताने के लिये आए पर मैं सिर्फ कांग्रेस के मित्रों से एक सवाल करना चाहता हूं श्री महेन्द्र सिंह जी आपको स्मरण होगा और आप विशेष रूप से उसे जानते हैं आपका एक तरूण बहेती कार्यकर्ता है. वह आपके ग्रुप का आदमी है. वह भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में आया था. यह छ: महीने पुरानी बात है. नागदा के पास वापस लौटते समय उसकी कार में आग लग गई थी उसके साथ एक राहुल साहू नाम का एक नौजवान लड़का और था जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था. उस घटना में तरूण बहेती बच गया था वह सिर्फ घायल हुआ था परंतु राहुल साहू जिंदा उस कार में जल गया था. जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका पता चला तो उन्होंने दूसरे दिन राहुल साहू के परिवार को बिना भेद भाव के दो लाख रूपये की सहायता दी थी क्योंकि एक नौजवान लड़के की मृत्यु हुई है, उसके परिवार को सहायता दी जानी चाहिए. इस संबंध में किसी ने भी कहा हो, प्रशासन ने कहा हो, कांग्रेस के मित्रों ने कहा हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी मित्र ने कहा हो, परंतु मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए दो लाख रूपये की सहायता उसको दी थी. मैं यहां सवाल यह उठाना चाहता हूं कि जब इनका कार्यकर्ता मरता है तो राहुल गांधी जी नहीं आते हैं, तब अरूण यादव नहीं आते, तब कमलनाथ नहीं आते, तब ज्योतिरादित्य नहीं आते हैं.

श्री गोपाल भार्गव - श्री कैलाश जी यह तो सावन के महीने में मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर भी नहीं गये थे(हंसी)

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं है, इनका तो सिर्फ एक ही दर्द है 13 साल कुर्सी से बाहर, रात को नींद नहीं आती है, कुर्सी की याद सताती है. कैसे कुर्सी मिल जाए ?

श्री तरूण भनोत - आपको डॉ. गोविन्द सिंह जी की कुर्सी दिख रही है. (हंसी)

श्री कैलाश चावला - मुझे तो आप भी नजर आ रहे हैं तरूण भाई. आप अगली बार नजर आओगे कि नहीं, यह चिन्ता है.

श्री तरूण भनोत - आप तो 75 वर्ष वालों की चिन्ता करें. उसमें आपका भी नाम है.

श्री कैलाश चावला - अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हमको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मैं संतुष्ट हूँ. आप मेरी चिन्ता मत पालिए. मेरा निवेदन यह है कि आप कुर्सी के लिए क्या कर सकते हैं ? उपद्रव कराने का कांग्रेस का इतिहास रहा है. मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब स्वर्गीय ....(व्यवधान)

श्री तरुण भनोत - आप एक एकाध उदाहरण बताएं.

श्री कैलाश चावला - मैं बता रहा हूँ.

श्री तरुण भनोत - भारत को आजाद कराने का कांग्रेस का इतिहास है. कांग्रेस ने भारत को आजाद कराया है. (XXX)

......(व्यवधान).....

श्री कैलाश चावला - आप मेरी बात सुनिये. ....(व्यवधान)

श्री आशीष गोविन्द शर्मा - तरूण भाई, आपने कौन-सी किताब में पढ़ा है कि भारत को कांग्रेस ने आजाद कराया है. क्या आपने जबलपुर की किसी किताब में पढ़ा था ? ....(व्यवधान)

श्री तरुण भनोत - कांग्रेस का इतिहास भारत को आजाद कराने का है.

श्री दिलीप सिंह परिहार - तरूण भाई, जब आपकी माननीय इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो (XXX)....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - आप लोग बैठ जाएं.

श्री के.के.श्रीवास्तव - कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं था तब पूरा देश एक साथ था और एक झण्डे के नीचे था. ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - कृपया आप बैठ जाएं.

श्री रामनिवास रावत - आप यह विलोपित तो करा दें कि आप इसी में रहने देंगे.

अध्यक्ष महोदय - क्या ?

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, वे कह रहे हैं कि लूटते चले आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उपद्रव कराने का इतिहास है.

श्री प्रदीप अग्रवाल - आप उठा कर देख लें कि कितने घोटाले हैं ?

श्री रामनिवास रावत - फिर तो नाथूराम गोड़से कौन था ? आप लोग क्या करते रहे ?

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस इतिहास को बताऊँगा, मुझे मौका तो दें. आप मेरी बात सुन लें.

डॉ. गोविन्द सिंह - आपका (XXX) करने का इतिहास नहीं था. आप (XXX) कर रहे हो.

श्री कैलाश चावला - आप बैठिये और सुनिये.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाएं.

श्री रामनिवास रावत - आप सज्जन एवं सौम्य हैं. आप मंत्री बनने के लिए सौम्य भाषा का प्रयोग न करें.

श्री कैलाश चावला - मुझे उसकी चिन्ता नहीं है. मैं तो वैसे ही मंत्री हूँ. मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत भी नहीं है.

श्री के.पी.सिंह - मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एवं हमेशा शुभकामना देता हूँ कि आप किसी तरह वहां पहुँच जाएं. लेकिन मुख्यमंत्री जी उसके बाद भी कुछ कर नहीं रहे हैं, यह आपका दुर्भाग्य है.

श्री कैलाश चावला - मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है.

श्री अजय सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कैलाश चावला जी ने एक आपत्तिजनक बात कही कि कांग्रेस का इतिहास षड्यंत्र का, उपद्रव कराने का रहा है. उसी समय पीछे से किसी सदस्य ने और कुछ कह दिया. अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी तरह से बहस चल रही है, यह किसानों का मुद्दा है, उसमें चर्चा करें, किसका क्या इतिहास रहा है ? अगर इतिहास के पन्ने खोले जाएं तो गांधी जी के बारे में बात आएगी. माननीय इस तरह से हम लोग चर्चा न करें तो ज्यादा उचित रहेगा.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि आपने मेरी पूरी बात को सुनने का धैर्य नहीं रखा. मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ. जो कुछ इस देश में हुआ है, उसके आधार पर कह रहा हूँ. मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ. आपने जो उपद्रव किया है, उसका उदाहरण बता रहा हूँ.

श्री रामनिवास रावत - आप केवल एक बात बता दें कि बार-बार उपद्रव शब्द आ रहा है. क्या मन्दसौर, रतलाम और प्रदेश का किसान आन्दोलन एक उपद्रव था ? क्या भाजपा इसे उपद्रव मानती है ? आप इस बात का जवाब दे दें.

अध्यक्ष महोदय - आपका अवसर जल्दी ही आएगा.

श्री कैलाश चावला - अध्यक्ष महोदय, इनको समझाया जाये कि यह क्वेश्चन ऑवर नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - उपद्रव, यह पूरे प्रदेश के किसानों का अपमान है.

अध्यक्ष महोदय - इस सूची में नाम हैं. आप उनको बोलने दें, आप अपनी बात कहना, इसमें बीच में बहस करने से क्या फायदा है ?

श्री कैलाश चावला - श्री रामनिवास रावत जी सीनियर सदस्य हैं. क्या यह क्वेश्चन ऑवर है, जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं. आपने जो कहा है, वह हमने सुना है.

अध्यक्ष महोदय - आपको भी उत्तर का अवसर मिलेगा.

श्री कैलाश चावला - हम आपको बता रहे हैं कि यह उपद्रव है. यह उपद्रव के कारण ही हुआ है, मालवा का किसान नहीं कर सकता है. हम चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि मालवा का किसान शान्तिप्रिय है, उसको भ्रमित करने की कोशिश की गई है, उसको भड़काने की कोशिश की गई है, उस आन्दोलन में शामिल होकर उपद्रव किया है तो आपके लोगों ने किया है. हम यही तो यहां पर बहस कर रहे हैं. जो बात में कह रहा था कि कांग्रेस की आदत यही रही है. आप याद कीजिये कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी तो (XXX) और फिर जब उनसे पूछा गया. आप सुन लीजिये. .....(व्यवधान)

डॉ. गोविन्द सिंह - (XXX)

श्री कैलाश चावला - आपको धैर्य रखना पड़ेगा.

डॉ. गोविन्द सिंह - (XXX)

श्री कैलाश चावला - आपको सुनना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय - इसको विलोपित कर दें.

श्री अजय सिंह - गोधरा कांड के समय कौन मुख्यमंत्री था.

श्री कैलाश चावला - आप सुनिये तो.

अध्यक्ष्‍ा महोदय - चावला जी कृपया विषय पर बोलिए.

डॉ गोविन्द सिंह - (XXX)

श्री सुन्दरलाल तिवारी - अध्यक्ष महोदय, यह सुना रहे हैं, इनको यह बोल दीजिए कि सुनेंगे भी, सुनने की तैयार रहे.

अध्यक्ष महोदय - मैंने उनकी वह बात विलोपित करवा दी है

श्री के.के. श्रीवास्तव - अभी अध्याय खुलने दो, सबको लड़ने दो.

अध्यक्ष महोदय - श्रीवास्तव जी बैठ जाइए,.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दंगे हुए तो कांग्रेस के नेता से जब पूछा गया तो उनका जवाब था कि जब वटवृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है.

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने की क्षमता होनी चाहिए. चर्चा केवल स्थगन के विषय वस्तु तक रहे तो ज्यादा अच्छा है.

श्री के.पी.सिंह - भोपाल के दंगों के लिए कौन जवाबदार था, आपकी सरकार जवाबदार थी क्या.

श्री कैलाश चावला - आप बैठे तो इसका जवाब भी दूंगा.

श्री के. के. श्रीवास्तव - माननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहास को सुनना पड़ेगा, इतिहास तो पुराना ही होता है.

श्री के.पी. सिंह - अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक दिन फिक्स कर दो, कांग्रेस के बारे में और भाजपा के बारे में कि किसने क्या किया इस पर बहस हो जाए.

श्री के. के. श्रीवास्तव - हां उस पर भी बहस हो जाएगी. चर्चा कराई है तो चर्चा निकलेगी और दूर तलक जाएगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता - रावत जी, क्या व्यापम स्थगन का विषय वस्तु है, आपका मौका आएगा तब बोल लेना.

श्री रामनिवास रावत - माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, प्रदेश के किसानों का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने गोधरा दंगों की बात की, अगर गुजरात का इतिहास देखें तो, आपने नाम लिया है गोधरा का आपको सुनना पड़ेगा, आपने गोधरा का नाम लिया है तो जवाब सुनना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय - यह विषय नहीं है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्थगन की विषय वस्तु को विषयांतर न करें, मेरा निवेदन है.

अध्यक्ष महोदय - उनकी बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं है.

श्री कैलाश चावला - मेरा निवेदन है कि विधान सभा में भाषण कम होता है, बहस ज्यादा होती है. अगर बहस में कोई बिन्दु विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है तो क्या हम उसका जवाब नहीं देंगे, हमको जवाब देने का अधिकार है, जरा गुजरात का इतिहास देखिए जब तक मोदी की सरकार नहीं आई थी गुजरात दंगों से पीड़ित रहता था, हर रोज गुजरात में दंगे होती थे, अब देखिए जब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गुजरात में दंगे बंद हो गए हैं (मेजों की थपथपाहट) यह हमारी सरकार है.

श्री के.पी. सिह - (बैठे बैठे) गोधरा दंगे के समय किसकी सरकार थी और उसका जवाबदार कौन था.

श्री कैलाश चावला - मेरा कहना है कि वहां सरकार हमारी थी और उसको रोका हमने, उसके बाद कोर्ट में फैसले भी हो गया, जवाब आ गया, आप कोर्ट में विश्वास नहीं रखते तो यह आपकी इच्छा है.

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया समाप्त करें.

श्री कैलाश चावला - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंदसौर का जो भी कार्यक्रम कांग्रेस के लोगों ने किया है इससे इनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किसानों के लिए किया है, उतना काम आज तक नहीं किया गया है. मुझे आश्चर्य होता है, कांग्रेस के जमाने में तो बिजली गोल रहती थी, आप कैसे स्थगन लेकर आ रहे हो, आप हिसाब रखिए, आप मान लो कि बात सही है तो मैं बैठ जाता हूं.

श्री कैलाश चावला--अध्यक्ष महोदय, दो बातें कहना चाहता हूं कि हमारी बिजली सही आ गई है. प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है. मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस मध्यप्रदेश में जो षड़यंत्र करना चाह रही है. कांग्रेस की तो इतनी दुर्गत है कि अभी हार्दिक जी पटेल आये थे. तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिये पहुंचे. मतलब यह है कि ऑल इंडिया पार्टी की हालत क्या है. ऑल इंडिया पार्टी के अध्यक्ष उनके गले में जाकर के हार डाल रहे हैं. तुम्हारी कांग्रेस की क्या स्थिति है उसको देख तो लो. कभी ज्योतिराधित्य का नाम आ रहा है, तो कभी कमलनाथ जी का नाम आ रहा है, कभी किसी और का नाम आ रहा है. मुंगेरीलाल के सपने देख लो. इस बार फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं.

श्री जितू पटवारी(राऊ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय चावला जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ बातें कहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगली बार भी बनेंगे. लोकतंत्र में चुनाव होते हैं एक जीतता है, एक हारता है. एक सत्ता में रहकर जिम्मेवारी का निर्वहन करता है. एक विपक्ष की अपनी भूमिका निभाता है. हम विपक्ष में रहकर अपनी बातें कहें. सरकार को समय समय पर इस बात के लिये कहें और उनकी ध्यान में बातें लायें कि किस तरह का असंतोष जनता में है. क्या आपकी नीतियां खराब हैं, आपकी क्या बातें खराब हैं, आपने जो निर्णय लिये उस पर जनता पर क्या असर हो रहा है. इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी का दायित्व भी है और धर्म भी है. मैं पिछले साढ़े तीन साल से विधायक बना. कई बार मैंने बहस में भाग लिया. आज इससे पहले जब भी मैं बात करता था तो राजनीतिक भाव मेरे मन में इस बात के रहते थे कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. आज बड़े भारी मन से इस बात को लेकर के दुःखी भी हूं और बहुत दर्द भी है. मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा करवाई पर दुःख इस बात का है कि जिस तरीके से चर्चा यहां पर हो रही है. बात किस विषय की है और हम सब किस विषय की ओर ले जा रहे हैं. क्या मुझे यह बतायें कि जिस तरह से मध्यप्रदेश के किसानों में असंतोष हुआ. गृहमंत्री जी के 2-3 बार बयान आये हैं उस दरमियान मुख्यमंत्री जी के भी बयान आये हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भी बयान आये हैं. अभी चावला जी ने भी कहा और गोपाल भार्गव जी ने भी कहा कि 3 तारीख तक किसानों का आंदोलन था, 4 तारीख को भी किसानों का आंदोलन रहा. 5 तारीख और 6 तारीख को उसमें असामाजिक तत्व चले गये. गोपाल भार्गव जी ने कहा कि जो डोडा चूरा के तस्कर थे वह इसके पीछे आ गये. सवाल यह है कि आप यह स्पष्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें कांग्रेसी आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, तस्कर आंदोलन कर रहे थे.

श्री कैलाश चावला--आपका वीडियो क्या कह रहा है.

अध्यक्ष महोदय--कृपया बैठ जाएं पटवारी जी को बोलने दें.

श्री जितू पटवारी--अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां पर सार्थक चर्चा है. मैं 10-15 मिनट बोलूंगा मुख्यमंत्री जी एक घंटा बोलेंगे. जितनी भी बातें करनी हैं दोनों की बातें होंगी. मेरा अनुरोध है कि सबकी बातें सुनें. मेरी बुराई करो, मेरे वीडियो की बात करो. मैं गलत हूं, मेरे में कोई कमी है, मैंने कोई गलती की है. तो सरकार आपकी है उसकी एफ.आई.आर होनी चाहिये मुझे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिये. मेरे को आपने क्यों छोड़ रखा है. मेरी गलती कोई और उस पर एवीडेंस कोई और. मैंने वक्तव्य दिया था. उसको फिर से दोहरा रहा हूं कि एक

भी वक्तव्य ऐसा जो हिंसा में किसान आंदोलन में निगेटिविटी बताता हो, जिसमें जितु पटवारी का जुड़ाव हो, या मेरे परिवार का जुड़ाव हो, मैं उसी वक्त विधायक पद से त्याग-पत्र दे दूंगा. मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सदन की प्रापर्टी है, आपकी नैतिकता है. एक जिले का एस.पी. आपने उनको इसलिये हटाया कि उसकी जिम्मेवारी थी कि उसने कानून व्यवस्था नहीं संभाली. कलेक्टर को हटाया तो प्रदेश की जिम्मेवारी आपकी थी, गृहमंत्री की थी. आप अपनी पार्टी में इस्तीफा दे देते कि 6 लोगों की हत्या हुई. मैं निसाह्य होकर के बैठा रहा. फिर भी दोष कांग्रेस को देते हो, फिर भी गलती कांग्रेस की है. इस तरह से बात करना, अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के लिये हानिकारक है.

श्री भूपेन्द्र सिंह:- क्यों दिग्विजय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, आप लोगों ने 24 लोगों को मारा था, जलियावालाँ कांड किया था. बैतुल के मुल्ताई में 24 लोगों को भून दिया था. जलियावालाँ कांड हुआ था. तब क्या आपने दिग्विजय सिंह से इस्तीफा लिया था. उस समय आप कहां गये थे. तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि फर्जी एनकाउंटर. (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी :- अध्यक्ष जी, आप मुझे बता देना कि मुझे कब से बोलना शुरू करना है.

अध्यक्ष महोदय:- नहीं, आपका बोलना शुरू हो गया है.

श्री जितू पटवारी :-सवाल है, मुख्यमंत्री जी का और सरकार का. जैसा कि अभी गोपाल भार्गव जी ने कहा कि चर्चा में सार्थकता होनी चाहिये. राजनीति में एक आयेगा, एक जायेगा, परन्तु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग व्यवहार करते हैं, यह लोकतांत्रिक नहीं है, यह अव्यवहारिक है, अमर्यादित है. (व्यवधान) आप मुझे यह बतायें कि मुख्यमंत्री जी ने.... (व्यवधान) यह कांग्रेस करती है, यह गोपाल भार्गव जी ने कहा. मेरा सवाल गोपाल भार्गव जी से सवाल है और मुख्यमंत्री जी जवाब दें. एक चैन सिंह पाटीदार जो 12 वीं क्लास का छात्र था (व्यवधान) यह चिल्लायें नहीं, बोलें नहीं, आंदोलन न करें यह कैसे हो सकता है.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल:- जितू भैया, आप बात करते हो, एक भी एवीडेंस की आप बात करते हो....

अध्यक्ष महोदय :- मनोज पटेल जी आप उनको बोलने दें.

श्री जितू पटवारी :- आप यह बताओ कि 25 साल का नौजवान, जिसने सपने संजोए और मुख्यमंत्री पर भरोसा किया, इन्होंने कहा कि आप खेती करो, खेती को मैं लाभ का धंधा बनाऊंगा. वह पढ़ा लिखा नौजवान दिन रात दौड़ता रहा. तीन साल से उसके घर में अन्न के दाने खुड़ गये, उसके बाद भी सड़क पर नहीं आया, चिल्लाया नहीं, आपका ध्यान नहीं जाये, आप देखो नहीं कि

किसानों के हालात क्या है. आपके पास एक रटी-रटायी किताब थी कि हम जीरो प्रतिशत करते हैं. आप नब्बे हजार रूपये ले आओ और एक लाख रूपये ले जाओ. हमारी सौ योजना है. उसमें कृषि का रकबा, उसमें खेती का रकबा, उसमें सिंचाई का रकबा सब बढ़ा परन्तु हालात क्या है. यह मुख्यमंत्री जी को समझने की आवश्यकता है. अध्यक्ष जी,यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं.

एक अभिषेक पाटीदार, जिसकी अभी एक-दो महीने पहले शादी हुई. उसकी पत्नी घर पर बैठी है, उसकी आपकी पुलिस ने हत्या कर दी है और आप उपवास पर बैठे हो, उसको देखने तक नहीं गये. आप कांग्रेस को और राहुल गांधी को गाली देते हो. राहुल गांधी क्यों गये, उनका क्या था.

श्री रणजीत सिंह गुणवान :- यह उपद्रव आपने ही मचाया है नहीं तो यह उपद्रव नहीं होता. यह कांग्रेस की ही करतूत है, यह सब कांग्रेस ने ही करवाया है, उसमें आप सब शामिल थे. आप सब मोटर सायकिल दौड़ा-दौड़ाकर के गये थे.

अध्यक्ष महोदय :- गुणवान जी, आप बैठ जायें.

श्री जितू पटवारी :- अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप व्यवस्था बनाने की कृपा करें. क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को बाद में सुनना है.

श्री रणजीत सिंह गुणवान :- आप सही-सही बोलेंगे तो सुनेंगे. आप खेत-खेत मोटर सायकिल ले जाते रहे, ऐसे बोलोगे तो कौन सुनेगा. सही तरीके से बताओ.

श्री जितू पटवारी:- अध्यक्ष जी, मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे आप क्रिटीसाइज करो, गाली दो यह आपका अधिकार है.आप मुझमें दस तरह की बुराई ढूढो यह आपका अधिकार है. आपको राहुल गांधी जी की भी मजाक उड़ाना है, शौक से उड़ाओ. कोई बात नहीं है, आपका अधिकार है. आप मेरे को यह बतायें कि राहुल गांधी की मजाक उड़ाने से यदि उन किसानों का भला हो सकता है...

अध्यक्ष महोदय :- आप विषय पर आयें, बार-बार उस विषय को क्यों उठाते हैं.

श्री जितू पटवारी :- अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसी आप मुझे नसीहत देते हो, वैसी नसीहत दोनों तरफ हो तो मेहरबानी होगी.

अध्यक्ष महोदय :- नसीहत उनको भी देते हैं.

श्री जितू पटवारी :- मेरा एक सवाल मुख्यमंत्री जी से है, वह उसका उत्तर दें. आपने एक बाप ने, अखबारों की हेड लाईन बनी कि मेरे बेटों की आपकी पुलिस ने हत्या कर दी हो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी आप मेरे आंसुओं से आपका उपवास तोड़ो, मांगीलाल जी मंदसौर से यहां पर

आये, वह एक गांव में थे, वहां पर एक बच्चे की हत्या हो गयी और तीसरा हुआ नहीं और 9 तारीख को उनको अपने आप सपना आया कि मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठे हैं. मांगीलाल जी गांव से पहले मंदसौर आए, वहां से ट्रेन से भोपाल आए, भोपाल की गलियों में भटकते रहे और अंत में मुख्यमंत्री जी जहां उपवास पर बैठे थे वहां गए और उनकी आंखों से आंसू टप-टप गिरने लगे. मुख्यमंत्री जी पास आए तो वे उनके गले लग गए और उन्हें आंसूओं से धो दिया, विलाप किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी आप अपना उपवास तोड़ दे. आपने मेरे बेटे की हत्या कर दी तो कर दी. मुख्यमंत्री जी कृपा करके ऐसी ओछी राजनीति न करें, दया करें, कृपा करें.

अध्यक्ष महोदय, श्री कालूखेड़ा जी ने कन्हैयालाल पाटीदार और घनश्याम पाटीदार का जिक्र किया. एक व्यक्ति की मार-मारकर हत्या कर दी गई. उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जब बारी आई तो उसके परिवार से चर्चा की गई कि वह कैसे मरा. लाठियों से मरा, इस बात की जांच होगी. आपने जांच आयोग भी बनाया. जांच आयोग 3 माह में अपनी रिपोर्ट देगा. न्यायिक आयोग ने सचिव मांगा है. डेढ़ महीना हो गया है, आयोग को सचिव नहीं मिला है और 3 महीने में आयोग को जांच करके रिपोर्ट देनी है. यह किस तरह का न्याय आयोग है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस को गाली देकर, उसकी आलोचना कर, उस पर दोष क्यों मढ़ा जा रहा है. अभी कुछ साथियों ने कहा कि इस पूरे षडयंत्र के पीछे जितू पटवारी है. मैंने अनुरोध किया था कि किसानों को यहां कौन लेकर आया था ? अभी डोडा-चूरा के तस्करों की बात हुई. चावला जी और भार्गव जी दोनों ने तस्करों की बात उठाई. आप ध्यान से सुनें. यह बात रिकॉर्ड में आ रही है. मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो और वीडियो सभी चैनलों के पास है. किसानों को कमल राणा लेकर आया था. चारों परिवार, जिनके लोग मरे थे, उनको कमल राणा यहां लेकर आया था. चावला जी जानते होंगे, मंदसौर के नेतागण भी जानते ही होंगे. डोडा-चूरा का तस्कर गुणवंत पाटीदार, मंदसौर जिला पंचायत में क्या है, किस पार्टी से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय, वह एक निगरानीशुदा बदमाश है. हर महीने उसे थाने में हाजिरी भरनी पड़ती है और वह किसानों को लेकर आया था, उसके साथ फोटो है और आप कहते हैं कि कांग्रेसी दोषी हैं. आप अपने गिरेबान में झांके और देखें कि किस तरह से प्रदेश में किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है. किसान कितना परेशान और दुखी है. रोज अपनी ही आंखों के आंसू पीकर सोता है. आप भी किसान हैं. एक-एक किसान परिवार अपने घर का हिसाब लगाये कि खेती के धंधे में कितना बचा है ?

श्री वैलसिंह भूरिया- जितू जी, क्या आपने युवक कांग्रेस के लोगों को दंगा करने के लिए नहीं भेजा था ?

....(व्यवधान)....

श्री जितू पटवारी- अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी के यहां 1 करोड़ के आम होते होंगे. मुख्यमंत्री जी 8-9 लाख रूपये प्रति एकड़ कमाते होंगे. मेरे पिताजी भी खेती करते हैं. परसों दैनिक भास्कर में अंतिम पेज पर खबर आई थी कि चीन में आलू का बम्पर उत्पादन हुआ है. पिताजी ने कहा कि हमारे आलू भी कोल्ड-स्टोरेज में रखे हैं. 3 रूपये किलो आलू बिक रहे हैं. इस साल ढाई-तीन रूपये किलो की दर से कोल्ड-स्टोरेज का भाड़ा है. हमारी लागत तो पूरी चली गई. मुख्यमंत्री जी, आपने किसानों का प्याज खरीदा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं. आपने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए धन्यवाद, परंतु इस प्रदेश में कोल्ड-स्टोरेज में 2 करोड़ आलू के कट्टे रखे हुए हैं. 2 महीने में नए आलू खेतों में लग जायेंगे. आलू इस बार कोल्ड-स्टोरेज में ही सड़ जायेंगे. आप यदि आलू की भी खरीदी करेंगे तो आप किसानों के हितैषी दिखेंगे. मेरी मांग है कि किसानों की हत्या को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए.

....(व्यवधान)....

श्री दिलीप सिंह परिहार- जितू भइया का आलू भी कोल्ड-स्टोरेज में पड़ा है.

श्री जितू पटवारी- अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और आपत्ति है कि मुख्यमंत्री जी ने कल इस सदन में श्रद्धांजलि स्वरूप उन मृतक व्यक्तियों के लिए जो मंदसौर की घटना में मरे थे, उनके लिए व्यक्ति शब्द का उपयोग किया था, वे व्यक्ति नहीं किसान परिवार के शहीद थे. इसका सुधार होना चाहिए.

....(व्यवधान)....

श्री दिलीप सिंह शेखावत- जितू भाई, आपके आलू के कितने कट्टे पड़े हैं ?

श्री जितू पटवारी- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कर्जे का जो प्रश्न है, यदि उत्तरप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण कर्ज माफी कर सकती है, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज माफी कर सकती है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, पिछले 14 सालों में 18000 किसानों ने फांसी का फंदा चूम लिया, हम उनकी क्यों नहीं कर्ज माफी कर सकते हैं ?

....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र मेश्राम- जितू भाई, आप अपने समय का रिकॉर्ड देख लीजिये.

श्री जितू पटवारी- अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे. ये कुर्सी से चिपके रहेंगे परंतु आप कम से कम वाह-वाही तो बटोर लें. आप पूर्ण कर्ज माफी करें, किसानों का भला करें. इस जन्म में न सही, अगले जन्म में किसान आपको दुआ देंगे, साधुवाद करेंगे. इसी भाव के साथ कि मेरी बातों में दुर्भावना कम और वास्तविकता ज्यादा थी. गाली देना है मुझे दे लेना पर मन में विश्वास रखना कि मैंने गलत कहा कि सही यह भरोसा करके बात कहना. मैं परिवार के सब साथियों से अनुरोध करता हूं कि जब किसान का मुद्दा आए तो एकजुटता से उसकी मदद करने की कोशिश करो. मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर मैं कहीं दोषी हूं तो सरकार आपकी है.

**4.05 बजे** **अध्यक्षीय घोषणा**

नियम (58) के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यत: दो घंटे में पूर्ण होती है. इस स्थगन पर दो घंटे चर्चा हो चुकी है परंतु विषय के महत्व की दृष्टि से इस पर चर्चा के समय में सदन की सहमति से वृद्धि की जाती है. इस चर्चा में बोलने वाले दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है. प्रकरण के मुख्यत: बिंदु चर्चा में आ चुके हैं पुनरावृत्ति भी हो रही है. अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें जिससे आज चर्चा पूर्ण हो सके.

**4.06 बजे** **स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)**

प्रदेश के आंदोलनरत किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोली चालन होना

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्व की बात है.

अध्यक्ष महोदय-- हो गई महत्व की बात आप एक मिनट में समाप्त कर दीजिए.

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपवास के दौरान कई घोषणाएं की, कई काम निपटाए, कई किसानों के संगठनों से मिले, कई बैठकें भी हुईं. उपवास किया पर काम बंद नहीं किया, प्रदेश का विकास बाधित नहीं हुआ. सब बैठे हुए हैं. ए.सी. में बैठे हैं या कहां बैठे हैं इस छोटेपन पर मैं नहीं जाना चाहता हूं पर मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कल मेरा प्रश्न था जिसमें मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या-क्या घोषणाएं कीं, उस दौरान बैठकों में क्या निर्णय लिए किस-किस प्रकार के किसानों के प्रतिनिधि मंडलों से मिले तो जो उत्तर

आया उसमें कहा गया है कि जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि यह आपसे संबंधित विषय है सब विषय पर जानकारी एकत्रित की जा जाती है तो आप कैसे स्थगन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसके महत्व को बना सकते हैं. सरकार जब बचती है तो उसमें आपका संरक्षण चाहिए. आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है. मंदसौर की घटनाओं को लेकर उसकी न्यायिक जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने कर दिए हैं. उस पर मुझे कुछ ज्यादा बातें नहीं कहना है परंतु पूरा घटनाक्रम किसानों से जुड़ा हुआ है. मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं स्वयं भी एक खेती करने वाला कृषक हूं. जिस प्रकार नर्मदा देवी की परिक्रमा हुई इसी प्रकार मां क्षिप्रा की परिक्रमा हम लोगों ने उज्जैन में की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके समापन के लिए... (व्यवधान)

श्री तरुण भनोत-- एक वीडियो इनका भी देखा था.

श्री बहादुर सिंह चौहान- हमारा कोई वीडियो नहीं है. हम हर जांच के लिए तैयार हैं. आप चाहे कुछ भी कहें कि किसान लालची है. यह सब फालतू बातें हैं आप बैठ जाइए.

श्री तरुण भनोत-- एक वीडियो इनका भी देखा था. बहुत गर्रा गए किसान.

श्री बहादुर सिंह चौहान- कुछ भी नहीं है. आप बैठिए. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए. (व्यवधान) मेरे वीडियो की बात सुन लो मेरे वीडियो की मैं बता रहा हूं मेरा वीडियो किसी कमरे का नहीं है, किसी बंद कमरे का नहीं है.

श्री तरुण भनोत-- लोगों ने देखा था टी.व्ही. पर आया था.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- अध्यक्ष महोदय, उस उज्जैन क्षिप्रा यात्रा के समापन के लिए उज्जैन जिले के विधायकों ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बुलाया था और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जून को उज्जैन पधारे थे लेकिन हमारी यात्रा विलंब से हुई. मुख्यमंत्री जी ने किसान संघ के नेताओं से और किसान से जुड़े हुए समस्त संगठनों से सर्किट हाऊस में लगभग तीन से चार घंटे लगातार बातचीत की और उसके बाद चूंकि तीन चार किलोमीटर पैदल चलना था. रामघाट पर मां क्षिप्रा यात्रा का समापन था और उस मंच पर मैं भी था. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं 4 तारीख को किसानों के लिए कीं और उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों का प्याज आठ रुपए किलो में खरीदा जाएगा. वहां पर कई तरह की घोषणाएं कीं उसके बाद आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं थी. माननीय अध्यक्ष जी बाद के घटनाक्रम पर काफी चर्चा हो गई है लेकिन मैं एक बात कांग्रेसी मित्रों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में मैं

विधायक बनकर आया था. उस समय मध्यप्रदेश का सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर था. 50 सालों में साढ़े सात लाख हेक्टेयर और इन 13-14 वर्षों में 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है शिवराज जी की सरकार ने कर दिया है. मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 2900 मेगावॉट बिजली थी और आज मध्यप्रदेश में 17000 मेगावॉट से अधिक बिजली है. वर्ष 2003 में जब किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा से, अतिवृष्टि से ओलावृष्टि से, पाला पड़ने से, इल्ली से खराब हो जाती थी तो उस समय आपदा राशि कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 200 करोड़ रुपए दी गई थी. मैं सदन में कहना चाहता हूँ उस मुआवजे की तुलना में सिर्फ वर्ष 2016-17 में 18,444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन 50 सालों में 200 करोड़ रुपए और एक ही साल में 18,444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 में किसानों को बैंकों से सिर्फ 1300 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था. आज मध्यप्रदेश के किसानों को भिन्न-भिन्न सहकारी बैंकों के द्वारा जो 4523 सहकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा 17000 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया है. उस समय ब्याज की दर 16 से 18 प्रतिशत हुआ करती थी और आज ब्याज की दर शून्य प्रतिशत है.

4.12 बजे (उपाध्यक्ष महोदय {डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह} पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि खाद, बीज, दवाई के लिए आप ऋण लेते हैं तो उसमें आपको 1 लाख रुपए पर मात्र 90,000 रुपए देना है इसमें 10,000 रुपए सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीन बार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस सत्ता के लिए ऐसी हो गई है जिस प्रकार से मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है. मंदसौर मेरे क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है. मध्यप्रदेश में किसान चंबल में कैसा होगा, बुंदेलखंड में कैसा होगा लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मालवा का किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता है. मालव माटी गहन गंभीर डग-डग रोटी, पग-पग नीर. मेरा आपसे आग्रह है महांकाल की नगरी उज्जैन में आप सब लोग वर्ष 2016 में सिंहस्थ में स्नान करने के लिए आए होंगे. मां नर्मदा का पानी क्षिप्रा में लाकर मिला दिया गया है. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस योजना को असंभव कह दिया था कि नर्मदा का पानी कभी क्षिप्रा में नहीं लाया जा सकता है लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा का पानी क्षिप्रा में लाकर सिंहस्थ महापर्व करवाया. पूरे हिन्दुस्तान में उसकी वाहवाही हुई है. सिंहस्थ के प्रभारी गृहमंत्री के नेतृत्व में पूरा सिंहस्थ हुआ. आप सब लोग पधारे होंगे. यह आपकी डिक्शनरी में तो असंभव था लेकिन उसको संभव करने वाले शिवराज सिंह

जी हैं. मुझे मंदसौर के विषय में जानकारी है. चूंकि उस घटना के न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं इसलिये कुछ बातें हम सदन में नहीं बोल सकते हैं.

श्री निशंक कुमार जैन--बहादुर भाई आप कुछ भी कर लो मंत्री नहीं बन रहे हो.

श्री बहादुर सिंह चौहान--बैठ जाइए आप. मैं कहना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख को सब घोषणाएं हो गईं तो इस आन्दोलन के पीछे जो षडयंत्रकारी लोग थे वे 4 तारीख की शाम को घबरा गए कि मुख्यमंत्री ने सब घोषणाएं कर दी अब हम अशांति कैसे फैलाएं. फिर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से रतलाम के व्यक्तियों ने 5 तारीख को मंदसौर में जाकर बैठकें लीं . उपाध्यक्ष महोदय, किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता है इन्होंने उन किसानों को उकसा कर अशांति फैलाने की कोशिश की इसके पीछे कौन लोग हैं.

श्री वेल सिंह भूरिया--युवक कांग्रेस के लोगों ने गाड़ियों में आग लगवाई है.

श्री बहादुर सिंह चौहान--उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ देवास से भोपाल के रास्ते पर 14 वाल्वो बसें, बागली का थाना, हाटपिपल्या का थाना यह जलाने वाले कौन लोग हैं. वीडियो क्लिपिंग उठा लो. उसके पीछे कौन लोग हैं. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चूँकि जाँच का आदेश हो चुका है. जाँच का पूरा निष्कर्ष आने वाला है. उस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं, वह सब चीजें इस पटल पर आने वाली हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तथा षड्यंत्रकारी वह उपद्रव फैलाने वाले, अशांति फैलाने वाले, आग लगाने वाले, कोई भी लोग उसमें बचने वाले नहीं हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार काँग्रेस यह चाह रही है कि मालवा की तरह पूरे मध्यप्रदेश में उपद्रव और अशांति फैला कर काँग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाया जाए, काँग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचा है, काँग्रेस के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, ऐसी कोशिश इस मंदसौर की घटना को लेकर काँग्रेस के लोग कर रहे हैं. जबकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप खुद किसान हों, इन लाशों पर राजनीति करने का हक नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं, यहाँ तक कि मालवा को जो शान्त मालवा है, उसको अशान्त करने का काम किया है तो काँग्रेस के नेताओं ने किया है, यह मेरा इस सदन के अन्दर आरोप है. आप कुल मिला कर पूरे मालवा को अशान्त करना चाहते थे. पूरे मालवा में अशान्ति कैसे हो और पूरे प्रदेश में अशान्ति होकर कैसे दंगे भड़कें, उसका लाभ काँग्रेस लेना चाहती थी और दंगे के पीछे काँग्रेस का हाथ है, यह जाँच के बाद स्पष्ट हो जाएगा और काँग्रेस के कौन कौन नेता हैं, यह भी सिद्ध हो जाएगा. मैं कहना चाहता हूँ कि--

"जाको दारूण दुःख देही, ताकी मति पहले हर लई."

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो किया है, मालवा में एक कहावत है कि जो खड्डा खोदेगा, वही गिरेगा. उस दंगे में यदि आपका हाथ है तो 2018 आने वाला है, जितनी सीटें हैं, यह भी तुमको मिलने वाली नहीं है. पुनः शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह जी चौहान इस मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे. (मेजों की थपथपाहट) यह मैं काँग्रेस के बन्धुओं से कहना चाहता हूँ. बन्धुओं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सत्ता हथियाना चाहते हों, आज पूरे मालवा के किसान समझ चुके हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने एक किसान सन्देश यात्रा कार्यक्रम दिया, 26 जून से लगाकर 6 जुलाई तक हमने किसान सन्देश यात्रा निकाली. मेरे विधान सभा क्षेत्र में 244 गाँव हैं. उसमें से लगभग मैं 25-30 परसेंट स्थानों पर गया. उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्थान पर किसानों का कोई भी आक्रोश नहीं आया. भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, शिवराज सिंह जी की सरकार से, पूरे किसान संतुष्ट हैं और वे जानते हैं. हम जब गाँव में गए, उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी, हम जानते हैं कि यह जो दंगा हुआ है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इसमें काँग्रेस का हाथ है, यह किसान ने गाँव में खड़े होकर बोला, चौपालों पर बोला. जब हमने चौपालें लीं, उस स्थान पर बोला. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि....

उपाध्यक्ष महोदय-- बहादुर सिंह जी, अब आप समाप्त करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अभी कुछ काँग्रेस के नेता यहाँ पर यह सुन लें, ये अपराध क्रमांक सुन लें और हमारे पर अपराध हो तो निकाल लें. मैं कहना चाहता हूँ कि अपराध क्रमांक 321/17 धारा 307, 335, 353, 332, 147, 148, 149 दिनाँक 3.6.17, थाना राजेन्द्र नगर इन्दौर में जो है नाना पटवारी आदि के खिलाफ दर्ज किया गया. आप उठाकर देख लें कौन लोग हैं. अपराध क्रमांक 314/17 यह भी इन्दौर में 3.6 को प्रकरण दर्ज किया गया है. यह किसके खिलाफ अपराध है, यह अपराधी कौन है, मैंने अपराध क्रमांक बता दिया, थाने का नाम बता दिया, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये सब लोग आपके ही मित्र हैं, आपके ही लोग हैं, ये दंगा भड़काना चाहते थे. ये इन्दौर जैसे महानगर में अशान्ति फैलाना चाहते थे. इस कारण इतना बड़ा प्रकरण उन लोगों के ऊपर दर्ज हुआ है. वह आप ही की पार्टी के कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं. यह मैं कहना चाहता हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय-- बहादुर सिंह जी, अब आप समाप्त करें.

श्री जितू पटवारी-- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने कहा कि....

श्री बहादुर सिंह चौहान-- जीतू भाई, क्या अपराध क्रमांक की बात नहीं कर सकते?

श्री जितू पटवारी-- उपाध्यक्ष जी, आपने कहा कि किसान लालची होता है. वह मरे तो मरे आप ही हों वो....

श्री बहादुर सिंह चौहान-- कोई मतलब नहीं. मैं फिर कह रहा हूँ...

श्री जितू पटवारी-- मुझे पता है.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- उससे कोई फर्क नहीं.

श्री जितू पटवारी-- आपने कहा....

श्री बहादुर सिंह चौहान-- हाँ मैं कहता हूँ, अभी कह रहा हूँ....(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- आपने कहा पान की दुकान में, पान की गड्डी में, किसान बिक जाता है. आप ही हों वो. ...(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान-- आप गलत वीडियो चलाकर ...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- तुमको महिदपुर का किसान देख रहा है, बहादुर, अगर तुम अगली बार जीत कर आ जाओ तो मैं नाम बदल दूँगा. अगली बार जीत कर नहीं आ पाओगे. किसानों के खिलाफ जितना बोलना है बोल लो, अगली बार जीत कर नहीं आओगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- वह वक्त बताएगा... ...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- आप समाप्त करें.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- जीतू भैया, इन्होंने कुछ कहा वह अलग बात है लेकिन आपने किसानों को जो गालियाँ दी हैं उसका क्या...(व्यवधान)..किसानों को सीधे-सीधे गालियाँ बकी हैं.

श्री जितू पटवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ उस दिन किसान आंदोलन में (XXX) था उससे पूछो किसको गाली दी है मैंने, मेरे साथ जिराती का छोटा भाई भी था. मेरे साथ बीजेपी के पार्षद भी थे मैंने किसको गाली दी है बताईए...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- जितू पटवारी जी, सीधे बात नहीं करें.मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है सीधे आपस में बात न करें.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- (XXX) यह पता है ना. वह आपके सगे छोटे भाई हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- पटवारी जी, आप मुझसे बोल रहे हैं लेकिन देख उधर रहे हैं. आसंदी को संबोधित नहीं कर रहे हैं. मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब क्लाईमैक्स आ गया तो क्यों बात आगे बढ़ा रहे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- उपाध्यक्ष महोदय, 15 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी खाचरौद में आए थे और मैंने अपने 39 मिनट के भाषण के अंत में यह कहा कि एक किसान के पास में बीस बीघा जमीन है वह पूरे में गेहूँ बो देता है. मेरा कहना है कि आधे में चने बोना चाहिए और आधे में गेहूँ बोना चाहिए किसान को खेती में लालच नहीं करना चाहिए यह मैंने कहा था इस बात को आप दस बार चैक करवा लो. इनके कहने से हमको क्या फर्क पड़ता है. क्या यह बात कहने का हमको अधिकार नहीं है...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई है, स्पष्टीकरण आ गया है. अब आप बैठ जाइए.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि मछली जैसे कांग्रेस तड़प रही है मैं कहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्यमंत्री, वह तड़प रहे हैं, हम नहीं तड़प रहे हैं और 2018 में बहादुर सिंह तुम भी तड़पोगे. चिंता मत करो किसान की हत्या हुई है. भोगोगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- रावत जी, आप अपना भाषण शुरु करें.

श्री रामनिवास रावत-- उपाध्यक्ष महोदय,शांति हो जाये. मैं शांति का इंतजार कर रहा था.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप तो हरी शर्ट पहने हैं, किसानों के सच्चे हितैषी तो आप ही हैं. आप बैठ जाइए.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जरूरी बात कह रहा हूं यहाँ जो नाम का उल्लेख हुआ है अगर वह उस आंदोलन में था यह बात जितू पटवारी जी प्रूव कर दें तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा.यह सदन में असत्य बोलने का काम कर रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं..(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- मतलब आप किसानों के साथ नहीं हो. किसानों की भावनाओं के साथ नहीं हो. यह आज देपालपुर की जनता सुन रही है कि किसानों के आंदोलन, किसान के भाव, किसानों की इच्छाओं के साथ नहीं हैं आप.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- आपने यह बोलकर पूरे प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास किया है. वहाँ इनके भाईयों ने आंदोलन किया. चक्काजाम किया. किसानों के साथ मार-पीट की है इन्होंने.

श्री पारस चन्द्र जैन-- उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई भी इस्तीफा देने वाले नहीं हैं.

नेता प्रतिपक्ष(श्री अजय सिंह)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पारस जैन जी इस्तीफा दें या ना दें. लेकिन इन दोनों के बीच मामला ठीक नहीं है...(व्यवधान)..मेरा आपसे निवेदन है.

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो नाम का उल्लेख आया है वह बिल्कुल असत्य है उसको कार्यवाही से निकाल दीजिये.

श्री अजय सिंह-- उसको बिल्कुल कार्यवाही से निकाल दें.

उपाध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये.

श्री अजय सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों सदन के बाहर चले जायें आपस में चर्चा कर लें कौन इस्तीफा देने वाला है कौन क्या करने वाला है यहाँ हम लोगों का समय नष्ट मत करें.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रदेश की उस 80 प्रतिशत आबादी के विषय में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो रही है जो प्रदेश का किसान है, खेतिहर मजदूर है. किसान प्रदेश का अन्न दाता है. किसान प्रदेश की आत्मा भी है. मानव समाज के शरीर की भी अन्न दाता आत्मा है क्योंकि इस मानव समाज के शरीर की धमनियों में बहने वाला रक्त भी किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु खाद्यान्न, दलहन, सब्जियाँ, फलों और दुग्ध से बनता है इसलिए किसान आत्मा है. किसान के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना किया जाना बेमानी है. प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और विकास के बिना स्वर्णिम प्रदेश की कल्पना की जाना भी बेमानी है. आज प्रदेश का किसान दुखी है, प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ की पीड़ा से कराह रहा है. प्रदेश का किसान उसकी फसल का लागत मूल्य का उत्पादन मूल्य सही न मिलने के कारण कराह रहा है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करता है तो सरकार की गोली उसे मिले तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती. प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या करता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि किसान प्रदेश में ही आत्महत्या कर रहा हो, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है और हम विपक्ष में हैं. जिस तरह से इस चर्चा को किया जा रहा है यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. इसे मैं किसानों का दुर्भाग्य ही मानूंगा कि जिन किसानों के वोट से हम प्रतिनिधि बनकर के आते हैं चाहे हम सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें. विपक्ष आलोचना करता है और सत्ता पक्ष अपना बचाव करता है. लेकिन आज तक प्रदेश की किसी भी सरकार ने और किसी भी पार्टी की सरकार ने यह नहीं माना कि किसान आत्महत्या कर रहा है. उसकी आत्महत्याओं को बचाने के लिए हमें कदम

बढ़ाना चाहिए कि किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है या किसान भूख के कारण आत्महत्या कर रहा है या किसान उसकी फसल का लागत मूल्य का उत्पादन मूल्य नहीं मिल पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है. आज प्रदेश में किसानों की भयावह स्थिति है. मैं लगातार जिस दिन से विधायक बना हूँ किसान आत्महत्याओं से संबंधित प्रश्न लगातार करता रहा हूँ.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों की स्थिति मैं बताना चाहूंगा. क्रमांक 156 दिनांक 30.06.2014, 151 दिनों का प्रश्न मैंने पूछा था. 760 किसानों ने 151 दिनों में आत्महत्याएं की थीं जो लगभग 5 किसान आत्महत्या प्रतिदिन होती है. इसी तरह से दिनांक 08.12.2014 को भी प्रश्न पूछा था. यह 133 दिनों का प्रश्न था. 687 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं जो लगभग 5 से अधिक होती है. इसी तरह से दिनांक 23.02.2015 को मैंने प्रश्न पूछा था. प्रश्न 81 दिनों का था. 268 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं जो लगभग 4 होती है. इसी तरह से दिनांक 26.02.2016 को प्रश्न पूछा था. 396 दिनों में 2390 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, जो 6 के लगभग आती है. दिनांक 20.07.2016 को भी मेरे प्रश्न के जवाब में 151 दिनों में 1164 किसान मजदूरों ने आत्महत्याएं की थीं जो लगभग 7 प्रतिदिन औसत आती है. दिनांक 27.02.2017 को भी मैंने 76 दिनों के प्रश्न का जवाब पूछा था जिसमें 287 किसानों की आत्महत्याओं का उत्तर माननीय गृहमंत्री जी ने दिया है. मैं कोई अलग से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ. मैं इसी सदन में इस सरकार के गृहमंत्री जी द्वारा बताए हुए आंकड़े दे रहा हूँ. उसके बाद किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है ? किसान दुखी है, किसान आंदोलित है, किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं कि किसान की यह स्थिति है कि जिस परिवार में किसान की जीविका केवल कृषि पर निर्भर है अन्य कोई व्यापार या उसके परिवार में से कोई नौकरी नहीं करता या उसके परिवार में से कोई अन्य व्यापार नहीं करता वह किसान परिवार कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में पलता-बढ़ता है और कर्ज में ही दम तोड़ देता है और इन्हीं सब को लेकर के प्रदेश में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई. इसी को लेकर के प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन प्रारम्भ हुआ. माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जून को उज्जैन पहुंचे. जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा शायद रतलाम भी गये हैं. रतलाम रात्रि विश्राम भी किया है. वे 5 जून को आते हैं 4 जून को ही वे किसान संगठनों से चर्चा करते हैं वह कौन-सा किसान संगठन था, जिससे चर्चा की गई. कौन-से किसान संगठन थे जिन्होंने आंदोलन प्रारम्भ किया और 4 जून को ही वे घोषणा करते हैं कि किसानों की प्याज 8 रूपए किलो खरीदी जाएगी. यह सीधे-सीधे इंगित करता है. यह थोड़ी-सी राजनीतिक भाषा है. अगर मुख्यमंत्री जी 1 जून से पहले ही 8 रूपए किलो प्याज खरीदने

की घोषणा कर देते तो शायद यह आंदोलन की स्थिति मालवांचल में पैदा नहीं होती, न ही बनती. इसके पीछे कौन था, क्या कारण थे ? क्यों आंदोलन हुआ और क्यों 4 तारीख को घोषणा की गई ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी 1 जून को घोषणा नहीं कर सकते थे, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं जानते थे या प्रदेश के कृषि मंत्री जी नहीं जानते थे कि मालवांचल में प्याज मिट्टी के भाव में और काफी प्याज उत्पादित हुई है. किसान आंदोलित है, किसान परेशान है और किसान आंदोलन के लिए अग्रसर होगा. माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख को घोषणा की तब तक किसान उद्वेलित हो उठा था, अपने आप को रोक नहीं सका. यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. इस सदन में बैठे हुए ज्यादातर सदस्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर के किसानों के वोटों से चुनकर आते हैं. किसानों के वोट लेने के लिए हम कई वायदे करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि किसानों की क्या स्थिति है. सत्ता में आने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा ज़मीर मर चुका होता है कि हम किसानों के लिए कोई मदद करें या नहीं करें.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को घोषणा होने के बाद 5 तारीख को 1500 किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और फिर 6 तारीख को यह घटना होती है, 6 जून, 2017 को दोपहर 12.00 से 3.00 बजे के बीच मंदसौर में बाही पार्श्वनाथ चौराहा तथा पिपलिया मंडी पुलिस थाने के बाहर लगभग डेढ़ घंटे के अंतराल में बिना कानून-व्यवस्था की चेतावनी देते हुए निहत्थे किसान और आंदोलनकारियों पर गोली चालन किया जाता है, जिससे पहले 3 और फिर 2 किसानों की मौत हो जाती है. इसके बाद 8 जून को एक किसान घनश्याम धाकड़ की दलोदा पुलिस थाने में इतनी पिटाई की जाती है कि वह मर जाता है, उस समय कौन सा आंदोलन हो रहा था. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस पूरे प्रदेश में आंदोलनरत किसानों के ऊपर जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने बताया कि उस समय 325 प्रकरण कायम किए गए हैं, तो 325 प्रकरणों में ये बता दें कि इनमें कितने तस्कर थे, कितने अफीम, डोडा, चूरा के तस्कर थे और मरे हुए किसान क्या अफीम, डोडा, चूरा के तस्करों से संबंधित हैं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि आज प्रदेश के किसानों को जीरो प्रतिशत पर ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज में कमी भी की गई है, 1 लाख रुपये ले जाओ और 90 हजार रुपये दे जाओ, इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है. सिंचाई का रकबा बढ़ा है, इसे भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लागत मूल्य कितना बढ़ा है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य इसके बारे में भी सोचें. मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2003 में डी.ए.पी. खाद का मूल्य जहाँ 490 रुपये प्रति बैग हुआ करता था,

वहाँ आज इसी खाद का मूल्य 1246 रुपये प्रति बैग है, जहाँ यूरिया का मूल्य 166 रुपये प्रति बैग हुआ करता था, वहाँ आज इसी यूरिया का मूल्य 302 रुपये प्रति बैग है, जहाँ सोयाबीन और अरहर के बीज की कीमत 4 हजार रुपये प्रति बैग हुआ करती थी, वहाँ आज 12 हजार रुपये प्रति बैग कीमत है, जहाँ बीज और खाद, किसान की लागत मूल्य में 50 प्रतिशत से लेकर 3 गुने तक वृद्धि हुई है, वहीं उसके उत्पादन मूल्य में लगातार गिरावट आई है. अगर वर्ष 2001 की हम तुलना करें तो सरकार के कई आयोगों की रिपोर्ट है कि किसान के उत्पादन मूल्य में केवल 8 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंदोलन क्यों हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं, जहाँ 3-4 वर्ष पूर्व अरहर का मूल्य 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल था, अभी 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल है, तिलहन में तिली का मूल्य 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल था, आज 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल है, मूंग का मूल्य 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल था, आज 3500 रुपये प्रति क्विंटल है, उड़द का मूल्य 7500 रुपये प्रति क्विंटल था, आज 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल है, ग्वार 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल था, आज 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल है. इसी तरह से सोयाबीन आज से 3-4 साल पहले 4-5 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिकता था, वह सोयाबीन आज 2600 से लेकर 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल है. सरसों, जो वर्ष 2001 में 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिकती थी, यह आज की तारीख में भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती, बीच में तो यह 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिक चुकी है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ कि किसानों की आत्महत्याओं को रोका जाए. स्वामीनाथन आयोग ने भी रिपोर्ट दी है, इसमें कई तथ्य दिए हुए हैं और कई बार सर्वे में भी आया, मैं सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हम कर्ज माफी की बात करते हैं, हमारे लोगों ने भी कहा था कि किसानों की कर्ज माफी करें. एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा एनपीए है, उसका 90 प्रतिशत केवल उद्योगपतियों का है, मात्र 10 प्रतिशत एनपीए किसानों के कर्ज का है. हम किसानों के वोटों से चुनकर सत्ता में आते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम किसी को फायदा दे रहे हैं तो वह सीधे उद्योगपतियों को दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ? किसान की आत्मा आज रो रही है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान और कर्ज के आंकड़े को देखें तो जो तस्वीर सामने आती है, वह बेहद चिंताजनक है. केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में 16 जून, 2016 को जानकारी दी कि उद्योगों को 3 साल में 17 लाख 15 हजार करोड़ रुपये की टैक्स माफी दी भारत की सरकार ने यह कृषि मंत्री का विवरण है. वहीं कृषि मंत्री, पुरुषोत्तम रुपला ने नवम्बर,2016 में

जानकारी दी कि किसानों पर 12 लाख 60 हजार रुपये कर्ज है, जिसमें 9 लाख 57 हजार रुपये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया है. सरकार के तथ्यों से साफ है कि किसानों के कुल कर्ज से करीब पन्द्रह गुना टैक्स माफी उद्योग जगत के लिये सिर्फ 3 साल में दे दी गई, पन्द्रह गुना टैक्स माफी, किसानों के कर्ज से. यह क्या हम किसानों के साथ न्याय कर पा रहे हैं. किसानों की आज स्थिति बेहद चिंताजनक है. हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उसे लागू करें. आप राजनीति की बात करते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं. हम किसान के प्रतिनिधि हैं, हम विपक्ष में रहने के नाते विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. हम किसानों की बात भी उठायेंगे. राजनीति तो आप करते हैं. वर्ष 1990 में आपने पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की. पूरे प्रदेश में जा-जाकर फार्म भरवाये. वर्ष 2008 में आपने 50 हजार रुपये कर्ज माफी की घोषणा की और इसी तरह से वर्ष 2014 में जो आपके माननीय प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी हैं, उनकी कई क्लीपिंग मिल जायेंगी. देश के सभी प्रदेशों में जा-जाकर किसानों के संबंध में भाषण दिया कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है. मैं दुखी हूं, मैं उन बहनों के आसूं पोछूंगा, जो किसान आत्महत्या के कारण इस दुनिया को छोड़ चुका है, उसके कारण वह विधवा हो गई है. मैं उस पिता का भी दर्द जानता हूं, पिता का भी दर्द मुझे मालूम है कि जो पिता अपनी संतान के बिना बेसहारा हो गया है, मैं उन बच्चों के भविष्य को भी जानता हूं, जो बच्चे किसान की आत्महत्या के कारण बिना सहारे के हो गये हैं. यह प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का दिया गया भाषण था, बार-बार दिया, हर जगह दिया और उन्होंने कहा कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करुंगा. उन्होंने कहा था कि मैं किसान की लागत मूल्य का डेढ़ गुना उत्पादन मूल्य दिलाऊंगा. वे कहां गये . यह क्या राजनैतिक भाषण नहीं था...

श्री उमाशंकर गुप्ता -- उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय का यहां कोई मतलब है.

श्री रामनिवास रावत -- जी हां, बिलकुल है. यह आपका वायदा है.

श्री उमाशंकर गुप्ता - उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी की बातों को करवाने के लिये यह सदन सक्षम है क्या. इस विषय पर जो आप कह रहे हैं, मेरा आग्रह है कि हम यहीं तक सीमित रहें. रावत जी, जहां तक अपन हैं, वहीं तक की बात करें.

श्री रामनिवास रावत -- गुप्ता जी, वर्ष 1990 में आपने नहीं कहा था कि हम पूर्ण कर्ज माफी करेंगे. वर्ष 2008 में आपने नहीं कहा था कि 50 हजार रुपये का कर्ज माफ करेंगे. उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलन होता है. आंदोलन होने के बाद लोगों को गोली लग जाती है. किसान मर जाता है. आपने न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की.

न्यायिक जांच आयोग के पाइंट क्या क्या रहेंगे, यह आपने अभी तक किसी को नहीं बताये. मेरे ख्याल से ये आपने प्रकाशित नहीं किये कि न्यायिक जांच आयोग किन किन बिन्दुओं पर जांच करेगा. हम यह चाहते हैं कि न्यायिक जांच आयोग शायद गोली काण्ड से संबंधित स्थितियों की जांच करेगा. किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसके लिये भी एक किसान आय कमीशन बनाया जाये. हमारी मांग है कि किसान आय कमीशन तुरन्त स्थापित किया जाये, तुरन्त गठित किया जाये, जिससे हम किसान की आय को बढ़ा सकें. समर्थन मूल्य सरकार देती है, उपज के मूल्य की गारण्टी भी सरकार दे. अब यह घटना घटित हुई. मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठे और उपवास पर ही उसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि किसान की फसल को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइज से कोई व्यापारी कम मूल्य पर खरीदेगा, तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा है. इसे सभी स्वीकार करेंगे. इससे कोई इंकार नहीं करेगा. लेकिन दूसरे दिन ही मेरे प्रश्न में जवाब आता है कि किसान अपनी सहमति से कम मूल्य पर फसल बेच सकता है. मुख्यमंत्री जी, आप ऐसी व्यवस्था करें, आप किसान के बेटे हैं. मैं समझता हूं कि आपके मन में थोड़ी बहुत पीड़ा है, लेकिन आप राजनीति से ऊपर उठिये और आप यह घोषणा करिये कि किसान की फसल को हम समर्थन मूल्य पर खरीदवायेंगे. अगर किसान बाजार में बेचता है...

श्री जालम सिंह पटेल -- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में खरीदवाया भी जा रहा है मूंग, उड़द और अरहर भी है.

श्री रामनिवास रावत -- यह आप ईमानदारी से कह रहे हैं.

श्री जालम सिंह पटेल -- जी हां. अभी 525 रुपये में मूंग खरीदी है. अभी खरीदी चल रही है.

श्री रामनिवास रावत -- एफएक्यू को जानते हो.

श्री जालम सिंह पटेल -- जानता हूं, मैं किसान हूं.

उपाध्यक्ष महोदय -- जालम सिंह जी, आपकी बारी आयेगी, तब आप बोल लीजियेगा. अब रावत जी, समाप्त करें.

श्री रामनिवास रावत -- उपाध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद तब देते, जब मुख्यमंत्री जी घोषणा करते कि अगर समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर व्यापारी खरीदता है, तो उसके अंतर की राशि सरकार किसान को भरपाई करेगी. तो हमें बड़ा अच्छा लगता. हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते. एक तरफ तो आप व्यापारी को जबरदस्ती नहीं कर सकते. आज

व्यापारी भी परेशान है. हमारी मांग है, पहली मांग तो मेरी यही है कि प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है. मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सदन के समस्त सदस्यों की अगर वाकई सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग गहन चिंतन करते हैं, किसानों के प्रति जरा भी लगाव है, किसानों के प्रति जरा भी हमदर्दी है तो हम चाहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाकर यह सर्वेक्षण करायें, यह पता लगायें कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं. और इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाय. इसके लिए विधान सभा के सदस्यों की समिति का गठन करें. मेरी यह भी मांग है कि किसान आय कमीशन का तुरंत गठन करें कि हम किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाने की कोशिश करें. किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ नगदी फसलों तक सीमित है. किसान द्वारा उत्पादित सभी फसलों के लिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाय, ऐसी मेरी मांग है.

उपाध्यक्ष महोदय, किसान की लागत मूल्य का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के लिए यह सरकार व्यवस्था करे. मैं यहां पर कुछ स्थितियां बताना चाहूंगा जो कि किसान के लागत मूल्य के बारे में है. मैं यहां पर एक दो फसलों के बारे में बताना चाहता हूं. आज हमारी फसल की लागत की जो स्थिति है, जैसे प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की जो स्थिति है 16953 कुल लागत खर्च है और अगर उसका उत्पादन मूल्य 2400 या 2500 रूपये के हिसाब से जोड़ लें तो यह 18500 के लगभग होता है तो एक हेक्टेयर जमीन पर किसान को केवल 1300 या 1400 रूपये ही मिल पाते हैं. इसी तरह से आप देखें कपास की स्थिति और भी अलग है, किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहा है कि किसान को उसकी फसल का उत्पादन मूल्य नहीं मिल पा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय जो किसान आत्महत्या कर रहा है. इन आत्महत्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनायें जिससे उनकी सेहत, सुविधा और वित्त बीमा की स्थिति भी पुख्ता बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाय. आपने उन लोगों को एक करोड़ रूपये की राहत राशि दी उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है हम धन्यवाद देते हैं. हम चाहते हैं कि जो भी किसान आत्महत्या कर रहा है उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाकर उनको भी राहत राशि देने की व्यवस्था करायेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि मुरैना में एक किसान मनीराम बघेल ने आत्महत्या की मैं उस घुसगवां गांव भी गया था. वहां पर पता लगा कि उसके पास 4 बीघा जमीन थी. उसने पिछले वर्ष 7 बीघा जमीन भत्ते पर ली थी 10 हजार रूपये प्रति बीघा और उस भत्ते से उसने आलू उत्पादन किया 7 बीघा जमीन में, उस जमीन से 1500 बैग आलू का उत्पादन हुआ उसने वह आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया. वह आलू कोल्ड स्टोर में भाव नहीं

मिल पाने के कारण रखा रहा. उसके बाद में उसने मूंग की फसल की वह फसल भी नष्ट हो गई. वह अपने खेत पर सोता था जिस दिन उसने सल्फास खाया उस दिन उसने कोल्ड स्टोरेज जाकर वहां से अपने घर के उपयोग के लिए दो बैग आलू के निकाले, पता लगा कि उसके आलू के बैग का किराया एक बैग का 120 रूपये हो गया आज जब वह उस बैग को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसकी कीमत 150 से 200 रूपये प्रति बैग के हिसाब से मिली इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली. इन तथ्यों से हम इंकार नहीं कर सकते हैं. इन तथ्यों का अध्ययन करना होगा. मैं यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनाओं के साथ विशेष रूप से हम सब लोगों को एक साथ सोचना चाहिए कि प्रदेश के किसानों की आत्महत्या को कैसे रोकें. किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए. मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मंदसौर के आंदोलन को हिंसा का नाम दिया है, उपद्रव का नाम दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं यह पूरे प्रदेश के किसानों का अपमान है. उपाध्यक्ष महोदय आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद्.

डॉ गौरीशंकर शेजवार -- उपाध्यक्ष महोदय जितू पटवारी जी के आलू तुलवाना यह कौन सी संवेदना है.

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री विश्वास सारंग) - उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा चल रही है. किसान, किसान का हित, मंदसौर की वह घटना, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कुछ किसानों की मृत्यु हुई. इन सब बातों को लेकर विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने चर्चा के लिए उसको सहर्ष स्वीकार किया. उपाध्यक्ष महोदय, उसे स्वीकार करने के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि सत्तापक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानता है. विगत 12-13 सालों का यदि हम मध्यप्रदेश का इतिहास देखें. इतिहास के उन पन्नों को हम पलटकर देखें, जिसमें किसान के हित की बात हुई तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मध्यप्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में किसान के लिए इतने हित के काम पहले कभी नहीं हुए, जितने शिवराज सिंह चौहान ने किये हैं. (मेजों की थपथपाहट)..उसके बाद भी स्थगन प्रस्ताव आता है, हम उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि

"आंधियों को जिद हैं जहां बिजलियां गिराने की,
हमें भी जिद हैं वहां आशियां बनाने की."

उपाध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हुईं. स्थगन प्रस्ताव की बात हुई. मुझे लगा स्थगन प्रस्ताव है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ तथ्य होंगे, स्थगन प्रस्ताव बना है तो उसमें कोई ऐसी बात होगी,

जिस पर लेकर चर्चा हो. मैंने स्थगन प्रस्ताव पूरा पढ़ा. मैं ऐसा उम्मीद करता था कि जब स्थगन प्रस्ताव है, उसमें बहुत सारे रिफरेंसेस होंगे तो कहीं न कहीं..

श्री ओमकार सिंह मरकाम - सारंग जी, आम की फसल को पहचानते हैं उसका पौधा कौन-सा है?

श्री विश्वास सारंग - उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की इबारत को पढ़ा, मुझे लगा कि उसमें बहुत सारे रिफरेंसेस की बात है. 13 साल की सरकार के किसान के बारे में बहुत सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है तो मुझे लगा कि मुलताई के हत्याकांड की भी इसमें कोई एक लाइन होगी. मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ा. मुझे मुलताई का हत्याकांड एक लाइन में भी नहीं दिखा. फिर इसमें किस-किस सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव लगाया, मैंने इसकी लिस्ट देखी. सजग विधायकों का यह समूह है जो सामने बैठे हैं. मध्यप्रदेश के किसानों पर इनको बहुत प्यार है, उनकी बातों को लेकर ये बहुत चिंतित हैं. अभी श्री रामनिवास जी ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों की जब-जब भी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, मैंने प्रश्न लगाए हैं, ध्यानाकर्षण लगाए हैं. मैंने पढ़ा कि किन-किन माननीय विधायकों ने इस स्थगन प्रस्ताव को लगाया है. कुल मिलाकर 47 सदस्यों की सूचना थी. इसमें पहला नाम था डॉ. गोविन्द सिंह जी, दूसरा नाम था श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी, तीसरा नाम था श्री जितू पटवारी जी, चौथा नाम था श्री रामनिवास रावत जी, पांचवा नाम था श्री शैलेन्द्र पटेल जी, छठवां नाम था श्री अजय सिंह जी, सातवां नाम था श्री आरिफ अकील साहब, आठवा नाम था श्री के.पी. सिंह जी और नौवां नाम था श्री मुकेश नायक जी.

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा, इसमें 47 नाम हैं, मैंने नौ सदस्यों के नाम ही पढ़े हैं. फिर मैं पुस्तकालय में गया और मुलताई हत्याकांड के बाद जो दिनांक 12 जनवरी, 1998 में हुआ था, जिसको हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि किसानों को कुचलने का कांग्रेस सरकार का वह सबसे बड़ा आन्दोलन था, जिस आन्दोलन में 18 किसानों की हत्या हुई थी.

श्री रामनिवास रावत - इसीलिए सरकार गई, तुम तो जाग जाओ. यह मंदसौर का गोलीकांड है, मुलताई का नहीं है. मुलताई का तो जा चुका, सरकार भी गई और तुम भी जाने वाले हो.

श्री उमाशंकर गुप्ता - बाकी आप लोगों का तो सुन लो, उस समय आप लोगों का क्या रोल था?

उपाध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएं.

श्री रामनिवास रावत-- स्थगन मुलताई गोलीकांड की विषय वस्तु है?

श्री विश्वास सारंग-- हां, विषय वस्तु है.

श्री रामनिवास रावत-- ये तीन बार जनादेश ले चुके हैं.

श्री वेलसिंह भूरिया-- उपाध्यक्ष महोदय, मुलताई के बाद में 21 मई 2001 को सरदारपुर के लाबरिया में भी किसानों पर गोलीकांड दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कराया था उसको रावत जी भूल गए क्या?

डॉ गोविन्द सिंह-- मुलताई के बाद कांग्रेस की दुबारा सरकार बनी थी.

एक माननीय सदस्य-- आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी भी बनेगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- विश्वास जी, प्रासंगिक तो यह होगा कि आप मंदसौर की घटना के पास ही रहेंगे तो ठीक होगा.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, मुझे बोलने नहीं देंगे...

उपाध्यक्ष महोदय-- मैंने यह नहीं कि आप बोलें नहीं.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, मेरी बात पूरी नहीं तो कैसे प्रासंगिकता पता लगेगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप उसका संतुलन बनायें.

श्री विश्वास सारंग-- मैं संतुलन बना रहा हूं. मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- कौन नहीं बोलने दे रहा है. (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग-- यह इसलिए पढ़ने नहीं दे रहे कि इनकी कलई खुल जाएगी. (व्यवधान) यह मैं विधानसभा में पुस्तकालय में पैसा जमा करके निकाल कर लाया हूं.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- उपाध्यक्ष जी, जब मुलताई कांड हुआ तो हमारे नेता वहां (XXX) उपवास पर बैठे थे.

श्री मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- भोपाल में बैठे थे. वहां जाकर लोगों को भड़काया नहीं. लोगों को आगजनी करने के लिए नहीं कहा.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- मुलताई कांड में माननीय पटवा जी ने मौन अनशन किया था.

श्री के के श्रीवास्तव-- उपाध्यक्ष जी, जब खरे होना है तो खोटा सिक्का दिखाना पड़ेगा.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, मेरे पास यह शब्दशः कार्यवाही है. उस समय 24 मार्च 1998 को स्थगन लगा था. मैंने वह वर्बेटम पढ़ा. पेज 60 से पेज 102 लगभग 42 पेज की फोटो कॉपी मेरे पास है. मुझे लगा कि कांग्रेस के 9 इतने सजग विधायक हैं जिनमें से 7 विधायक उपस्थित हैं. वे मुलताई के हत्याकांड पर किसान के हित में एक लाईन तो बोल देते ! उस समय तो चुपचाप बैठे रहे. मैं रावत जी से पूछना चाहता हूं इन्होंने अभी कहा कि मैंने हर हत्या पर बोला. आपने

मुलताई हत्याकांड पर उस समय सदन में क्यों नहीं बोला? मुकेश नायक जी आपने क्यों नहीं बोला? के पी सिंह जी आपने क्यों नहीं बोला? इसकी शुरुआत गोविन्द सिंह जी ने की उनने क्यों नहीं बोला?

श्री के पी सिंह-- हमने तो बोला, आपको पता ही नहीं है. आपके पास कोई रिकार्ड है ही नहीं.

श्री विश्वास सारंग-- मैं विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं...

श्री अजय सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, ये डॉ गोविन्द सिंह जी तक पहुंचे उसके आगे नहीं बढ़े क्योंकि इनको मालूम था कि उस समय मैं पटवा जी के खिलाफ चुना लड़ा था और चुनाव हार गया था. मैं इस सदन में था ही नहीं तो मैं क्या बोलता?

श्री विश्वास सारंग-- मैंने यही कहा कि 9 में से 7 लोग थे. आप और जितू पटवारी भी नहीं थे. मैंने शुरु के 9 नाम पढ़े.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- उपाध्यक्ष जी, मुलताई कांड के बाद स्व. सुभाष यादव साहब ने खलघाट पर किसानों का आंदोलन किया था.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये. जितू पटवारी जी,गलत बात है. आप आसंदी की तरफ देखते भी नहीं. सीधे बात करते रहते हैं. (व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता-- उपाध्यक्ष महोदय, इनकी डायरेक्ट डायलिंग की आदत है. सीधे राहुल गांधी जी को लेकर घूमते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय-- उमाशंकर जी, यह ठीक नहीं है.

श्री के पी सिंह-- इसी तरह से आपने भाषण अलाउ किए तो यह कल तक चलेगा. स्थगन की विषय वस्तु तक सीमित रहें.

उपाध्यक्ष महोदय-- मैं, समय सीमित कर देता हूं.

श्री रामनिवास रावत-- समय के साथ-साथ स्थगन की विषय वस्तु तक सीमित करें तो ज्यादा अच्छा होगा.

श्री के पी सिंह-- कहां मुलताई की बात और कहां मंदसौर की बात कर रहे हैं.

श्री विश्वास सारंग - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब गोपाल भार्गव जी ने कहा कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस द्वारा रचित था. जब कैलाश चावला जी ने बोला कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस द्वारा रचित था तो इनके पेट में दर्द हुआ. इसीलिये मैंने कहा कि स्थगन पर यदि आपको बात करना थी तो मुलताई के मरे हुए किसानों की भी बात कर लेते तो हम

मान लेते कि आप ईमानदारी से स्थगन लेकर आये हैं. यह केवल राजनीति से प्रेरित है. मैं बधाई देना चाहता हूं मीडिया हाऊसेस को, बातें चलीं कि कांग्रेस इनवाल्व नहीं थी. हमारे एक बहुत ज्ञानी सदस्य हैं, जो पूरी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं जितू भाई, बहुत बातें कर रहे थे.....

श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल - विश्वास भईया, अभी मेरे को बोलकर गये कि मेरे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना है.

श्री विश्वास सारंग - केवल फोटो अपार्चुनिटी के लिये इनके नेता आये. अब मैं कुछ बोलूंगा तो इनको मिर्ची लग जायेगी. मोटर साईकल पर आये और दो दिन बाद हवाई जहाज में बैठकर नानी के घर चले गये. बहुत दर्द था किसान की बात कर रहे थे(...व्यवधान..) मुख्यमंत्री जी जिन्होंने किसान की स्थिति को ठीक करने का काम किया है.

(..व्यवधान..)

कुंवर विक्रम सिंह - आप यह बात सुनिये कि आपकी पार्टी के मुखिया अमित शाह जी ने गांधी जी के लिये क्या कहा. उनको बनिया कहा.

डॉ.गोविन्द सिंह - उपाध्यक्ष जी, यह विधान सभा है इसको आम सभा का भाषण मत बनने दें.

श्री विश्वास सारंग - उपाध्यक्ष महोदय, उस पूरे आंदोलन में यदि कांग्रेस में कोई मर्द था तो वह सुभाष यादव जी थे जिन्होंने मुलताई हत्याकाण्ड का विरोध किया था और उसके लिये प्रदर्शन भी किया था.

(..व्यवधान..)

उपाध्यक्ष महोदय - देखिये,महत्वपूर्ण बहस चल रही है. बीच-बीच में गंभीर विषय पर न बोलें.

श्री मधु भगत - उपाध्यक्ष महोदय, हम नये लोग हैं हमको तो किसानों की बात करनी है. आप लोग मुलताई,मंदसौर, न जाने कितनी प्रकार की बात करते हैं हम नये विधायक किसानों के लिये क्या बोल पाएंगे.(..व्यवधान..) उपाध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस ने मुलताई में गल्ती की तो क्या आप उसको दोहराओगे. आप इतनी सभ्य राजनीति कर रहे हो ?

उपाध्यक्ष महोदय - यदि आप लोग किसान के शुभचिंतक हैं तो सुनिये, गंभीर विषय है, धैर्य रखिये.

श्री विश्वास सारंग - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत महत्वपूर्ण है. जैसा मैं कह रहा था कि तेरह सालों से जो मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ. वह देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ.

**(4.59 बजे) अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं बातों को रिपीट नहीं करूंगा. जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की बात यहां पर आई. उसमें हजारों करोड़ों रुपये का अनुदान मुख्यमंत्री जी ने किसानों को दिया. जो स्थगन वर्ष,1998 में आया था. उस समय के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के सदन में दिये गये बयान की दो लाईन यहां मैं पढ़ना चाहता हूं. हम कैसे किसान हितैषी हैं और वह कितने किसान हितैषी थे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा राज्य शासन की अपनी सीमा होती है, दिक्कतें हैं, अतिवृष्टि बड़े पैमाने पर हुई है, 70 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है और आर.बी.सी. सर्कुलर के हिसाब से यदि राशि दें तो 700 करोड़ देना होगी. उसमें मांग थी कि 5 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दें, 12 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर दें तो सैकड़ों, हजारों करोड़ के आसपास देना होगा, आपकी मांग मानते तो साढ़े सात हजार करोड़ की राशि देना होती. इतनी राशि शासन के पास नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री बात आई आप 1 तारीख को बोल देते, अरे हमने 4 तारीख को बोला आपने इसका स्वागत किया. हमने प्याज खरीदी, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने हार्टीकल्चर की फसल का समर्थन मूल्य पिछले साल घोषित किया और उसका उपार्जन किया, यह ऐतिहासिक घटना है.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा-- 80 लाख क्विंटल प्याज खरीदा है.

श्री विश्वास सारंग-- बात चल रही है अभी 2003 के फिगर रामनिवास रावत जी ने बताये, वर्ष 2003-2004 में आप कृषि की बहुत बात कर रहे हैं, कृषि का बजट था केवल 291 करोड़ और आज शिवराज सिंह जी की किसान हितैषी सरकार का 4236 करोड़ रूपये. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जीरो प्रतिशत पर ब्याज दे रहे हैं, आप 16 प्रतिशत पर ब्याज देते थे.

श्री सचिन यादव-- पटवा जी के टाइम का भी बता दो विश्वास भाई ....(व्यवधान)...

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री ओमप्रकाश धुर्वे)-- पटवा जी की सरकार ने आते ही 700 करोड़ का कर्जा माफ किया था.

श्री विश्वास सारंग-- आपके समय जितने का बजट नहीं था उतना तो हम सालभर में अनुदान देते हैं, 680 करोड़ का अनुदान देते हैं जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने में. जब 16 प्रतिशत का ब्याज था, बात करते हैं आप किसान परेशान है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 16 प्रतिशत का ऋण होता था तो किसान की जेब से सरकार के खाते में 140 करोड़ रूपये जाता था और उल्टा आज किसान के लिये हम 680 करोड़ रूपये का अनुदान देते हैं उसको जीरो प्रतिशत पर ऋण देकर.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उस समय इनकी उम्र क्या थी और आज क्या है, 15 साल में तो बढ़ेगा ही, 70 साल पहले तो यहां कुछ नहीं होता था, खेती की पैदावार नहीं होती थी, विदेश से अनाज आता था.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात चल रही थी कि हम किसान के प्रति कितने संवेदनशील हैं. यदि हम के.सी.सी. की बात करें जिसके माध्यम से हम किसान को एनटाइटल करते हैं कि वह हमारे बैंक से लोन ले. वर्ष 2003-2004 में केवल 19 लाख किसानों का के.सी.सी. था वह भी 16 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिये और आज यदि हम के.सी.सी. की संख्या की बात करें तो 2017-18 में हमने 56 लाख किसानों को के.सी.सी. कार्ड बनाकर दिया है, वह बैंक में जाये और उसको हम जीरो प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराते हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम स्वाइल, हेल्थ कार्ड पूरे प्रदेश के किसानों को दे रहे हैं. हमने 5-5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीते. माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दो मिनट में कुछ कम्पेरेटिव चार्ट और देना चाहता हूं, जो रिपीटेशन हो गया उसको रिपीट नहीं कर रहा. माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर देखें तो वर्ष 2003-2004 में 3 प्रतिशत थी, आज देखें तो शिवराज सिंह जी की सरकार में 25 प्रतिशत हो गई है. वर्ष 2003 में कुल कृषि उत्पादन 214 लाख मीट्रिक टन था आज बढ़कर 519 लाख मीट्रिक टन हो गया है. खाद्यान्न का कुल उत्पादन कांग्रेस की सरकार में 142 लाख मीट्रिक टन था आज 414 लाख मीट्रिक टन हो गया है. फसल उत्पादकता की दर कांग्रेस के समय 831 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी आज बढ़कर के 1223 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है. गेहूं का रकवा पहले 47 लाख हेक्टेयर था आज 63 लाख हेक्टेयर है. गेहूं की उत्पादन दर 18.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी आज 31.3 हेक्टेयर हो गई है, यह क्यों हुआ क्योंकि हमने 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई. हमने खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया, हमने टेल एंड तक नहर को जीवित करने का काम किया. आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं कि किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है. सही बात यह है कि किसान के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा. अध्यक्ष महोदय मैं रिपीट

करना चाहता हूं कि यह कृत्रिम आंदोलन था इसकी बागडोर और स्क्रिप्ट कांग्रेस के दिल्ली के कार्यालय में लिखी गई थी इसीलिये राहुल गांधी ने आकर के उसका क्लाईमेक्स किया था.मेरा मानना है कि यह स्थगन की बहस बेकार है. यह जो स्थगन लेकर के आये हैं केवल कृत्रिम आंदोलन, केवल मध्यप्रदेश की सूरत को बिगाड़ने का काम यह कर रहे हैं. हर विधानसभा सत्र के पहले, हर चुनाव के पहले यह हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ.गोविंद सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि जो भी स्थगन का विषय रहा है उस विषय तक सीमित सदन में चर्चा होती है. लेकिन आज उस परम्परा को तोड़ दिया गया है. यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है. स्थगन गंभीर विषय पर है और यहां पर आम सभा जैसे भाषण दिये जा रहे हैं. इसलिये अनुरोध है कि जो विधानसभा की स्वस्थ्य परम्परा रही है विषय वस्तु तक सीमित रहकर के बात करने की वह कायम रहे अन्यथा ऐसे ही सदन को चलाना है तो हमारा अनुरोध है कि सदन को समाप्त कर दिया जाये. ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज सदन में हो रहा है. जो स्थगन की विषय वस्तु नहीं है उस पर चर्चा हो रही है. आप सदन के और हमारे संरक्षक है, यदि हम विषय से हटकर के बात करते हैं तो आपको अधिकार है कि उस चर्चा पर रोक लगायें लेकिन आज तो सदन में आम सभा के भाषण हो रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि स्थगन के विषय से बाहर की चर्चा पर रोक लगाई जानी चाहिये.

श्री विश्वास सारंग -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर अभी स्थगन आया है वही 1998 में आया था तब सब चुप बैठे रहे क्या यह विषय नहीं है. 7 सदस्य जो कि उस समय भी विधानसभा के सदस्य़ थे, मुलताई हत्याकाण्ड में यह लोग क्यों नहीं बोले. क्या यह विषय नहीं है. जब मैंने बोला तो पेट में दर्द हो रहा है.

श्री यादवेन्द्र सिंह --अध्यक्ष महोदय, बिजली गांव गांव तक कुंवर अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पहुंच गई थी. हर गांव में , हर खेत में जब कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब बिजली के खंबे गड़ गये थे, क्या बिजली आपकी सरकार ने दी है. कांग्रेस के समय में बिजली के खंडे गड़ चुके थे. कोई 13 साल में यह नहीं हुआ. असत्य बोलने से काम नहीं चलेगा.

अध्यक्ष महोदय-- कुल 43 सूचनायें आई हैं. 43 सूचनाओं में सारी बातें, जिनके उत्तर आ रहे हैं या जिन पर बहस हो रही है वह उठा दी गई हैं. इसलिये मैंने अनुरोध किया था कि दोनों पक्ष के 10-10 लोग अपनी बात रखें ताकि पुनरावृत्ति न हो और व्यवहारिक और व्यवस्थित बात आये, अब 48 लोगों के नाम हैं सब अपने अपने हिसाब से जो विषय दिया है उस पर बोलेंगे तो सामने

वाले उसका उत्तर देंगे. मेरा प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध है कि मैंने पहले भी यह बात कही थी कि इसमें यदि गंभीरता रखना है तो पुनरावृत्ति न हो और बोलने वाले सदस्यों के नाम कम करें दोनों पक्ष से कुछ सदस्य अपनी बात कहें ताकि पुनरावृत्ति भी न हो और विषय की गंभीरता भी बनी रहे जिसकी आपको भी चिंता है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही है लेकिन जो स्थगन का विषय है यदि उसके बाहर पर चर्चा सदन में होगी तो यह चर्चा समय पर समाप्त कैसे होगी ? कौन से काण्ड कहां के काण्ड चर्चा में आ रहे हैं सिर्फ उदाहरण देने के लिये. आप विधानसभा की कार्यवाही उठाकर के देख लें, (श्री विश्वास सारंग की ओर इंगत करते हुये) बात चल रही है मंदसौर की और तुलना कर रहे हैं मुलताई की. अरे भाई मुलताई में जो उस समय होना था वह हो गया, आज जिस विषय पर चर्चा चल रही है उस तक ही सीमित रहें. हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के 11 वर्ष के कार्याकाल में 5 बार प्रदेश को कृषि कर्मण्य अवार्ड मिले हैं. अध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने वाले विषय वस्तु से बाहर न जाये कृपा करके इतना सुनिश्चित आप करा देंगे तो चर्चा विषय तक सीमित हो जायेगी.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय वस्तु से बाहर नहीं गया. मैंने केवल यह कहा है कि हत्याकाण्ड दोनों समय हुये, स्थगन दोनों बार आया, यह 7 विधायक जिन्होंने इस समय स्थगन दिया है यह उस समय क्यों नहीं बोले यह मैं कह रहा हूं. मेरे पास में विधानसभा की प्रतिवेदित कार्यवाही है क्या इसमें असत्य लिखा है. यह बात है और इसमें कहां बाहर की बात कही, यह 7 लोग उस समय स्थगन पर क्यों नहीं बोले. माननीय अध्यक्ष महोदय अगर यह सात लोग किसान हितैषी थे तो उस समय भी इनको बोलना चाहिए था और श्री दिग्विजय सिंह का विरोध करना चाहिए था.

श्री कुवंर विक्रम सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से आज श्री विश्वास सारंग जी बोल रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे साथियों ने भी उस समय पर सरकार के पक्ष में अपने बयान दिये थे.

डॉ. गोविन्द सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ लीजिए उस समय इस प्रकार के आमसभा के भाषण नहीं हुए थे. उस समय जो चर्चा हुई थी उसमें आमसभा के भाषण नहीं हुए थे, उस समय जो विषय था, उसी पर ही चर्चा हुई थी.

श्री विश्वास सारंग - आप आमसभा जैसे नहीं, आप उस समय कमरा बैठक जैसे बोल लेते लेकिन उस समय आप क्यों नहीं बोले.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) - आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात कही और डॉ. गोविन्द सिंह जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि विषय वस्तु पर ही बात होनी चाहिए.

डॉ. गोविन्द सिंह - आपके मुख्यमंत्री आप लोगों से बुलवा रहे हैं. स्थगन लाना विपक्ष का दायित्व और धर्म है, स्थगन लाना आपका धर्म नहीं है कि हर विषय पर आप बात करो, सरकार जवाब देगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. गोविन्द सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है लेकिन शुरूआत कहां से हुई है, शुरूआत में आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी जब बोल रहे थे उसमें व्यापमं कहां से आ गया था. अगर इसी विषय वस्तु में श्री राम निवास रावत जी बोल रहे थे तो नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्र की सरकार विषय कहां से आ गया. उक्त विषय, विषय वस्तु में कहां से आ गये ?

डॉ. गोविन्द सिंह - अगर ऐसा था तो आसंदी को हस्तक्षेप करना था.

श्री उमाशंकर गुप्ता - आप जब बोले तो वह विषय वस्तु और जब उसका जवाब दिया जाए तो उस समय आप बोलते हैं कि विषय वस्तु के बाहर है.

डॉ. गोविन्द सिंह - आपको भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है, आप अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके उस समय बोलने से रोक सकते थे.

श्री उमाशंकर गुप्ता - हम यह कह रहे हैं कि आप शुरूआत करते हैं, आप जो चाहे बोले वह विषय वस्तु में आयेगा और उसका जवाब दिया जाए तो वह विषय वस्तु के बाहर आयेगा, यह आपका कैसा मापदंड है.

श्री के.पी.सिंह - आपने अपनी जवाबदारी नहीं निभाई तो क्या वह जवाबदारी भी हम निभाते ? इसका तो यही मतलब हुआ. अगर आप चुपचाप सुनते रहे तो यह आपकी गलती है. आपने क्या सुना आपको टोकना था.

श्री उमाशंकर गुप्ता - सवाल यह है कि यह जो बात कह रहे हैं यह किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं लेकिन उसमें आपको तकलीफ हो रही है किंतु जो बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं है अगर उसका भी उल्लेख आपके लोग कर रहे हैं तो उस समय वह विषय वस्तु के बाहर नहीं होता है. (व्यवधान)...

श्री रामनिवास रावत - श्री उमाशंकर गुप्ता जी आपको जो भी कहना है कहो और आप तो किसानों पर हंसो, किसानों की दुर्दशा पर हंसो, भारतीय जनता पार्टी के आचरण को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसानों की समस्या के प्रति, किसानों के दर्द के प्रति कितने गंभीर है. (व्यवधान)...

श्री उमाशंकर गुप्ता - हम यह नहीं कहेंगे की श्री रामनिवास रावत जी जब मंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि हम बंदूक लेकर बीहड़ में कूद जाएंगे. (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय - आप सब कृपया आपस में बात नहीं करें. डॉ. गोविन्द सिंह जी ने जो कहा और पूरे सदन का यही मत है कि विषय के बाहर नहीं जाए. किंतु कई बार विषय के बाहर बात हो जाती है. मेरा डॉ. गोविन्द सिंह जी से अनुरोध है कि विषय दो थे, किंतु उसको एक ही स्थगन में कर दिया गया था. एक गोली चालन था और दूसरा किसानों की समस्या था. आप अपना स्थगन पढ़ लें, उसमें वह सारे विषय लिखे हैं, जिस पर उन्होंने अभी कहा है. मैंने अभी इसलिए बुलाकर भी पढ़ा है, इसमें वह सारे विषय लिखे हैं लेकिन यह हो सकता है कि आपने एक लाईन में लिखा हो और उन्होंने दस लाईन में उत्तर दिया हो. आपने जो विषय लिखे हैं, उसमें आपने बिजली का लिखा है, आपने कर्जे का लिखा है, आपने सभी बातें तो लिखी है. अब या तो आप गोली चालन पर लिखते तो गृहमंत्री उस संबंध में उत्तर देते और बात समाप्त हो जाती. दूसरी बात यह शुरू से परम्परा रही है कि स्थगन पर दोनों पक्ष बोलते हैं सिर्फ सरकार ही उत्तर नहीं देती है और ग्राह्यता पर भी दोनों पक्षों से बात होती है. किंतु मेरा माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री गणों से अनुरोध है और माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि रिपीटीशन न करें आप यदि कोई दूसरा नया विषय हो, चाहे गोली चालन के बारे में हो या किसान के बारे में हो आप उस संबंध में जरूर बोले, यह मेरा आप सभी से अनुरोध है. श्री मुकेश नायक जी आप बोलें.

डॉ. गोविन्द सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय यह वर्तमान विषय की बात है जो मैंने कर्जे की बात कही है, उस संबंध में सरकार बताये कि उन्होंने कौन सा कर्जा माफ किया. सरकार अभी इस संबंध में बताए कि उन्होंने क्या किया है, इसमें बीस साल पुरानी बातें कहां से आ गई है. आज गोली कांड के संबंध में स्थगन रखा हैं, उसके संबंध में बताएं हम सुनने को तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय - आप पहले अपना स्थगन पढ़ लें.

डॉ. गोविन्द सिंह - मैंने स्थगन में मंदसौर की घटना के संबंध में उल्लेख किया है.

श्री मुकेश नायक (पवई) - माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मध्यप्रदेश में किसानों का आन्दोलन शुरू हुआ था तो अनेक मांगों के साथ मूलत: 3 मांगों पर यह आन्दोलन केन्द्रित था. किसानों की पहली मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाये और दूसरी मांग थी कि उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत मिलाकर उसका समर्थन मूल्य तय किया जाये और तीसरी मुख्य मांग थी कि किसानों का कर्ज माफ किया जाये और जब यह आन्दोलन मध्यप्रदेश में शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के किसानों के एक आनुषांगिक संगठन ने इस आन्दोलन को शुरू किया एवं बाद में जब आन्दोलन ने थोड़ी गति पकड़ी तो दूसरे किसान आन्दोलन संगठन, इस आन्दोलन में शामिल हुए. मुझे याद है कि आज तक चैनल पर एक किसान आन्दोलन पर चर्चा चल रही थी, मैं उसमें डिस्कशन पर बैठा था. इसी बीच में खबर आई कि मन्दसौर में गोली चालन हुआ है और 3 किसानों की मृत्यु हो गई. इस चर्चा के बीच में माननीय गृह मंत्री जी की एक क्लीपिंग आई और माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि गोली चालन पुलिस के द्वारा नहीं किया गया. गोली किसने चलाई ? इसकी जानकारी ली जा रही है एवं शाम होते-होते मृतकों की संख्या 6 हो गई, फिर दूसरा बयान माननीय गृह मंत्री जी का आया कि गोली पुलिस के द्वारा ही चलाई गई, यह कन्ट्राडिक्शन आन्दोलन के बीच में हुआ. जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उत्तर दें तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यह जानकारी किसने दी थी कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी ? आप कृपा कर सदन को उसका नाम बताएं और उसके साथ ही इस सदन को यह जानने का भी अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप यह भी बताएं कि गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था ? क्योंकि जिला पुलिस अधीक्षक ने यह ऑन रिकॉर्ड बोला है, पूरा देश जानता है, पूरा मध्यप्रदेश जानता है. नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया पर उनका बयान आया है. एस.पी. मन्दसौर ने यह कहा कि उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया था. कलेक्टर, मन्दसौर ने यह कहा कि उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया था तब इस सदन को यह जानने का अधिकार है, आप कृपा करके अपने उत्तर में बताएं एवं आप यह न भूलें कि आप किसानों की उपलब्धि पर भले ही लम्बा भाषण दें. हम सुनने के लिए तैयार हैं बाकी स्थगन प्रस्ताव के साथ-साथ, माननीय गृह मंत्री जी का जो लम्बा उत्तर आया है, उससे संबंधित जो भी कंटेन्ट्स हैं, आप उस पर बोलें, हम वह भी सुनेंगे. लेकिन सदन और प्रतिपक्ष इस बात को जानता है कि गलत सूचना देने वाले जिला प्रशासन में कौन थे ? और दूसरा गोली चलाने का अधिकृत ऑर्डर किसने दिया था? सदन इस बात को जानना चाहता है.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) - इस पर एक जांच आयोग बैठा है.

श्री मुकेश नायक - माननीय अध्यक्ष महोदय, आयोग की बात हुई है कि एक न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है. डॉक्टर साहब, आप सुन लीजिये. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में यह बात है कि इसके पहले मध्यप्रदेश में 12 न्यायिक आयोगों का गठन हुआ है. आप जब उत्तर दें तो कृपापूर्वक उन 12 जांच आयोगों के निष्कर्ष क्या रहे हैं ? इस सदन को बताने की कृपा करें. क्या आज तक किसी की भी रिपोर्ट आई है ? क्या आपने कोई भी रिपोर्ट मध्यप्रदेश विधानसभा सदन के पटल पर रखी है ? आपने 12 जांच आयोग बनाए हैं, आपने करोड़ों रुपए जांच आयोगों पर खर्च किये हैं. लेकिन आज तक 12 के 12 जांच आयोगों में से किसी की भी जांच का न तो निष्कर्ष आया, न ही जज का पता चला, न ही ज्यूडिशियली कमेटी का पता चला और न ही घटनाक्रम के निष्कर्षों का पता चला है. यह क्यों होता है ? अभी फिर से यह बात आ गई कि आपने फिर से एक न्यायिक आयोग बना दिया है फिर किसी जज को उसमें बैठा दिया है और 3 महीने में उसकी जानकारी आ जायेगी. जब रतनगढ़ी में भगदड़ मची थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय आपने इस सदन में न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी और आपने विधानसभा में कहा था कि 6 महीने में रिपोर्ट आ जायेगी. अभी कितना समय हो गया है ? अब विधानसभा में इतना सन्नाटा क्यों है ?

डॉ गौरीशंकर शेजवार - (बैठे-बैठे) आपकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं.

श्री मुकेश नायक - मैं जानना चाहता हूं, मैं बिलकुल कन्टेन्ट में बात कर रहा हूं. (...व्यवधान)

श्री कैलाश चावला - आपको गंभीरतापूर्वक सुनने में भी आपको आपत्ति है क्या, आप जबरदस्ती व्यवधान को आमंत्रित क्यों कर रहे हो.

श्री मुकेश नायक - मैं व्यवधान को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं.

श्री उमाशंकर गुप्ता - माननीय मुकेश नायक जी, आपके प्रवचन सुनने का अभ्यास हो गया है, हम लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं.

श्री मुकेश नायक - आशय को पकड़ना चाहिए, कही गई बात के अर्थ को पकड़ना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए सदन में सन्नाटा है.

5:20 बजे **{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}**

श्री उमाशंकर गुप्ता - मुकेश नायक जी आपकी हर बात का जवाब देंगे, आप चिन्ता मत करों, आप चाहे तो अभी बीच में ही जवाब दे सकते हैं, फिर रावत जी नाराज होंगे.

श्री मुकेश नायक - जरूर सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी सदन में जब भी बोलते हैं, हम लोग तो हमेशा सुनते हैं, यह अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण वही रहता है, जो हमेशा रहता है. (मेजों की थपथपाहट)

श्री कैलाश चावला - (बैठे-बैठे) मुझे लगता है मुकेश नायक जी आपकी इतनी ही तैयारी है.

श्री मुकेश नायक -- नहीं नहीं तैयारी तो बहुत है, आप सुनिए तो.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार अभी भी मध्यप्रदेश में हुए किसान आंदोलन को न तो समझ पाई है न समझने का प्रयत्न कर रही है. मैं बता दूं कि यह किसान आंदोलन जिस संगठन ने शुरू किया था उसकी पकड़ से ही यह आंदोलन बाहर चला गया, बी.जे.पी. के संगठन ने इस आंदोलन को शुरू किया था और तीन चार दिन के अंदर, जितने भी किसान संगठन थे, सबकी पकड़ से यह आंदोलन बाहर चला गया और यह बिलकुल असंगठित आंदोलन था, यह आंदोलन बिलकुल स्वस्फूर्त आंदोलन था, इसका कोई नेता नहीं था, इसके पीछे कोई राजनैतिक दल नहीं था. अगर कोई राजनैतिक दल इस आंदोलन के पीछे होता तो यह आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं लेता, हम लोग यह चर्चा कर रहे थे. आप इस आंदोलन को समझ नहीं पाए. जब इस आंदोलन का आपको सामना करना था, उसी समय आप भाग खड़े हुए और आप उपवास पर जाकर बैठ गए. मध्यप्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं, जब कोई सरकार का मुखिया किसी जनआंदोलन का सामना करने की बजाए उस आंदोलन से भाग खड़ा हो और खुद जाकर वह उपवास पर बैठ जाए. यह मुख्यमंत्री का काम है क्या, सरकार के मंत्रियों का काम है क्या, आपको किसानों के घर जाना चाहिए था, उनका सामना करना चाहिए था, मृतकों के घर जाकर उनसे बात करना चाहिए था. मैं मानता हूं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, जिसको अवॉइड करना भी पड़ता है, वह आपने किया भी क्योंकि आक्रोश किसानों के अंदर जिस स्तर पर था उस आक्रोश का सामना करना उचित भी नहीं था, कुछ घटना हो सकती थी, लॉ-इन-आर्डर की समस्या पैदा हो जाती और ज्यादा किसानों को नुकसान होता. जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ सरकार के मुखिया ने यह कहा कि इस आंदोलन से कठोरतापूर्वक हम निपटेंगे, इसका अर्थ क्या है. आपने 2 दिन पहले यह बयान दिया और 2 दिन बाद 6 किसानों को वहां पर गोली से भूंज दिया गया. अब जब इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आपके लेने के देने पड़ गए, तब आपने दो काम

किया. पहला काम तो यह किया कि आपने यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के लोग इस आंदालन के पीछे हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी यह आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है यह आप मानते हैं तो 2018 आपके लिए आसान नहीं है यह समझ लीजिए आप.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कभी बोलता नहीं हूं लेकिन गलत संदेश जा रहा है. बार-बार प्रतिपक्ष के मित्रों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि, मैंने कहा कि हम कठोरता से निपटेंगे, कुचल देंगे, यह बिलकुल असत्य है, भ्रामक है और सदन को गुमराह किया जा रहा है, यह मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा मैंने.

श्री मुकेश नायक --मैं आपकी बात मान लेता हूं आपने कभी नहीं कहा, लेकिन इस तरह का अखबारों में समाचार आया था उसको सारे लोगों ने पढ़ा और सरकार की तरफ से जैसा आज आपने इसका खंडन किया.

श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल--यह सारा षड़यंत्र भी कांग्रेसियों का है.

श्री भूपेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस दिन से आंदोलन प्रारंभ हुआ उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमेशा यह कहा गया कि किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं होनी चाहिये और उसका ही परिणाम था कि जब एक पुलिसकर्मी की आंख फूट गई उसको एयर एम्बूलेंस से लिफ्ट कर चेन्नई भेजना पड़ा उसकी रोशनी समाप्त हो गई. तब भी पुलिसबल ने कोई भी किसी भी प्रकार से गोली अथवा शस्त्र का उपयोग नहीं किया. सरकार के लगातार निर्देश थे कि किसी भी स्थिति में किसानों के ऊपर सख्ती नहीं होनी चाहिये. यह बात यहां पर गलत तरीके से आ रही है. रिकार्ड में सारी बाते हैं. मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ऐसे निर्देश दिये हैं. आप कहें तो रिकार्ड आपके सामने रख दूं.

श्री मुकेश नायक--आपकी बात मान लेता हूं पुलिस वालों पर, पुलिस अधीक्षक पर, कलेक्टर पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है. जो आपने नहीं कहा वह वहां पर किया जा रहा है. यह किस तरह की अराजकता पूरे प्रदेश में फैली हुई है, किस तरह का निरंकुश पुलिस प्रशासन है. किस तरह के अराजक आपके कलेक्टर है आपको इस बात का इल्म है.

श्री दिलीप सिंह शेखावत--उपाध्यक्ष महोदय, मुकेश जी जब मुलताई में गोलीकांड हुआ था उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि गोली चला देना. उस समय आपको यह नहीं लगा कि आपके नियंत्रण में एस.पी. एवं कलेक्टर नहीं थे.

श्री मुकेश नायक--उपाध्यक्ष महोदय, मुलताई में इस तरह की घटना हुई थी तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी. जो मंदसौर में घटना हुई है उसके कारण शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली जाएगी. मेरी बात आप याद रखना.

श्री दिलीप सिंह शेखावत--उस समय माननीय मुकेश नायक जी दिग्विजय सिंह जी के साथ नहीं थे उनके खिलाफ थे.

श्री मुकेश नायक--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण में लायब्रेरी में जाकर मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा मैं माननीय गृहमंत्री जी को, माननीय सारंग जी को जाकर के देख लें मैंने पूरी सरकार हिला दी थी आप जाकर के देख लें मैंने बहुत ही तीखा भाषण दिया था. मैं सही बात कहने से न कभी पहले डरा हूं, न आज कभी डरने वाला हूं और न ही भविष्य में कभी डरूंगा. मध्यप्रदेश में लोग जब जनप्रतिनिधि बनाते हैं उनकी इच्छा होती है कि उनका जनप्रतिनिधि सही बात कहे. जनभावनाओं को सदन में व्यक्त करे. यह लोकतंत्र का मंदिर है यहां पर वही बात करे जो जनभावनाओं को स्पर्श करने की बात हो, लेकिन मुझे दुःख हुआ कि सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, को मालूम नहीं है कि किसानों की हत्या हुई है, किसान मर गये हैं. आज तक किसी को मालूम नहीं है कि किसने किसानों की हत्या की. यह पता नहीं है कि किसने आर्डर दिया कि यह गोली चालन किया जाये. आज तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. गृहमंत्री जी ने अपना उत्तर पढ़ा उसमें कह दिया कि एक करोड़ कुछ लाख रूपये लोगों को मुआवजे के रूप में दिये गये. माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार के प्रमुख सचिव, आपकी सरकार के अपर मुख्य सचिव ने आपके मुआवजे की घोषणा के बाद सार्वजनिक रूप से मध्यप्रदेश में कहा कि किस मद से किसानों का मुआवजा दिया जाए, यह हम देख रहे हैं और उसको अभी तय करना है. आपकी घोषणा है आपका प्रमुख सचिव, आपका अपर मुख्य सचिव--

उपाध्यक्ष महोदय--मुकेश जी एक मिनट. स्थगन की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है. मुकेश जी आप एक मिनट में समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक:-उपाध्यक्ष जी, यह कहते हैं कि एक करोड़ रूपये का मुआवजा किस मद से दिया जाये, यह हम देख रहे हैं. यह अखबारों में पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है. यदि अखबारों में आयी सूचना गलत है तो सरकार जब उत्तर दे तो इसका खण्डन कर दे. लेकिन आपने आज की तारीख तक एक करोड़ कुछ लाख रूपये का मुआवजा आपने दिया है. अभी गृह मंत्री जी ने उत्तर में कहा है.

श्री भूपेन्द्र सिंह :- माननीय, यह वह राशि है जो बाकी पी़डित लोग थे, जो दुकानदार थे, या हाथ ठेला वाले थे. बाकि जो 6 किसान थे उनकी राशि उसी समय 6 करोड़ की उनके खाते में पहुंच गयी थी.

श्री मुकेश नायक:- आपने उसको बोला नहीं, इसलिये थोड़ा भ्रम हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय :- मुकेश जी, अब आप समाप्त करिये. श्री रामेश्वर शर्मा. मुकेश जी आपको बोलते हुए 24 मिनट हो गयी हैं. जो सबसे पहले वक्ता थे,उन्होंने भी इतना नहीं बोला था. आप अपनी बात को कन्क्यूड करें.

श्री मुकेश नायक:- उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश में किसानों की घुटन और बैचेनी को समझने की आवश्यकता है. डी-मॉनीटाईजेशन के बाद से निरंतर आज तक मंदसौर के गोली कांड तक, जिन समस्याओं से किसान मंडी में, सहकारी संस्थाओं में अभी विश्वास सारंग जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. आज की तारीख तक हजारों किसानों की रबी की फसल का भुगतान को-ऑपरेटिव बैंकों से नहीं हुआ है. बैंकों के पास पैसा ही नहीं है. सहकारी बैंकों के पास किसान का जो अनाज का प्रीक्योरमेंट हुआ है, उसका भुगतान करने की सहकारी बैंकों की क्षमता ही नहीं है.

दूसरी बात कृषि विभाग की बातों में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहीं. मैं कृषि मंत्री जी बहुत मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं कि बैतूल में आपके लोकसभा सदस्य ने आपके बारे में क्या कहा है. मैं वह सदन में बोलने की स्थिति में नहीं हूं. इतना असंसदीय आपके बारे में कहा है. यह वास्तविक हालत है मध्यप्रदेश की. इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसानों की समस्या, उनका दर्द सही अर्थों में समझने की कोशिश करें और उसका निदान करने की कोशिश करें.

श्री रामश्वर शर्मा (हुजूर):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सुबह से जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जो स्थगन आया है. मैं समझता हूं कि किसानों के हित में कोई बात है तो किसानों की वास्तविक समस्या से हम सब परिचित हैं, पर उनके समाधान क्या हो सकते हैं. क्या उस दिशा में हमने कभी सोचने का प्रयास किया. अभी माननीय मुकेश नायक जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने उपवास किया. उपवास में शक्ति और सामर्थ्य है,यह हथियार इस लोकतंत्र को महात्मा गांधी जी ने दिया है. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइये. निशंक जी आप बैठ जायें.

श्री लाल सिंह आर्य :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने जैसे ही महात्मा गांधी जी का नाम लिया, इन्होंने हो-हो करना शुरू करना कर दिया. यह तो महात्मा गांधी जी का अपमान है.

श्री रामश्वर शर्मा:- उपाध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी यहां पर होते, क्योंकि हम तो जूनियर सदस्य हैं. हम लोगों ने इनको गरिमामय सुना है, चाहे गोविंद सिह जी को सुना है, रामनिवास रावत जी का सुना हो और जब-जब नेता प्रतिपक्ष या उधर के सदस्यों ने जो बातें कही है, वह बात हमने सुनी है. मैंने उपवास की बात इसलिये शुरू की कि मुकेश नायक जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठ गये. भारत देश धार्मिक प्रवृत्ति और परंपराओं का देश है. भारत लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन भी करता है. भारत जब-जब विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है तब हमारे पास उपवास के रूप में एक हथियार होता है. मैं समझता हूं कि जब मध्यप्रदेश जल रहा था, आप भी लोकतंत्र के उपासक हैं. आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं. मैं आज लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि जब मध्यप्रदेश की बसों में आग लगाई जा रही थी, जब निर्दोष बच्चे चीख रहे थे, जब किसान का दूध फैलाया जा रहा था, एक सब्जी बेचने वाली बाई रो रही थी. उससे जबरदस्ती सब्जी लेकर फेंकी जा रही थी. तब मध्यप्रदेश के किसी कांग्रेसी नेता ने शांति की अपील नहीं की कि शांति से आंदोलन करो, लोकतांत्रिक परंपरा से आंदोलन करो. बताईये किसने अपील की ? एक ने भी नहीं बोला था. क्या ये मध्यप्रदेश तुम्हारा नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव में पैदा हुआ हूं. अगर एक बूंद दूध की जमीन पर गिर जाती थी तो हमारे पिताजी हमें चांटा मार देते थे और हमें उस दूध की बूंद को पोछना पड़ता था. बताईये वे कौन लोग हैं ? क्या वे किसान के बेटे हैं ? जिन्होंने दूध के डबरे सड़कों पर फेंके हैं. अगर वो दूध बच्चों को मिलता, बेसहारा लोगों को मिलता, अनाथालयों को मिलता, क्या उस दूध से वे नौजवान और परिवार खड़े नहीं हो सकते थे ? ऐसी स्थितियां पैदा की गई. हमारे मुख्यमंत्री जी ने जलते मध्यप्रदेश में साहस दिखाया कि जलते मध्यप्रदेश को और नहीं जलने देंगे. ये मध्यप्रदेश शांति का टापू है. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे तब तक उपवास पर रहेंगे जब तक मध्यप्रदेश शांत नहीं हो जाता. परमात्मा और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने उनकी भावना का सम्मान किया और मध्यप्रदेश में उग्रता, आगजनी शांत हुई. (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे उपवास का सामर्थ्य है. नवरात्रि में हिन्दू उपवास करते हैं और रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमान भी करते हैं. अन्य धर्म के लोग भी उपवास करते हैं. कभी

किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए. मित्रों आप कांग्रेस के हैं. आप बताईये. आपने पिछले 50-60 सालों से देश में राजनीति की है. सन् 1951 में जब हमें आजादी मिली, मैं उसके बाद से देश में कांग्रेस की स्थिति को जानना चाहता हूं.

श्री सुखेन्द्र सिंह- शर्मा जी, 1951 में नहीं 1947 में आजादी मिली थी.

कुँवर विक्रम सिंह- उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह स्थगन का विषय है ?

श्री रामेश्वर शर्मा- उपाध्यक्ष महोदय, विषय वह है जो रामनिवास रावत जी ने कहा, विषय वह है जो मुकेश नायक जी ने कहा है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1951 में देश में किसानों की कुल संख्या 71.9 प्रतिशत थी और 2011 में जब आपका शासन था, तब इस देश में किसानों की संख्या घटकर 45.1 प्रतिशत हो गई थी. आप बताईये कि ये बाकी के किसान कहां गए. क्या वे किसान खेतिहर मजदूर बन गए ? क्या वे झुग्गी-झोपड़ी में आ गए, क्या वे खोमचे चलाने लग गए. किसान कम क्यों हो गए ? अगर आप किसानों के हितैषी थे, तो किसानों की संख्या कम कैसे हो गई ?

श्री सुखेन्द्र सिंह- उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही बोला था कि किसान सब्सिडी चाट रहा था.

श्री रामेश्वर शर्मा- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर भी बोलूंगा. आप पहले यह बताईये कि किसानों की संख्या कम क्यों हुई. मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत किसान, कांग्रेस के राज में किसान होने के बावजूद मजदूर हो गए. क्योंकि आपने उनकी खेती समाप्त कर दी और वे दर-दर की ठोकरें खाने लगे. सन् 1951 का एक और आंकड़ा मेरे पास है. उस समय देश में कुल 28.1 प्रतिशत खेतिहर मजदूर थे. सन् 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 54.9 प्रतिशत हो गया. आप बताईये कि किसान खेतिहर मजदूर कैसे बन गए. उस समय तो आपकी ही सरकार थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने. लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी और नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री बने. राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने. 6 लाख गांवों में अगर किसी ने सड़क दी है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दी है. उन्होंने गांव का उद्धार किया है. (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय- रामेश्वर जी, आप विषय से भटक रहे हैं. कृपया विषय पर वापस आ जायें.

श्री जसवंत सिंह हाड़ा -- यह विषय पर आ रहे हैं थोड़ा समय लगेगा. गाड़ी थोड़ा फास्ट हो गई थी ट्रेक पर आ रही है.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- जसवंत जी आप बैठ जाएं शर्मा जी को बोलने दें. (व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा-- मैं नहीं भटक रहा हूं अगर मैं भटक गया तो मैं इस सदन से जानना चाहूंगा कि खेती वल्लभ भवन में होती है या गांव में होती है और यदि गांव में खेती होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गांव को सड़क दी है उसका एहसानमंद इस सदन को होना चाहिए. गांव में जाने में घुटने खपते थे. मैंने इतने प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है गांव तक अगर कोई प्रधानमंत्री पहुंचा, अगर कोई गांव तक विकास को लेकर गया है तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर गए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदली. उसी प्रयास को शिवराज सिंह जी ने आगे बढ़ाया. बताइए दिग्विजय सिंह जी ने कौन सी खेत सड़क योजना बनाई, बताइए दिग्विजय सिंह जी ने कौन से किसान बाजार बनाए, बताइए दिग्विजय सिंह जी के राज में या कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्रियों के राज में किसानों के हित में कौन सी घोषणा की? आज अगर शिवराज जी के राज में किसानों को जो लाभ मिला है किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं किसानों को उत्पादन में जो लाभ मिल रहा है एक बार नहीं मनमोहन सिंह जी की सरकार तीन तीन चार-चार बार.... (व्यवधान)

श्री ओमकार सिंह मरकाम-- क्या अपना पैसा देते हैं? कोई भी मुख्यमंत्री हो पैसा जनता का है. चाहे वह कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो या भाजपा का मुख्यमंत्री हो. (व्यवधान)

श्री रामेश्वर शर्मा -- तीन-तीन चार-चार बार कृषि कर्मण अवार्ड अगर देती है तो यही शिवराज सिंह सरकार को देती है. (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र सिंह-- अटल जी साढ़े छ: साल रहे और मनमोहन सिंह 10 साल रहे यह मनरेगा किसने दिया? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय-- रामेश्वर जी आप विषय पर ही बोलें यह जो विषय दिया गया है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. यह जो स्थगन दिया गया है यह आपने पढ़ा है?

श्री रामेश्वर शर्मा-- मैंने तो यह पढ़ा है रामनिवास रावत जी ने पढ़ा है कि नहीं आप उनसे पूछ लो वह मुझसे वरिष्ठ हैं. आप उनसे पूछिए उनने पढ़ा की नहीं पढ़ा.

उपाध्यक्ष महोदय--आप बोल रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा--उन्होंने केन्द्र का उल्लेख किया है कि नहीं नरेन्द्र मोदी जी का उल्लेख किया है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- क्या आप आसंदी का इस तरह से आदर करेंगे? आप देख लीजिए आप उल्लेख कर दें, दो चार लाइनें बोल दें, चलता है. आप वही-वही बोले जा रहे हैं. विषय-वस्तु पर आ

जाइए. यह जो स्थगन दिया गया है इस पर भी आ जाइए. यह गलत बात है. आप आसंदी का सम्मान करना सीखिए.

श्री रामेश्वर शर्मा-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसंदी का ही सम्मान कर रहा हूं. क्या यह लोग आसंदी का सम्मान कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय-- आप हमसे यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा-- मैं आपसे प्रश्न कर नहीं सकता, मैं पनी बात कह नहीं सकता तो मैं क्या करूं?

उपाध्यक्ष महोदय--आप इस तरह नहीं बोलेंगे. यह गलत बात है.

श्री रामेश्वर शर्मा-- वह कुछ भी बोलें मैं चुप रहूं?

उपाध्यक्ष महोदय-- ऐसा नहीं है, मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं. आप जो कह रहे हैं सदन ने सुन लिया लेकिन अब विषय-वस्तु पर भी आ जाइए.

श्री रामेश्वर शर्मा-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी पूछना चाहता हूं. अभी मैंने किसान के खेत की सड़क की बात की, गांव में प्रधानमंत्री सड़क की बात की. मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर गांव में खाद्यान्न भंडारण पहले से तैयार होते जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को अगर मनमोहन सिंह जी नहीं रोकते, गांव गांव में अगर भंडारण पहले से तैयार होते तो किसान को कभी इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. उसका माल उन भंडारणों में गांव के अंदर सुरक्षित होता. यह काम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रोक दिया और आगे चलकर किसानों के सामने जो समस्याएं पैदा हुईं आखिर कौन ने किसानों के आंदोलन को हवा दी, कौन आदमी है जो किसानों को गाली देकर आंदोलन में भड़काता है, कौन नेता हैं जो जलाने की बात करते हैं, कौन नेता हैं जो थाने जलाने की बात करते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम किसी दल के खिलाफ नहीं, किसानों की भावना का हम सब को सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसानों के हित में जो मध्यप्रदेश की सरकार कर रही है उसका भी हमको उल्लेख करना चाहिए. वर्ष 2003 में क्या हमको आपने दान में सरकार दी थी? हम अपने बलबूते पर सरकार लाए थे, किसानों के सहयोग से सरकार लाए, गरीबों के सहयोग से सरकार लाए. वर्ष 2008 में क्या आपने दान में सरकार दी यह शिवराज जी के पुण्यकर्म के आधार पर सरकार आई. वर्ष 2013 में हम कर्म और लोगों के प्यार से सरकार लाए और आज हम डंके की चोट पर कर रहे हैं यही मध्यप्रदेश का किसान, यही मध्यप्रदेश का गरीब वर्ष 2018 में फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएगा. फिर मध्यप्रदेश के उत्थान में, मध्यप्रदेश के कल्याण में, गरीबों

के उत्थान में, बेटियों के कल्याण में, नौजवानों के उत्थान में फिर शिवराज सिंह जी के हाथ में बागडोर देगा. इस देश में अगर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात की है वह आपके प्रधानमंत्रियों ने नहीं की श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी ने की है, सीहोर जिले में आकर की है. कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मध्यप्रदेश की सरकार, केन्द्र की सरकार प्रयत्न कर रही है. मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि.....

श्री तरुण भनोत--उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्दसौर की बात तो कर ही नहीं रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठ जाएं.

श्री तरुण भनोत--आप तो उनको रोकते ही नहीं हैं. मंदसौर की बात करें, गोली चलाने की बात करें. भोपाल की अवैध कॉलोनियों की बात करें. चुनाव प्रचार की तरह भाषण दे रहे हैं. किसानों की बात नहीं कर रहे हैं. समय बहुत अधिक हो गया है.

श्री सचिन यादव--किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, कितने घंटे बिजली मिल रही है.

उपाध्यक्ष महोदय--रामेश्वर जी आप मध्यप्रदेश तक सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा.

श्री रामेश्वर शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश पर आ रहा हूँ. अब मध्यप्रदेश में आ जाते हैं और यहां कर आलू के चर्चा कर लेते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--ऐसा लग रहा है आपका हवाई जहाज लैंड करने वाला है.

श्री रामेश्वर शर्मा--हो गया लैंड भोपाल में आ गया इसलिये अब आलू पर चर्चा कर लेते हैं. आलू की चिंता हमारे जिस भाई को थी वह सदन से चले गये हैं दूसरे भाई आलू की चिंता करते हुए दो सदस्यों से बात कर रहे हैं. आलू के मामले में कांग्रेसियों को परेशान होने की जरुरत ही नहीं है. आपके नेताओं ने किसानों की भरी सभा में कह दिया कि किसान भाइयों अब आप परेशान मत होना आलू अब मैं खेत में नहीं फैक्ट्री में पैदा करूंगा. यह आपके ही नेता ने कहा है आप लोग कहें तो मैं उनका नाम बता दूं. (व्यवधान)

श्री सचिन यादव--उन्होंने कहा था कि किसान भगवान के भरोसे रहें सरकार के भरोसे न रहें. हमारे किसान बेचारे भगवान के ही भरोसे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा--पप्पू का नाम बताउंगा तो अजय भैया डांटने लगेंगे फिर वे पूछने लगेंगे यह पप्पू कौन है.

श्री तरुण भनोत--हम बोलेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा भारत देश की जनता का जब अपमान हुआ है. रशिया में राष्ट्रगान बज रहा था और प्रधानमंत्री चल रहे थे, एक व्यक्ति उनको पकड़कर लाया कि आप खड़े हो जाओ.

श्री रामेश्वर शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खिलचीपुर आ जाता हूँ. राजगढ़ जिले में आ जाता हूँ जो हमारे दिग्विजय सिंह जी का प्रिय जिला है.

श्री तरुण भनोत--यह राष्ट्रीय नेताओं के बारे में बात करते हैं. अगर हम कहेंगे तो इनको बुरा लगेगा. रशिया में राष्ट्रगान बज रहा था भारत के प्रधानमंत्री....

उपाध्यक्ष महोदय--अब यह सब नहीं कहें. ऐसी बातें न करें.

श्री तरुण भनोत--यह कहेंगे तो इनको बड़ा बुरा लगेगा. यह यहां की बातें करें. जहां तक इनकी सीमा है वहां तक बात करें.

उपाध्यक्ष महोदय--अब आप 5 मिनट में समाप्त करें. सभी लोग बैठ जाएं. तरुण जी यह सब बातें करने का क्या औचित्य है.

श्री रामेश्वर शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश के खिलचीपुर में आ जाता हूँ. सही जगह आ गया न.

श्री गिरीश भण्डारी--अब सही जगह आ गये हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा--देखो अब कोई भी कांग्रेसी मित्र मुझे न डांटें, अब कोई भी कांग्रेसी मित्र मुझे टोके नहीं क्योंकि भण्डारी जी ने कहा है कि मैं सही जगह आ गया हूँ. खिलचीपुर में भारत के एक पूर्व जो अब इस धरा पर नहीं हैं हमारे आदरणीय हैं वे गये तो एक जगह एक बाई हरी मिर्ची बेच रही थी उन्होंने उससे पूछा कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि यह हरी मिर्ची है उन्होंने उसका भाव पूछा तो बाई ने कहा कि 4 रुपए किलो है. आगे लाल मिर्ची बिक रही थी उन्होंने पूछा कि ....

श्री अजय सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इनकी समय सीमा कुछ भी नहीं है क्या.

श्री रामेश्वर शर्मा---अजय भैया आप बोलो तो अभी बैठ जाता हूँ.

श्री अजय सिंह--बैठ जाओ.

श्री रामेश्वर शर्मा--पक्का.

उपाध्यक्ष महोदय--चलिए अब आप बैठ जाइए. इस चुटकुले के साथ समाप्त कर दीजिए.

श्री रामेश्वर शर्मा--देखिए मैंने उनका कहना माना. हमेशा अपने वोटर का ख्याल रखना चाहिए और अजय भैया मेरे वोटर हैं उन्होंने कहा बैठ जाओ और मैं बैठ गया.

श्री अजय सिंह--आपको गलतफहमी है मैं आपके विधान सभा क्षेत्र में रहता हूँ वोटर चुरहट का हूँ.

श्री रामेश्वर शर्मा--उपाधय्क्ष महोदय, भोपाल के साथ यही परेशानी है और खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में यही परेशानी है यहां रहते बहुत से लोग हैं और वोटर दूसरी जगह बन गए हैं.

श्री अजय सिंह--लेकिन बिल्डर काफी रहते हैं यहां पर.

श्री रामेश्वर शर्मा--उनकी सूची तो आप ही को जारी करना पड़ेगी. मैं खिलचीपुर में हाट बाजार में घूम रहा था.

उपाध्यक्ष महोदय--आपने वहां पर मिर्ची का भाव पूछा.

श्री गिरीश भण्डारी--आप तो खिलचीपुर के हाट का दिन बता दो.

उपाध्यक्ष महोदय--वहां किस दिन हाट लगती है वह जानना चाहते हैं.

श्री अजय सिंह--अब फंस गए आप, अब तो बैठ ही जाओ.

श्री रामेश्वर शर्मा--मैं खिलचीपुर के हाट का दिन भी बताउंगा, मैं खिलचीपुर में मिर्ची खरीदने वाले व्यक्ति का नाम भी बताउंगा. 4 रुपए किलो हरी मिर्ची और 30 रुपये किलो लाल मिर्ची...(व्यवधान)..

श्री तरूण भनोत-- उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानना चाहते हैं, मंदसौर में गोली चलाने वाले का नाम बताओ. मिर्ची का नाम बता रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा-- तो उस आदमी ने कहा, हालाँकि वह भारत सरकार में प्रधानमंत्री थे (XXX) और..(व्यवधान)..

श्री तरूण भनोत-- मंदसौर में जिन किसानों की हत्या हुई उनके नाम बताओ.

श्री रामेश्वर शर्मा-- वे काँग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं. मेरी आप से प्रार्थना है कि काँग्रेसी मित्रों..(व्यवधान)..किसान को समझो, किसान की परेशानी को समझो..(व्यवधान)..किसान को उकसाने का काम मत करो. किसान के साथ रहो..(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएँ. मैंने सोचा आप बैठ गए, फिर कैसे खड़े हो गए?

श्री रामेश्वर शर्मा-- मैं तो सोच रहा था निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं जैसे खड़े हुए थे, तो उससे लगा कुछ मामला है, फिर यहाँ भी बिगड़ गया. मुझे लगा यहाँ भी मन्दसौर न बना दें क्योंकि जैसा पेपरों में छपा था, कुछ भी अप्रिय हो सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप आज ज्योतिषी से समय पूछ कर हाउस नहीं आए. समय इसलिए गड़बड़ हो रहा है. ज्योतिषी से समय नहीं पूछा किस वक्त आएँ, क्या करें.

श्री रामेश्वर शर्मा-- ज्योतिषी तो आजकल उधर शिफ्ट हो गए.

श्री जसवन्त सिंह हाड़ा-- माननीय उपाध्यक्ष जी, रामेश्वर जी का ये समापन का भाषण है, आप अदर वाइज न लें क्योंकि इसमें काम की चीज वे छाँट लेंगे.

श्री शंकरलाल तिवारी-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामेश्वर जी अभी कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था अप्रिय स्थिति बनेगी, मैं रामेश्वर जी को आश्वस्त करता हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बचपन से जानता हूँ---

" न खंजर उठेंगे, न तलवार उठेंगी, वह बाजू मेरे आजमाए हुए हैं."

अजय सिंह-- क्या हो गया पंडित जी? फिर से बोल दई.. हम शेजवार जी से बात करत रहीं इससे सुनन नहीं अपना कौन खंजर उठा रहे.

श्री शंकरलाल तिवारी-- नहीं, कुछ नहीं. आप तो बइठो. आराम करो.

उपाध्यक्ष महोदय-- रामेश्वर जी, कृपया अब आप समाप्त करें.

श्री रामेश्वर शर्मा-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पूरे सदन से आपके माध्यम से एक प्रार्थना है कि हमारे जो सोचने का और देखने का तरीका है उस पर थोड़ा सा हम विचार करें और मैं भी अपनी बात यहाँ से कहूँगा कि--

"नजरों को बदलो तो, नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं.

कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है मित्रों, दिशाएँ बदलो तो किनारे बदल जाते हैं."

मध्यप्रदेश में जो चल रहा है उसका साथ आप दो, मध्यप्रदेश की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ के किसान की शान और शौकत भी बदलेगी. एकदम किसान अपने साथ खड़ा होगा. मध्यप्रदेश विजय था, विजय है, मध्यप्रदेश किसान का था, किसान का है और मध्यप्रदेश किसान का रहेगा और किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान उनकी सेवा और मदद करता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत-- रामेश्वर जी, किसानों की कर्ज माफी चाहते हैं कि नहीं? किसानों की कर्जमाफी का समर्थन करते हों कि नहीं?

श्री जसवन्त सिंह हाड़ा-- रावत जी, अब मत छेड़ो फिर 2 घंटे बोलेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- किसानों की कर्ज माफी चाहते हों कि नहीं?

श्री जसवन्त सिंह हाड़ा-- 2 घंटे बोलेंगे रामेश्वर जी, आप क्यों छेड़ रहे हों? बड़ी मुश्किल से तो बिठाया है.

उपाध्यक्ष महोदय-- उनका भाषण तो अब समाप्त हो गया है. रावत जी, बैठ जाएँ.

श्री रामनिवास रावत-- किसानों की कर्ज माफी आप लोग चाहते हों कि नहीं?

श्री के.पी.सिंह(पिछोर)-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन में 24 वाँ साल है और तमाम तरह के स्थगन इस सदन में आए, लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि जितनी इस विषय की गंभीरता थी, उस पर चर्चा तो हुई नहीं, उससे अनर्गल बातें सदन में हुईं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा हो नहीं सकता और मुझे शर्म आ रही है अपने आप बोलने के लिए लेकिन कर्त्तव्य की मजबूरी है. मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी आप से कहना चाहता हूँ बाकी मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता. अगर आपको ठीक लगे तो आप सुनना और कुछ करना. गोपाल भार्गव जी, मैं कभी किसी को टोकता नहीं.

श्री गोपाल भार्गव-- मैंने नहीं टोका.

श्री के.पी.सिंह-- मैंने आपको उस समय इसलिए टोका था कि आप जिस तरफ जा रहे थे, आपने पूरे सदन की दशा बदल दी. स्थगन का जो मुख्य उद्देश्य था उस पर न तो चर्चा हुई और न उस पर जितनी गंभीरता से विचार होना चाहिए था उस पर विचार हुआ इसलिए मैंने आपको टोका. मेरी आदत नहीं है. न मुझे बोलने का कोई शौक है. (श्री गोपाल भार्गव के खड़े होने पर) आप माफ करना, मैंने आप से पहले ही माफी मांग ली थी.

श्री गोपाल भार्गव-- मैं आपका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ.

श्री के.पी. सिंह-- मेरा आप ज्ञानवर्धन मत करो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है.अब मैं जिस जगह पहुंच गया वहाँ पर मुझे ज्ञानवर्धन की आवश्यकता नहीं है.आदरणीय भार्गव जी, आप चिंता करो.

श्री गोपाल भार्गव-- आपको 24 साल और मुझको 35 वाँ साल हो रहा है मैं इसीलिये कह रहा हूँ कि ज्ञानवर्धन कर दें आप.

श्री के.पी. सिंह-- मैंने इसीलिये तो आपसे कहा था कि इसकी दिशा मत मोड़ो.

श्री गोपाल भार्गव-- दिशा मैंने मोड़ी है?

श्री के.पी. सिंह-- आपने ही मोड़ी है.

उपाध्यक्ष महोदय-- गोपाल जी, आप बैठें. सिंह साहब आप अपना भाषण जारी रखें.

श्री के.पी. सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश में किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों हुआ. मंदसौर की जो घटना हुई, क्या उसको रोका नहीं जा सकता था?

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी-- प्रदेश में नहीं सिर्फ 4-5 जगह आंदोलन हुआ आप संपूर्ण मध्यप्रदेश की बात न करें. 4-5 जिलों की बात करें.

श्री के.पी. सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान संघों की चेतावनी या इन आंदोलनरत् किसानों के बारे में क्या कोई पूर्व सूचना सरकार को नहीं मिली और अगर मिली तो उनकी माँगें क्या थीं? क्या उनकी माँगों को समझने का हमने ठीक से प्रयास किया? सारा का सारा आरोप और आक्षेप चूंकि कांग्रेस पार्टी पर जाता है और कैलाश चावला जी चूंकि उस जिले के स्थानीय निवासी हैं और उनके लब्बोलुआब भाषण का अर्थ यही निकला कि यह सब कांग्रेस ने किया है.माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह कैसी परिस्थितियाँ बनी कि यह सब घटनाओं का शिकार मंदसौर के किसान को होना पड़ा. क्या उनका आंदोलन गलत था? अब चूंकि न्यायिक आयोग आपने बना दिया है. माननीय मुकेश नायक जी के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, आज घटना को एक-डेढ़ माह हो गया है, यह भार्गव जी आपने ही कहा था. डेढ़ महीने में माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें 325 प्रकरण दर्ज करने की बात की है. लेकिन आपके गृह मंत्री जी द्वारा और माननीय जितने मंत्री यहाँ बोले हैं किसी ने भी ये चर्चा नहीं कि जो 6 किसानों की मृत्यु हुई उसका कोई केस दर्ज हुआ? 325 प्रकरणों में उसके बारे में कहीं आपके जवाब में जिक्र नहीं है. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रदेश में एक भी हत्या कहीं होती है या कोई भी घटना होती है चाहे वह 307 ही क्यों न हो उसमें पहले एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद उसकी विवेचना होती है और पीड़ित पक्ष के जो 6 सदस्य चले गये क्या उनके परिवारजनों को इतना भी अधिकार नहीं था कि वह अपनी एफआईआर दर्ज करा पाते? उनको क्यों रोका गया. 302 किसने की, किसकी गोली के वह शिकार हुए? किसने गोली चालन का आदेश दिया? यह विवेचना के बाद की बात थी लेकिन कम से कम आपकी सरकार माननीय गृह मंत्री जी, एफआईआर दर्ज तो करती. आज दिनाँक तक एफआईआर की कॉपी किसी भी पीड़ित के पास नहीं है. एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी? आप अपनी गलती मानें या ना माने यह आपका अधिकार है. सरकार और मुख्यमंत्री जी फैसला करें उनको क्या करना है. लेकिन कम से कम जिन 6 लोगों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई. उनके कम से कम 302 के प्रकरण तो रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए थे. उसके बाद किसने किये, क्या नहीं किये, यह बाद में तय होता.

**5.59 बजे {डॉ. सीतासरन शर्मा (अध्यक्ष महोदय) पीठासीन हुए}**

क्या इसके लिए न्यायिक जाँच आयोग की जरूरत थी? मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत थी. अब आपको क्या करना है, आप तय करें. मैं आपके खुफिया तंत्र की चर्चा करना चाहता हूं. क्या खुफिया

तंत्र आपका इतना कमजोर था कि जिस तरह की घटना हुई, 1 तारीख से आंदोलन स्टार्ट हुआ और पांच दिन बाद यह घटना घटी, क्या पांच दिन तक आपको यही अहसास नहीं हो पाया कि उसमें तस्कर शामिल हैं या गोपाल भार्गव जी जो कह रहे थे कि अफीम की चूंकि तस्करी पर सरकार ने बहुत अकुंश कसा है तो गोपाल भार्गव जी, यह आपका भ्रम है. आज भी आपको मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि अफीम की तस्करी हो रही है और उसका नाम भी बता सकता हूँ कि कौन-कौन लोग है. आपसे तात्पर्य नहीं है. कौन-कौन तस्करी कर रहे हैं और क्या इन 6 मरने वाले लोगों में एक भी तस्कर है या उस तस्करी के धंधे से इन 6 लोगों का संबंध है. जब यह बात कहीं आई नहीं है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई ? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने चूंकि कैलाश चावला जी बार-बार इस बात को कह रहे थे अगर कांग्रेस पार्टी ने इस जनांदोलन को, किसान आंदोलन को समर्थन दिया, तो क्या यह अपराध है ? क्या हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते, विपक्ष में अगर बैठे हैं तो किसी वैध या जायज़ बात के लिए लिए आंदोलनकारियों को समर्थन नहीं दे सकते ? क्या यह कांग्रेस का अपराध है ? क्या आपने कभी समर्थन नहीं दिया. जब आप विपक्ष में रहे तब भी आंदोलन हुए, आपने भी भागीदारी की. अगर आज हमारे कुछ लोग भागीदारी कर रहे हैं या हमारे नेता भागीदारी कर रहे हैं...

श्री वैलसिंह भूरिया -- आप समर्थन करेंगे तो गाड़ियों में आग लगाएंगे क्या ? दूध फेंकेगे क्या ?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार -- इन्होंने जो बोला है उस पर आप विचार करें.

श्री के.पी.सिंह -- यह आपके लिए बोला है, आप विचार करें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- मेरा यह कहना है कि समर्थन ऐसा कि गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं कि हम जल रहे हैं, हम मर रहे है.

श्री के.पी.सिंह -- डॉ. साहब, जिन्होंने यह किया है, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे. सरकार आपकी है, मशीनरी आपकी है और जिसने यह कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करिए न.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, दूध जिसको हम अमृत कहते हैं, आप उसको जमीन पर फेंकेगे ? अगर वह दूध बच्चों को मिलता तो बच्चों का स्वास्थ्य सुधरता.

श्री के.पी.सिंह -- आप कार्यवाही करिए न. आप कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आप क्या अपाहिज हो ?

श्री जितू पटवारी -- आप गोली मारेंगे, आप हत्या करवाएंगे, आपकी पुलिस करेगी तो ये किसान कराहे भी नहीं.

अध्यक्ष महोदय -- के.पी.सिंह जी, आप अपनी बात जारी रखें. माननीय मंत्री जी, कृपया बैठ जाएं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है. मैं जितू पटवारी जी को एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ. आपको तो मेरी अच्छी सलाह यह है कि सबसे पहले आप अपने नाप के कपड़े पहना करें. मुख्यमंत्री जी की हाइट बहुत ज्यादा है, आप समझे या नहीं.

श्री के.पी.सिंह -- उनकी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला. आप समझा दीजिए.

अध्यक्ष महोदय -- के.पी.सिंह जी, आप अपनी बात जारी रखें.

श्री के.पी.सिंह -- अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल भार्गव जी ने चूंकि भाषण की शुरूआत की थी और एक बात कही थी कि कोई भी किसान दूध और सब्जी रोड पर नहीं फेंक सकता. गोपाल भार्गव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मंत्री महोदया भी यहां पर बैठी हुई हैं, मैं दूध की बात नहीं कर रहा हूँ दूध को तो हम लोग अमृत मानते हैं लेकिन पिछले सालों में शिवपुरी जिले में इतना टमाटर पैदा हुआ कि टमाटर की कीमत 2 रूपए किलो हो गई. वह सारा का सारा टमाटर जब मंडी में भाव नहीं मिला, तो किसान को सड़क पर टमाटर फेंकना पड़ा, उसे घर पर ले जाकर किसान क्या करता, तो किसान अपनी उपज सड़क पर नहीं फेंकता, इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसी भी कभी मजबूरी आती है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- आप टमाटर और दूध की तुलना कर रहे हैं.

श्री के.पी.सिंह -- आपने अकेले दूध की ही नहीं, सब्जी की भी बात की थी.

श्री गोपाल भार्गव -- दूध का घी बना लेते, मावा बना लेते, कुछ तो बना लेते, या कम से कम बीमारों को पिला देते, कुछ तो करते.

श्री के.पी.सिंह -- मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ, आपने ही सब्जी बोला था हुजूर. गोपाल जी के वक्तव्य में इसकी चर्चा तो आई कि पुलिस वाले की आंख चली गई.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार -- पुलिस वाला आदमी नहीं होता क्या ? उसकी आंख आंख नहीं होती, कैसी बात करते हैं आप ?

श्री के.पी.सिंह -- आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए. आपको क्या तकलीफ है. अभी तो आप चुपचाप बैठे थे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- चाहे किसान हो, चाहे पुलिस वाला हो, आंख किसी की नहीं फूटना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय मंत्री जी, कृपया व्यवधान नहीं करें.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार -- आंख फोड़ने वाले दोषी हैं.

श्री के.पी.सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आंख जिसने फोड़ी, उसके खिलाफ कार्यवाही करिए लेकिन आंख अगर फूट गई है, तो इसका मतलब यह है कि वे 6 किसान जो मर गए, उनकी हत्या का प्रकरण आप दायर नहीं करेंगे? उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ? आपके किसी भी वक्ता के वक्तव्य में उन किसानों के प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं हुई. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा आप किसानों को लेकर बहुत संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, दुनियाभर की बातें आप पिछले 12 सालों से कर रहे हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- क्षमा करें, मुझे एक बात कहनी है.

श्री के.पी. सिंह -- मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- आप मेरे बारे में बोलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े भाई हैं, मेरी बात सुन लें, जहाँ तक आप किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, जो मृतक किसान हैं, आपको शायद जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक-एक किसान के घर गए, एक-एक किसान के घर जाकर मिले और जब मुलताई में 24 किसान मारे गए थे, उस समय के मुख्यमंत्री जी किसी एक किसान के घर नहीं गए. यह जो किसानों वाला मामला है, आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप पुलिस के बारे में जानते हैं कि इसमें मर्ग कायम होता है और मर्ग कायम हुआ है. मर्ग कायम में भी जाँच होती है और न्यायिक जाँच भी हो रही है. मैं गृह मंत्री के नाते आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, सरकार सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, यह जिक्र मैंने इसलिए किया कि चूँकि सत्ता पक्ष से जितने भी वक्ता बोले, किसी ने भी उन किसानों की चिंता नहीं की, बात पुलिस वाले की आँख की नहीं थी.

श्री गोपाल भार्गव -- आप अभी रिकॉर्ड निकालकर दिखवा लें, मैंने यह कहा था कि मृत्यु कोई भी हो, दु:खद होती है, हम सब के लिए चिंताजनक होती है, यह मैंने भी कहा है और लगभग सारे लोगों ने कहा है.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय मंत्री जी, कृपया बैठ जाएं, श्री के.पी. सिंह जी, आप बोलें.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने बोला कि मर्ग कायम किया है, मर्ग कायम तब होता है, जब कोई जहर खाता है या आगजनी होती है, इसमें धारा 302 की बात नहीं कर रहे हैं.

श्री के.पी. सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है और माननीय गृह मंत्री जी आप भी जरा ध्यान दें कि इसमें आपको धारा 302 ही कायम करना चाहिए था, मर्ग नहीं, क्योंकि यह हत्या है, गोली से हुई है, और अगर उनके परिवारों से आप पूछते तो वे नाम भी बताते, जब हजारों की संख्या में लोग वहां थे तो क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था ? जहां कहीं प्रमाण नहीं होता, जहां कोई आधार नहीं होता, तब मर्ग कायम होता है, मृत्यु होने का जहां आधार नहीं होता कि मृत्यु किससे हुई ? जब गोली से मृत्यु हुई, हजारों लोग वहां थे तो क्या आपके पास प्रमाण नहीं था ? इसमें आपको धारा 302 दर्ज करनी चाहिए थी और इसके बाद आप इनवेस्टिगेशन की बात करते, यह आपसे गलती हुई है, चाहे आप मानें या न मानें.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूँ, चूँकि आप भी इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके आदेश की अनदेखी करूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सचेत करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये आंदोलन फिर न हों, या फिर कभी स्थिति बने कि ऐसे आंदोलन हों तो मेहरबानी करके अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं. जिस समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय हमारे डायमण्ड मंत्री जी का बयान आया कि कर्ज माफी नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए, उकसाने का काम आपकी तरफ से भी हुआ है. अगर कोई सार्थक बयान सरकार की तरफ से आता तो शायद इस घटना की स्थिति नहीं बनती, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार कर्ज माफ कर रही है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार द्वारा कर्ज माफ हो रहा है, तो क्या मध्यप्रदेश के किसानों का हक नहीं है ? किसान आपसे दया नहीं मांगते, सरकार के पास उन्हीं किसानों का पैसा है, वे अपने हक की बात कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि हक की बात करने का अधिकार प्रदेश के हर नागरिक को है, चाहे वह किसान हो, चाहे हममें से कोई हो, और जब हक की बात करने का अधिकार हमको है तो आपके मंत्री कैसे गैर-जवाबदार बयान देते हैं कि कर्ज माफी नहीं होगी. कर्ज माफ करने की बात कहकर सरकार में आए और आज कहते हैं कि कर्ज माफी नहीं होगी. ऐसा हो सकता है कि कर्ज माफी करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो, इसकी असली व्यवस्था पर आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि की आय

हम दोगुनी करेंगे और आपने भी पिछले 12 सालों से यही बात कही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और वही बात आपसे प्रेरित होकर माननीय मोदी जी ने कही है कि कृषि की आय हम दोगुनी करेंगे और इसी के लिए सारे प्रयास आप देश में कर रहे हैं. और आपके मंत्री किस तरह का बयान देते हैं. मुख्यमंत्री जी, इसके लिये आज जरुरत है कि आप इस देश की विडम्बना को देखें कि चाहे पिछली सरकारें हों या आज की सरकारें हों,किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जिसको अपनी पैदा की हुई वस्तु का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है. चाहे आपके इंडस्ट्री वाले हों, चाहे आपके किसी भी रोजगार धंधे वाले हों. हरेक को अधिकार है कि वह अपने उत्पादन की कीमत तय करे, लागत तय करके उससे मुनाफे में बेचे. लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जिसको अपने उत्पादन की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है और वही इस अव्यवस्था का शिकार हो रहा है. इसके बारे में चाहे आपकी सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे भविष्य की कोई भी सरकारें हों, जब तक मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में उसकी भागीदारी तय नहीं करतीं, जब तक उसको अधिकार नहीं दे सकतीं, ऐसी व्यवस्था नहीं करतीं, तब तक यह किसान आंदोलन होते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता. अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं. मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक शेर समर्पित करता हूं, चूंकि अभी हमारे विश्वास सारंग जी सदन से चले गये हैं. उन्होंने एक शेर कहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं. यह किसान आंदोलन का कारण भी वही है. **इंसाफ जब षडयंत्र की साजिश का हो शिकार.** इंसाफ से तात्पर्य आपसे है, सरकार के मुखिया से है. **इंसाफ जब षडयंत्र की साजिश का हो शिकार, करते हैं बेगुनाह और बेजुबां भी,** किसान बेगुनाह भी है और बेजुबां भी है. **करते हैं बेगुनाह और बेजुबां भी, बगावत कभी कभी.** यह वह बगावत है, इसको आप षडयंत्र का नाम मत दो. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द.

अध्यक्ष महोदय -- अब मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि 5 मिनिट में अपनी बात समाप्त करेंगे. श्री हरदीप सिंह डंग. आप 5 मिनिट में अपनी बात कहें.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) -- अध्यक्ष महोदय, यह मंदसौर जिले का मामला है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा. मैं पहले तो जो समस्त 6 किसान शहीद हुए हैं, उनको नमन करता हूं. बड़ा दुख का विषय है कि जो घटना घटी है, उस पर आज यहां पर चर्चा हो रही है, उसमें मंदसौर के मल्हारगढ़ विधान सभा के अभिषेक पाटीदार, जो 17 साल का एक नव युवक था. चेनराम पाटीदार, जो 22 साल का एक लड़का था. पूनम चन्द, बबलू पाटीदार जो 22 साल का एक लड़का था.सत्यनारायण धनगर 20 साल, कन्हैयालाल 40 साल और घनश्याम धाकड़,

जो गोली से नहीं मरा, जिसको थाने में पुलिस ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह छठा एक किसान था. मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो आंदोलन हुआ है, अभी यह कह रहे हैं कि यह मध्यप्रदेश का नहीं था, 5-6 जिलों का था. पर कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि यह आंदोलन शुद्ध रुप से किसानों का था. न तो कोई इसमें कांग्रेस थी, न बीजेपी थी, न शिव सेना थी, न बहुजन समाजवादी पार्टी थी और न ही समाजवादी पार्टी थी. यह मात्र किसानों का आंदोलन था. इसमें कहीं न कहीं किसान संघ भी सम्मिलित था. 1 जून को जब आंदोलन प्रारम्भ हुआ, तो शासन, प्रशासन को जिस तरह से गंभीरता से इस आंदोलन को देखना था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई, क्योंकि उसी समय पीपल्या मण्डी में 31 तारीख को एक पत्रकार, श्री कमलेश जैन की हत्या हुई थी और कहीं न कहीं वह भी आक्रोश पीपल्या मण्डी की जनता में था कि जिस कारण उसकी हत्या हुई है, उसके अपराधी नहीं पकड़ा रहे थे. पीपल्या मण्डी में एक वह भी आक्रोश था और 1 जून को वहां पर जो एक और अखबार में सूचना निकली कि रबी की फसल की 200 करोड़ की वसूली के लिये 35 हजार नोटिस जारी हुए कि इन पर कार्यवाही करके इनसे वसूली की जाये. यह एक तारीख की घटना थी और 31 तारीख को जब वह मर्डर हुआ था और 1 तारीख को यह अखबार में आया था. इसके पहले एक तारीख को मंदसौर में जो सब कुछ कह रहे हैं कि घटना वहां पर घटी. अखबार के माध्यम से जो पूरी जानकारी अभी मेरे पास है, उसमें देवास, झाबुआ,रतलाम, उज्जैन और नीमच. 1 तारीख को मंदसौर में शांति थी और कहीं न कहीं जो मैंने नाम लिये हैं, वहां पर और ज्यादा आक्रोश था. सरदारपुर, जहां पर 11 लोग घायल हुए थे और मंदसौर शांत था. जब दो तारीख होती है, तो दो तारीख को कृषि आयुक्त द्वारा रतलाम, उज्जैन, पी.सी. मीणा, जिनका नाम है, वह वहां पर आते हैं, इस आंदोलन का जायजा लेते हैं. प्रभारी मंत्री, जयंत मलैया जी हैं, यह भी किसानों की मीटिंग लेते हैं और उनसे चर्चा करते हैं और 3 जून को जब यह घटनाक्रम चेंज हुआ है, मैं आपका ध्यानआकर्षित करना चाहता हूं कि मुख्य सचिव वी पी सिंह जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा संभागीय आयुक्त की मीटिंग ली गई उसमें यह कहा गया कि जो व्यापारी हैं उनको फ्रंट पर लायें, कहीं यह आंदोलन 10 तारीख तक न चल जाये. व्यापारियों को किसानों के आगे किया गया. किसान और व्यापारी दोनों ही समन्वय बनाकर यह धरना लगातार चला रहे थे लेकिन कहीं न कहीं 3 तारीख को जब सिंह साहब ने यह आदेश दिया तब 4 तारीख को यह व्यापारी फ्रंट पर आये हैं, तब किसान और व्यापारियों में भिडंत और मन मुटाव शुरू हुआ, एक तो यह आक्रोश पैदा हुआ कि व्यापारियों को आगे किया गया फिर 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने किसान संघ से केवल चर्चा की, हो सकता था कि और भी दूसरे संगठन थे, किसान यूनियन थी,

जितने भी संगठन थे, अगर सभी संगठन वालों को बुला लिया होता, और केवल किसान संघ से बात न की होती तो किसानों में आक्रोश नहीं आता, कहीं न कहीं यह भी एक गलती हुई है कि सभी किसानों से बात नहीं हो पायी है, इसके कारण जो दूसरे संगठन आक्रोशित हुए हैं वह इसका ही कारण है. उसके बाद में अनिल जादव जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पिपलिया मंडी की घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, गृह मंत्री जी थोड़ा ध्यान से सुनना. यह घटना मंदसौर जिले में क्यों घटी, पिपलिया मंडी में व्यापारी और किसानों की लड़ाई हुई. व्यापारियों और किसानों का एक वीडियो वायरल हुआ. जब वह वायरल हुआ तो किसानों में आक्रोश आया कहीं न कहीं वह जोश में थे, गुस्से में थे कि हमारे किसान भाई को कहीं न कहीं पीटा है, मारा है. यह वह समय था जब पुलिस को कोई कदम उठाना था. वहां के टीआई अनिल सिंह ठाकुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जाकर यह कहा गया, गुड़ भेली, बालागुड़ा सहित कई गावों में जाकर यह बोला गया कि अब हमारे पास में पुलिस बल आ गया है तुममे ताकत है तो अब कुछ करके दिखाओ.

दूसरा कारण यह था कि उनको आक्रोश आया, एक तो वीडियो वायरल हुआ कि किसान को मारा गया है, जब अनिल सिंह ठाकुर गांवों में जाकर किसानों को बोलता है कि अब तुममें ताकत हो तो अब आ जाओ अब कुछ करके दिखाओ. उसके बाद में 6 तारीख को सुबह जब वहां पर जाम कर रखा था तो हो सकता था कि वह चर्चा करते, आंसू गैस छोड़ते या हवाई फायरिंग करते , एक अभिषेक जो कि 17 वर्ष का लड़का था होटल के बाहर पानी पी रहा था उसे सीधे एक गोली लगती है 12.15 बजे की बात है और जब उसका भाई मधुसूदन उसके पास खड़ा था वह देखता है कि अभिषेक पलटा तो एक गोली तो आगे लगी और जब वह पलटा है तो दूसरी गोली उसकी पीठ पर आकर लगती है. वह मात्र 17 वर्ष का लड़का था 11वी बायोलाजी में पढ़ता था. वह गांव में कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसका वह सपना टूट गया. चैन राम की उम्र 22 साल थी. उसने सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 3 - 4 बार परीक्षा थी वह सेना में जाना चाहता था. उसकी शादी हुए मात्र एक माह सात दिन हुआ था. उसकी भी जान चली गई. बबलू पाटीदार जो कि मात्र 20 वर्ष का व्यक्ति था, उसकी डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी. उसके एक बच्चा था,पहले उसके पिताजी भी एक साल पहले शांत हो गये थे,अब उसके घर में केवल उसकी विधवा पत्नी और मां बची है. ऐसे ही सत्यनारायण जिसकी 22 वर्ष की उम्र थी और कन्हैयालाल की 40 वर्ष की उम्र थी जो दो बच्चे अपने पीछे छोड़ गये हैं.

मेरा मानना है कि जब 5 लाश वहां पर लाये थे, घनश्याम की तो बाद में मृत्यु हुई थी. 3 बजे मैं अस्पताल में पहुंचा वहां उनके घरवालों से मिला, वहां पर हमने पोस्टमार्टम की बात कही तो उनके परिवारवालों ने कहा कि जब तक हमारी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होगी हम इसमें आगे कार्यवाही नहीं होने देंगे. 3 - 4 बजे के बाद में रात को 10 बजे जब मुख्यमंत्री जी से बात होती है और बात में जब यह निष्कर्ष आता है कि जो 50 लाख की मांगकी थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक करोड़ रूपये देंगे इनके परिवार को हम नौकरी भी देंगे और कहीं न कहीं शहीद का दर्जा भी दिलवायेंगे जो किसानों पर प्रकरण दर्ज हुए हैं वह भी वापस लेंगे, जब पोस्टमार्टम होगा उसमें ड़ॉक्टरों की टीम और प्राइवेट वीडियोग्राफी भी करायेंगे. आखिर में इनके परिवार वाले सब आ जाते हैं और आने के बाद में 11.56 बजे रात को, मैं वहीं पर था, तीन बजे से सुबह 5 बजे तक मैं अस्पताल में उपस्थित था प्रत्यदर्शी हूं मैं 11.56 बजे जब उनको पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं. मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, 11.56 बजे जब उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पोस्टमॉर्टम रूम में ले जाते हैं, वहां पर 2 घंटे इसलिए व्यतीत कर दिये जाते हैं कि हम आपको प्राइवेट वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे क्योंकि वहां पर आपको जो जानकारी दी गई थी कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई. अगर वीडियोग्राफी होती है तो वहां पर कहीं न कहीं इनकी चोरी पकड़ी जाती, इसलिए वीडियोग्राफी नहीं कराएं क्योंकि सरकारी कैमरा तो कुछ भी बोल देता है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया समाप्त करें.

श्री हरदीप सिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, मुझे तो समय दें. मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय - आपको बहुत समय दे दिया है.

श्री हरदीप सिंह डंग - अध्यक्ष महोदय, 11.56 बजे 2 घंटे के बाद भी पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ. उनकी शर्त थी कि हम प्राइवेट वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे और एसपी और कलेक्टर चाहते थे कि इसकी वीडियोग्राफी न हो. परन्तु आखिर में वीडियोग्राफी हुई. वाडियोग्राफी होने के बाद इनके सब हथियार जिससे बचना चाहते थे, कहीं न कहीं वह बचाव नहीं हो पाया, उसके कारण आपको सुबह कहा गया कि यह गोली पुलिस ने ही चलाई. अगर वहां पर वीडियोग्राफी नहीं होती तो आपको यह सही सूचना भी नहीं देते कि यह पुलिस ने गोली चलाई. अध्यक्ष महोदय, यह 7 तारीख को घटना घटी. 8 तारीख की घटना है. घनश्याम धाकड़, वहां पर इसको 6 साथी सहित दलौदा चौकी में लाते हैं, उसके पहले 2-3 लोग वहां पर बंद रहते हैं, इन सबके यहां पर नाम हैं. यह सुखलाल मीणा, श्यामलाल मीणा, ये जमुनिया मीणा के बच्चे हैं. अजय मुकेश पाटीदार, धर्मेन्द्र सुनार्थी, इनको घनश्याम धाकड़ के साथ में पकड़कर लाते हैं और लसुड़ावन के गोपाल धनगर,

नागेश्वर पाटीदार, किशोर राठौर, शिवनारायण मालवीय और गणेश मालवीय, इनके सामने घनश्याम धाकड़ को इतना पीटा जाता है, 11 लोगों को ही पीटा गया, परन्तु इसको इतना पीटा जाता है और पीटने के साथ जब इसके प्राण निकल जाते हैं तो दलौदा का एक डॉक्टर, जिसका नाम नीलेश जैन है, उसको थाने में लाकर घनश्याम को बताते हैं कि इसे चैक कर लो, वह घनश्याम को इंजेक्शन लगाता है, ड्रिप चढ़ाता है और 2 मिनट में कह देता है कि थाने में मृत्यु हो गई.

**6.22 बजे {उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}**

उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन बोलते हैं, जो 10 इसके प्रत्यक्षदर्शी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हमारे सामने इसको पीट-पीटकर मार डाला गया है. फिर उसको मंदसौर ले जाते हैं, मंदसौर से इंदौर ले जाते हैं. जो व्यक्ति मृत था घनश्याम धाकड़, उसको चौकी में ही मार देते हैं और चौकी में मारने के बाद इसको रेफर इंदौर कर दिया जाता है. इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती. जब इनके दोस्त यह कह रहे हैं कि हमारे सामने बात कर रहा था और फिर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, उसके बाद भी अगर सवा महीने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं होती है.

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस के बारे में कहा गया. मैं यहां पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी से ऊपर उठकर एक मानवता की बात कर रहा हूं. कांग्रेस अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है. यह सत्य है कि उसमें न तो कोई बीजेपी का था, न कोई कांग्रेस का था. सब मिले हुए थे. वहां पर किसी का कोई टारगेट नहीं था कि यह बीजेपी का और यह कांग्रेस का है. वहां पर 7 तारीख को जब दाग में गया, वहां पर पूर्व विधायक श्री राधेश्याम पाटीदार आते हैं, वहां से निकलकर जब रूपणी चौपाटी पर पहुंचते हैं. कुछ व्यक्ति उनकी गाड़ी में आग लगाते हैं. उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. रूपणी चौपाटी पर जब गाड़ी में आग लगती है. हम नाहरगढ़ में धरना देते हैं. मीनाक्षी नटराजन जी, पूर्व सांसद, हम सब वहां पर बैठे थे. जब वहां पर हमें फोन आता है कि एक पूर्व विधायक जी की गाड़ी जला दी है, आप इधर मत आना, नहीं तो आपकी गाड़ी को भी आग लगा देंगे. मैंने मेरी गाड़ी नाहरगढ़ में छुपाई और दूसरी गाड़ी से मैं होकर आया. उसमें वहां पर मेरे साथ, मीनाक्षी जी के साथ जो 3-4 लड़के कांग्रेस के थे, जब आग वहां पर लगी थी तो वह वहां पर थे. परन्तु कहीं न कहीं राजनीति, द्वेषता के कारण कि ये कांग्रेस का काम करते हैं, आप उनका टॉवर लोकेशन देख लें, उनकी वीडियोग्राफी देख लें, वहां पर वे उपस्थिति नहीं थे परन्तु जो 1000 आदमी थे, उसमें बीजेपी वालों को बुलाकर कहा गया कि देख तेरा नाम हटा रहा हूं, देख तेरा नाम हटा रहा हूं. सिर्फ कांग्रेस के 2-3 लोगों के नाम जोड़ दिए. आप वीडियोग्राफी देखें. पुलिस ने भी

कहीं न कहीं वीडियोग्राफी की है. आजकल मोबाइल से वीडियोग्राफी होती. जहां पर कोई दंगा या घटना होती है तो वहां पुलिस वाला मोबाइल लेकर खड़ा हो जाता है कि कितनी और कौन पब्लिक है. वहां से जब निकले हैं तो देखा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान का एक बयान टीवी पर आता है कि पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गई कि मेरे घर को दो दिन से कंजरों ने घेर रखा है और ये सीतामऊ के कंजर हैं. सीतामऊ के कंजरों को उनके लीडर ने पैसे देकर मेरे घर पर भेजे हैं और दो दिन तक मुझे बाहर नहीं निकलने दिया. मैं बड़ा परेशान हूं. कंजरों की दोनों तरफ से चांदी है जिसने भेजा वह भी पैसा दे रहा है और जो वहां से हटाएगा वह भी देगा. उपाध्यक्ष जी, मैंने एक लेटर देकर एसपी साहब से पूछा कि अगर पूर्व विधायक दो दिन बंद रहे तो क्या पुलिस थाने में उन्होंने कोई फोन किया या लिखित में सूचना दी? इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों से, मुख्यमंत्री जी से वाहवाही लूटना और गलत जानकारी आपको देना था. प्रदेश अध्यक्ष को गलत जानकारी दी गई.

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न भी लगाया है कि अगर जिसने कंजर बुलाये हैं तो उस पर आप कार्यवाही करें. अगर संवेदना लेने के लिए असत्य जानकारी दी है तो असत्य जानकारी देने वाले पर भी आप कार्रवाई करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- समाप्त करें.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सब घटना को लेकर विधान सभा के विधायकों की एक समिति बनायी जाये. समिति बनाएंगे तो ही इसकी जांच सही होगी. क्योंकि अभी वहां पर जो जांच की जा रही है वह एक एसडीएम द्वारा की जा रही है. जब घटना घटी थी तब एसडीएम वही था तो वह क्या जांच करेगा ? मेरा निवेदन है कि आप तत्काल विधान सभा की एक समिति बनाये जिसमें कांग्रेस और भाजपा के विधायक रखें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आ जाये.

श्री दिलीप सिंह परिहार-- उपाध्यक्ष जी, वहां की घटना की न्यायिक जांच हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय-- हरदीप सिंह जी, अब आप समाप्त करें.

श्री हरदीप सिंह डंग-- यहां पर मैंने भाजपा, कांग्रेस की बात नहीं की है. मेरा एक और निवेदन है कि जिन पुलिस वालों ने गोली चलायी है तो गोली प्रदाय करते समय गोली का नंबर लिखा जाता है कि किस पुलिस वाले को कौन से नंबर की गोली दी है और किस हथियार के लिए दी गई थी. पोस्टमार्टम में जो गोली निकली उस पर नंबर भी लिखे थे कि इस नंबर की गोली है तो नंबर की गोली से यह पता लगाया जा सकता कि यह किस पुलिस वाले को इश्यू की गई थी.

स्वास्थ्य मंत्री(श्री रुस्तम सिंह)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस सेवा में रहा हूं. मैंने देखा है कि कहीं भी यह संभव भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है कि किस सिपाही को कौन सी गोली दी गई. हथियारों के नंबर दिए जाते हैं लेकिन कारतूस के नंबर नहीं दिए जाते. माननीय सदस्य कुछ भी कह रहे हैं.

श्री हरदीप सिंह डंग-- उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि किसानों पर जो असत्य प्रकरण दर्ज किए उनको वापस लिया जाये. (व्यवधान) धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बोलना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय - गोलियों के नंबर के बारे में.

कुंवर विक्रम सिंह - नहीं गोलियों का कोई नंबर नहीं होता है. गोलियों के बारे में नहीं. but the issued ammunition to each and every constable is counted and whose count is less that should be penalized.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों विधायकों की भ्रांति मैं दूर कर देता हूं. यह बिल्कुल गलत है. मैं तो 30 साल नौकरी करके आया हूं. जबलपुर,इन्दौर,रायपुर का एस.पी. रहकर आया हूं. बहुत दंगे हमने देखे हैं. पच्चीसों दिन जबलपुर का कर्फ्यू मैंने देखा है कभी भी यह संभव ही नहीं है. केवल औऱ केवल हथियार कौन सा दिया गया वह लिखा जाता है गोलियां नहीं लिखी जातीं. हजारों गोलियां यिशू होती हैं.यह संभव ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है कुछ भी बोले जाते हैं.

श्री रुस्तम सिंह - जब आप ही सब जवाब दे दोगे तो मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे.

कुं.विक्रम सिंह - मैगजीन और कारतूस दिये जाते हैं. आप उन कारतूसों की गिनती करवाएं. कारतूसों की गिनती से पता चल जायेगा कि किसके कारतूस कम थे.

**श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)** - माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना,संवेदनाओं से जुड़ी हम सबकी चिंता, जो नहीं होना था वह हुआ. किसी को कल्पना नहीं थी कि सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हुए किसान आंदोलन के नाम पर 3 दिन के अंदर अंदर मालवा क्षेत्र की फिजा बदल जायेगी. शासन,प्रशासन,जनप्रतिनिधि उस समस असहज हो गये जब मेरा पूरा मंदसौर जिला,रतलाम जिला,उज्जैन और देवास जिला आग के हवाले हो गया. गोलीकाण्ड,लूट,टोल टैक्स को लूटना,बसों में आग लगाना,ट्रकों में आग लगाना,चौकियों को फूंकना, वास्तव में मेरे जिले का यह स्वभाव नहीं है. जिस जिले के बारे में कहा जाता है "मालव धरती गहन गंभीर डग-डग रोटी,पग-पग नीर " गोली काण्ड के बाद और गोलीकाण्ड से पहले अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता किसान आंदोलन को हवा देने का काम कर रहे थे लेकिन

गोलीकाण्ड के बाद पूरे देश और प्रदेश के नेता मंदसौर जिले में छावनी के रूप में आ गये. उन्होंने प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई. मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें नहीं आना चाहिये लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं. उन परिस्थितियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल जी ने निम्बाड़ा से लेकर नयागांव से लेकर,नीमच से लेकर, राबड़िया-भड़भड़िया रोड से होते हुए और बरखेड़ा पंथ की तरफ आने का एक नाटकीय प्रदर्शन किया. सहारा लिया गया है निम्बाड़ा के कांग्रेस के नेताओं का, मेरे व्हाटसअप में फोटो मौजूद है जिस पर माननीय राहुल गांधी जी के मंदसौर जिले में आगमन पर दुख के इस प्रसंग पर कांग्रेस के अमुक-अमुक नेता,पूर्व जनप्रतिनिधि अभिनंदन करते हैं,स्वागत करते हैं. जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी,माननीय प्रभारी मंत्री महोदया अर्चना जी और अन्य लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कहने पर ढोढर के माननखेड़ा टोल से पलट जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपको नहीं आना चाहिये व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं और उस परिस्थिति में पूरी कांग्रेस कोई राहुल गांधी को कंधे पर बैठाने की बात कर रहा था, कोई मोटरसाईकल पर बैठाने की बात कररहा था,कोई पैदल दौड़ाने की बात कर रहा था. आठ-आठ,दस-दस हजार लोग क्या किसी मृतक परिवार के घर पर संवेदना प्रकट करने जाते हैं. हमने तो कभी नहीं सुना और जब पुलिस प्रशासन हैरान हो गया था,हताश हो गया था उनको रोकने में. प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया. उस जंगल में, उस सड़क पर आने के पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी के छत्ते ने जिसको हमारे यहां भंवरमार कहते हैं, एक मधुमक्खी का छत्ता उड़ गया और उसने भीड़ को नियंत्रित किया. स्वयं राहुल गांधी, सचिन पायलट ये सब भागते फिरे और (XXX). ... (हंसी)..

उपाध्यक्ष महोदय-- यशपाल जी, यह तो आपने जोड़ दिया. इसको निकाल दीजिये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस मुस्तैदी के साथ, अगर कांग्रेस दृढ़ता के साथ, अगर कांग्रेस जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार करती कि इस आंदोलन में हम शामिल थे तो 6 निर्दोष लोग जो मारे गये हैं उनकी भी जिम्मेदारी ले, जो ट्रक आग के हवाले हुये हैं उनकी भी जिम्मेदारी ले, टोल नाके लूटे गये उनकी भी जिम्मेदारी ले क्योंकि नेतृत्व आप कर रहे थे. 15 लाख रूपये की शराब की दुकान वहां पर लूट ली गई, किसान कभी शराब की दुकान नहीं लूटता है और मुंह पर कपड़े बांधकर के जैसा कि चावला जी ने कहा, हम आश्चर्यचकित हो रहे थे, यह कौन सा आंदोलन है. किसान के नाम के आंदोलन पर मुंह पर कपड़े बांधकर के निकल पड़े हैं चलो, चलो, चलो. रतलाम के डेलनपुर में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी ने जो

बयान दिया है उस बयान के बाद जो मंदसौर में आग लगी है, बयान का तात्पर्य था माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को सैलाना नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने वाले थे, 3 तारीख को चूंकि 1, 2 और 3 तारीख तक आंदोलन ने धीरे-धीरे आग पकड़ना शुरू कर दिया था, कांग्रेस को भी लगा कि हम लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं यह बहुत अच्छा मौका है, यह श्याम गुर्जर है कौन रिंगनौद का, राजेन्द्र पाण्डेय जी आप जानते होंगे, कांग्रेस के जिले के उपाध्यक्ष रतलाम के, डेलनकुंड में जिन्होंने भाषण दिया था डी.पी. धाकड़, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, वीडियो वायरल हुआ. मुझे कहते हुये शर्म आ रही है कि सदन के दो सदस्य जिनके वीडियो वायरल हुये हैं, जिन्होंने आग लगाने की बात कही है, अभी जितू पटवारी जी चले गये, उन्होंने भी एसडीएम के साथ जो संवाद किया, संवादहीनता का वीडियो वायरल हुआ.

श्री शंकरलाल तिवारी-- उनके खिलाफ कोई मामला कायम है क्या ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां बैठे हुये हैं. प्रदेश के गृहमंत्री सदन में बैठे हैं. ...(व्यवधान)...

श्री उमाशंकर गुप्ता-- आप कहेंगे तो करवा देंगे... (व्यवधान)...

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- सवाल मामला कायम होने का नहीं है, उनका जो गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, एसडीएम को जितू पटवारी कह रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष जी जितू पटवारी जी ने दावा किया था.

श्री शंकर लाल तिवारी-- सिसोदिया जी गृहमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं.

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जांच चल रही है और जो वीडियो क्लीपिंग आती जा रही है उसके आधार पर आगे कार्यवाही हो रही है, उसको देखेंगे.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- तिवारी जी आपकी इच्छा को पूरा करेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष जी, जितू पटवारी जी चले गये हैं, उन्होंने कहा था मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस घटना में शामिल होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा. उनके सगे भाई भरत पटवारी द्वारा चोइथराम सब्जी मंडी में तोड़फोड़ व आगजनी की है, जितू पटवारी जी अब त्यागपत्र दे दो. इसी सदन में आधे घंटे पहले बोलकर गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण दर्ज है.

उपाध्यक्ष महोदय-- यशपाल जी यह आपको पहले बोलना था.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं टोकना नहीं चाह रहा था, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं. मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू. कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम में नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिये, इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है, जो गोलीचालन

हुआ है, यह जो बसों में आग लगी है. वहां पर बच्चे किलकिला रहे थे, रो रहे थे, मां बचा लो, पापा बचा लो, कौन आग लगाने वाले थे. कांग्रेस के लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है. यह जो स्थगन 17 जुलाई को गोविंद सिंह जी ने रखा है, गोविंद सिंह जी अगर 1 महीने पहले तलाश कर लेते 10-15 दिन पहले तलाश कर लेते तो आपके स्थगन में आपको यह लाइन नहीं लिखना पड़ती कि मृतक किसानों के निकटतम परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने तथा आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लिये जायें. माननीय गोविंद सिंह जी, मुख्यमंत्री जी की अति संवेदनशीलता ही है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक गोली काण्ड हुये हैं उसमे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसानों की मृत्यु पर, असामायिक मृत्यु पर एक एक करोड़ की राशि घटना के एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री जी के मंदसौर जिले के प्रवास के एक दिन पहले आरटीजीएस के अंतर्गत उनके खातों में जा चुकी हो. माननीय महेन्द्र सिंह जी आपका स्थगन भी मैंने देखा है. आपने उसमें लिखा है कि "जिन लोगों पर विभिन्न धाराओं पर प्रकरण दर्ज हैं सरकार उन्हें फरार घोषित कर गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, अपराधियों को प्रशासन खुले आम घूमने दे रहा है इस कारण प्रदेश की जनता में भय एवं आतंक है". माननीय महेन्द्र सिंह जी आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं यह जो डीपी धाकड़ है इसको हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं ,संपत्ति कुर्क करने को लेकर के और फरारी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर ईनाम रखा हुआ है. जिस श्याम गुर्जर की मैं बात कर रहा था और आदरणीय कैलाश जी चावला जी ने जिसका जिक्र किया . हमारे पास में फेसबुक पर उनके संवाद का आदान प्रदान है. मेरी विधानसभा क्षेत्र के दलौदा की रेल की पटरी को उखाड़ने के लिये, और पटरी किस समय उखड़ेगी श्याम गुर्जर बोल रहा है रात को भोपाल से जयपुर वाली गाड़ी आती है इसलिये आज रात को रेल की पटरी उखड़ जानी चाहिये. जेसीबी मशीन क्यों नहीं मिल रही है, सामने वाला बोलता है कि आंदोलन के कारण से वाहन नहीं मिल पा रहे हैं चक्का जाम है. किसी भी स्थिति में लाओ, किसी भी कीमत पर लाओ, किराये की लाओ अपने वाले की लाओ लेकिन रात को पटरी उखड़ जानी चाहिये. यह जो संवाद हुये हैं इन सारे संवादों के आधार पर मैं समझता हूं पुलिस प्रशासन अपने काम करेगा और न्यायिक आयोग उनको गंभीरता से देखेगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कालूखेड़ा जी फरमा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के अनशन के दिवस पर यह कौन सी संवेदना है कि 12 दिन के अंदर परिवार के सदस्यों को बुलवाया जाये. और उसमें आपने यह जिक्र किया है कि धनश्याम धाकड़ के परिवार के लोगों को भी बुलवाया गया. माननीय महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठे थे और जब उपवास स्थल पर पीड़ित परिवार के लोग खुद आये थे,

प्रभावित लोग खुल चलकर के आये थे, उनको किसी ने बुलाया नहीं था और महेन्द्र सिंह जी ने जिस धनश्याम धाकड़ के परिवार के सदस्यों की बात की है, मुख्यमंत्री जी के उपवास के दिन धनश्याम की मृत्यु नहीं हुई थी वह जीवित था, यह जो पांच लोग गोली काण्ड में शिकार हुये थे उनके परिवार के 4 सदस्य आये थे और हम भी उपवास स्थल पर रात को थे, हमने देखा वे बिलख रहे थे . उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और महेन्द्र सिंह जी ने कही है वे कह रहे थे कि उन्हें संवेदनाओं के लिये बुलाया गया था. यह बात माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा था, मैंने उनका बयान पढ़ा है उन्होंने कहा कि यह कैसी संवेदना है मुख्यमंत्री जी की कि 12 दिनों में उनके घर जाने के बजाए उन्हें अपने घर पर बुलाया गया. उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महेन्द्र सिंह जी का और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान करता हूं . राजघराने में बड़े लोगों के यहां संवेदना प्रगट करने आने वाले लोग विजिटर बुक में अपना नाम लिखकर के जाते हैं . उनके घर के या परिवार के सदस्य बाहर आकर के उनसे मिलते तक नहीं है, यहां तो खुद पीड़ित परिवार के लोग चलकर के आये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कांग्रेस ने कहा कि क्या यह आंदोलन तस्करों का था या आंदोलन किसानों का था, जबरन तस्करों को फंसाया जा रहा है. 28 तस्करों की वह सूची जिला पुलिस प्रशासन ने जारी की जिनके ऊपर एक हजार रूपये से लेकर के पांच हजार रूपये तक का ईनाम घोषित था और एनडीपीएस का प्रकरण उन तीन या उन पांच दिनों में दर्ज नहीं हुआ है. वह जो 28 तस्कर थे वह पुराने वांटेड और लिस्टेड तस्कर थे जो मंदसौर जिले में तस्करी करते थे इस घटनाक्रम में उनको लेकर के पुलिस प्रशासन ने एक सूची जारी की है इसका यह मतलब नहीं है कि तस्कर बनाकर के उन किसानों को जबरिया प्रकरण में फंसाया गया है . अगर आप उनकी सूची देखेंगे तो यह पुराने प्रकरण हैं और सूची माननीय गृह मंत्री जी के पास मे आई होगी. एक हजार का ईनाम, दो हजार रूपये का ईनाम, पांच हजार रूपये का ईनाम, कोई चलते चलते ईनाम नहीं रखा जा सकता है . यह पुराने प्रकरण थे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन परिस्थितियों में भी आपने मंदसौर जिला मुख्यालय में जो जनसंवाद किया, ढाई से तीन हजार लोग संजय गांधी उद्यान में उस दिन थे और रात को साढ़े दस बजे तक जन संवाद का कार्यक्रम चला . माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे घटनाक्रम की जानकारी ली क्या हुआ, कैसे हुआ हर व्यक्ति को अधिकार है बोलने का उसमें किसान भी थे, जीएसटी के मामले को लेकर के व्यापारी भी थे, अनेक तमाम प्रकार के लोग थे.

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों, जिन कस्बों में न केवल मृत परिवारों के यहां बल्कि कयामपुर में, सितामउ में, सुवांसरा में, पिपलिया मंडी में, जहां-जहां भी आर्थिक नुकसान हुआ है. माननीय मुख्यमंत्री का दौरा उन गांवों में निरंतर चलता रहा है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे घटनाक्रम में जो एक नया काम  हुआ है मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहता हूं. अभी दो दिन पहले इस घटनाक्रम में जो आगजनी हुई जो नुकसान हुआ है, उसके संबंध में पहली बार 16 जुलाई को 127 व्यक्तियों को एक-एक करोड़ रूपये की राशि देने के अलावा जिनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उनको भी चार हजार रूपये से लेकर चौबीस लाख रूपये तक की अधिकतम राशि दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण के दौरान स्वयं देखा था कि उस घटनाक्रम में किसी का पट्रोल पंप जला दिया गया, किसी की तीन मंजिला दुकान जला दी गई, किसी का शोरूम जला दिया गया और उन्होंने जैसा वक्तव्य दिया, उसी प्रकार से उनकी सूची बनी और 127 लोगों को 01 करोड़ 64 लाख रूपये की राहत दी गई. यह नियम शिथिल करते हुए जो सहायता दी गई है यह वास्तविक नुकसान के आंकलन के आधार पर दी गई है. यह सहायता नहीं है, यह वास्तविक नुकसानी की क्षतिपूर्ति दी गई है और मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शनिवार 16 तारीख को इनका भी पैसा आर.टी.जी.एस. हो गया है. एक समय था, जब मुलताई में किसानों को दो-दो लाख रूपये देने की बात हुई थी. वह रूपया किसानों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा यह एक अलग विषय है, लेकिन यहां एक-एक करोड़ रूपये के अलावा दुकानदार और व्यवसायिओं को जो नुकसान हुआ था उन सभी को सहायता देने का काम किया गया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंदसौर और जावरा जिले की सीमा रेखा पर एक माननखेड़ा टोल नाका है, उस टोल नाके से श्री राजेन्द्र पाण्डे जी का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है. माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां संवेदना प्रकट करने के लिये पूरे काफिले के साथ आते हैं. मैंने वहां की सारी वीडियो रिकार्डिंग कलेक्ट की और अपने लोगों को जाकर बोला कि देखो किस प्रकार का यह एक दिखावा हो रहा है. उस टोल टैक्स पर सिंधिया जी की अगुवाई करने वाला एक गुट विशेष नारे लगा रहा था " सिंधिया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, सिंधिया जी बढ़ते जाना तुम्हारे पीछे सारा जहां हैं." एक तरफ संवेदना व्यक्त करने उन्हें जाना था और एक तरफ उनका गुट विशेष " बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो" का नारा लगा रहे थे. इसी हिंसा के अंतर्गत किसानों के मृत्यु पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पता नहीं कहां कहां से टोपियां लगाकर आ गये और उन टोपियों पर लिखा था अबकी बार किसानों की सरकार. वह संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और

टोपियां लगाकर के किसानों की सरकार बनाने की बात कर रहे थे, इससे साफ परिलक्षित होता है कि इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि यह प्रतिपक्ष का बिल्कुल असत्य कथन है कि झूठे प्रकरण बनाये जा रहे हैं, दबावपूर्वक प्रकरण बनाये जा रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो कर्फ्यू के उल्लंघन के दौरान मेरे विधानसक्षा क्षेत्र के यशोधर्मन थाना, सिटी कोतवाली, नई आबादी, पिपलिया मंडी, मल्लारगढ़ और नारायणगढ़ में कुल छः प्रकरण कफ्यू का उल्लंघन करने को लेकर धारा 151 के अंतर्गत दर्ज हुए हैं, जिसमें अपराधी मात्र 34 हैं. उन तीन-चार दिनों में कुल 102 लोगों की गिरफतारी की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 01 जून से लेकर 10 जून 2017 तक आंदोलन में मंदसौर शहर में कुल अपराध 100 और आरोपियों की संख्या 381, रतलाम में कुल अपराध 19 और आरोपियों की संख्या 138, नीमच में कुल अपराध 08 और आरोपियों की संख्या 67 है. यह कहा जा सकता है कि दबावपूर्वक कोई कार्यवाही जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो महत्वकांक्षी घोषणा की है और वह घोषणा जमीनी हकीकत में बदलेगी. इसके लिये 01 हजार करोड़ रूपये का मूल्य स्थिरीकरण का कोष स्थापित किया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग बनाये जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहसिक निर्णय किया है. यह भी पहली बार होगा कि कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का पृथक से गठन किया जायेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसकी प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मालवा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन रहा है, आप इंदौर और उज्जैन संभाग देख लीजिए प्रतिपक्ष ने इस गढ़ को भेदने के लिये किसानों के आंदोलन का कहीं न कहीं लाभ उठाने की कोशिश की है. मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस खुलकर सामने आई थी तो वह एक तारीख को क्यों नहीं आई थी, दो तारीख को क्यों नहीं आई थी, तीन और चार तारीख को क्यों नहीं आई थी. घटना के बाद गोली काण्ड के बाद ऐसे कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता निकल-निकल कर आ गए कि वाह आनन्द आ गया. चावला जी की भाषा में वाह क्या सीन है ?

उपाध्यक्ष महोदय - विक्रम सिंह जी आप लोग बातों में व्यस्त है. आप भाषण सुनें एवं थोड़ा गम्भीरता दिखायें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मन्दसौर के सर्किट हाउस पर जब कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जी, कांग्रेस की पूरे मन्दसौर जिले की नेता एवं उसमें अन्य लोग भी थे, उन सबने आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से जब संवाद किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहिये, किसी के ऊपर असत्य प्रकरण नहीं बनेगा. मैंने कांग्रेस का एक खेल और देखा है कि मन्दसौर जिले की घटना में एक व्यक्ति श्री घनश्याम धाकड़ हैं, उनका गांव बड़बन है. बड़बन में कांग्रेस का एक नेता, एक दिन अपने लबाज़मे के साथ 5-6 मृतकों के घर जाता है, दूसरे-तीसरे दिन दूसरे गुट के लोग कहते हैं कि उनके साथ कितनी गाड़ियां थीं ? उन्हें बताया गया कि उनके साथ 20 गाड़ियां थीं. हम 35 गाड़ियों के साथ चलेंगे. यह क्रम लगातार 3, 4 एवं 5 दिनों तक चलता रहा. मुझे लगा कि संवेदनाएं कम हो रही हैं, शक्ति-परीक्षण और अपनी गुटीय राजनीति का ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है. यह सब मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार.

उपाध्यक्ष महोदय - आपका धन्यवाद. आप यह भूल रहे हैं कि श्री हरदीप सिंह डंग जी सवा लाख के बराबर हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उपाध्यक्ष महोदय, सरदार तो सवा लाख के बराबर हैं ही.

श्री जयवर्द्धन सिंह (राधौगढ़) - माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटनाक्रम मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ महीने में हुआ है और विशेषकर जो हादसा 6 जून को मन्दसौर में हुआ था. मैं मानता हूँ कि यह सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के लिए एक शर्मनाक घटना है और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस सरकार ने पांच साल लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है, जो सरकार अनेक विज्ञापन छापती है और उसमें लिखा होता है कि भाजपा सरकार ने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है तो ऐसी घटनाएं मध्यप्रदेश में क्यों हो रही हैं ? क्योंकि अगर किसान खुश हैं, किसान का विकास हुआ है तो फिर जो आन्दोलन एक जून को प्रारंभ हुआ था, वह कभी नहीं होता और साथ में 4 जून को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो उम्मीद यह थी कि अगर घोषणा होती है तो उससे फिर आन्दोलन शान्त होना चाहिए था लेकिन घोषणा के बावजूद आन्दोलन हुआ और किसानों में उस घोषणा के बाद और भी आक्रोश आया. उसमें 2 विशेष कारण थे, सबसे पहले जो

घोषणा प्याज की खरीदी की हुई थी. हां, यह अच्छी बात है कि पहले प्याज 1 रुपये प्रति किलो बिक रहा था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य उस पर दिया था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों होता है ? जब समस्या आती है, जब दाम गिर जाते हैं, फ्री घोषणा होती है, यही स्थिति पिछले वर्ष भी हुई थी, पिछले वर्ष भी प्याज का दाम एक रुपये-डेढ़ रुपये पर आ गया था. उस समय भी 6 रुपये प्रति किलो की घोषणा की गई थी. अगर वही घोषणा साल भर की गई होती या अब तक की गई होती तो किसान परेशान नहीं होता. उसके बाद क्या होता है ? हर बार सरकार इन्तजार करती है. जब समस्या आती है, उसी के बाद घोषणा होती है. अगर आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी जी यह कह दें कि जो समर्थन मूल्य की घोषणा हुई है, वह एक या दो वर्ष तक रहेगी और जब भी प्याज का रेट 8 रुपये प्रति किलो से कम होगा तो 8 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पूरे साल भर किसानों को मिलेगा तो मैं यह मान लूँगा कि यह एक अच्छा निर्णय हुआ है. उस समय, दूसरा बिन्दु जो सामने आया था कि 50 प्रतिशत पैसा जो किसानों को मिलेगा, वह नकद मिलना चाहिए. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और आयकर विभाग ने यह आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यापारी एक दिन में 2 लाख रूपए से अधिक नगद राशि नहीं दे सकता है, और किसानों में भी इसलिए आक्रोश बढ़ा था क्योंकि जो घोषणाएं थीं, उसका पालन किसी भी कस्बे या मंडी में नहीं हो रहा था. दूसरी बात, मंदसौर में जिन किसानों की मृत्यु हुई थी, उनमें से 6 में से 5 किसान ऐसे थे, जिनकी उम्र 17 और 26 वर्ष के बीच थी, मतलब कि 5 किसान युवा थे और खुद मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले उनका एक विश्वविद्यालय में भाषण था उसमें कहा था कि अब खेती लाभ का धंधा नहीं बचा है और अब युवाओं को उद्योग में और अन्य बिजनेस करना चाहिए जिससे युवा आत्मनिर्भर हो. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय खेती में जो लागत लग रही हैं वह फसल के मूल्य से अधिक है, विशेषकर पिछले 10 सालों में डीजल के दाम, खाद के दाम, बिजली के दाम या बीज के दाम देखे तो इन सबमें बहुत वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की फसल का मूल्य उस मंहगाई के बराबर नहीं पहुंच पाया है.

माननीय उपाध्यक्ष्‍ा महोदय, विशेषकर सीएजी के रिपोर्ट में यह उल्लेख भी है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने इस बात का उल्लेख किया भी किया है कि 2012 और 16 के बीच में 945 करोड़ रूपए खर्च किए हैं, खाद और बीज के लिए, लेकिन इसमें से केवल 2 प्रतिशत किसानों को ही लाभ मिला है, इसी सत्र में जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके 5 वें पेज पर इसका उल्लेख है. इसी के साथ कृषि उपकरण में भी 240 करोड़ रूपए खर्च हुए है जिसको सीएजी ने बिलकुल अनियमित व्यय घोषित किया है, इसकी भी जांच उच्च स्तर पर होना चाहिए. इसी के

साथ किसानों की फसल पर भी प्राइस कंट्रोल मेकेनिजम सरकार तय करें, यह बात स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी उल्लेख है कि हर फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, जिसकी अब तक केन्द्र में भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बिन्दु है उनको इम्पलीमेंट करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है. अगर आप भाजपा के किसी भी सदस्य से सदन में तो नहीं लेकिन बाहर पूछ लो तो नोटबंदी का भी इस आंदोलन पर बहुत भारी असर है, लेकिन कोई भी सदस्य सदन में इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा. विशेषकर इसमें यह बात भी सामने आई है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में थी, उस समय गेहूं पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत था, जो भी व्यक्ति बाहर से गेहूं लाता था, उसको अधिक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने इस 25 प्रतिशत ड्यूटी को शून्य कर दिया, जिसके कारण और अधिक गेहूं बाहर से आ रहा है. क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में संदेश देंगे कि वह ड्यूटी वापस 25 या 30 प्रतिशत हो, ताकि अधिक इम्पोर्ट सरप्लस गेहूं बाहर से हमारे देश में न आए, ताकि किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल पाए.

**6:58 बजे {अध्यक्ष महोदय(डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}**

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार सोयाबीन के साथ साथ उड़द की काफी बोवनी हुई है. माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जैसे हर बड़े कस्बे पर गेहूं के खरीदी केन्द्र लगते हैं, उसी प्रकार खरीदी केन्द्र उड़द के लिए भी लगाए जाए, ताकि हर मंडी और कस्बे पर उड़द की खरीदी हो सके. अंत में यह कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई है कि जब खेती का समय आता है तो विशेषकर खाद और बीज का ब्लैक मार्केट पूरे प्रदेश में हो जाता है. जब फसल का समय आता है तो उस समय हर खरीदी केन्द्र पर मारामारी होती है. इस तरह का जो वातावरण बन गया है पूरे प्रदेश में यह बदलना पड़ेगा. अभी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वह कृषि और किसानों पर ध्यान दे, लेकिन अधिकतर भाजपा के विधायक कांग्रेस के नेताओं पर ध्यान दे रहे हैं, जो गलत बात है. आज के स्थगन प्रस्ताव पर इसलिए चर्चा हुई है कि आज जो भी कुछ काम हुआ है, उसके बावजूद आज भी किसान परेशान है, आज भी किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जब महाराष्ट्र की सरकार सरकार ने बड़े किसान तो नहीं लेकिन जिस किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, उनके कर्ज माफ किए हैं, तो क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद.

श्री बालकृष्ण पाटीदार (खरगौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के 47 सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है. उसके जो मुख्य बिन्दु हैं उसमें मंदसौर का किसान आंदोलन, दूसरा कर्ज के बोझ के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं. मंदसौर का किसान आंदोलन सचमुच एक दुःखद घटना थी. अब उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत सी विस्तार के साथ बातें आयीं. सरकार ने भी अपनी ओर से उसके लिये जांच आयोग बिठाया है उसके जो भी तथ्य आयेंगे और उसमें जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी. लेकिन एक विषय का इस समय ट्रेंड बन गया है किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्ज के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कि अब खेती हो रही है, खेती वर्षों से किसान करते आ रहा है. खेती के साथ लाभ-हानि जुड़ी रहती है. कभी अधिक वर्षा के कारण, कभी कम वर्षा के कारण, कभी ओलावृष्टि के कारण, कभी आंधी-तूफान के कारण, कभी बीमारियों के कारण. कई कारण होते हैं जब फसलों में क्षति होती है. किसान को पता रहता है इसलिये किसानों में यह धारणा प्रचलित है वह किसानों के उत्साहवर्धन के लिये है. जब कोई फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और कुछ पकता नहीं है. तब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चलो साल हारे हैं कोई संसार थोड़े ही हारे हैं. चलो तैयारी करो जुट जाओ. आने वाला वर्ष बहुत अच्छा आयेगा फिर उत्पादन बढ़ेगा, फिर खुशहाली आयेगी. यह वर्षों से पीढ़ियों से हजारों वर्षों से चल रहा है. आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं. जब बीते दिनों की याद करेंगे तो ज्यादा समय नहीं है हमारे यहां पर प्रदेश में माननीय नेता प्रतिपक्ष के पिताजी माननीय अर्जुनसिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, यह 1980 के दशक की बात है. अपेक्स बैंक के चेयरमेन सुभाष यादव जी हुआ करते थे जो कि निमाड़ जिले से आते हैं. उन दिनों किसानों को अधिकतम कर्ज 5 हजार रूपये दिया जाता था. आज तो बहुत अधिक लिमिट है. पांच हजार की वसूली के लिये मैं बड़े किसान की बात कर रहा हूं. छोटे किसान को तो 500 रूपये मिलते थे. कर्ज की वसूली के लिये किसानों की जमीनें कुर्क की जाती थीं, उनके जानवर जप्त किये जाते थे, उनके बर्तन एवं अनाज जप्त किया जाता था. कभी कभी वसूली अधिकारी घर की चद्दरों से कूदकर किसानों को अपमानित करते थे. ऐसा लगता था कि मेरी छाती के ऊपर वसूली अधिकारी कूद रहा हो. यह दृश्य हमने देखे हैं. आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है. आज किसान पर किसी बात का दबाव नहीं है. अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार कर्ज को दें. अगर ना भी दे तो उनके यहां पर जप्ती होगी नहीं उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी. सरकार ने निर्णय ले लिया है कि कर्ज के नाम पर किसान की जमीन न तो जप्त होगी और न ही नीलाम होगी, तो दबाव कहां है. दबाव तो उस दिन था. अगर पूर्व में जाएं तो किसान का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है, क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार से हूं. किसान को कितना संघर्ष लगता है हमने

खुद देखा है और किया है. संघर्ष से किसान घबराता भी नहीं है. संघर्ष के कारण वह कोई आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाता है, लेकिन यह ट्रेंड है और यह चल रहा है. अब क्या कहें इसको आत्महत्या तो सब कोई करता है. हमारे देश में ऐसे उदाहरण हुए हैं. देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई उनकी पुत्रवधु कांतिबाई ने आत्महत्या की इसको आप क्या कहेंगे. हमारे खरगौन जिले में शुगर मिल का मालिक गिरधारीलाल अग्रवाल उसने नर्मदा के पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली, इसको क्या कहेंगे? कई बड़े बड़े विद्वान जिनको हम विद्वान मानते हैं वे भी आत्महत्या कर लेते हैं. बड़े और छोटे लोग आत्महत्या करते हैं. वास्तविक बात तो यह है कि यह एक खोज का विषय है कि आदमी आज आत्महत्या क्यों करता है. उसके लिये वह स्वयं ही कारण जानता है. उसके लिये आप कुछ भी गणित लगाते रहें कि इसके साथ यह हो गया वह कारण हो गया, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वह स्वयं जानता है कि वह आत्महत्या क्यों कर रहा है. इसलिये अध्यक्ष जी मैं तो आपसे कहूंगा कि एक तो मनोवैज्ञानिकों की, समाजशात्रियों की और ऐसे लोगों की समिति बनाकर इसकी खोज की जाये कि आदमी आत्महत्या आखिर लोग क्यों कर रहे हैं. हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी आत्महत्या होती है. आप उसको क्या कहेंगे. अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, अभी पिछले समय की बात है, मैंने किसी मैगज़ीन में पढ़ा था और आप में से भी किसी ने पढ़ा होगा कि वहां 40 लोगों एक साथ, एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रार्थना की और फिर आत्महत्या की. अब इसको क्या कहा जायेगा. यह खोज का विषय है और हम सब लोगों के लिये रिसर्च का भी विषय है. एक उदाहरण आप सब लोगों के ध्यान में भी आता होगा कि आत्महत्याएं पुरूष किसान ही नहीं महिलाएं भी बहुत करती हैं. अब उनके ऊपर किस बात का बोझ रहता है और लगभग महिला और पुरूष का प्रतिशत भी बराबर ही होता है. बल्कि महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा ही होगा. उन पर कौन से कर्जे का बोझ होता है. परिवार का जो मुखिया होता है उस पर ही कर्जे का बोझ चलता है. लेकिन आत्महत्या उसका व्यक्तिगत कारण होता है और उसको कुछ शब्दों में नहीं कहा जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय :- पाटीदार जी, कृपया अब आप समाप्त करिये.

श्री बालकृष्ण पाटीदार :- अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट में समाप्त करता हूं. आज में दूसरी बात कह रहा हूं कि किसानों के लिये लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ.किसी भी सरकार ने किसानों की इतनी चिंता नहीं की, जितनी शिवराज सिंह की सरकार ने की है. अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि सिर्फ 700 करोड़ रूपये तो किसानों को ब्याज के रूप में सबसिडी दी जाती है. लेकिन सबकी चर्चा में यह उल्लेख नहीं आया कि सबसिडी किसानों को कितने बड़े

पैमाने पर दी जा रही है. किसान को खेती में लगने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन सब पर अनुदान दिया जाता है, बक्खर से ट्रेक्टर तक हर चीज पर सबसिडी दी जाती है. ट्रेक्टर के अंदर जो-जो चीजें लगती हैं, जैसे- रोटोवेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल उन सब पर अनुदान है. बैल-जोड़ी लो तो उस पर अनुदान है, मोटर पंप पर अनुदान है, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम पर अनुदान है. यह सब इसलिये है कि किसान की लागत कम की जाये, किसान को सहायता दी जाये. इससे किसान का लागत मूल्य कम होगा और उसकी आमदनी ज्यादा होगी और आमदनी बढ़ाने के लिये भी लाभदायक मूल्य मिले इसके लिये अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम नये बाजार देख रहे हैं, जब सिंचाई का रकबा बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन भी बढ़ा है और उत्पादन बढ़ने के कारण मार्केटिंग की समस्या है. इसके लिये सरकार चिंतित है. किसान को उसकी ऊपज का लाभकारी मूल्य मिले इसके लिये सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है. उसी का परिणाम है कि सरकार ने जिन जींसों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तुअर दाल का, उड़द दाल का 400 रूपया एक मुश्त बढ़ाया है.

श्री बालकृष्ण पाटीदार :- आज तक किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर किसी सरकार ने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है, जितना हमारी मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है. सभी दालों पर बढ़ाया है. सोयाबीन पर एक मुश्त 300 रूपया बढ़ा दिये हैं. ऐसे अन्य जींसों पर भी समर्थन मूल्य एक मुश्त बढ़ाया है. लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है. कृषि मूल्य आयोग इसीलिये बनाया जा रहा है कि वह लागत खर्च का मूल्यांकन करेगा और उस पर लाभकारी मूल्य कैसा मिले, उसकी चिंता करेगा. वह लाभकारी मूल्य जब किसान को मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से किसान को उससे बहुत ताकत मिलेगी. वैसे भी हमारे कांग्रेस के मित्र आज कुछ भी कहते रहें, यह कह रहे हैं कि किसानों में असंतोष है. अभी इन्होंने किसान स्वाभिमान यात्रा की थी तो हमने भी किसान संदेश यात्रा निकाली थी. हम भी गांव-गांव में गये थे. हमको लोग घोड़े पर बैठा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वह भी गुलाब की पंखुडियों से कर रहे हैं तो वह क्यों कर रहे हैं, यदि वह हमारे कामों से संतुष्ट नहीं होते तो हमारा इतना स्वागत कैसे करते. सिर्फ 4-5 जिलों को छोड़कर कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी. किसान संतुष्ट है. किसान को शिवराज सिंह जी की सरकार पर अटूट विश्वास है कि निश्चि रूप से उनकी सरकार में हमारा कल्याण होगा, हम आगे बढ़ेगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा. इसलिए प्रदेश की सारी जनता और किसान का शिवराज जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है. मैं मानता हूं कि आने वाला समय भी शिवराज जी का ही होगा. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर)- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद. इसके अलावा मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया गया. मैं आशा करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान जो बिंदु आए हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल गंभीरता से विचार कर, ऐसे निर्णय पर पहुंचेगा जिससे किसानों का भला हो सके. बीच में यह चर्चा भी हुई कि शायद विपक्ष को कुर्सी दिख रही है इसलिए ये बातें की जा रही हैं. मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का काम यही है कि जब भी ऐसे मुद्दे आयें तो उन्हें विधान सभा में उठाया जाये. फिर चाहे मुद्दा स्थगन के माध्यम से सदन में लाया जाये या ध्यानाकर्षण के माध्यम से. उस विषय पर सदन में चर्चा हो और सार्थक चर्चा के बाद संबंधित विषय पर परिणाम भी निकले.

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत करने के पूर्व उन सभी बिंदुओं पर नहीं जाऊंगा कि इस देश में बड़े-बड़े बांध किसने बनवाये, हरित क्रांति कौन लेकर आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, दुग्ध क्रांति कब आई, सूचना क्रांति किसके कार्यकाल में आई और 72 हजार करोड़ का कर्जा किसने माफ किया. क्योंकि यदि खेती की बात की जा रही है तो इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा.

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अपने जिले के साहित्यकार श्री पंकज सुबीर की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा-

" आप कर्मण पुरस्कार लेते रहे, और अखबार में खूब छपते रहे,
जिनके दम पर पुरस्कार जीता, वे ही गोलियां खाकर सड़कों पर मरते रहे."

अध्यक्ष महोदय, मंदसौर गोली कांड के बाद उसकी न्यायिक जांच हो रही है. इसमें कोई संदेह नहीं है. परंतु यह विश्लेषण का विषय है कि ऐसे हालात ही क्यों बने. इसके लिए कौन जिम्मेदार है. क्या इसकी कोई जांच होगी ? क्या इसकी कोई चर्चा होगी ? जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ, कभी कहा गया कि ये फेसबुक का आंदोलन है. सिर्फ वॉट्सप और फेसबुक पर ही आंदोलन चल रहा है. इसमें किसान सहयोग नहीं करेंगे. माननीय वित्त मंत्री जी ने 2 तारीख को इंदौर में कहा था कि किसान कहीं आंदोलित नहीं है और इसके बारे में हम देखेंगे. वित्त मंत्री जी अभी सदन में मौजूद भी हैं. इस तरह के नाना प्रकार के बयान आये. माननीय गृह मंत्री जी ने भी मेरे बारे में कहा कि सीहोर में विधायक खुद दूध और सब्जी लेकर सड़कों पर फेंक रहे हैं. इस तरह के बयान टी.वी.पर दिए गए हैं.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार)- अध्यक्ष महोदय, पूरे सीहोर जिले में कहा जा रहा है कि आपने पहले सब्जी खरीदी और फिर फेंकवाई है. यह बात बिल्कुल सत्य है. इसे कोई झुठला नहीं सकता है. आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है. अपनी गलती को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है.

श्री शैलेन्द्र पटेल- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में से मंत्री जी द्वारा बोले गए समय की कटौती कर दीजिएगा.

गृह मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात में केवल "एक विधायक" कहा था. शैलेन्द्र जी ने स्वयं बता दिया तो हमें जांच करने में सुविधा हो जाएगी. मैंने किसी का नाम नहीं लिया था. मैंने कहा था कि एक विधायक बाजार गए, सब्जी खरीदी, सब्जी को सड़क पर डालकर खड़े हो गए और फिर नारे लगाने लगे. यह सत्य है. आपने स्वयं अपना नाम बताकर हमारे लिए जांच में सुविधा कर दी है.

श्री शैलेन्द्र पटेल- अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के एक विधायक तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही हैं. दूसरे, तीसरे विधायक रणजीत सिंह जी और सुदेश राय जी यहां बैठे हुए हैं. हमारे जिले का चौथा विधायक मैं हूं. मेरे अलावा शेष तीनों ने यह कार्य किया हो तो बात अलग है. मैंने यह कहा है कि अगर मंत्री जी की कही बात सत्य सिद्ध होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा माननीय मंत्री जी ऐसी असत्य बयानी के लिए इस्तीफा दे दें. आप गृह मंत्री हैं, आपको जांच का अधिकार है. आप जांच करवायें और जांच में यदि यह तथ्य सत्य पाया जाता है तो मैं सदन में कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा. अन्यथा यदि आप में ज़रा सी भी लाज-शर्म हो तो आप इसके बारे में खेद ही व्यक्त कर दीजियेगा. मैं आपसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं कर रहा हूं.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने उस समय आपका नाम नहीं लिया था. हमारे पास अभी जो जानकारी आ रही है उसमें सैकड़ों लोग आपका नाम ले रहे हैं.

श्री शैलेन्द्र पटेल- अध्यक्ष महोदय, यदि जांच में यह बात सत्य पाई जाये तो आप सरकार हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं. मैं यह बात सदन में गंभीरता से कह रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय- आप आगे बढ़िये और किसानों के संबंध में अपनी बात कहिये.

श्री शंकर लाल तिवारी- आप यहां भाषण कर रहे हैं, वहां आपको पुलिस ढूंढ रही है.

श्री भूपेन्द्र सिंह- अध्यक्ष महोदय, मैंने न टी.वी. पर और न ही कहीं और किसी का नाम लिया था. मैंने तो यह कहा कि एक माननीय विधायक बाजार गए, वहां से सब्जी खरीदी वह

जानकारी, जितने की खरीदी वह जानकारी हमारे पास है. फिर वह सब्जी लाकर सड़क पर डाल दी, गाड़ी में लोगों को बुलाया, फोटोग्राफरों को बुलाया, चैनल वालों को बुलाया और फिर किसान एकता जिंदाबाद.

श्री रामनिवास रावत- आपके पास फोटोग्राफर की वह क्लिप भी होगी.

श्री भूपेन्द्र सिंह- सारी क्लिप मेरे पास हैं. आप अगर चाहें तो मैं आपको भी दिखा दूंगा.

श्री रामनिवास रावत- अगर आपके पास क्लिप है, सबूत हैं तो आप प्रकरण क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र पटेल- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने सदन में बयान दिया है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी अपनी बात को सिद्ध करें. यदि मंत्री जी अपनी बात को सिद्ध कर देंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा.

अध्यक्ष महोदय- पटेल जी, आप इस्तीफा मत दीजिए. आप केवल अपनी बात कहें. आप इस वाद-विवाद में न उलझें.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष महोदय किसानों की मंदसौर के गोलीकांड के अलावा प्रदेश में किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या से आज हम सभी शर्मसार हैं. चाहे वह सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष की बात हो और यह कारण क्यों हुए हैं मैं उन सारे किसानों के घर गया और उनके कुछ सवाल मेरे सामने हैं मैं आपके सामने वह पेश करना चाहता हूं. उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आज से चार पांच साल पहले जो सोयाबीन हमने 5 हजार रुपए क्विंटल में जो सोयाबीन बेचा...

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- आप इस्तीफा मत दीजिए बहुत मुश्किल से जीतकर आए हैं.

अध्यक्ष महोदय-- गुणवान जी बैठ जाइए.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष महोदय 5 हजार रुपए क्विंटल में जो सोयाबीन आज से चार पांच साल पहले बेचा आज उसकी कीमत ढाई हजार से तीन हजार रुपए क्विंटल के बीच क्यों है? क्योंकि सोयाबीन के भाव तो नीचे गिर रहे हैं लेकिन सोयाबीन के तेल के भाव नीचे जा रहे हैं यह मैं जानता हूं कि जो प्राइज फिक्सिंग का मामला है वह स्टेट का नहीं वह सेन्ट्रल का होता है. राज्य सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन जो किसानों ने बात कही वह बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं. गेहूं का बोनस कहां चला गया एक बड़ा प्रश्न है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी उस समय से जो राज्य सरकार बोनस देती थी वह 100 रुपए गेहूं के कहां गए, दालों के तिलहनों के भाव कम क्यों हो गए जो मसूर 6 से 7 हजार रुपए क्विंटल बिकती थी आज उसके भाव कम क्यों हो गए. ऐसे बहुत सारी जिंस हैं और प्रदेश के अंदर जो आंकड़ा निकलकर आया 42

प्रतिशत के लगभग कि जो फसलें मंडियों में बेची जाती हैं वह समर्थन मूल्य के नीचे बेची जाती हैं क्योंकि उसमें एफ.ए.क्यू. का एक मामला होता है कि फेयर ऐवरेज क्वालिटी के आधार पर बेची और खरीदी जाती हैं. वहां पर सारे व्यापारी होते हैं और मात्र एक मंडी का कर्मचारी वहां पर मौजूद रहता है और जिधर वह व्यापारी उसको घुमा देते हैं वहां किसान मजबूर हो जाता है और एफ.ए.क्यू. के कारण उसे उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलता और कई बार देखने में आता है कि एक ही क्वालिटी की जो जिंस होती है वह कहीं1800 रुपए में बिक जाती है तो दूसरे किसान की वह 1400 रुपए से 1500 रुपए तक में जाती है इस ओर देखने की जरूरत है. दूसरी बात जो व्यापारियों से मंडी में 2.20 प्रतिशत मंडी शुल्क वसूला जाता है वह शुल्क भी व्यापारी, किसानों से कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वसूलते हैं. उसका क्या उपयोग हो रहा है वह भी देखने की बात है. कई जगह जो मंडी बोर्ड का पैसा आता है पूरे जिले के लिए आता है लेकिन कहीं न कहीं एक जगह चला जाता है. मेरे खुद के जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं. बहुत सी रोडें उनकी विधानसभा में मंडी बोर्ड के पैसे से बन गईं लेकिन वहीं दूसरी विधानसभाओं में उस तरह का काम नहीं हुआ और तो और वर्ष 2006 में स्वामीनाथन जी जब मध्यप्रदेश आए थे मैं भी एक किसान के नाते उस मीटिंग में गया था. वहां 10 से 15 किसानों को बुलाया था. स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो किसानों की लागत है वह उन्हें नहीं मिल पा रही हैं और उसकी लागत मूल्य बढ़ रही है. लागत मूल्य को हम जब तक नहीं घटाएंगे तब जब तक किसान खुशहाली में नहीं रहेगा एक बात कर्ज की आती है तीन तरीके से कर्ज मिलता है एक नेशनलाइज्ड बैंक से एक को-ऑपरेटिव सोसायटी से और एक साहूकारों से. जो बैंक का रेट है वह पूरे देश में चार प्रतिशत का है और हमारे प्रदेश में बार बार शून्य प्रतिशत की बात कही जाती है तो 4 प्रतिशत की सब्सिडी हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से घोषणा की है तब से मिल रही है इस बात को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन जो एक को-ऑपरेटिव सोसायटी में शेयर अमाउंट हर किसान को जमा करवाना होता है उसके खाते में 10 से 15 प्रतिशत के बीच में उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता. नेशनलाइज्ड बैंक में 10 से 15 प्रतिशत की राशि नहीं जमा करवानी होती है दूसरा मैं समय का ख्याल रखते हुए बात खत्म कर दूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है 10 से 15 प्रतिशत शेयर अमाउंट जमा होता है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता दूसरे अन्य चार्ज भी लग जाते हैं. शून्य प्रतिशत पर ब्याज नहीं मिलता है. इसी सदन में माननीय गोपाल भार्गव जी ने जवाब दिया था कि किसानों को सोसायटी से खाद महंगी मिलती थी बाजार में वह सस्ती थी वह पैसा लौटा देंगे आज दिनांक तक वह पैसा किसानों को नहीं लौटा है.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री शैलेन्द्र पटेल--मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- आपके हाथ में बहुत से पन्ने रखे हैं आप समाप्त नहीं करेंगे.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- मैंने पन्नों को अलग रख दिया मैं जल्दी ही बात समाप्त करता हूं. कृषि मंत्री जी ने कहा था कि जो खाद के सेम्पल फेल होते हैं तो उन्होंने यह कहा कि आज तक किसी बड़ी कंपनी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई जो कार्यवाही हुई वह डीलरों के ऊपर हुई है कहने का मतलब यह है कि चाहे वह बीज की निर्माता कंपनी हो, चाहे खाद की हो चाहे कीटनाशक की हो. उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है कार्यवाही डीलर तक हो जाती है और नुकसान किसानों को होता है. बिजली की बात कर लेता हूँ. आज मेरा प्रश्न लगा था डीजल के बारे में कि क्या डीजल को किसानों के लिए सबसिडाइस किया जाएगा, मंत्री जी का जवाब आया कि नहीं. खेती की लागत को हमको कम करना पड़ेगा. चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे कीटनाशक दवाएं हों. एक बात अंत में कहना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी है वह न जाने कहां चली जाती है. जितने वेयर हाउस हैं, ग्रीन हाउस हैं, पॉली हाउसेस हैं वह बड़े-बड़े लोगों के हैं किसानों के नहीं हैं, नहीं तो नसरुल्लागंज के बसंतपुर में सरदार सिंह बारेला की दो बेटियों ने बैल की जगह खुद हल जोतकर खेत में डोरे निकाले हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती. उनको सब्सिडी से वहां पर सामान मिल जाता. बहुत सारी बातें हैं कभी और मौका लगेगा तो कहूंगा. फसल बीमा योजना की बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि इस पर आप अलग से चर्चा करवाएंगे आप इस पर अलग से चर्चा करवाएं ताकि किसानों को फायदा मिल सके. बहुत-बहुत धन्यवाद.

लोक निर्माण मंत्री (श्री रामपाल सिंह)--खेत में बच्चे निदाई कर रहे थे उसको यह यहां बता रहे हैं. यह खुद किसान पुत्र हैं ऐसी बात न करें. बच्चे कुलपा से निदाई कर रहे थे. गांव में बच्चे निदाई करते ही है किसान इस चीज को समझते हैं.

श्री शैलेन्द्र पटेल--मंत्री जी फोटो में वे बैल की जगह जुती हुई है. मैं देखने नहीं गया परन्तु मीडिया में आया है.

श्री रणजीत सिंह गुणवान--माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इनको इतनी राहत दी है जिसकी हद नहीं है. किसान की महिलाएं भी खेत में जाती है. कम से कम 11 लाख रुपए मुआवजे का लेकर बैठे हैं.

श्री शैलेन्द्र पटेल--जितनी खेती है उसका मिला है किसी दूसरे की खेती पर तो नहीं लिया है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी(गुढ़)--अध्यक्ष महोदय, 6 जून को जो मंदसौर में घटना हुई वह पूरे प्रदेश के लिए (XXX) घटना थी.

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार)--आप किसानों पर बोलेंगे या लॉ एण्ड आर्डर पर बोलेंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--जिस पर आप चाहें. जिस पर आप आदेश करें. माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में लगभग 11-12 साल से राज कर रहे हैं. एक करोड़ रुपए इन 12 वर्षों में सहायता राशि के रुप में और भी कभी किसी को दिया है क्या या (XXX). एक करोड़ रुपया और कभी किसी को नहीं दिया है.

श्री उमाशंकर गुप्ता--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कृपया कार्यवाही से निकलवा दें.

अध्यक्ष महोदय--इसे कार्यवाही से निकाल दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैंने एलएलबी किया है. लीगल सिस्टम पढ़ा है उसमें पढ़ाया गया था कि राजा-रजवाड़ों के जमाने में हत्या और अपराध करने वाले जो बड़े लोग रहते थे वे अगर पैसा दे देते थे तो उनको माफ कर दिया जाता था. यह सिस्टम राजाओं के जमाने में था. जनता की अदालत से सजा न मिले, प्रदेश की जनता देख रही है. उस सजा से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक-एक करोड़ रुपया अपने मुख्यमंत्रीत्वकाल में पहली बार उन छह लोगों के परिवारों को दिया है. मुझे इसमें पीड़ा नहीं है यह आपका अधिकार है.

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)--तिवारी जी आपने एलएलबी कितने सालों में की थी. नकल से की थी या सही की थी.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--आप पांच करोड़ रुपए दे सकते हैं (XXX) और अगली बार आप एक करोड़ नहीं पांच करोड़ दीजिए.

अध्यक्ष महोदय--यह गोली वाली बात कार्यवाही से निकाल दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, क्यों निकाल दें क्या वे लोग गोली से नहीं मरे हैं. वे लोग गोली से मरे हैं. अगर ज्यादा बात कर रहे हैं तो आप बताइए 12 साल में एक करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसको दी है. किसी को दी है क्या, सही व्यक्ति तक को नहीं दी है. जो सीमा पर हमारी और आपकी रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनको भी एक करोड़ रुपए की राशि ट्रांजिट नहीं की है, उनको भी अभी चैक नहीं दिया है. यह अपराध स्वीकार किया गया है, सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार की है.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन(श्री लाल सिंह आर्य)-- आप क्या कहना चाहते हैं, गलत दिया गया? तिवारी जी, बताईये गलत दिया क्या?

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, पाँच करोड़ दीजिए. लेकिन अपराध छिपाने के लिए नहीं दीजिए. एक करोड़ रुपया अपराध छिपाने के लिए दिया गया है.

राजस्व मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने 50 साल में एक करोड़ नहीं दिया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- बैठ जाइये, अभी और आगे बता रहे हैं.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- हाँ बताओ.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- सुन लीजिए.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- लेकिन यह तो सुन लीजिए हमारी भी. तकलीफ इस बात की हो रही है कि आपने आज तक दिया ही नहीं. न मुआवजा दिया, न फसल बीमा दिया. यहाँ नौ-नौ हजार करोड़ रुपये बाँट रहे हैं. एक करोड़ का क्या होता है. ...(व्यवधान)..

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीगण बोलने नहीं दे रहे हैं. फिर आप कहेंगे कि आप ज्यादा समय ले रहे हों. इनको बैठाइये.

अध्यक्ष महोदय-- हो ही गया टाइम आपका.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- मेरा क्या टाइम हो गया.

अध्यक्ष महोदय-- आप दो मिनट में समाप्त करिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी बात हुई?

अध्यक्ष महोदय-- आप तो कृपा करके अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दीजिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन और पढ़ रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय-- हाँ दो लाइन में कर दीजिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- नहीं, अभी दो लाइन पढ़ रहा हूँ--

"take steps to enhance the profitability in agriculture, by ensuring a minimum of 50% profits over the cost of production, cheaper agriculture inputs and credit; introducing latest technologies for farming and high yielding seeds and linking MGNREGA to agriculture."

श्री उमाशंकर गुप्ता-- किसान नहीं समझते.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- यह किसने कहा है मालूम है? यह आप ही ने कहा और आप ही का घोषणा पत्र है और ये फोटो देख लीजिए. किसकी किसकी बनी है.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, यह नहीं दिखा सकते.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, यह बीजेपी का घोषणा पत्र है.

अध्यक्ष महोदय-- मैंने अनुमति नहीं दी है. आप उसको वहीं रख लीजिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, 2014 में यह घोषणा पत्र आप ही लोगों ने इस देश की जनता के सामने रखा है. किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं उसका कारण यह है कि जो असत्य वादे हैं, जो असत्य वादे इस देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर, किसानों के साथ आपने किए हैं और जब धरातल में वह बात आती है तो किसान की पीड़ा सामने आ जाती है, वह दुखी हो जाता है. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने लाभ का धंधा हर बार हमें बताया है.....

श्री उमाशंकर गुप्ता-- तिवारी जी, आप 2014 के पहले की आत्महत्याओं के बारे में क्या कहेंगे?

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- बैठिए मंत्री जी, आप बड़े आदमी हों, मंत्री हों, हम छोटे आदमी हैं हमको आप बोलने तो दें.

श्री उमाशंकर गुप्ता-- पहले यह तो बता दो बड़े अँग्रेजी में आपने सारी बातें कही हैं. मेरा कहना है कि 2014 के पहले के बारे में भी तो बता दो.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आप सुन भी नहीं रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का मूल्यांकन या विश्लेषण करें या सुनें तो कम से कम 365 दिन में से 200 दिन अपने भाषणों में यह बात कहते हैं और कहा है कि प्रदेश के अन्दर कृषि को हम लाभ का धंधा बनाएँगे. सिंचाई का एरिया ज्यादा हो गया. ज्यादा उत्पादन हो गया. इसका मतलब यह नहीं हो गया कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो गया है. उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार करिए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई कि नहीं हुई. सवाल इस बात का है कि उनको प्रोडक्शन में जिन चीजों को बाजार में खरीदना पड़ता है वह सस्ती हुई कि महँगी हुई, खाद महँगा, बीज महँगा, डीजल महँगा, बिजली महँगी और अनाज के दाम वहीं खड़े हैं जहाँ 10 साल पहले खड़े थे, थोड़े बहुत बढ़े हैं, उससे आगे बढ़े नहीं हैं. कैसे खुशहाली आएगी?

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी आपके असत्य वादे से किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय, जब किसानों के बारे में चर्चा हो रही थी तो मैंने इसी सदन में किसानों की समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने ध्यानाकर्षित किया था. मैं वहाँ प्रशंसा करूँगा मुख्यमंत्री जी की, कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और हमारी भी प्रशंसा उन्होंने सदन के अन्दर उन बातों को लेकर की और यह वादा किया कि इस पर हम विचार करेंगे. लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने प्रयास भी

किया है. लेकिन डर से फिर आपने उस आदेश को विड्रॉ कर लिया. अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के अन्दर यह कहा था कि लाखों रुपये का इनकम टेक्स देने वाले लोग, हम विधायक एक एक लाख रुपये की तनख्वाह पाने वाले लोग 10-10 लाख रुपया इंकम टेक्स देने वाले लोग, 1 लाख की कर्मचारी जो तनख्वाह पा रहा है उनको कंपनसेशन की राशि नहीं दिया जाये अगर उनकी फसल नष्ट हो गई है, ओला-पाला या सूखे की वजह से या अतिवृष्टि की वजह से उनकी फसल नष्ट हो गई है तो आरबीसी 6(4) में उनको राशि नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनके जेब पहले से ही भरे हैं, इस पर आप संशोधन करिये, इस पर आप विचार करिये. मुख्यमंत्री जी आपने कहा भी और आपने प्रदेश में आदेश भी दिया. हमने जब अखबार पढ़ा तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने अच्छा आदेश कर दिया क्योंकि पांच साल पहले, सात साल पहले भी जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने अपनी पार्टी के नेताओं का इस पर ध्यानाकर्षित किया था.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह बतायें कि जो आपने वह आदेश जारी किया था प्रदेश के अंदर तो आपने उस आदेश को कैसे विथड्रा कर लिया, किसके दबाव में विथड्रा कर लिया और फिर से लाखों करोड़ों रुपये कमाने वाले लोगों को आपने आरबीसी 6(4) का लाभ देना खत्म नहीं किया, उनको दिया.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी कृपया समाप्त करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--अगर हमारी वह बात आप वक्त पर सुन लेते तो शायद यह स्थिति नहीं आती जो मंदसौर में आई.किसान को वास्तविक आपके ऊपर विश्वास जगता. इस सरकार के प्रति विश्वास जगता.

अध्यक्ष महोदय--कृपया समाप्त करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- दो मिनट और बोल लेने दीजिये.

अध्यक्ष महोदय--आपके दो मिनट दस मिनट के बराबर होते हैं.

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- तिवारी जी, आप काश्तकार हैं या नहीं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुलताई कांड की बार-बार बात आई थी. मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या ये सरकार इसको किसान का आंदोलन नहीं मानती है. क्या यह सरकार इस आंदोलन को गुंडों का आंदोलन मानती है, क्या यह सरकार माफियाओं का आंदोलन मानती है और अगर गुंडे इस आंदोलन में थे तो (XXX) यह स्पष्ट करें और यदि उनको किसान माना तो मैं समझता हूं कि तभी मुख्यमंत्री जी यहाँ अनशन में बैठे थे भोपाल में.

अध्यक्ष महोदय-- यह हटा दें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- यहाँ बैठे थे ना उपवास पर? उपवास में जब आप बैठे तो आपने वह किसानों का आंदोलन मुख्यमंत्री जी नहीं माना. वह गुंडों का आंदोलन था जिस पर उपवास पर बैठे थे?

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके अब समाप्त करें. श्री गौरीशंकर बिसेन जी अपनी बात प्रारंभ करें. तिवारी जी आप बैठ जाइए.मैंने उनको बुला लिया है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि एसी लगा के बैठे थे.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएं. अब तिवारी जी जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा.

श्री सुन्दर लाल तिवारी-- (XXX)

श्री रणजीत सिंह गुणवान-- तिवारी जी का समय समाप्त हो गया.

अध्यक्ष महोदय-- कुछ नहीं लिखा जाएगा तिवारी जी आप बैठ जाएं. श्री बिसेन अपनी बात करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी आप वही बात रिपीट कर रहे हैं आप बैठ जाइए.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--(XXX)

अध्यक्ष महोदय--यह बात ठीक नहीं है, आप बैठ जाएं, आपका कुछ नहीं लिखा जा रहा है. आप बैठ जाएं कृपया. श्री बिसेन अपनी बात रखें.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री(श्री गौरीशंकर बिसेन)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश के साढ़े पांच करोड़ किसानों की ओर से सर्वप्रथम आपका अभिनंदन करना चाहूंगा. आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और हमारे नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी साथियों का, जिन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपना स्थगन लाया. मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को ग्राह्य किया और इस सदन में चर्चा के लिये स्वीकार किया है. माननीय अध्यक्ष यह ऐसा विषय है जिसने मध्यप्रदेश को हिलाकर रख दिया है. इसके कौनसे कारण हैं, यह घटना कैसे हुई इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस समय में मध्यप्रदेश शासन ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गृहमंत्री जी ने न्यायिक कमीशन का गठन कर लिया है, उस न्यायिक कमीशन के जॉंच की रिपोर्ट सदन के पटल पर आयेगी और सार्वजनिक होगी, हमें उस पर भी चर्चा करने का अवसर

मिलेगा. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुंदरलाल तिवारी जी बहुत विद्वान हैं लेकिन सुंदरजा आम का मजा खराब न करें.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- मध्यप्रदेश में न्यायिक जाँच का यह हाल है.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- विश्वास करिए. जनता ने तीन बार विश्वास किया है आप भी करिए.

अध्यक्ष महोदय -- गुणवान सिंह जी, तिवारी जी आप लोग बैठ जाएं. मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखिए.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- आपको न्यायिक कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. मित्रों, आप देख लीजिएगा.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकेले माननीय कृषि मंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आंदोलन को हिंसा या उपद्रव नहीं माना. उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी मांगों को लेकर अनेक बार इस प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी बात को रखता है लेकिन किसान के उस आंदोलन में मिट्टी का तेल डालने का काम किसने किया, पेट्रोल डालने का काम किसने किया, उसमें आग भड़काने का काम किसने किया ? यह सारे जाँच के तथ्य जब आएंगे, तब वह सारे तथ्य हमारे सामने उजागर हो जाएंगे. हमको इंतजार करना चाहिए. (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुंदरलाल तिवारी -- आप मानते नहीं हैं. अभी तक तो आपने श्री नरोत्तम मिश्रा जी से इस्तीफा नहीं लिया. आप अदालत का भी कहना कहां मानते हैं. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी आप नहीं मानते हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- डॉ.नरोत्तम मिश्र जी आपकी कृपा पर नहीं हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- मेरी कृपा पर नहीं हैं, न ही मैंने कोई आदेश दिया है. आदेश तो अदालत ने दिया है, संविधान ने दिया है. आदेश निर्वाचन आयोग ने दिया है.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- आप संविधान को पढ़िए. हम संविधान का सम्मान करते हैं. यदि निर्वाचन आयोग ने, माननीय न्यायालय ने उन्हें वोट डालने से रोका है तो हमने सम्मान किया. सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा, उसका सम्मान करेंगे. संविधान के दायरे के अंदर हमारी सरकार चलेगी. (मेजों की थपथपाहट) ...(व्यवधान....) नरोत्तम मिश्रा जी फिर से इस सदन में

आएंगे, एक बार नहीं दो बार आएंगे, बार-बार आएंगे और संसदीय मंत्री के रूप में हमारे सदन का नेतृत्व करेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- आमने-सामने बात न करें. मंत्री जी, उनकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सचिवालय से स्थगन की कापी मिली है...

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी बार-बार आएंगे, थोड़ा समय बता दीजिए कब-कब आएंगे ?

श्री गौरीशंकर बिसेन -- आप इंतजार करिए. इंतजार का फल मीठा होता है.

श्री अजय सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा जी को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया है तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी तीन साल के पहले आने वाले हैं. मतलब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर बिसेन -- बड़े भाई, आप इंतजार करिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुंदरलाल तिवारी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता है और कुछ भी (XXX) बातें करते हैं. (हंसी...)

श्री सुंदरलाल तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी क्या बोल रहे हैं ?

श्री गौरीशंकर बिसेन -- मैं सही बोल रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय -- यह शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए. माननीय मंत्री जी, कृपया तिवारी जी से कुछ न कहें...(हंसी..)

श्री गौरीशंकर बिसेन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिपल्याहाट मंदसौर की जो घटना है उसके संदर्भ में आपने अपने स्थगन में लिखा है कि किसान कर्ज माफी और कृषि उपज के लाभकारी दाम की मांग कर रहे थे. कौन लाभकारी दाम नहीं दे रहा है ? (हंसी..) हिंदुस्तान के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में वर्ष 1952 के बाद पहली बार समर मूंग कहीं खरीदी गई, समर का उड़द कहीं खरीदा गया, समर का मसूर कहीं खरीदा गया, तुअर कहीं खरीदी गई, तो शिवराज सिंह जी के आदेश से खरीदी गई, भारत सरकार की आज्ञा से खरीदी गई, जो कि मध्यप्रदेश में खरीदी गई.

.....................................................................................................

(XXX) : आदेशानुसार रिकार्ड से निकाला गया.

श्री गिरीश भण्डारी -- माननीय मंत्री जी, मेरे राजगढ़ जिले में समर्थन मूल्य का एक भी केन्द्र नहीं खुला है, न मसूर का, न उड़द का, यह मैं चेलेंज कर रहा हूँ, पूरे राजगढ़ जिले में एक भी ऐसा केन्द्र नहीं खुला है.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- अब आपके यहां पैदा नहीं होता तो मैं क्या करूँ ? अभी भी टाइम है विचार कर लेंगे.

अध्यक्ष महोदय, मूंग 1,66,562 मेट्रिक टन - मूल्य 5225 रुपये, उड़द 16358 मेट्रिक टन - मूल्य 5000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 20381 मेट्रिक टन - मूल्य 3950 और तुअर 85260 मेट्रिक टन - कीमत 5050 रुपये, यह है शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि गोली चला रहे हैं, क्या यह मुख्यमंत्री गोली चलाने लायक दिखते हैं ? जिन्होंने जीवन जैत की नदी के किनारे बिताया हो, जिन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा का संकल्प पूरा किया हो, जिन्होंने माँ नर्मदा की 149 दिवसीय परिक्रमा यात्रा निकाली हो, जिन्होंने 58 दारू की दुकानों को बंद किया हो, जिन्होंने माँ नर्मदा के रेत के उत्खनन को रोका हो, जिन्होंने मध्यप्रदेश में मशीनों से उत्खनन को रोका हो, ऐसे मुख्यमंत्री के संदर्भ में इस तरह की बातें करने से पहले कभी विचार नहीं करते ?

श्री रामनिवास रावत -- अब कौन-सा विभाग और चाहिए आपको ?

श्री गौरीशंकर बिसेन -- मेरा विभाग तो बहुत बड़ा है और मैं अकेला बहुत हूँ. मैं तो सबको बता रहा हूँ एक भी गलत आंकड़ा पटल पर नहीं रखूंगा.

श्री रामनिवास रावत -- मेरे श्योपुर जिले में केवल एक केन्द्र श्योपुर में खोला है और श्योपुर विजयपुर से 180 किलोमीटर दूर है, क्या कोई किसान 180 किलोमीटर अपनी मूंग, अरहर बेचने जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय -- रावत जी, कृपया बैठ जाएं.

श्री शंकरलाल तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की पीड़ा जिस पर स्थगन आया था, वह पीड़ा हास-परिहास और कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की तरह यहां पर हो गई है, मेरी इसमें आपत्ति है, किसानों की पीड़ा हास-परिहास में बदल चुकी है. यह किस तरह का स्थगन है कि सब लोग हंस रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- तिवारी जी, बैठ जाएं, उनको बोलने दीजिए.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा, एमएसपी पर खरीदने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव गया, मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं, अनेक बार उसकी तादाद को बढ़वाया, नियम तो यह है कि टोटल प्रोडक्शन का अधिकतम 25

प्रतिशत ही भारत सरकार खरीद सकती है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी ने 35 प्रतिशत किया और जब हमने 30 जुलाई किया तो बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया. फिर भी भरोसा नहीं, बताओ क्या करें ? अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि मंडियों में व्यवस्था नहीं है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ईनाम नीति लाई है, एक-एक मंडी को 75-75 लाख रुपये आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार अनुदान दे रही है जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है. यह मान्यवर मोदी जी की सरकार है और इंतजार करो मित्रों, डेढ़ साल के अंदर, क्योंकि अभी चुनाव को समय है, जितनी 'ए' श्रेणी की मंडियां हैं.

श्री अजय सिंह -- अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आदरणीय बिसेन जी कृषि विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं कि मंदसौर के स्थगन पर चर्चा कर रहे हैं. पहले वह स्पष्ट करें.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- भाई साहब, स्थगन में तो यह लिखा है कि मूल्य नहीं मिल रहे हैं. मूल्य नहीं मिल रहे हैं, यह लिखा है. तो मैं मूल्य की बात कर रहा हूं.

श्री अजय सिंह -- बिसेन जी, आप किसानों की आत्महत्या की बात करो.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- आत्महत्या पर हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया. स्थानीय घटना पर हमारे भाई साहब ने कह दिया. अब मैं मंडी के रेट पर आऊंगा. रेट दिलाऊंगा.

श्री अजय सिंह -- अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह से चल रहा है.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- अजय सिंह जी, आप स्थगन पढ़ें, मेरे पास है. आप ही का है. उन्होंने बोला है, तो मुझे तो उत्तर देना ही पड़ेगा. अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रैल,2016 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, मान्यवर नरेन्द्र मोदी जी ने ईनाम योजना हिन्दुस्तान में चालू की है. यह किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये नींव का पत्थर साबित होगी. जब किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा था,हमारे मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश के ख्याति प्राप्त सारे साइंटिस्ट्स, विशेषज्ञों को बुलाया. अभी पिछले सप्ताह हमारी बैठक हुई, उसमें हमारे ऐसे लोग आये थे, जो उत्पादन को जानते हैं, मार्केटिंग के बारे में जिनका अनुभव है. कैसे फूड प्रोसेसिंग होगी, इसके बारे में अनुभव है. कृषि केबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने आने वाले समय में जब हमारा अधिक उत्पादन होगा, तो उसको मार्केटिंग कैसे मिलेगी, प्रोसेसिंग का क्या होगा,किसानों को कैसा लाभ मिलेगा, इसकी योजना का रोड मेप बनाया है.

इसलिये मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के किसानों का हक कहीं सुरक्षित है, तो बीजेपी की सरकार में सुरक्षित है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित है.

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी 20 मण्डियां फिर से चयनित हुई हैं, 6 मण्डियां और बढ़ गई हैं. हम 58 मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि मण्डी नीति से जोड़कर हिन्दुस्तान का अग्रणी राज्य बनने जा रहे हैं. बाजार हस्तक्षेप योजना,जिसका मैंने जिक्र किया. एक हजार करोड़ रुपये का बजट, एक दिन के अन्दर तत्काल कौन सी सरकार करती है, मैं पूछना चाहता हूं. पिछले साल प्याज के रेट गिरे, हमने 63 करोड़ का प्याज खरीदा. उसके रख-रखाव पर 103 करोड़ रुपये व्यय हुआ, 2 करोड़ भी वापस नहीं आया. अब की बार तो 600 करोड़ करोड़ लगा दिया. और लगेगा तो और देंगे. जितना लगेगा,देंगे, लेकिन किसान को उसकी हालत पर छोड़ा नहीं जायेगा. अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आप समय समाप्ति की बत्ती न जला दें, मैं संक्षेप में कुछ बात कहना चाहता हूं. इनका यह कहना है कि मध्यप्रदेश में जो भी किसान की आत्महत्या होती है, वह कर्ज के कारण होती है. मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा. तारीख है 14 जून, गांव का नाम है बल्लारपुर, विकास खण्ड लालबर्रा, विधान सभा क्षेत्र 111 बालाघाट, जहां से मैं विधायक चुना जाता हूं. रमेश लोधी नाम के 42 साल के व्यक्ति ने अपने पारिवारिक कलह से आत्महत्या कर ली. उनको अस्पताल ले जाया गया. उनकी डेथ हो गई. पी.एम. के बाद उनका पार्थिक शरीर घर आ रहा था. रास्ते में कांग्रेस के नेता अशोक सिंह सरस्वार खड़े हो गये. बोले उतारो,रोड पर रखो, एक करोड़ मुआवजा दिलवायेंगे. अध्यक्ष महोदय, जब हम इसके अन्दर गये, तो 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन 4 भाइयों की मां के नाम से कर्जा 31 मार्च को पट गया. 1 अप्रैल को नया कर्जा. मुख्यमंत्री आवास योजना का सिर्फ 35000, इस तरह से ये लोग गलत फिगर प्रस्तुत करके हमारे किसानों की घटनाओं को आत्महत्या में जोड़ करके दिखाने का प्रयास करते हैं. मैं चाहूंगा कि इस घटना की जांच होनी चाहिये. यह सारे तथ्य सामने आयेंगे. हाट बाजार के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हम पंचायतों में, माननीय गोपाल भार्गव जी के क्षेत्र में, जहां जहां हाट बाजार बने हैं वहां और जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर बनायेंगे, हमारी मंत्री माया सिंह जी के क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में हाट बाजार बनायेंगे, वहां पर किसान अपनी फसल लायेगा, अपनी सब्जी लायेगा, अपना फल लायेगा, अपने फूल लायेगा और वह सीधे ही उपभोक्ता को बेचेगा. उसके ऊपर कोई आढ़त नहीं लगेगी, कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा.

अध्यक्ष महोदय मैं तो यहां पर अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे मध्यप्रदेश में 550 मंडियां हैं उन सभी मंडियों और उप मंडियों में एक एक शेड किसानों की

उपज को बेचने के लिए रखेंगे. यदि किसान सीधे अपनी उपज उपभोक्ता को बेचेगा तो मंडी टैक्स से उसे फ्री किया जाना चाहिए, जिससे हमारे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अंतर रहता है वह दूर किया जा सके.

माननीय अध्यक्ष महोदय अभी बहुत लंबी बात करते थे मेरे बड़े भाई पूर्व सहकारिता मंत्री, यह 2000 में सहकारिता मंत्री थे, मैं शायद उस समय सांसद बन गया था. आपने उस समय भूमि विकास बैंक की क्या हालत की है. आपने भूमि विकास बैंक की वह हालत की है कि भोपाल बैंक ने लोगों की रहन  की जमीन को नीलाम किया और ताकतवर लोगों ने उस जमीन को खरीद डाला, जब यह विषय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में आया तो न्यायालय में उस मुकदमे को सरकार लड़ रही है, हमारा प्रयास होगा कि किसानों की जमीन उनको वापस दिलायी जाय, यह है हमारी सरकार.

माननीय अध्यक्ष महोदय इनके जमाने में जो कर्जा बढ़ता गया 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के बाद 1800 करोड़ हो गया. हमारी यह सरकार है हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उन्होंने 1150 करोड़ रूपया ब्याज का माफ किया है और कहा कि 700 का 700 दे दो 20 करोड़ मिला बाकी नहीं मिला तो मैं मध्यप्रदेश के सदन में कृषि मंत्री होने के नाते, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमण्डल का सहयोगी होने के नाते यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक इंच भी जमीन हम मध्यप्रदेश के किसान की अगर ऋण अदा नहीं किया गया तो नीलाम नहीं की जायेगी, क्या बात करते हैं.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक यहां पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं. उन्होंने अभी कहा है कि मध्यप्रदेश के किसी भी किसान की जमीन ऋण के एवज में कुर्की नहीं की जायेगी या जमीन नहीं ली जायेगी. क्या आपने इस तरह का आदेश निकाल दिया गया है. यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे यहां तहसीलदार महोदय को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना ने पत्र लिखा है कि कृषि योजना के अंतर्गत ऋण वसूली हेतु प्रकरण दर्ज करने बाबद . अब यह ऋणप्रकरण कुर्की के लिए दर्ज किये जा रहे हैं .इनकी वसूली इनकी जमीन को विक्रय करके की जायेगी. इसी तरह से बिजली के बिल की वसूली के लिए कुर्की का आदेश किसान के मकान पर लगा दिया गया है. किसानों के मकान कुर्क हो रहे हैं, किसान की जमीन कुर्क हो रही है. अगर माननीय मंत्री जी यहां पर जिम्मेदारी से वक्तव्य दे रहे हैं तो अगर इस तरह का आदेश जारी कर दिया है तो आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें या यह बता दें कि कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- मध्यप्रदेश की सरकार में जब तक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं किसी की भी एक इंच जमीन नीलाम नहीं की जायेगी.

श्री रामनिवास रावत -- आपकी बात मान रहे हैं लेकिन यह आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे....(व्यवधान) क्यों असत्य बोल रहे हैं..(व्यवधान) आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दें.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- विधान सभा में कहा गया कथन यह ही निर्देश है यह ही व्यवस्था है..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- नहीं अब कोई नहीं बोलेगा. सभी लोग बैठ जायें...(व्यवधान) अब किसी प्रकार के सवाल जवाब नहीं होंगे.

श्री रामनिवास रावत -- हमेशा गलत बयानी..(व्यवधान).. आप आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दें.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं. बैठ जाइये आप. आपने अपनी बात रख ली है...(व्यवधान).

श्री रामनिवास रावत -- मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि यह कुर्की के आदेश और कुर्की के नोटिस हैं आप कहें तो मैं पटल पर रख दूं..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- पटल पर मत रखें उनको बताइये जिन्होंने कहा है(..व्यवधान)..

श्री गौरीशंकर बिसेन - अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा..

श्री रामनिवास रावत - ..इन्हीं को निलंबित करने की भी बात कर रहे हैं, उसके आदेश की कापी दे दें.

श्री गौरीशंकर बिसेन - इन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि खेती की आय कैसे दोगुनी होगी, मैं दो लाइन में बताना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, पहली बात हम कस्टम हॉयरिंग सेंटर जिसमें हम अनुदान दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत - क्या कुर्की स्थगित की जाएगी, क्या आदेश जारी करेंगे?

श्री गौरीशंकर बिसेन - आप सुनिए, हमने 1810 कस्टम हॉयरिंग सेंटर खोले हैं. इस साल 510 खोल रहे हैं और 10-10 लाख रुपए अनुदान दे रहे हैं..

श्री सुन्दरलाल तिवारी - यह कहां से माफ करने वाले हैं, पहले से ही यह प्रॉविजन्स लैंड रेवेन्यू कोर्ट में हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन - ..इससे खेती समय पर होगी, उसकी लागत घटेगी. मेगा कस्टम हॉयरिंग सेंटर में हम एक करोड़ तक का अनुदान दे रहे हैं. आप विचार करिए, इससे लागत घटेगी. हमारा पैडी ट्रांसप्लांटर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार बालाघाट में पैडी ट्रांसप्लांटर

योजना चालू की. हम उस पर एक लाख चवालीस हजार रुपए का अनुदान दे रहे हैं और एक लाख छह हजार रुपए किसानों का लग रहा है. मैं यह पटल पर रखूंगा हमारी कौन-कौन सी योजनाएं हैं और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके जमाने में तिहत्तर लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, हमने दो सौ दस लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा किया है और इसलिए हमारा किसान हम पर विश्वास करता है...

श्री सचिव यादव - हमारी सरकार ने करोड़ों रुपयों का कर्जा माफ किया है. आपकी सरकार यदि संवेदनशील है तो आप कर्जा माफ करिए. आप किसानों का कर्जा माफ करो.

श्री गौरीशंकर बिसेन - ...वह जानता है किसने पैदा करवाया है, वह हमारी उपज को खरीदेगा और मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि मध्यप्रदेश में ये लाख आन्दोलन कर लें, बीजेपी की सरकार है और आगे भी रहेगी, ये जितना करना है कर लें. (मेजों की थपथपाहट)..

**स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

अध्यक्ष महोदय - जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया था कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम - 58 (1) के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर सामान्यतः 2 घंटे चर्चा की जाती है, परन्तु विषय की गंभीरता एवं महत्व को देखते हुए इसके समय में वृद्धि कर दोपहर 12.40 बजे से चर्चा जारी है. इस विषय पर बोलने वाले दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या काफी अधिक होने से अभी तक 6 घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है तथा दोनों पक्षों के 18 सदस्यों द्वारा सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है. अब समय भी काफी हो चुका है. अतः इस स्थगन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब कल सदन में आएगा. मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

अध्यक्ष महोदय - सदन की सहमति ले ली है. (व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत -अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियमों में स्थगित की ही नहीं जा सकती. आपने यह कर दिया है, हम सम्मान करते हैं. आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे प्रस्तावक सदस्य 47 हैं. आप जब तक कार्यवाही चलाना हो चलाएं. नियमों को निलंबित किया है तो हमारे सदस्यों के लिए भी नियम निलंबित करें. हमारे सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करें. अध्यक्ष महोदय, केवल नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता ही नहीं, हमारे सभी सदस्य बोलेंगे जिन्होंने प्रस्ताव दिया है. यह आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है. जब आप नियम निलंबित कर सकते हैं तो इसके लिए भी हमारा कृपापूर्वक आग्रह स्वीकार करें या फिर आज ही इसे समाप्त करें.

अध्यक्ष महोदय - कोई भी चर्चा अनंतकाल तक नहीं चल सकती. कहीं न कहीं मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है. आप किताब मत निकालिए, मेरे पास भी किताब रखी है. मैंने सदन की सहमति ले ली है.

श्री रामनिवास रावत - लेकिन हम अस्वीकार कर रहे हैं. हमारा भी निवेदन स्वीकार करें, हमारे सदस्य बोलेंगे, नहीं तो कोई सहमति नहीं है.

अध्यक्ष महोदय - अनंतकाल तक कोई भी चर्चा नहीं चलती.

श्री रामनिवास रावत - आप सदस्यों को बोलने की अनुमति दें. हमारे 47 सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, सब जगह की अलग-अलग परिस्थितियां हैं, अलग-अलग सदस्यों के विचार हैं .

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय सिंह) - अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात रखी है, वह उचित है. कोई बहिर्गमन करने की बात नहीं है. अध्यक्ष महोदय, यह आपकी कृपा रही कि 6 घंटे चर्चा हुई. आपके आदेशानुसार कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं कल बोलें, वह भी ठीक है. लेकिन प्रस्तावक लोग काफी हैं, 2-2 मिनट का समय दे दें. आप सीमित कर दें. सत्तापक्ष के लोग न बोलें. 2-2 मिनट में जो हमारे 15-20 सदस्य बचे हैं वह बोल लेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने जो कहा है. मेरा उनसे एक अनुरोध है कि 27 सदस्यों के नाम मेरे पास हैं उसमें से अभी 9 सदस्यों ने बोला है. 18 सदस्य रह गए हैं. दो मिनट की मर्यादा कोई मानता नहीं. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सहयोग करें. कोई भी चर्चा अनन्तकाल तक नहीं चलती. आप नियमों का हवाला दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- नियमों का हवाला नहीं दे रहे हैं. आपकी कृपा चाह रहे हैं. जब आप एक दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तो दूसरे दिन भी चलायें, तीसरे दिन भी चलायें. सदस्यों के मन में अपनी बात कहने का कहीं न कहीं विचार है.

अध्यक्ष महोदय-- किसी विषय पर अनन्तकाल तक चर्चा नहीं हो सकती. आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए. 18 सदस्यों ने बोला उसमें भी रिपीटिशन हुआ है. 22 सदस्य प्रतिपक्ष के और 13 सदस्य सत्तापक्ष के बोलेंगे तो वही बात रिपीट होगी. जो सदस्य उस क्षेत्र से आते थे, उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया. मेरा आपसे अनुरोध है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. हर विधेयक से लेकर हर विषय की मर्यादा होती है और इसीलिए 2 घंटे का समय बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया और कल भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदन के नेता जी बोलेंगे. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सहयोग करें.

विधान सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 8.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 19 जुलाई, 2017(आषाढ़ 28,शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह**

भोपाल, प्रमुख सचिव

दिनांकः 18 जुलाई, 2017 मध्यप्रदेश विधान सभा.